मध्यप्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर-सूची

दिसम्बर, 2014 सत्र

सोमवार, दिनांक 08 दिसम्बर 2014

तारांकित प्रश्नोत्तर

कृषकों को फसल बीमा क्षतिपूर्ति राशि का वितरण

1. **(*क्र. 245) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि फसल ऋण लेने वाले कृषकों का फसल बीमा करने हेतु 2% की दर से बीमा प्रीमियम की राशि अनिवार्य रूप से कटौती की जाती है, ताकि फसलों की क्षति होने पर पूर्ति की जा सके ? (ख) यदि हां, तो प्रश्नांश (क) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत कितने कृषकों से कितनी प्रीमियम राशि वर्ष, 2011 से 2014 तक वसूल की गई ? वर्षवार बतावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार विधानसभा क्षेत्र पनागर के कितने कृषकों को वर्ष, 2011 से 2014 तक की कितनी क्षतिपूर्ति राशि वितरित की गई ? वर्षवार बतावें ? (घ) वर्ष, 2011 से 2014 तक की क्षतिपूर्ति की कितने कृषकों की कितनी राशि शेष है एवं कब तक वितरित की जावेगी ? निश्चित समयावधि बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) फसल ऋण लेने वाले कृषकों के फसल बीमा हेतु मुख्य फसलों के लिये 1.5 प्रतिशत से 2.5 प्रतिशत तक बीमा प्रीमियम की राशि ली जाती है. (ख) विधान सभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत वर्ष 2011 से 2014 तक 2382 कृषकों से रूपये 1244628.63 बीमा प्रीमियम राशि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं द्वारा प्राप्त की गई है. वर्षवार **विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है. (ग) विधानसभा क्षेत्र पनागर के अंतर्गत बीमा कंपनियों से प्राप्त एवं वितरित क्षतिपूर्ति राशि का वर्षवार **विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है. (घ) बीमा कंपनी से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि कृषकों को वितरित कर दी गई है. शेष प्रश्नांश उद्‌भूत नहीं होता है.

परिशिष्ट – "एक"

जनपद पंचायत सारंगपुर अन्तर्गत अपूर्ण कार्यों की आहरित राशि की वसूली

2. **(*क्र. 168) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजगढ़ जिले की सारंगपुर जनपद पंचायत में वर्ष 2009-10 से दिनांक 31.10.2014 तक के सभी मदों में स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य पूर्ण किये गये है एवं कितने अपूर्ण है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला राजगढ़ की जनपद पंचायत सारंगपुर के पूर्ण एवं अपूर्ण कार्यों की जानकारी ग्राम पंचायतवार, मदवार, कार्यवार, वर्षवार स्वीकृत राशि के विरूद्ध कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में दर्शाये गये अपूर्ण कार्यों को कब तक पूर्ण करा लिया जावेगा ? क्या अपूर्ण कार्यों को उनकी निर्धारित अवधि में पूर्ण न कराये जाने एवं कार्य के विरूद्ध शासकीय राशि आहरित कर लेने के कारण शासन को वित्तीय हानि पहुंचाई गई है ? उनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जावेगी ? (घ) जनपद पंचायत सारंगपुर अंतर्गत वर्ष, 2009-10 से दिनांक 31.10.2014 तक कितनी ग्राम

पंचायतों द्वारा किन-किन स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध अग्रिम राशि का आहरण कर लिया गया है एवं उक्त राशि के विरूद्ध कार्य नहीं करवाया जा रहा है एवं उनके विरूद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) राजगढ जिले की जनपद पंचायत सारंगपुर द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विभिन्न मदों में कुल 6856 कार्य स्वीकृत किये गये जिसमें से 3333 कार्य पूर्ण एवं 3523 कार्य अपूर्ण है । (ख) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"** अनुसार । (ग) अपूर्ण कार्य पूरे किये जा रहे है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) जानकारी **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"** अनुसार । जनपद पंचायत सारंगपुर की 05 ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिवों द्वारा स्वीकृत कार्यो के विरुद्ध आग्रिम राशि का आहरण कर कार्य नहीं कराये गये हैं उनके विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 92(1 एवं 2) के तहत कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगपुर को प्रस्ताव प्रेषित किया है ।

अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि की राशि वितरण में हुई अनियमितताएं

3. **(*क्र. 158) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास एवं रायसेन जिले में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की शाखाओं में तहसीलदार/राजस्व विभाग द्वारा 01-01-14 से 15.10.14 की अवधि में अतिवृष्टि/ ओलावृष्टि की कितनी राशि बैंकों में जमा हुई ? (ख) उक्त राशि वितरण में अनियमितताओं की कितनी शिकायतें शासन तथा विभाग को प्राप्त हुई, तथा उक्त शिकायतों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या यह सत्य है कि देवास जिले में जाँच दल का गठन कर जाँच करवाई गई ? यदि हाँ, तो उक्त जाँच दल ने अपनी रिपोर्ट में क्या प्रतिवेदन दिया ? (घ) उक्त प्रतिवेदन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) देवास एवं रायसेन जिले की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखाओं में तहसीलदार/राजस्व विभाग से दिनांक 01.01.2014 से 15.10.2014 तक की अवधि में अतिवृष्टि/ओलावृष्टि की रूपये 16548.79 लाख एवं रूपये 4736.13 लाख क्रमशः जमा हुये हैं. (ख) देवास जिले में 11 शिकायतें एवं रायसेन जिले में 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं. उक्त शिकायतों पर की गई कार्यवाही की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट** अनुसार है. (ग) देवास जिले में सहकारिता विभाग द्वारा जांच दल का गठन कर कोई जांच नहीं कराई गई है. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (घ) उत्तरांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

परिशिष्ट – "दो"

व्यापम परीक्षाओं में अनियमितताओं की शिकायतों पर दर्ज प्रकरण

4. **(*क्र. 225) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) व्यापम द्वारा वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षा एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षाओं में अनियमित एवं फर्जी तरीके से पास होने की शिकायतों की जांच उपरांत दिनांक 1 जुलाई 2014 के पश्चात कितने प्रकरण कहां-कहां किस-किस के विरूद्ध किन-किन धाराओं के तहत दर्ज किए गए ? अपराध क्रमांक, दिनांक सहित बतावें ? (ख) दर्ज प्रकरणों में किन-किन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है ? किन-किन की गिरफ्तारी शेष है ? साथ ही यह भी बतावें कि अभी तक उक्त परीक्षाओं में पास/चयन कराने हेतु पैसा लेने वाले किन-किन व्यक्तियों/दलालों को गिरफ्तार किया गया है ? किन-किन को नहीं ? 1 जुलाई, 2014 से पूर्व दर्ज प्रकरणों में गिरफ्तारी से शेष बचे अपराधियों की जानकारी भी उपलब्ध करावें ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार व्यापम द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में हुई अनियमितताओं एवं फर्जीवाड़े को लेकर एस.टी.एफ. द्वारा छापामार कार्यवाही कर किन-किन के यहां से कितनी-कितनी धनराशि जब्त की गई है ? प्रश्नांश (क) अनुसार हुए फर्जीवाड़े में अभी तक कितने-कितने परीक्षार्थियों के प्रवेश में चयन परीक्षा निरस्त करने की कार्यवाही की गई है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) व्यापम द्वारा वर्ष 2004 से प्रश्न दिनांक तक आयोजित विभिन्न प्रवेश परीक्षा एवं विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती हेतु चयन परीक्षाओं में अनियमितता एवं फर्जी तरीके से पास होने की शिकायतों की जांच उपरांत दिनांक 01 जुलाई, 2014 के पश्चात 23 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये । विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अनुसार 01 जुलाई, 2014 के पश्चात पंजीबद्ध प्रकरणों में कुल 80 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है एवं 50 आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है । उक्त पंजीबद्ध प्रकरणों में परीक्षाओं के पास/चयन कराने हेतु पैसे लेने वाले 14 दलाल उक्त गिरफ्तार आरोपियों में सम्मिलित हैं । उक्त पंजीबद्ध प्रकरणों में 15 दलालों की गिरफ्तारी शेष है । प्रकरण में विवेचना जारी है । विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है । 01 जुलाई, 2014 से पूर्व दर्ज प्रकरणों में 595 अपराधियों की गिरफ्तारी शेष है । विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार** है । (ग) प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अनुसार कपिल रावत निवासी पुराना जौरा, जिला मुरैना से थाना एस.टी.एफ. भोपाल के अप.क्र. 16/2014 में 95,000/- रूपये एवं थाना एस.टी.एफ. भोपाल के अप.क्र. 17/2014 में प्रदीप सिंह रावत निवासी बघरौनी, तहसील कैलारस, जिला मुरैना से 08 हजार रूपये की धनराशि पृथक-पृथक प्रकरणों में जब्त की गई । विस्तृत **जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** है । परीक्षार्थियों के प्रवेश में चयन परीक्षा निरस्त करने संबंधी जानकारी संकलित की जा रही है ।

सहकारिता समितियों द्वारा शेयर की राशि जमा कराई जाना

5. **(*क्र. 787) श्री हर्ष यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) किसानों को सहकारी समितियों से ऋण देते समय शेयर की राशि हर बार जमा कराई जाती है ? यदि हां, तो ऋण चुकता करते समय इस राशि का समायोजन क्यों नहीं किया जाता है और न ही कोई अभिलेख संधारित किया जाता है ? क्या शासन इसकी जांच करायेगा ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) हां,तो क्या शेयर जमा होने पर हर बार शेयर राशि जमा करने से किसान को राहत दी जावेगी ? (ग) क्या पूर्व वर्षो में जमा शेयर की राशि की समितियों की जांच कराने का शासन का विचार है,यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों द्वारा ऋण देते समय किसानों से निर्धारित अनुपात में शेयर राशि जमा कराई जाती है. पूर्व की शेयर राशि समिति में जमा होने की दशा में वितरित किये जाने वाले ऋण के अनुपात में यदि शेयर राशि कम है, तो शेष शेयर की राशि किसानों से जमा कराई जाती है. किसानों से आवेदन प्राप्त होने पर ऋण चुकता करते समय शेयर राशि का समायोजन किया जाता है. शेयर राशि का लेखा अभिलेख प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में संधारित किया जाता है. शेष प्रश्नांश उद्‌भूत नहीं होता है. (ख) यदि वितरित किये जाने वाले ऋण के निर्धारित अनुपात में शेयर राशि समिति में जमा है, तो हर बार शेयर राशि जमा नहीं कराई जाती है. (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

कटनी जिले के रीठी जनपद में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित हितग्राही

6. **(*क्र. 405) श्री कुंवर सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के रीठी एवं बहोरीबंद जनपद क्षेत्र की किस पंचायत के, कितने परिवारों को राशन दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभ प्राप्त हो रहा है ? 1 नवंबर 2014 की स्थिति में बतायें ? (ख) प्रश्नांश (क) क्षेत्र एवं अवधि में कितने परिवारों को खाद्य सुरक्षा पर्चियों का वितरण किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) क्षेत्र एवं अवधि में कितने परिवारों को राशन कार्ड प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किये गये हैं ?
(घ) प्रश्नांश (क) क्षेत्र एवं अवधि में कितने परिवारों को समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के तहत सर्वेक्षित किया गया हैं ? (ड.) वर्तमान दिनांक तक कितने हितग्राही कार्ड/कूपन से वंचित है ? और इनके कूपन कब तक बनेगें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) कटनी जिले के रीठी जनपद क्षेत्र में 28637 एवं बहोरीबंद जनपद क्षेत्र में 34093 पात्र परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनिमय, 2013 के अंतर्गत उचित मूल्य दुकानों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री प्राप्त हो रही है । पंचायतवार परिवारों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि तक रीठी जनपद क्षेत्र में 28637 एवं बहोरीबंद जनपद क्षेत्र में 34093 पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची का वितरण किया गया है । (ग) प्रश्नांश 'ख' अनुसार । (घ) प्रश्नांश क में उल्लेखित अवधि तक समग्र पोर्टल पर रीठी जनपद क्षेत्र में 34,951 एवं बहोरीबंद जनपद क्षेत्र में 50,784 परिवारों का सर्वेक्षण किया जा चुका है । (ड.) 01 नवंबर 2014 की स्थिति में कोई भी हितग्राही पात्रता पर्ची प्राप्त करने से वंचित नहीं था । पात्र परिवारों के सत्यापन एवं उनको पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और आवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार समयावधि में कार्यवाही की जाती है ।

परिशिष्ट – "तीन"

<u>लंबित कार्यों को पूर्ण किया जाना</u>

7. **(*क्र. 91) श्री संजय पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 की कार्ययोजना में जिला पंचायत कटनी द्वारा संचालित समस्त योजनाओं में कुल कितने कार्य स्वीकृत किये गये थे ? उनमें से कितने कार्य प्रश्न दिनांक तक पूर्ण हुए एवं कितने अपूर्ण हैं, तथा ऐसे कितने कार्य हैं, जो प्रारंभ ही नहीं कराये गये ? (ख) क्या यह सत्य है कि प्रश्नकर्ता द्वारा जनपद विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा से ली गई लिखित जानकारी के अनुसार प्रश्नांश (क) वर्षों के पूर्व के स्वीकृत कार्य भी अपूर्ण एवं प्रारंभ नहीं होना बताया गया है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं ? वर्षवार, कार्यवार, राशिवार, योजनावार पृथक-पृथक ब्यौरा दें ? (घ) प्रश्नाधीन अपूर्ण कार्यों या जो कार्य प्रारंभ नहीं किये गये, उनकी राशि क्या विभाग को समर्पित (सरेंडर) की गई ? यदि हां, तो कब-कब एवं कितनी-कितनी राशि उपरोक्तानुसार मदवार ब्यौरा दें ? यदि नहीं, तो उक्त अनियमितता हेतु कौन-कौन दोषी हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** । (ख) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"अनुसार** । (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** । (घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यो में कार्य एंजेसी द्वारा कराये गये कार्यो का मूल्यांकन के आधार पर राशि का भुगतान संबंधित को किया जाना है । अतः अपूर्ण कार्यो या जो कार्य प्रारंभ नहीं किये गये है उनकी राशि विभाग को समर्पित करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता एवं किसी तरह की अनियमितता नहीं हुई है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।

<u>वाटर शेड योजना मद में प्राप्त आवंटन</u>

8. **(*क्र. 528) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला दतिया में वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा वर्ष 2014-15 में वाटर शेड योजना अंतर्गत प्रत्येक मद में कितना आवंटन प्राप्त हुआ है ? मदवार एवं वर्षवार विवरण दें ? (ख) वाटर शेड योजना अंतर्गत विकास एवं निर्माण कार्य किन क्रियान्वयन एजेंसी से कराये जाते हैं ? एजेंसी निर्धारण करने की प्रक्रिया एवं कार्य संपादित कराने की प्रक्रिया क्या है ? (ग) क्रियान्वयन एजेन्सियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 में क्या-क्या निर्माण कार्य संपादित कराये गये हैं ? कार्यवार, कार्य का नाम, स्वीकृत राशि, एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य का मूल्यांकन तथा मूल्यांकनकर्ता अधिकारी का नाम प्रत्येक कार्य के समक्ष अंकित कर प्रदान किया जावे ? वाटर शेड योजना अंतर्गत कार्यों के चयन तथा अनुमोदन की क्या प्रक्रिया है ? निर्माण कार्यों के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समीक्षा हेतु सक्षम अधिकारी कौन-कौन है ? (घ) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 14-15 में निर्माण कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु किन-किन अधिकारियों द्वारा स्थल निरीक्षण किये गये हैं उनके प्रतिवेदन अनुसार कार्यों की भौतिक स्थिति एवं गुणवत्ता के संबंध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) योजना में मदवार आवंटन प्राप्त नहीं होता है । प्रश्नाधीन अवधि में प्राप्त आवंटन की परियोजनावार **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार** है । (ख) वाटरशेड योजना के अंतर्गत विकास एवं निर्माण कार्य एजेंसी "ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी" द्वारा करायें जाते है । भारत शासन की मार्गदर्शिका-2008 द्वारा ग्राम स्तरीय वाटरशेड कमेटी को क्रियान्वयन एजेन्सी बनायी जाकर कार्य सम्पादित कराया जाना निर्धारित किया गया । (ग) प्रश्नाधीन अवधि में सम्पादित निर्माण कार्यों की **जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार** हैं । वाटरशेड योजना के अंतर्गत पारिवारिक सर्वेक्षण तथा नैट प्लानिंग उपरांत कार्यों का चयन कर डीपीआर (विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन) में अंकित किया जाता है । डीपीआर का अनुमोदन ग्राम सभा एवं जिला स्तरीय समिति द्वारा लिये जाने के पश्चात् ही कार्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाता है । वाटरशेड कार्यों का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं समीक्षा सम्बंधित परियोजना के टीम लीडर, तकनीकी विभाग के तकनीकी अधिकारी, जनपद स्तरीय एवं जिला स्तरीय तथा राज्य शासन के अधिकारियों द्वारा की जाती है । (घ) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 14-15 में निर्माण कार्यों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा एवं जल संसाधन विभाग तथा सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा स्थल निरीक्षण किये गये हैं । निरीक्षण के दौरान भौतिक स्थिति एवं गुणवत्ता के सम्बध में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण कार्यवाही प्रस्तावित करने का प्रश्न उपस्थिति नही होता ।

<u>महिला/प्रा.उप.भण्डारों को कार्य क्षेत्र के बाहर शा.उ.मू. दुकाने आवंटित/संलग्न किए जाने बाबत्</u>

9. **(*क्र. 408) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या विधि प्रावधानों/शासन निर्देशों के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में शा.उ.मू. दुकाने महिला/प्रा.उप. भण्डारों को पंजीयन क्षेत्र के अंदर ही आवंटित/संलग्न किए जाने का प्रावधान है ? (ख) क्या नगरीय क्षेत्र छतरपुर में वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक महिला/प्रा.उ. भण्डारों से पंजीयन कार्य क्षेत्र के अंदर/अनुसार शा.उ.मू. दुकानें आवंटित/संलग्न कर संचालित कराई जा रही है ? हां तो उक्तावधि में कार्यरत संस्था/भण्डार का नाम, पंजीयन क्र. जीवित/ अजीवित, पंजीयन अनुसार कार्य क्षेत्र व वार्ड क्रं., आवंटित/संलग्न दुकानों के वार्डों के नाम व वार्ड क्रं., दुकान की जानकारी प्रस्तुत करें ? (ग) क्या उक्त जानकारी के अनुसार नगरीय क्षेत्र छतरपुर में उक्त भण्डारों को पंजीयन क्षेत्र के बाहर दुकानें आवंटित/संलग्न करना पाई जाती है ? हां, तो प्रावधानों/निर्देशों के प्रतिकूल आवंटन/संलग्नीकरण आदेश जारी करने के लिए कौन-कौन अधिकारी दोषी हैं, संस्थावार दोषियो के नाम/पदनाम उल्लेखित करें ? (घ) शासन, विधि प्रावधानों/निर्देशों के प्रतिकूल जारी आवंटन/संलग्नीकरण आदेशों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर पात्र संस्थाओं को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार दुकानों को आवंटित करने के निर्देश जारी कर उक्त दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगा ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) जी, नहीं । (ख) नगरीय क्षेत्र छतरपुर में 10 में से 6 दुकानें पंजीयन कार्य क्षेत्र के अंतगर्त संचालित की जा रही हैं । उपायुक्त सहकारिता की अनुशंसा के आधार पर बघराजन प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार को उसके कार्य क्षेत्र के बाहर की दुकान आवंटित की गई है । पूजा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार, समता महिला प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार एवं शिवाजी प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार को दुकान का आवंटन उनके पंजीयन कार्य क्षेत्र से बाहर किया गया है । उक्तावधि में कार्यरत संस्था/भण्डार का नाम, पंजीयन क्रमांक कार्यशील/अकार्यशील, पंजीयन अनुसार कार्य क्षेत्र व वार्ड क्रमांक तथा आवंटित/संलग्न दुकानों की **जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार** है । (ग) जी, हां । उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से उचित मूल्य दुकान में अनियमितता पाये जाने पर दुकान को समीपस्थ किसी अन्य दुकान में संलग्न करने का प्रावधान है । दुकानों का संलग्नीकरण समीपस्थ दुकानों में होने से कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । (घ) प्रश्नांश (ग) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "चार"

ई कक्ष की स्थापना एवं क्रियान्वयन

10. **(*क्र. 367) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले में कितनी ग्राम पंचायतों में ई कक्ष की स्थापना की जा चुकी है, तथा कितनी पंचायतों में करना शेष है ? ई कक्ष में क्या-क्या सुविधाऐं प्रदान की जाएगी ? (ख) क्या यह सही है कि ई पंचायतों के माध्यम से शासन से शासन की सेवाऐं, शासन से नागरिक सेवाऐं तथा अन्य सेवाऐं संचालित की जाएगी ? इस हेतु क्या समस्त ई कक्षों में कंप्यूटर कर्मचारी की नियुक्ति कर दी गई है, यदि नहीं, तो इन्हें कौन संचालित करेगा, जानकारी देवें ? (ग) ई कक्ष निर्माण में कौन-कौन सी कंपनियों के कौन-कौन से उपकरण दिए गए हैं ? यह किस फर्म ने उपलब्ध कराए हैं ? क्या उक्त जिलों के समस्त ई कक्षों में विद्युत संयोजन किया जा चुका है ? क्या इन कक्षों में ऊर्जा के लिए इनवर्टर एवं अन्य सुविधाऐं भी होंगी ? (घ) वर्तमान में संचालित ई कक्षों में कहां-कहां कार्य हो रहा है ? कहां नहीं ? कारण सहित अवगत करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

ई-पंचायत भवन के निर्माण में गुणवत्ताविहीन कार्य

11. **(*क्र. 499) श्री मधु भगत (श्री उमंग सिंघार) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लघु उद्योग निगम के माध्यम से 2931 ई-पंचायत भवनों (प्री-फेब्रीकेशन) के निर्माण हेतु निविदा आमंत्रित की गई ? उक्त निविदा में किन-किन कंपनियों ने भाग लिया उनके नाम/पते/डायरेक्टरों के नाम/रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी उपलब्ध करायें ? साथ ही कंपनियों द्वारा प्रस्तुत की गई दरों का विवरण देवें ? (ख) विभाग की एजेंसी आर.ई.एस. द्वारा सीमेंट-क्रांक्रीट का एक पंचायत भवन बनाये जाने में कितनी लागत आती है ? आर.ई.एस. के एक पंचायत भवन के नक्शे की छायाप्रति उपलब्ध करायें ? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कंपनी द्वारा जिन ई-पंचायत भवनों (प्री-फेब्रीकेशन) का निर्माण कराया जा रहा है, उन ई-पंचायत भवनों (प्री-फेब्रीकेशन) के गुणवत्ताविहीन होने के कारण विभाग को प्रदेश के किसी जिले के कलेक्टर द्वारा पत्राचार किया गया ? यदि हां, तो पत्राचार की छायाप्रति उपलब्ध करायें ? (घ) क्या यह सही है कि जिस कंपनी को ई-पंचायत भवनों (प्री-फेब्रीकेशन) का कार्य सौंपा गया था ? उसे अनुबंध अनुसार समय सीमा में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण विभाग ने लघु उद्योग निगम को कोई पत्र लिखा है, यदि हां, तो पत्र की छायाप्रति उपलब्ध कराएं ? यदि कंपनी को इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है तो उक्त नोटिस की छायाप्रति उपलब्ध करायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा के संबंध में दी गई जानकारी के अनुसार टेंडर में 8 निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा प्रपत्र क्रय किये गये है, 4 निविदाकर्ताओं द्वारा डाऊनलोड की गई है एवं 2 कंपनियों द्वारा निविदा प्रेषित की गई है । निगम द्वारा टेंडर के संबंध में प्रस्तुत **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार** । (ख) विभाग की एजेन्सी आर.ई.एस. द्वारा सीमेंट कांक्रीट का एक पंचायत भवन निर्मित किये जाने में लागत रूपये 15.00 लाख (वर्ष 2011-12 की स्थिति में) आती है । नक्शे की छायाप्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार** । (ग) जी हां । पत्राचार की प्रतियां **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "स" अनुसार** । (घ) जी हां । पत्रों की प्रति **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "द" अनुसार** । कंपनी को म.प्र.लघु उद्योग निगम द्वारा जारी किये गये सूचना पत्रों की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ध" अनुसार** ।

ब्लैक लिस्टेड व अपात्र फर्मों को करोड़ों का भुगतान

12. **(*क्र. 98) श्री विश्वास सारंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या म.प्र. ग्रामीण यांत्रिकी विभाग में निर्माण कार्यों में पी.डब्लू.डी के टेंडर नियम लागू हैं ? यदि हां, तो फिर क्यों आरईएस में वर्ष 2010 से 13 के बीच एकल टेंडर स्वीकार किए गए ? कारण दें ? नियम बताएं ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत क्या भोपाल जिले में आरईएस ने ब्लैक लिस्टेड और अपात्र सलाहकार फर्मों के भी टेंडर पास कर भुगतान किया है ? यदि हां, तो प्रश्नांश (क) अवधि में कितना-कितना, किस फर्म को किस पदनाम/नाम के अधिकारी के हस्ताक्षर के बाद किया है ? फर्मवार, ब्लैक लिस्टेडवार/अपात्रवार, राशिवार जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत गलत भुगतान करने वाले अधिकारियों के खिलाफ विभाग ने प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी नहीं । ग्रामीण यांत्रिकी सेवा में निविदा प्रक्रिया म.प्र. कार्य विभाग नियमावली एवं विभागीय निर्देशों के अंतर्गत संपन्न की जाती है । विभागीय नियमों के अंतर्गत प्रथम आमंत्रण के पश्चात् एकल निविदा प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा निराकरण किया जा सकता है । (ख) विभाग अंतर्गत भोपाल जिले में ब्लेक लिस्टेड और अपात्र सलाहकार फर्मों के न तो टेंडर पास किये गये और न ही भुगतान किये गये हैं, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश "ख" के परिपेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अलीराजपुर जिले के ग्राम चिखलकुई में उचित मूल्य की दुकान के भवन का निर्माण

13. **(*क्र. 130) श्री माधो सिंह डावर :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेगें कि (क) क्या जिला एवं विकासखण्ड अलीराजपुर के अन्तर्गत ग्राम चिखलकुई में उचित मूल्य की दुकान हेतु पक्का भवन स्वीकृत किया गया था ? यदि हॉ, तो किस वर्ष में एवं लागत क्या थी ? भवन निर्माण कब तक पूर्ण किया जा कर उचित मूल्य की दुकान संचालित किया जाना था ? (ख) वर्तमान में उक्त भवन के निर्माण की क्या स्थिति है ? भवन निर्माण कार्य अधूरा है या पूर्ण हो गया है ? (ग) यदि भवन निर्माण अधूरा है, तो इसके क्या कारण है ? भवन निर्माण कब तक पूर्ण होकर उचित मूल्य की दुकान संचालित होगी ? (घ) यदि भवन निर्माण अधूरा है, तो भवन निर्माण एजेंसी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, क्यों ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी, हां । बी.आर.जी.एफ. योजना में वर्ष 2011-12 में इसकी लागत पांच लाख रूपये थी । भवन का निर्माण वर्ष 2011-12 में ही पूर्ण किया जाना था । (ख) उक्त भवन का निर्माण चिखलकुई में नहीं किया गया अपितु ग्राम पंचायत कानपुर के स्थान परिवर्तन के आवेदन के आधार पर संशोधन उपरांत ग्राम कानपुर पटेल फलिया में भवन का निर्माण किया गया । उक्त भवन पटेल फलिया में पूर्ण हो चुका है । (ग) एवं (घ) भवन निर्माण पूर्ण हो जाने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

इंदिरा आवास योजना का क्रियान्वयन

14. **(*क्र. 386) श्री प्रताप सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में इन्दिरा आवास योजनांतर्गत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक शासन से कितना लक्ष्य एवं धनराशि प्राप्त हुई ? प्राप्त कुल लक्ष्य में से प्रत्येक विकासखंड को कितना-कितना लक्ष्य एवं धनराशि का आबंटन किया गया ? (ख) विकासखंड तेंदूखेड़ा एवं जबेरा की ग्राम पंचायतों को आबंटित आवास कुटीरों में से कितनी कुटीरें महिलाओं को, कितनी अनुसूचित जाति को, कितनी अनुसूचित जनजाति को, कितनी मुक्त

बंधुआ मजदूरों को एवं कितनी विकलांगों को दी गई ? सूची उपलब्ध करावें ? (ग) क्या स्वीकृत कुटीरें पति-पत्नि के संयुक्त नाम से स्वीकृत की गई है अथवा नहीं ? यदि नहीं, तो उसका क्या कारण है ? आबंटित कुटीरे सभी पूर्ण हो गई है अथवा नहीं, यदि अपूर्ण हैं, तो अपूर्ण रहने का क्या कारण रहा है तथा कब तक पूर्ण हो जावेगी ? (घ) क्या आबंटित की गई हितग्राहीवार कुटीरों में स्वच्छ शौचालय एवं धुआंरहित चूल्हे का निर्माण कराया गया है अथवा नहीं, यदि नहीं कराया गया है, तो उसका क्या कारण है ? विकासखंड तेंदूखेड़ा के ग्राम बम्हौरी माल में अतिवृष्टि से 6 आदिवासियों के रहवासी टपरा नष्ट हो जाने के फलस्वरूप कलेक्टर दमोह को पत्र क्रमांक 264/1 दिनांक 16/09/2004 से प्राकृतिक आपदा पीडितों को आवास कुटीरें स्वीकृत किये जाने हेतु निवेदन किया गया था ? क्या उपरोक्त सभी पीडितों को कुटीरें स्वीकृत की गई हैं अथवा नहीं यदि हां, तो स्वीकृत आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) इंदिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक विकासखण्डवार लक्ष्य एवं धनराशि आवंटन की **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अ अनुसार** है । (ख) हितग्राहियों की सूची **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट ब अनुसार** है । (ग) दमोह जिले अन्तर्गत जनपद पंचायत को जारी लक्ष्यानुसार 90 प्रतिशत कुटीरें पति पत्नि के संयुक्त नाम से एवं 10 प्रतिशत कुटीरें एकल नाम से स्वीकृत की गई है । 10 प्रतिशत आवेदकों की पत्नि नहीं है या उनके द्वारा बैक मे संयुक्त खाता संचालित नही है । जिले मे लक्ष्यानुसार 75 प्रतिशत कुटीरें पूर्ण की जा चुकी हैं । भारत सरकार से द्वितीय किश्त की राशि समय पर प्राप्त नहीं होने से कुछ कुटीर समय पर पूर्ण नहीं हो पाती हैं । हितग्राहियों द्वारा ही कुटीर बनाये जाते हैं, तथा उनके द्वारा जल्द ही कुटीर पूर्ण किये जाने का प्रयास किया जा रहा है । (घ) जी हाँ । सभी कुटीरों में स्वच्छ शौचालय बना लिये गये हैं । अतिवृष्टि से नष्ट आवासों का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया है । स्वीकृति हेतु भारत सरकार में प्रस्ताव अभी लंबित है ।

लम्बित राशि व मजदूरी भुगतान

15. **(*क्र. 62) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) हटा एवं पटेरा विकासखण्ड की कितनी ग्राम पंचायतों में कितने कार्यों की कितनी-कितनी राशि मजदूरी एवं सामग्री के रूप में भुगतान हेतु लम्बित है ? नामवार राशिवार सूची उपलब्ध करायें ? (ख) जाबकार्डधारी श्रमिकों की कितनी-कितनी राशि का भुगतान शेष है एवं इस हेतु सक्षम अधिकारी कौन है ? (ग) हजारों मजदूरों की मजदूरी भुगतान एवं सरपंचों के पास करोड़ों रूपये की सामग्री का भुगतान लंबित होने की जानकारी शासन को है अथवा नहीं ? यदि हां, तो मजदूरी का भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा है ? क्या रोजगार गारंटी अधिनियम समाप्त हो गया है यदि नहीं, तो शासन द्वारा इस कानून के संरक्षण हेतु एवं लंबित भुगतान हेतु क्या कार्यवाही कब तक होगी, समय सीमा बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) नरेगा योजनान्तर्गत विकासखण्ड हटा में एवं पटेरा में मजदूरी राशि रूपये 370.44 लाख एवं सामग्री पर राशि रूपये 245.01 लाख का भुगतान लंबित है । शेष जानकारी जनसामान्य के अवलोकनार्थ नरेगा योजना के पोर्टल nrega.nic.in पर दर्शित है । (ख) जाबकार्डधारी श्रमिकों की शेष राशि का भुगतान की जानकारी जनसामान्य के अवलोकनार्थ नरेगा योजना के पोर्टल nrega.nic.in पर दर्शित है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) भारत सरकार का माह मार्च 2014 में लेखानुदान अनुमोदित होने के पश्चात राज्य शासन को अपेक्षानुरूप कम राशि प्राप्त हुई । नई लोकसभा के गठन उपरान्त केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पारित होने से राज्य शासन को राशि का प्रवाह बाधित हुआ है । राज्य शासन को राशि उपलब्ध होते ही मनरेगा वित्तीय प्रबंधन में सुधार की अपेक्षा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>पिछड़ा क्षेत्र विकास योजना (बी.आर.जी.एफ.) अंतर्गत कार्यों की स्वीकृति</u>

16. **(*क्र. 317) श्री मेव राजकुमार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पिछड़ा क्षेत्र विकास योजनांतर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में खरगोन जिले की जनपद पंचायतवार कार्ययोजना के अनुपात में कितने कार्यों के लिए कितना आवंटन उपलब्ध कराया गया एवं कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य पूर्ण किये गये, कितने कार्य वर्तमान तक प्रगतिरत होकर अपूर्ण हैं एवं कितने कार्य प्रारंभ नहीं किये जा सके ? प्रारंभ नहीं होने का कारण बताया जावे ? (ख) क्या यह सही है कि वर्ष 2013-14 के लिए खरगोन जिले में कार्ययोजना में सम्मिलित कार्य होने एवं कार्यों की स्वीकृति के पश्चात भी ग्राम जेठवाय, काकटटी, मेथावा, जुजाखेड़ी, दौलतपुरा एवं मुख्त्यारा में कार्य प्रारंभ करने हेतु राशि का आवंटन उपलब्ध नहीं हुआ है ? यदि हां, तो ऐसे और कितने कार्य हैं ? जनपद पंचायतवार जानकारी बताई जावे एवं राशि उपलब्ध नहीं कराने का कारण स्पष्ट करें ? कब तक राशि उपलब्ध कराई जाकर कार्य प्रारंभ कराये जायेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" अनुसार** । वर्षवार पूर्ण, प्रगतिरत, अप्रारंभ एवं अप्रारंभ रहने का कारण **पुस्तकालय में रखे** परिशिष्ट-"ब" के कॉलम 8, 9, 10 एवं 11 अनुसार । (ख) जी हाँ । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार** । वर्ष 2013-14 की राशि भारत शासन से अप्राप्त है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>घरेलू गैस के व्यवसायिक क्षेत्र में उपयोग पर विभाग द्वारा की गई कार्यवाही</u>

17. **(*क्र. 454) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले में विभाग द्वारा विगत 01 वर्ष में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक क्षेत्र में उपयोग करने पर क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) क्या विभाग द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? माहवार विस्तृत जानकारी देवें ? (ग) यदि प्रकरण पंजीबद्ध किये गये है तो संबंधितों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) सागर जिले में विभाग द्वारा विगत 01 वर्ष में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक क्षेत्र में उपयोग करने पर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत जप्ती की कार्यवाही की जाकर अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खण्ड–6 (अ) के तहत निर्वर्तन करने हेतु प्रकरण कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किये गए हैं । (ख) जी, हां । माहवार **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** अनुसार है । (ग) पंजीबद्ध प्रकरणों में जप्त सिलेण्डरों को राजसात करने के पूर्व अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खण्ड–6 (ब) के अंतर्गत अनावेदकों के विरूद्ध कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । कार्यवाही सक्षम अधिकारी कलेक्टर के समक्ष विचाराधीन है ।

<u>ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में कॉलोनी विकास के लिए आश्रय शुल्क की वसूली</u>

18. **(*क्र. 839) श्री बाला बच्चन :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या इंदौर शहर से लगी हुई ग्राम पंचायतों के क्षेत्र में कालोनी विकास के लिए आश्रय शुल्क वसूल किया गया है ? यदि हां, तो वसूल किए गए आश्रय शुल्क की राशि तथा किस मद में यह राशि वसूल की गई है ? विवरण देवें ? (ख) पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पंचायत क्षेत्रों में आश्रय शुल्क वसूल करने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? (ग) कालोनाईजर लाइसेंस जारी करने वाले तथा ले आउट मंजूर

करने वाले एवं आश्रय शुल्क जमा करने के आदेश देने वाले अधिकारियों के नाम, पदनाम सहित बताएं ? (घ) अनियमित रूप से आश्रय शुल्क वसूल करने के बारे में क्या शासन जॉच कर रहा है ? जॉच अधिकारी का नाम, पदनाम तथा जॉच कब तक पूर्ण होगी ? स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क का निर्माण एवं मरम्मत</u>

19. **(*क्र. 294) श्री ओमकार सिंह मरकाम :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) डिण्डौरी जिले में प्रथम चरण से आज तक किस-किस ग्राम को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जोड़ा गया है ? ग्रामवार, दूरी सहित, राशिवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार ग्रामवार बनाई गई सड़क का निर्माण कब प्रारंभ हुआ, तथा कब पूर्ण हुआ ? किस ठेकेदार ने काम किया ? (ग) प्रश्नांक (क) अनुसार ग्रामवार बनाई गई कौन-कौन सी सड़कों की गारंटी पूरी हुई है ? उनके मरम्मत के लिए क्या प्रयास किये जा रहे है ? सड़कवार जानकारी देवें ? (घ) क्या डिण्डौरी के सभी पात्र ग्राम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से जुड़ गये हैं ? अगर हां तो, बतावें ग्राम करोंदा, ग्राम मेढ़ाखार, ग्राम धुर्रा आदि ग्राम में सड़क क्यों नहीं बनी है और अगर नहीं, तो सड़क निर्माण कब तक किया जायेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क), (ख) एवं (ग) **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 1 अनुसार** है । (घ) जी नहीं, डिण्डौरी जिले के स्वीकृत कोरनेटवर्क के अनुसार पात्र छः बसाहटों के प्रस्ताव चौदहवें चरण के अंतर्गत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को भेजे गये है स्वीकृति अपेक्षित होने से उक्त ग्रामों को नहीं जोडा जा सका है । इसके अतिरिक्त दो ग्रामों में बड़े पुलों के डीपीआर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से नहीं जुड़ पाये हैं । शेष पात्र ग्रामों को जोडा जा चुका है अथवा जोडा जा रहा है । शेष **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 2 अनुसार** है ।

<u>जिला पंचायत जबलपुर में समग्र डाटा एंट्री ऑपरेटरों की नियुक्ति</u>

20. **(*क्र. 490) श्री अशोक रोहाणी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत जबलपुर में समग्र संबंधी कार्य करने हेतु डाटा ऐंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति माह नवंबर 2014 में की गई है ? (ख) क्या समग्र डाटा ऐंट्री ऑपरेटर हेतु संचालक समग्र के निर्देशों के विपरीत जिला रोजगार कार्यालय से आवेदन न बुलवाकर अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों का साक्षात्कार लिया गया है ? (ग) क्या उपरोक्त नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना आवश्यक है ? क्या उपरोक्त नियुक्ति हेतु मध्यप्रदेश के बाहर किसी अन्य राज्य में किये गये पी.जी.डी.सी.ए. कोर्स के अभ्यार्थी को नियुक्ति की पात्रता है ? (घ) क्या नियम विरूद्ध नियुक्ति/साक्षात्कार प्रदान करने के संबंध में आयुक्त जबलपुर संभाग के द्वारा जॉच की जा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) कम्प्यूटर ऑपरेटर सह सहायक ग्रेड-3 (संविदा पर) के पद पर चयन की कार्यवाही संपन्न हो चुकी है । नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुआ है । (ख) जी नहीं, मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक समग्र/18/2014/211, दिनांक 30/07/2014 के निर्देशानुसार चयन समिति का निर्णय अनुसार रोजगार

कार्यालय व निकाय कार्यालय के पात्र आवेदकों का साक्षात्कार दिनांक 14/10/2014 को लिया गया है । (ग) जी हां, आवेदक का मध्यप्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है । मध्यप्रदेश सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक/समग्र/18/2014/211, दिनांक 30/07/2014 में (3-अर्हताएँ) की कंडिका 3.1 एवं 3.2 के अनुसार नियुक्ति की पात्रता है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (घ) जी नहीं ।

<u>खाद्य शाखा जबलपुर में विगत 25 वर्षों से पदस्थ शासकीय सेवक की पत्नी द्वारा शा.उ.मू. दुकान क्र.328 का संचालन</u>

21. **(*क्र. 536) श्री तरूण भनोत :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि खाद्य शाखा जबलपुर में पदस्थ वाहन चालक रूद्र प्रताप सिंह जब से विभाग में भर्ती हुआ है तब से सिर्फ खाद्य शाखा जबलपुर में ही पदस्थ है एवं इसका स्थानांतरण अन्यत्र नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? (ख) क्या यह भी सही है कि उक्त वाहन चालक द्वारा अपने परिजनों जिसमें उनकी पत्नी या पुत्र का नाम शामिल है के नाम से शिल्पा उपभोक्ता भंडार क्र. 328 वीरसावरकर वार्ड जबलपुर में संचालित किया जा रहा है ? क्या कोई शासकीय कर्मचारी की पत्नी या उसका अवयस्क बच्चा बिना शासकीय अनुमति के दूसरा व्यापार कर सकता है ? यदि नहीं तो उक्त वाहन चालक की पत्नी द्वारा विगत 25 वर्षों से उक्त राशन दुकान कैसे चलाई जा रही है ? (ग) सहकारिता विभाग जबलपुर द्वारा उक्त वर्णित (क) के भंडार का गठन व निर्वाचन का कार्य कब-कब किया गया तथा क्या उक्त भंडार में संलग्न सदस्य अपने पते पर निवास कर रहे है ? यदि नहीं, तो उक्त उपभोक्ता भंडार के विरूद्ध अभी तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? (घ) सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा एवं खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत तीन वर्षों में उक्त दुकान का कब-कब निरीक्षण एवं ऑडिट किया गया एवं उसमें क्या कमियां पाई गई एवं क्या कार्यवाही की गई ? कब तक उक्त भण्डार को निरस्त कर अन्य को आवंटित कर दी जावेगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी, हां । वाहन चालक रूद्र प्रताप सिंह की नियुक्ति कार्यालय कलेक्टर (खाद्य शाखा) जबलपुर के आदेश क्र. 1880/खाद्य/स्था 86, दिनांक 18.07.86 के द्वारा जिला खाद्य कार्यालय की स्थापना के वाहन चालक के अंतर्गत ड्रायवर जिसका एक ही पद है, पर की गई थी । अत: इनका स्थानांतरण नहीं किया गया है । (ख) जी, नहीं । शिल्पा उपभोक्ता भण्डार क्र. 328 के अध्यक्ष का नाम श्रीमती सुषमा ठाकुर एवं विक्रेता का नाम रोकड साहू है । जी, नहीं । म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 में शासकीय कर्मचारी के वयस्क बच्चों द्वारा कोई व्यापार करने के लिए शासकीय अनुमति का प्रावधान नहीं है न ही ऐसा प्रावधान खाद्य नागरिक आपूर्ति स्कीम 1991 के अंतर्गत था । (ग) सहकारिता विभाग द्वारा प्रश्नांश (क) में वर्णित भण्डार का गठन पंजीयन क्र. डी/जेबीआर/1359, दिनांक 1.10.94 से किया गया एवं भण्डार का निर्वाचन दिनांक 14.10.95, दिनांक 1.11.2001, दिनांक 30.9.2006 एवं दिनांक 7.10.2011 को कराया गया । अंकेक्षण टीप अनुसार भण्डार के 250 सदस्य हैं, जिनके संबंध में अंकेक्षण टीप में पते पर निवासरत न रहने के संबंध में कोई आपत्ति न होने से जांच न किये जाने के कारण कार्यवाही का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है । (घ) सहकारिता विभाग के कर्मचारियों द्वारा विगत तीन वर्षों में दिनांक 28.5.12, दिनांक 21.11.13 एवं दिनांक 16.01.14 को निरीक्षण किया गया है एवं दिनांक 21.8.12, दिनांक 28.10.13 एवं 19.9.14 को ऑडिट किया गया है । ऑडिट में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है । खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा उपरोक्त अवधि में प्रति तीन माह में एक बार एवं आकस्मिक रूप से निरीक्षण किया गया है, जिसमें गंभीर अनियमितताओं का उल्लेख नहीं होने से निरस्ती की कार्यवाही नहीं की गई । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

<u>परिवहन विभाग द्वारा मुरैना से संचालित चैक पोस्ट</u>

22. **(*क्र. 715) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में स्थापित चैक पोस्ट (बैरियर) के संचालन हेतु विभाग की क्या-क्या नीति/निर्देश/आदेश आदि प्रचलन में हैं, की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) उपरोक्त (क) में वर्णित नीति/निर्देशों के तहत ए.बी. रोड मुरैना चैक पोस्ट बैरियर में जनवरी 2011 से अक्टूबर 2014 तक कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी/प्राईवेट व्यक्ति कार्यरत हैं ? इनके नाम, पद/पद स्थापना दिनांक/मूल विभाग का नाम आदि सहित जानकारी दी जावे ? (ग) क्या यह भी सच है कि चेकपोस्ट पर पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी आदि के खिलाफ देयक कर (टैक्स) को लेकर वाहन के मालिक आदि के द्वारा परिवहन विभाग को शिकायतें की गईं थीं ? यदि हां, तो शिकायतकर्ता का नाम, पता, शिकायत दिनांक, शिकायत की फोटो प्रति उपलब्ध करावें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष में परिवहन विभाग को की गई शिकायतों को लेकर दोषियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की ? कार्यवाही से अवगत करावें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) मध्यप्रदेश के अन्य राज्यों से आने वाले वाहनों के अवैध संचालन ओवर लोडिग आदि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु मध्यप्रदेश सीमा पर चेकपोस्ट स्थापित है जिनके द्वारा केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 म.प्र. मोटरयान नियम 1994 म.प्र. कराधान अधिनियम 1991 का परिपालन सुनिश्चित कराया जाता है । उक्त नियम एवं अधिनियम **पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार** हैं । (ख) मुरैना चेकपोस्ट बेरियर पर जनवरी 2011 से अक्टूबर 2014 तक पदस्थ विभागीय अधिकारी/कर्मचारियों के नाम, पद/पद स्थापना दिनांक/मूल विभाग का नाम आदि का **विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार** है । विभाग में प्राइवेट व्यक्ति को नही रखा जाता है । (ग) जी नहीं । (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के प्रकाश में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है ।

<u>आयुक्त खाद्य के जांच प्रतिवेदन पर कार्यवाही</u>

23. **(*क्र. 5) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के तारांकित प्रश्न क्र. 1471 दिनांक 14.07.2014 के उत्तर में प्राथमिक-कृषि साख सहकारी समिति वैशपुरा जिला भिण्ड में गेंहू उपार्जन में अनियमितता के संबंध में सदन में चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी द्वारा 07 दिवस में जांच कराकर, जांच प्रतिवेदन के आधार पर दोषियों के विरूद्ध कठोर से कठोर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था ? (ख) यदि हॉं तो जांच कब और किस अधिकारी द्वारा कराई गई ? जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या यह भी सही है कि सदन में चर्चा के दौरान माननीय मंत्री जी ने प्रश्नकर्ता पर निर्धारित पात्रता से अधिक गेहूँ बेचने की बात कही थी ? (घ) यदि हॉं, तो क्या जांच उपरांत प्रश्नकर्ता को पात्रता से अधिक गेहूं बेचना पाया गया ? यदि नहीं तो असत्य जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने वाले जिला-खाद्य अधिकारी श्रीमती ज्योति शाह के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों तथा कब तक कार्यवाही की जाएगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) जी हॉं । (ख) दिनांक 15 से 17 अक्टूबर, 2014 को आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण द्वारा जांच की गई । जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया, तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक, ग्वालियर वर्तमान में होशंगाबाद को दिनांक 26.11.2014 को निलंबित किया गया । (ग) तत्कालीन जिला आपूर्ति

नियंत्रक, ग्वालियर वर्तमान में होशंगाबाद द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रश्नकर्ता पर निर्धारित पात्रता से अधिक गेहूं बेचे जाने की बात कही गई थी । (घ) जी नहीं । असत्य जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती ज्योति शाह नरवरिया, तत्कालीन जिला आपूर्ति नियंत्रक, ग्वालियर वर्तमान में होशंगाबाद को निलंबित किया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

महिदपुर विधानसभा क्षेत्र में स्वीकृत निर्माण कार्य

24. **(*क्र. 833) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत 3 वर्षों में महिदपुर वि.स. क्षेत्र में पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, किचन शेड, जी.एस.बी. मार्ग, पुलिया निर्माण के कितने कार्य स्वीकृत किए गए ? प्रतिवर्षानुसार कार्य स्थल, स्वीकृति दिनांक, कार्य पूर्णता दिनांक सहित देवें ? (ख) उपरोक्त में से कितने कार्य, राशि आहरित होने के बाद भी अपूर्ण हैं ? आहरित राशि, कार्य का नाम, स्थल सहित प्रतिवर्षानुसार देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार कार्य अपूर्ण होने के जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ? समय-सीमा बताएं ? (घ) प्रश्नांश (ख) अनुसार अपूर्ण कार्य कब तक पूर्ण करा लिए जायेंगे ? समय-सीमा बताएं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) महिदपुर विधान सभा क्षेत्र में विगत 03 वर्षो में 01 पंचायत भवन, 20 सामुदायिक भवन, 41 किचन शेड, 10 पुलिया निर्माण एवं 58 जी.एस.बी. मार्ग स्वीकृत किये गये है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार** । (ख) स्वीकृत कार्यो में से 50 कार्य राशि आहरित होने के बाद भी अपूर्ण है । **जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट** के कॉलम 02, 03, 04, 08, एवं 10 के अनुसार । (ग) स्वीकृत कार्य निर्माणाधीन है । अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) कार्य प्रगतिरत है । समयावधि बताना संभव नहीं है ।

प्रदेश में हुए साम्प्रदायिक दंगों के आरोपियों की गिरफ्तारी

25. **(*क्र. 477) श्री आरिफ अकील :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि.अता.प्रश्न संख्या 12(क्र.266) दिनांक 26/02/2008 को जनवरी 2004 से 15 फरवरी 2008 की स्थिति में साम्प्रदायिक घटनाओं के फरार आरोपियों की जानकारी दी गई थी ? (ख) यदि हां तो प्रश्नांश (क) में 10 जून, 2014 से प्रश्न दिनांक तक की स्थिति में वर्णित फरार आरोपियों में से कितने आरोपियों को प्रश्न दिनांक तक गिरफ्तार नहीं किया गया ? (ग) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न संख्या 12 (क्र.266) दिनांक 26 फरवरी 2008 को प्राप्त जानकारी के अनुसार सामप्रदायिक दंगों में किन-किन की मृत्यु हुई और क्या उनके परिजनों को शासन द्वारा कोई मुआवजा दिया गया है यदि हां तो 10 जून, 2014 तक किस-किस को कितना-कितना ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जी हॉ । (ख) सभी पूर्व में वर्णित फरार आरोपी गिरफ्तार हो चुके है । जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) प्रश्नांश (क) (1) परिपेक्ष्य प्रश्न क्रमांक 266 दि. 26 फरवरी, 2008 में सांप्रदायिक दंगे की कोई घटना नहीं हुई थी । जिलों से प्राप्त जानकारी अनुसार विभिन्न सांप्रदायिक घटनाओं में मृत व्यक्तियों एवं उनके परिजनों को दी गई सहायता की जानकारी निम्नानुसार है :-

स.क्र.	मृतक का नाम	जिला	घटना दिनांक	दी गई सहायता राशि
1	वारिस खान	सिवनी	10.07.2004	2 लाख
2	अर्जुन पाल	अलीराजपुर	16.01.2004	1 लाख
3	जय प्रकाश	भोपाल	26.10.2004	1 लाख
4	सलिम खॉ	राजगढ	02.04.2007	1 लाख
5	रहमान खॉ	राजगढ	02.04.2007	1 लाख
6	संदीप	राजगढ	02.04.2007	1 लाख
7	गुड्डू ऊर्फ अजब	राजगढ	07.04.2007	नही
8	लोकेश	इंदौर	29.09.2007	1 लाख
9	अनवर	इंदौर	12.11.2007	1 लाख
10	जाकिर	इंदौर	12.11.2007	1 लाख
11	रशीद	देवास	30.12.2007	10 हजार
12	जीला	देवास	30.12.2007	10 हजार
13	साबीर अहमद	धार	22.05.2005	1 लाख
14	राजू भेरवे	धार	19.07.2005	1 लाख
15	अल्लाह नूर	धार	20.07.2005	1 लाख
16	अब्बास शाह	धार	19.01.2008	1 लाख

सरल क्रमांक-7- गुड्डू ऊर्फ अजब की हत्या की घटना को लेकर साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति निर्मित हुई थी। साम्प्रदायिक तनाव में मृत्यु न होने के कारण सहायता राशि नहीं दी गई थी।

परिशिष्ट – "पांच"

नियम 46(2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रुप में परिवर्तित तारांकित प्रश्नोत्तर

भिण्ड जिले के थाना मिहोना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 74/13 में कार्यवाही

1. **(क्र. 6) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता के परि. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1475 दिनांक 14.07.2014 में कण्डिका (क) से (ग) में प्रधान आरक्षक जिला पुलिस बल भिण्ड श्री देवेन्द्र सिंह के नाम फर्जी नौकरी प्राप्त कर पेंशन प्राप्त करना स्वीकार किया गया था ? यदि हाँ तो श्री देवेन्द्र सिंह के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक कार्यवाही न करने के क्या कारण है ? (ख) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में थाना मिहोना में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 74/13 में चालान कब और किन-किन अभियुक्तों के विरूद्ध कौन से माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गये ? यदि नहीं तो चालान प्रस्तुत न करने के क्या कारण है ? (ग) परि. अतां. प्रश्न क्रमांक 1475 के प्रश्नांश (घ) के उत्तर की क्या जानकारी एकत्रित कर ली गई है ? यदि हाँ तो पेंशन बन्द करने हेतु सेना को लिखे पत्र की प्रति कण्डिका (ड) के उत्तर अनुसार श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा सेना में प्रस्तुत अंक सूची की प्रति तथा श्री देवेन्द्र सिंह प्रधान आरक्षक की सेवा पुस्तिका में लगी बालाजी हायर सेकेण्डरी स्कूल मिहोना की अंकसूची की प्रतियां उपलब्ध करावें ? (घ) क्या भिण्ड पुलिस के संरक्षण के चलते अभी तक दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की गई ? यदि हाँ तो संबंधित दोषी पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही करते हुये उक्त प्रकरण के दोषी के विरूद्ध त्वरित कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जी हाँ । अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है एवं प्रकरण की विवेचना जारी है । (ख) आरोपी सुरेन्द्र सिंह उर्फ देवेन्द्र एवं दीपक सिंह को गिरफ्तार किया गया जो माननीय न्यायालय के आदेश से जमानत पर रिहा हैं । प्रकरण में अभी दस्तावेजी साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं । विवेचना पूर्ण होने पर माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जायेगा । (ग) जी नहीं । आरोपी सुरेन्द्र सिंह उर्फ देवेन्द्र सिंह की पेंशन बन्द करने हेतु जिला सैनिक कल्याण आफीसर, भिण्ड द्वारा दिनांक 03.07.2014 को तोपखाना, अभिलेख, आर्टीलरी रिकार्ड, नासिक रोड, कैम्प 422102 एपीएस, पिन-908802 को लेख किया गया । पत्र की प्रति परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । सुरेन्द्र सिंह द्वारा सेना में प्रस्तुत अंकसूची की प्रति तथा देवेन्द्र सिंह,प्रधान आरक्षक की सेवा पुस्तिका में लगी बालाजी हायर सेकेण्ड्री स्कूल की अंकसूची की प्रति क्रमशः परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' अनुसार है । (घ) प्रकरण विवेचना में है । भिण्ड पुलिस द्वारा किसी भी आरोपी को संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "छ:"

सहायक प्रबंधक के विरूद्ध की गई शिकायत पर कार्यवाही

2. **(क्र. 40) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति, रामनगर, तहसील चन्देरी, जिला अशोकनगर के पूर्व सहायक समिति प्रबंधक पर पीडीएम खाद्य वारदाना की राशि ब्याज सहित तथा 2,45,737/- दिनांक 15.07.2008 से प्रश्न दिनांक तक बकाया है ? यदि हां, तो उक्त राशि की वसूली हेतु विभाग द्वारा कब-कब, क्या-क्या कार्यवाही की गई व क्या राशि की वसूली हो चुकी है ? यदि हां, तो कब-कब व कितनी-कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ? वसूली कब तक कर ली जावेगी ? (ख) प्रश्नांश (क) से संबंधित सहायक प्रबंधक को सेवा सहकारी संस्था, रामनगर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने के बाद भी सेवा सहकारी संस्था पिपरिया में समिति प्रबंधक का स्वतंत्र प्रभार दे दिया क्यों ? जबकि उक्त व्यक्ति पर विभाग का लाखों रूपया बकाया है ? इस संबंध में श्री सुखभानसिंह यादव, पाकोन प्रश्नकर्ता एवं अन्य लोगों द्वारा कब-कब कितने-कितने पत्र लिखे की जानकारी देते हुए बताये कि ऐसे व्यक्ति को प्रबंधक का स्वतंत्र प्रभार किस अधिकारी द्वारा दिया गया व संबंधित व उक्त अधिकारी के विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) क्या महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक गुना के दिनांक 01.08.13 के गबन धोखाधड़ी के बारे में 05.07.13 की बैठक के निर्देश में दी सीमा के विरूद्ध एफ.आई.आर. व वैधानिक कार्यवाही का शाखा प्रबंधक चंदेरी को लिखे पत्र का विवरण व दोषियों के नाम व आरोपों का विवरण देते हुए बतायें कि

एफ.आई.आर. व अन्य कार्यवाही समय-सीमा में की गई व नहीं तो शाखा प्रबंधक चंदेरी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव):

(क) जी नहीं, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना से प्राप्त जानकारी अनुसार प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, रामनगर, तहसील चंदेरी, जिला अशोकनगर के पूर्व सहायक समिति प्रबंधक पर पीडीएस, वारदाना की बकाया राशि रूपये 508811.00 एवं खाद की बकाया राशि रूपये 65006.00 दिनांक 26.08.2014 को जमा हो चुकी है. राशि रूपये 245737.00 दिनांक 15.07.2008 पर विक्रेताओं की ओर बकाया थी. यह राशि दिनांक 30.10.2014 को रूपये 135500.00, दिनांक 03.11.2014 को रूपये 90000.00 तथा दिनांक 20.11.2014 को रूपये 20237.00 इस प्रकार कुल राशि रूपये 245737.00 जमा हो चुकी है, ब्याज राशि की वसूली नहीं की गई है, इसकी वसूली हेतु निर्देश दिये गये हैं. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ख) प्रश्नांश "क" से संबंधित सहायक प्रबंधक को सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, रामनगर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने के बाद भी सेवा सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरिया में समिति प्रबंधक का स्वतंत्र प्रभार दिये जाने में जिला गुना स्तर में त्रुटि हुई है. इस संबंध में श्री सुखभान सिंह यादव, पाकोन का पत्र दिनांक 24.03.2014, प्रश्नकर्ता माननीय विधायक का पत्र दिनांक 10.04.2014 एवं पत्र दिनांक 14.04.2014 तथा माननीय सहकारिता मंत्री के निज सहायक के पत्र दिनांक 23.06.2014 के साथ संलग्न श्री राजासिंह यादव का पत्र उप आयुक्त, सहकारिता, जिला अशोकनगर को प्राप्त हुआ है. सहायक प्रबंधक को प्रभार देने का आदेश दिनांक 20.02.2014 को महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना के द्वारा उप आयुक्त, सहकारिता, जिला गुना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना, अध्यक्ष प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित, पिपरिया द्वारा लिये गये निर्णय दिनांक 20.02.2014 के आधार पर दिया गया है. उप आयुक्त, सहकारिता, जिला अशोकनगर के पत्र दिनांक 25.11.2014 से प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्था मर्यादित, पिपरिया के अध्यक्ष को तत्कालीन संचालक मंडल के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही करने तथा सहायक समिति प्रबंधक की सेवा समाप्ति के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये गये है. संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण लिया जा रहा है, स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. (ग) गबन/धोखाधडी के प्रकरणों की समीक्षा बैठक दिनांक 05.07.2013 के निर्देशानुसार महाप्रबंधक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, गुना के पत्र दिनांक 01.08.2013 के द्वारा शाखा प्रबंधक, शाखा चंदेरी को एफआईआर एवं राशि वसूली हेतु निष्पादन की कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे, विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है, एफआईआर एवं अन्य कार्यवाही समय-सीमा में नहीं करने पर शाखा प्रबंधक चंदेरी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है.

परिशिष्ट – "सात"

<u>ग्राम नगेश्री के सरपंच व सचिव के विरूद्ध कार्यवाही</u> ।

3. **(क्र. 41) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 07.07.14 के ता. प्रश्न संख्या 25 (क्र. 90) जांच प्रतिवेदन के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत नगेश्री को दोषी माना गया था किंतु अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय ने उनके आरोप सिद्ध नहीं होने के कारण दोष मुक्त कर दिया ? उक्त प्रकरण की विवेचना करने वाले अधिकारियों के नाम, पते बतावें ? पूर्व में जांच किसके द्वारा की गई व किन-किन आधारों को मानकर दोषी करार दिया गया था क्योंकि 7 जुलाई 2014 को प्रश्न संख्या 25 (क्र. 90) को मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि दिनांक 03 मार्च 2014 के तारांकित प्रश्न संख्या 10 (क्र. 97) के संदर्भ में ग्राम नगेश्री, जिला अशोकनगर के सरपंच व सचिव के विरूद्ध आरोप प्रमाणित हुए सरपंच के पुत्र जो अन्य गांव में सचिव है को तथा कई मृत व्यक्तियों को मजदूरी का भुगतान हुआ है ? उसके बाद भी अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 27.03.2014 को आरोप सिद्ध न होने बता कर प्रकरण समाप्त कर दिया ? क्या इसकी जांच के आदेश देंगे ? (ख) अशोकनगर जिले में पिछले 5 वर्षों में किन-किन पंचायतों में मनरेगा की 1 करोड़ से अधिक धनराशि किस-किस कार्य के लिये खर्च की गई ? खर्च की गई राशि का आंकड़ा बताते

हुए यह बताये कि किन-किन पंचायतों की शिकायतें शासन को मिली व उनका विवरण पंचायत सहित देते हुए की गई कार्यवाही का विवरण देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) पूर्व विधान सभा तारांकित प्रश्न क्र. 90 सत्र जुलाई 2014 की जानकारी जांच प्रतिवेदनों के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत नगेश्री को दोषी माना जाकर उत्तर प्रेषित किया गया था । चूंकि सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही करने की अधिकारिता अनुविभागीय अधिकारी को प्रदत्त है । इसलिए उक्त प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय अशोकनगर में कलेक्टर के आदेश दिनांक 05.06.2012 के अनुसार कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया गया था । यह सही है कि अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय अशोकनगर ने अपने आदेश दिनांक 27.03.2014 से सरपंच ग्राम पंचायत नगेश्री को आरोपी प्रमाणित न होने के कारण मध्यप्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के अंतर्गत प्रकरण समाप्त किया गया । उक्त शिकायत की जांच श्री आर.के. शर्मा तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत अशोकनगर एवं श्री मुकेश शर्मा, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अशोकनगर ने शिकायत में वर्णित बिन्दुओं को आधार पर थी प्रकरण का निराकरण गुण-दोष के आधार पर किया गया है । अतः पृथक से जांच की आवश्यकता नहीं है । (ख) अशोकनगर जिले में पिछले 05 वर्षो (वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2013-14) किसी भी ग्राम पंचायत द्वारा एक करोड धनराशि मनरेगा में खर्च नहीं की गई है, जानकारी निरंक है ।

कोलारस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कराए गए निर्माण कार्य

4. **(क्र. 66) श्री राम सिंह यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अपने पत्र क्रमांक 255 दिनांक 01/09/2014 (पत्र पावती दिनांक 02/09/2014) से विकासखण्ड कोलारस एवं बदरवास के अंतर्गत 01/04/2009 से 30/08/2014 तक कराए गए निर्माण कार्यों की जानकारी कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी, सेवा, संभाग शिवपुरी से चाही गई थी ? (ख) यदि हां, तो चाही गई जानकारी पत्र में वर्णित अनुसार संलग्न कर बतावें कि जानकारी क्यों उपलब्ध नहीं करायी गई ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है ? शासन इस लापरवाही के लिये क्या कार्यवाही कब तक करेगा ? (ग) क्या प्रश्नकर्ता के पत्र क्रमांक 255 दिनांक 01/09/2014 से चाही गई जानकारी में वर्णित कार्यों में व्यापम पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है ? इसलिए प्रदाय नहीं की गई ? यदि नहीं तो जानकारी क्यों नहीं दी गई ? (घ) उक्त जानकारी में ऐसे कौन-कौन से कार्य है ? जो मौके पर नहीं हुए है, और उनका भुगतान मिलीभगत से कर दिया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) माननीय विधायक महोदय को कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग क्र.1 शिवपुरी के पत्र क्र.1112 दि. 22.09.14 द्वारा उक्त जानकारी भेजी गई है अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश "ख" के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रदाय की गई जानकारी में ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, जो मौके पर न हुए हो और उनका मिली भगत कर भुगतान कर दिये गये हो ।

शिवपुरी जिले की बदरवास तहसील के अंतर्गत बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाने में अनियमितता ।

5. **(क्र. 67) श्री राम सिंह यादव :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बदरवास तहसील के अंतर्गत 01 जनवरी, 2012 से 15 सितम्बर, 2014 तक कितने व्यक्तियों ने बी.पी.एल. राशन कार्ड बनवाने के लिये आवेदन प्रस्तुत किए ? इनमें से कितने के नवीन बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाए गए एवं कितने के क्यों नहीं बनाए गए ? (ख) बदरवास तहसील के अंतर्गत 01 जनवरी, 2012 से 15 सितम्बर, 2014 तक कितने के बी.पी.एल. राशन कार्ड अपात्र/गलत होने की शिकायतें प्राप्त हुई थी ? यदि हां

तो प्राप्त शिकायतों पर तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण देवें ? (ग) प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाए जाने एवं अपात्र व्यक्ति के बी.पी.एल. कार्ड निरस्त किए जाने के क्या नियम/निर्देश है ? उक्त नियम/निर्देशों की छायाप्रति संलग्न कर जानकारी दें कि क्या विगत 02 वर्षों में तहसीलदार बदरवास द्वारा उक्त नियमों का पालन किया गया है ? (घ) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा तहसीलदार बदरवास से अपने पत्र क्रमांक 273 दिनांक 12/09/2014 तथा योजना समिति की बैठक में प्रभारी मंत्री से अपने पत्र क्रमांक 284 दिनांक 15/10/2014 से प्रश्नावली वर्णित जानकारी चाही गई थी ? यदि हां तो उक्त पत्रों की प्रति संलग्न कर बताए कि जानकारी क्यों नहीं दी गई ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) बदरवास तहसील के अंतर्गत प्रश्नांकित अवधि में बीपीएल राशनकार्ड बनवाने हेतु कुल 7,459 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 1820 आवेदकों के पात्र पाये जाने से उनके बीपीएल राशनकार्ड बनाये गए हैं तथा 5,639 आवेदनकर्ताओं के अपात्र होने के कारण बीपीएल राशनकार्ड नहीं बनाए गए हैं । (ख) बदरवास तहसील में प्रश्नांकित अवधि में बीपीएल राशनकार्ड अपात्र / गलत होने की 37 शिकायतें प्राप्त हुई थी जिनमें से सभी 37 शिकायतों की जांच उपरांत उक्त राशनकार्डधारी अपात्र होने से उनके राशनकार्ड निरस्त किए गए । (ग) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में किसी गरीबी रेखा के व्यक्ति के बीपीएल सूची में शामिल होने के संबंध में यदि आपत्ति/शिकायत प्राप्त होती है तो निर्धारित मापदण्डों के आधार पर उसकी जांच की जाती है । निर्धारित मापदण्ड की छायाप्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । तहसीलदार बदरवास द्वारा राशनकार्ड बनाए जाने में नियमों का पालन किया गया । (घ) जी हाँ, पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । वांछित जानकारी तीन वर्षों की होकर विस्तृत स्वरूप की है जो तहसील स्तर पर वांछित रूप में संधारित नहीं होती है । इस कारण जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जा सकी है ।

टीकमगढ़ जिले में मनरेगा योजना की राशि का भुगतान

6. **(क्र. 81) श्रीमती चन्द्रा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या टीकमगढ़ जिले के समस्त विकास खण्डों में खासकर जतारा, बल्देवगढ़, पलेरा आदि में लंबित मनरेगा की राशि जिले में उपलब्ध ना होने के कारण नहीं मिल पा रही है, ऐसी स्थिति में टीकमगढ़ जिले में क्या मनरेगा की राशि देंगे ? यदि हां, तो कब तक, समयावधि बतायें ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? (ख) क्या पूरे जिले से मजदूर पलायन कर रहे हैं ? यदि हां, तो इन्हें रोकने के लिये किसी प्रकार की कार्ययोजना शासन द्वारा बनाई गई है ? यदि हां, तो योजना से अवगत करायें ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें, क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) भारत सरकार का माह मार्च 2014 में लेखानुदान अनुमोदित होने के पश्चात राज्य शासन को अपेक्षानुरूप कम राशि प्राप्त हुई । नई लोकसभा के गठन उपरान्त केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पारित होने से राज्य शासन को राशि का प्रवाह बाधित हुआ है । राज्य शासन को राशि उपलब्ध होते ही मनरेगा वित्तीय प्रबंधन में सुधार की अपेक्षा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) मनरेगा योजनान्तर्गत टीकमगढ़ जिले में मजदूरों के पलायन करने संबंधी स्थिति निरंक है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

पंचायतकर्मी की अवैध नियुक्ति

7. **(क्र. 82) श्रीमती चन्द्रा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायत खोड़ेरा में पदस्थ पंचायतकर्मी ग्राम-देवी नगर की मूल निवासी हैं ? एवं देवीनगर की मतदाता सूची के सरल क्रं. 363 पर नाम अंकित है, तथा इनके पति- श्याम सुन्दर यादव के पिता की वहीं पर चल-अचल सम्पत्ति है ? परन्तु खोड़ेरा में पंचायतकर्मी के पद पर असत्य निवास

बनवाकर नियुक्ति करा ली गई है ? एवं कलेक्टर टीकमगढ़ के आदेश दिनांक को 26/4/12 को पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय ने निरस्त कर दिया था, जिसके संबंध में उभय पक्ष को सुने जाने हेतु मा. पूर्व मंत्री जी ने दिनांक 21/08/12 नियत की थी, जिसके संबंध में उभय पक्ष को कोई सूचना आदि नहीं दी गई ? क्या पुन: कलेक्टर टीकमगढ़ को पुन: परीक्षण किये जाने हेतु आदेश करेंगे ? यदि हां, तो समयावधि बतायें ? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? (ख) यदि कलेक्टर टीकमगढ़ के द्वारा पुन: जांच किये जाने पर पंचायतकर्मी दोषी पाई जाती हैं, तो पद से हटाकर वसूली की कार्यवाही करेंगे ? (ग) पंचायतकर्मी को मा. पूर्व मंत्री महोदय ने जो स्थगन आदेश दिया था, वह कब तक लागू रहेगा ? समयावधि बतायें एवं अप्रभावी कब तक होगा, स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । ग्राम पंचायत खोडेरा में पदस्थ पंचायत कर्मी ग्राम पंचायत देवीनगर की मूल निवासी है एवं ग्राम पंचायत देवीनगर की मतदाता सूची में सरल क्रमांक 367 पर श्रीमती किरण पति श्री श्याम सुन्दर यादव का नाम अंकित है एवं राशन कार्ड ग्राम पंचायत देवीनगर का है एवं चल-अचल संपत्ति ग्राम पंचायत देवीनगर में है । मध्यप्रदेश पंचायतकर्मी योजना 1995 में पंचायतकर्मी की नियुक्ति हेतु ग्राम पंचायत सक्षम थी और यह भी प्रावधान है कि आवेदक यथासंभव स्थानीय हो । प्रकरण क्रमांक-54/बी-121/ 11-12, दिनांक 26.04.2012, जिसके द्वारा श्रीमती किरण यादव के सचिवीय अधिकार तत्कालीन कलेक्टर, जिला टीकमगढ द्वारा समाप्त किए गए थे । उक्त आदेश के विरुद्ध श्रीमती किरण यादव, तत्कालीन सचिव, ग्राम पंचायत खोडेरा के द्वारा माननीय न्यायालय, राज्यमंत्री, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भोपाल के यहां याचिका दायर की गई, जिसमें राज्यमंत्री के आदेश दिनांक 16.07.2012 से कलेक्टर टीकमगढ का आदेश दिनांक 26.04.2012 को स्थगित किया गया एवं श्रीमती किरण यादव को कार्य करने हेतु आदेशित किया गया, जिसमें राज्यमंत्री द्वारा अंतिम पारित आदेश दिनांक 06.08.2013 से कलेक्टर जिला टीकमगढ का आदेश दिनांक 26.04.2012 निरस्त किया गया एवं श्रीमती किरण यादव को पंचायतकर्मी पद पर नियुक्ति तथा सचिवीय घोषणा बहाल की गई । राज्यमंत्री के स्थगित आदेश दिनांक 16.07.2012 के विरुद्ध अनावेदक श्री हरलाल अहिरवार द्वारा याचिका क्रमांक/डब्ल्यू.पी./14004/2012 माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई जो विचाराधीन है । (ख) माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका क्रमांक /डब्ल्यू.पी./14004/2012 जो विचाराधीन है, पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्णय के अनुसार कार्यवाही की जावेगी । (ग) उत्तरांश-"ख" अनुसार ।

लंबित पेंशन का भुगतान

8. **(क्र. 92) श्री संजय पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या एकीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मासिक भुगतान का दायित्व सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण द्वारा पूरे प्रदेश में किया जाता है ? (ख) विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ की जनपद पंचायत विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा में आधे से कम लोगों को नियमित भुगतान हो पा रहा है ? ऐसा क्यों ? (ग) क्या प्रश्नाधीन अनियमितता के लिए कौन-कौन दोषी हैं ? (घ) क्या प्रदेश में जिला अधिकारियों द्वारा प्रभावी कदम उठाया जाकर सुधार किया जावेगा ? हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क)जी हाँ । (ख) जी नहीं । ई पेमेंट के माध्यम से माध्यम से भुगतान किया जा रहा है ।(ग) अक्टूबर 2014 तक भुगतान किया जा चुका है । अत: प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रदेश में फर्जी प्रमाण पत्रों की जानकारी

9. **(क्र. 99) श्री विश्वास सारंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश में 7.88 लाख जाति प्रमाण-

पत्र संदेह के घेरे में है ? क्या यह भी सच है कि इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन घर-घर जाकर किया जा रहा है ? यदि हां, तो अजा, अजजा व अपिव के कितने-कितने जाति प्रमाण-पत्र हैं जो संदेह के घेरे में हैं ? जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कितने जाति प्रमाण पत्रों का प्रश्न दिनांक तक सत्यापन हो चुका है ? वर्गवार जानकारी दें ? कितनों का सत्यापन किया जाना है ? जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत प्रश्न दिनांक तक कितने प्रमाण पत्रों को रद्द किया गया है ? रद्द प्रमाण पत्रों की वर्गवार जानकारी दें ? (घ) प्रश्नांश (ग) के तहत क्या प्रमाण पत्र बनवाने वालों और बनाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जायेगी ? यदि हां, तो क्या और कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी नहीं । जी नही । प्रश्न उत्पन्न नहीं होता (ख) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किये गये सत्यापन के आधार पर जानकारी परिशिष्ट "अ" अनुसार । (ग) कोई जाति प्रमाण पत्र रदद नहीं किये गये । जो प्रमाण पत्र समक्ष अधिकारी दवारा जारी नहीं किये हुये, उन्हे पोर्टल पर नहीं लिया गया । (घ) ऊत्तरांश "ग" के पारिपेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "आठ"

<u>जिला, जनपद एवं ग्राम पंचायतों द्वारा कराये गये विकास कार्य</u>

10. **(क्र. 120) श्री प्रहलाद भारती :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिला स्थित जिला पंचायत, जनपद व ग्राम पंचायतों द्वारा वर्ष 2012-13 से आज दिनांक तक कौन-कौन से विकास कार्य कराये गये ? विस्तृत विवरण सहित जिसमें कार्य का नाम, लागत, कार्यकारी एजेन्सी का नाम आदि जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) वर्ष 2012-13 से आज दिनांक तक उक्त कार्यों हेतु व इसके अतिरिक्त किस-किस फर्म से क्या-क्या सामग्री क्रय की गई व क्रय सामग्री हेतु कितना-कितना भुगतान उक्त फर्मों को किया गया ? प्रति फर्मवार जानकारी उपलब्ध करावें ? साथ ही उक्त फर्मों के नाम उपलब्ध करावें ? (ग) उक्त बिलों के भुगतान हेतु भौतिक सत्यापन किस-किस अधिकारी द्वारा कब-कब कराया गया ? कार्यवार पृथक-पृथक जानकारी उपलब्ध करावें ? (घ) क्या उक्त भुगतान करने पर कोई टैक्स कटौती वेट, टी.डी.एस. अथवा इनकम टैक्स की कटौती की जानी थी । यदि हाँ तो क्या कोई कटौती की गई है कटौती का विवरण दें यदि नहीं तो कारण स्पष्ट करें व इसके लिये कौन दोषी है ? व उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई अथवा की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

<u>किसान क्रेडिट कार्ड के क्लेम का भुगतान</u>

11. **(क्र. 128) श्री माधो सिंह डावर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अलीराजपुर जिले में संचालित आदिम जाति सहकारी संस्थाओं में कितने कृषकों ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना से ऋण लिया वर्ष 2010 से 2013 तक संस्थावार हितग्राहियों की संख्या बतावें ? (ख) हितग्राहियों द्वारा ऋण लेने के दौरान ऐसे कितने हितग्राही है, जिनकी मृत्यु हो गई है ? (ग) ऋण लेने के पश्चात् कितने हितग्राहियों की मृत्यु हो गई है ? क्या मृतक के परिवार को योजनान्तर्गत बीमा क्लेम स्वीकृत किया गया है ? यदि हॉ,तो ऐसे हितग्राहियों की सूची बताऐं ? यदि नहीं तो क्यों ? (घ) यदि मृतक के परिवार को बीमा क्लेम स्वीकृत नहीं किया तो कारण बतावें ? ऐसे परिवारों के बीमा क्लेम कब तक स्वीकृत किये जावेगें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) अलीराजपुर जिले में संचालित आदिम जाति सहकारी संस्थाओं में 30770 कृषकों ने वर्ष 2010 से वर्ष 2013 तक किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत ऋण लिया है. संस्थावार हितग्राहियों (सदस्यों) की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'एक' अनुसार है. (ख) ऋण प्राप्त करने वाले 774 हितग्राहियों (सदस्यों) की मृत्यु ऋण लेने के पश्चात वर्ष 2010 से वर्ष

2013 के दौरान हुई है. (ग) 774 हितग्राहियों (सदस्यों) की. जिले की आदिम जाति सहकारी संस्थाओं के ऋणी सदस्यों का बीमा भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल एवं भारतीय जीवन बीमा निगम, इंदौर से कराया गया है. भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल को प्रेषित 774 दावा क्लेम में से 343 हितग्राहियों (सदस्यों) का रूपये 145.30 लाख का पूर्ण बीमा क्लेम स्वीकृत हुआ है, 46 हितग्राहियों (सदस्यों) को रूपये 10.25 लाख का आंशिक बीमा क्लेम स्वीकृत हुआ है. भारतीय जीवन बीमा निगम, इंदौर को प्रेषित 660 दावा क्लेम में से 415 सदस्यों का रूपये 207.50 लाख का पूर्ण बीमा क्लेम स्वीकृत हुआ है, 01 सदस्य का रूपये 0.25 लाख आंशिक बीमा क्लेम स्वीकृत हुआ है. हितग्राहियों (सदस्यों) की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' अनुसार है. (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम, भोपाल एवं इंदौर से सतत पत्राचार एवं संपर्क किया जाकर शेष हितग्राहियों (सदस्यों) के बीमा क्लेम राशि के भुगतान हेतु अनुरोध किया जा रहा है. बीमा कंपनियों द्वारा क्लेम प्रकरणों में जानकारियां चाही गई है, जो बैंक द्वारा भेजी गई है. बीमा कंपनियों से बीमा क्लेम राशि प्राप्त होते ही संबंधित हितग्राहियों (सदस्यों) के परिवारों को राशि उपलब्ध कराई जायेगी. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है.

जिला बदर एवं फरार अपराधियों बाबत्

12. **(क्र. 144) श्री अंचल सोनकर :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जबलपुर जिले के अन्तर्गत विगत 03 वर्षों से शातिर अपराधियों के जिला बदर नहीं हुये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? यदि जिला बदर हुये हैं तो थानावार सूची देवे एवं यह भी बतावें कि यह प्रतिबंधात्मक कार्यवाही कितने वर्षों के लिये है ? (ख) क्या जबलपुर जिले के लगभग सभी थानों में ऐसे शातिर अपराधियों पर पांच हजार से पन्द्रह हजार तक का इनाम घोषित है जो फरार है एवं पकड़े नहीं जा रहे है ? किन-किन थानों में कितने-कितने इनाम घोषित अपराधी फरार है ? थानावार फरार अपराधियों की सूची वर्ष, 2012 से देवें ? न पकड़े जाने का कारण बतावे ? (ग) प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत ऐसे कितने प्रकरण लंबित हैं ? लंबित होने का कारण थानावार बतावें ? क्या जिला बदर एवं फरार अपराधी शहर में खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस की पकड़ से दूर हैं ? यदि हां, तो इसका दोषी कौन है ? इन्हें पकड़ने की क्या-क्या कार्यवाही की जा रही है ? (घ) प्रश्नांश (ख) यदि सत्य है तो क्या शासन कोई ठोस योजना तैयार कर रही है ? यदि हाँ, तो क्या एवं कब तक ? क्या अपराधियों को न पकड़ने वाले थानों में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी पर कार्यवाही की जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जी नहीं । जबलपुर जिले के विगत 3 वर्षो के जिला बदर एवं समयावधि की थानावार जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जी नही । जबलपुर जिले के मात्र तीन थानों में 5000/- से 15,000/- तक के ईनाम फरार आरोपियों पर घोषित किये गये हैं । फरार ईनामी अपराधियों की थानावार जानकारी न पकड़े जाने के कारण सहित पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (ग) जिला बदर के लंबित प्रकरण एवं लंबित होने के कारण की थानावार जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' मे समाहित है । आरोपियों को पकड़ने हेतु पुलिस लगातार प्रयास कर रही है । (घ) फरार ईनामी आरोपियों को पकड़ने हेतु समय-समय पर अभियान चलाये जाकर सम्भावित स्थानों पर तलाश की जाती है । आरोपी जैसे ही पुलिस के संज्ञान में आता है उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाता है । फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु हरसंभव प्रयास जारी है ।

केंद्रीय जेल जबलपुर में खाद्य सामग्री सप्लाई अनुबंध

13. **(क्र. 148) श्री अंचल सोनकर :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला केंद्रीय जेल जबलपुर में कुल कितने सजायाफ्ता बंदी है, सजायाफ्ती बंदियों को प्रत्येक दिवस खाने में क्या दिया जाता है एवं इनके खाने पर प्रत्येक दिवस कितना खर्च आता है ? (ख) क्या बंदियों को लगने वाली खाद्य सामग्री एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री सप्लाई का टेन्डर प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है एवं सबसे कम रेट वाली फर्म को एक वित्तीय वर्ष के लिये खाद्य सामग्री सप्लाई हेतु आदेशित किया जाता है ? यदि

हां, तो विगत 5 वर्षों में कितने टेन्डर निकाले एवं किन-किन फर्मों को सप्लाई हेतु आदेशित किया वर्षवार बतायें ? (ग) क्या यह भी सत्य है कि विगत 5 वर्षों से एक ही फर्म से केंद्रीय जेल में खाद्य एवं अन्य सामग्री सप्लाई हेतु अनुबंध किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) केन्द्रीय जेल जबलपुर में दिनांक 21.11.2014 की स्थिति में 1406 सजायाफ्ता बंदी परिरूद्ध हैं । सजायाफ्ता बंदियों को प्रतिदिन निम्नानुसार खाद्य सामग्री प्रदान की जाती है :- (1) प्रात: नाश्ता एवं चाय (नाश्ता प्रतिदिन बदल बदलकर) (2) दोपहर भोजन (दाल, चावल या रोटी, सब्जी) (3) दोपहर बाद चाय (4) सांयकाल का भोजन (दाल, चावल या रोटी, सब्जी) प्रात: एवं सांय के भोजन में दाल बदल बदलकर दी जाती है। बंदियों को भोजन में प्रतिदिन प्रतिबंदी रूपए 46.67 का खर्च आता है । **(ख)** जी हाँ । बंदियों को लगने वाली खाद्य सामग्री एवं अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री सप्लाई हेतु नियमानुसार संचालनालय, सूचना तथा प्रकाशन, म.प्र., भोपाल के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कर टेंडर प्रत्येक वर्ष निकाला जाता है । जिसे सबसे कम रेट डालने वाले निविदाकर्ता को खाद्य सामग्री सप्लाई करने हेतु आदेशित किया जाता है । केन्द्रीय जेल जबलपुर में विगत 05 वर्षों में 12 बार टेण्डर निकाले गये, तथा जिन व्यापारियों की दरें सबसे कम थी उन्हें सामग्री सप्लाई करने हेतु आदेशित किया गया । जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है। **(ग)** जी नहीं । यह सत्य नहीं है, कि विगत 05 वर्षों में केन्द्रीय जेल जबलपुर में एक ही फर्म से खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री सप्लाई हेतु अनुबंध किया जा रहा है । प्रत्येक वर्ष में लगभग 10-11 व्यापारियों से खाद्यान्न सामग्री क्रय की गई है। जानकारी संलग्न परिशिष्ट-''अ'' अनुसार है ।

परिशिष्ट – "नौ"

<u>हत्या एवं बलात्कार की घटनाऐं</u>

14. **(क्र. 159) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास एवं रायसेन जिले में जनवरी 2012 से नवम्बर 2014 तक की अवधि में अ.जा. तथा अ.ज.जाति वर्ग के कितने व्यक्तियों की हत्या, तथा उक्त वर्ग की महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें घटित हुई ? (ख) उक्त पीड़ित व्यक्तियों तथा उनके आश्रितों का शासन द्वारा क्या-क्या सहायता उपलब्ध कराई गई, तथा यदि नहीं, तो क्यों ? कारण बतायें ? इस संबंध में शासन के क्या-क्या निर्देश हैं, उनकी प्रति दें ? (ग) देवास एवं रायसेन जिले में जनवरी, 2011 से नवम्बर, 2014 तक की अवधि में बलात्कार के दर्ज प्रकरण धारा-376 के कौन-कौन आरोपी फरार है ? (घ) उक्त आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिये पुलिस द्वारा क्या-क्या प्रयास किये गये ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) 18 व्यक्तियों की हत्या तथा उक्त वर्ग की 123 महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनायें घटित हुई हैं,जिलेवार जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) 94 प्रकरणों में 83,57000/- रूपये की राशि स्वीकृत की गई । जांच समिति द्वारा 03 प्रकरण अस्वीकृत किये गये तथा 15 प्रकरण जांच प्रक्रिया में लंबित हैं, 17 प्रकरण अन्य जिलों में स्थानांतरित तथा 11 प्रकरणों की पुलिस द्वारा विवेचना की जा रही है, की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । म.प्र.शासन अनु.जाति कल्याण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन के परिपत्र क्र0 एफ/23/13/2012/25/4, भोपाल दिनांक 02.04.2013 सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति (अत्याचार निवारण) संशोधन नियम 2011, 23 दिसम्बर 2011 से प्रभावशील किया गया है, के आदेश की छायाप्रति पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है । (ग) देवास जिले का कोई आरोपी फरार नहीं है । रायसेन जिले के दो आरोपी फरार हैं । जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है । (घ) फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिये विशेष टीम बनाई गई है, आरोपियों के संभावित स्थानों पर दबिश देकर गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं ।

<u>मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा योजना के अन्तर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाना</u>

15. **(क्र. 162) श्री जयभान सिंह पवैया :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा

योजना से लाभ लेने वाले हितग्राहियों की संख्या क्या है ? (ख) मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा योजना के अन्तर्गत ग्वालियर नगर में कितने हितग्राही मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा योजना का लाभ ले रहे हैं और ऐसे कितने हितग्राही हैं, जिन्हें इस योजना की पात्रता पर्ची दिये जाने का कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है ? (ग) यदि मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा योजना के अन्तर्गत आज दिनांक तक हितग्राही लाभान्वित नहीं किये जा सके हैं, तो इसके लिये दोषी अधिकारियों पर क्या कोई कार्यवाही की गई हैं ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) मध्यप्रदेश में दिनांक 25 नवम्बर 2014 को मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा योजना से लाभ लेने वाले हितग्राहियों की संख्या 5,21,76,624 है । (ख) ग्वालियर नगर में दिनांक 25 नवम्बर 2014 को 80,016 परिवार मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा योजना का लाभ ले रहे हैं । लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत समस्त सत्यापित परिवारों को पात्रता पर्ची वितरित की जा चुकी है । (ग) मुख्यमंत्री अन्नापूर्णा योजनांतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर समय-सीमा में समग्र पोर्टल पर पात्र परिवारों का सत्यापन एवं उनको पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है । समस्त आवेदक जो पात्र पाये गये, को पात्रता पर्ची जारी हो चुकी है, इस कारण किसी अधिकारी पर कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

गोवंश हत्या अथवा तस्करी के अपराधियों के विरूद्ध कार्यवाही

16. **(क्र. 163) श्री जयभान सिंह पवैया :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गोवंश की रक्षा के लिये बने हुये कानून के अन्तर्गत विगत पॉच वर्ष में प्रदेश में अभी तक कितने अपराधियों को पकड़ा गया है ? और कितने अपराधियों को सजा हो सकी है ? क्या इसके लिये थाना प्रभारियों को उत्तरदायी बनाने के निर्देश हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में प्रदेश की सीमाओं पर गौवंश की हत्या के उद्देश्य से ले जाने वाले वाहनों की निगरानी के लिये कोई व्यवस्था है ? यदि हाँ, तो ऐसे कितने वाहनों पर कार्यवाही की गई है, जो इस कानून का उल्लंघन करते पकड़े गये ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) विगत 05 वर्ष में प्रदेश में 12192 अपराधियों को पकड़ा गया है और 1500 अपराधियों को सजा हुई है । गोवंश की रक्षा एवं अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने हेतु बने कानून का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिये गये हैं । (ख) गोवंश की हत्या के उद्देश्य से ले जाने वालों पर निगरानी रखी जाती है । उक्त अवधि में 2346 वाहनों पर कार्यवाही की गई है ।

परिवहन चेक पोस्ट मालनपुर से भिण्ड स्थानांतरित किया जाना

17. **(क्र. 195) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या परिवहन चेक पोस्ट मालनपुर में स्थापित है ? क्या म.प्र. और उ.प्र. की सीमा पर स्थापित होना था ? यदि हाँ, तो म.प्र. की सीमा पर स्थापित क्यों नहीं की गई ? (ख) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा परिवहन चेक पोस्ट भिण्ड में स्थापित करने हेतु पत्र दिया है ? यदि हाँ, तो प्रश्नांश दिनाँक तक क्या कार्यवाही की गई ? किस स्तर के अधिकारियों द्वारा जाँच कर रिपोर्ट/प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया ? (ग) परिवहन चेक पोस्ट मालनपुर में स्थापित है । अन्य किसी रास्ते से परिवहन के लिए क्या नियंत्रित उपाय है ? उड़नदस्ते ने विगत दो वर्ष में कब और किसकी जांच की ? कितना राजस्व प्राप्त हुआ ? (घ) परिवहन चेक पोस्ट मालनपुर से भिण्ड स्थापित करने में क्या समस्या उत्पन्न हो रही है ? कब तक भिण्ड में स्थापित हो जाऐगा ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) जी हां । जी हां । पूर्व में यह परिवहन चेकपोस्ट म.प्र. एवं उ.प्र. की सीमा पर फूफ, जिला भिण्ड में स्थापित था किन्तु प्रशासनिक कारणों से शासन आदेश दिनांक 03 जून 2010 के द्वारा मालनपुर में स्थापित किया गया । (ख) जी हां, शासन आदेश दिनांक 05.09.2014 द्वारा उक्त परिवहन चेकपोस्ट को मालनपुर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 92 पर फूफ जिला भिण्ड में स्थानांतरित करने की अनुमति प्रदान की गई है । इस संबंध में जिला परिवहन अधिकारी भिण्ड द्वारा कलेक्टर जिला भिण्ड को चिंन्हित स्थान पर चेकपोस्ट शिफ्ट किये जाने हेतु किराया निर्धारण किये जाने हेतु लेख किया गया है । (ग) परिवहन चेकपोस्ट मालनपुर में स्थापित होने से अन्य मार्गो पर समय समय पर वाहनों की जांच कर नियंत्रण की कार्यवाही जिला परिवहन

अधिकारी भिण्ड एवं परिवहन विशेष जांच दल संभाग मुरैना द्वारा की गई है । विगत 02 वर्षो में उक्त चेंकिग के दौरान 3.50 लाख का राजस्व वसूल किया गया है । (घ) परिवहन चेकपोस्ट मालनपुर से भिण्ड स्थापित किये जाने हेतु स्थान का चयन हो चुका है, जिस पर किराया निर्धारण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, कार्यवाही पूर्ण होने पर शीघ्र ही चेकपोस्ट स्थानांतरित किया जा सकेगा ।

ग्रामीण क्षेत्र में मार्ग निर्माण

18. **(क्र. 196) श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत भिण्ड में विलार नुन्हाटा मार्ग से राजनाथ सिंह का पुरा CM-04-016 अप्रारंभ है ? यदि हां, तो क्यों ? (ख) मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के अंतर्गत भिण्ड विधानसभा के अंतर्गत कौन से कार्य पूर्ण/अपूर्ण/अप्रारंभ है ? प्रश्नकर्ता द्वारा कौन से मार्ग प्रस्तावित किए है ? क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत भिण्ड विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत क्षतिग्रस्त मार्गों पर मरम्मत/पुनर्निर्माण के लिए क्या कार्यवाही की जा रही हैं ? (घ) भिण्ड में पैकेज क्र. MP-04501 ग्वालियर इटावा रोड से सादए अघाट व ग्वालियर इटावा रोड से अहेती मार्ग का निर्माण कब पूर्ण होगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हां,जिला भिण्ड में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत विलार नुन्हाटा मार्ग से राजनाथ सिंह का पुरा मार्ग का निर्माण कार्य आवश्यक शासकीय भूमि उपलब्ध न होने के कारण भूमि विवाद होने से प्रारम्भ नहीं किया जा सका हैं । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । प्रश्नकर्ता द्वारा योजनान्तर्गत कोई भी मार्ग प्रस्तावित नहीं किये गये है, शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के 7 मार्ग भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त है । जिसमें 2 मार्गों के क्रस्ट रिवीजन की स्वीकृति प्रदान कर 1 मार्ग का कार्य प्रारंभ कराया गया है तथा 1 मार्ग की निविदा आंमत्रित की गई है । शेष 5 मार्गों से 1 मार्ग का क्रस्ट रिवीजन का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है तथा 4 मार्गों का गारंटी अवधि में ठेकेदार से मरम्मत कार्य कराया जा रहा हैं । (घ) भिण्ड विधानसभा क्षेत्र मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत पैकेज क्र. एम. पी. 0501 ग्वालियर इटावा रोड से खादरमऊघाट तथा ग्वालियर इटावा मार्ग से अहेती मार्ग का निर्माण शीघ्र पूर्ण कराने का प्रयास किया जा रहा है निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं हैं ।

परिशिष्ट – "दस"

अ.जा., अ.ज.जा; वर्ग के पात्र परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाना

19. **(क्र. 217) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि खाद्यान्न सुरक्षा मिशन के अन्तर्गत शासन द्वारा विभिन्न चिन्हांकित श्रेणियों के परिवारों को रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के साथ ही अ.जा./अ.ज.जा. वर्ग के समस्त पात्र परिवारों को भी विगत तीन-चार माह पूर्व से लाभांवित करने का निर्णय लिया गया है लेकिन धार जिले के अधिकांश अजा/अजजा वर्ग के पात्र परिवारों को योजना का लाभ अभी तक नहीं दिया गया है ? इसके लिए कौन जवाबदार है, तथा उपरोक्त पात्र परिवारों को लाभ कब तक दे दिया जावेगा ? (ख) धरमपुरी तहसील के कितने पात्र अजा/अजजा वर्ग के पात्र परिवारों को लाभ दिया जा चुका है ? तथा कितने परिवारों को लाभ दिया जाना शेष है ? शेष रहे परिवारों को लाभ योजना प्रभावशील माह से दिया जावेगा अथवा पर्ची जारी माह से स्पष्ट करें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) जी नहीं । धार जिले में कुल 1,26,405 अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता परिवार में सत्यापित किया जाकर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जा रहा है । प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को प्राथमिकता परिवार के रूप में सत्यापित कर प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित करने हेतु माह जून, 2014 में खाद्य सुरक्षा पर्व के नाम से विशेष अभियान चलाया गया । अभियान के दौरान धार जिले में 1,21,990 अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों का घोषणा-पत्र के आधार पर प्राथमिकता परिवार के रूप में सत्यापित किया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) धरमपुरी तहसील में दिनांक 15.11.2014 की स्थिति में 7,392 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति परिवारों को लक्षित

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ दिया जा रहा है । धरमपुरी तहसील में भी खाद्य सुरक्षा पर्व के दौरान 7,361 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवारों को प्राथमिकता परिवार के रूप में सत्यापित किया गया है । आवेदन प्राप्त होने पर समग्र पोर्टल पर पात्र परिवारों का सत्यापन एवं पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है । नवीन सत्यापित पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी करने के माह से सामग्री का वितरण किया जाता है ।

पूर्व के प्रश्न की जानकारी

20. **(क्र. 226) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि. ता. प्रश्न क्रं. 156, दिनांक 30 जून 2014 के प्रश्नांश (क) से (ग) के उत्तर में जानकारी एकत्रित की जा रही है प्रतिवेदित किया गया है तो क्या उक्त प्रश्न की जानकारी एकत्रित कर ली गई है ? यदि हां, तो कृपया बिन्दुवार जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भित प्रश्न के प्रश्नांश (क) से (ग) की जानकारी दिनांक 1 जुलाई 2014 से 10 नवम्बर 2014 की अवधि की भी उपलब्ध करावें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क)जी हां । दिनांक 01 जनवरी 2014 से 31.05.2014 तक की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' 'ब' एवं 'स' अनसार है ।(ख) प्रश्नांश 'क' (156) की जानकारी निम्नानुसार है - (क) प्रश्नांश 'क' की जानकारी उत्तरांश 'क' अनुसार है । (ख) आत्महत्याऐं, आत्महत्या के प्रयास करने के मुख्य कारण गृह कलेश, दहेज प्रताड़ना, अधिक शराब पीने, मानसिक परेशानी, बीमारी से पीडित होना मुख्य रूप से पाया गया है । आत्महत्या/आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों का व्यवसाय मुख्यतः गृहणी, मजदूर, कृषक, कृषि मजदूर एवं छात्र हैं । (ग) विवरण पुस्तकायल मे रखे परिशिष्ट 'द' अनुसार है । दिनांक 01.07.2014 से 10.11.2014 तक की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ'-1, 'ब'-1, 'स'-1 अनुसार है। आत्महत्या/आत्महत्या का प्रयास करने वाले व्यक्तियों के परिवारों के लिये स्वावलंबन हेतु सहायता दिये जाने का प्रावधान नहीं है ।

कृषि बीमा राशि का भुगतान

21. **(क्र. 229) श्री रामनिवास रावत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश में किसानों द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड,खाद बीज ऋण आदि लेते समय ही किसानों की फसलों का बीमा संबंधित ऋणदाता संस्थाओं द्वारा करा दिया जाता है ? यदि हां, तो प्रदेश में कितनी राशि फसल बीमा योजनान्तर्गत वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में किन-किन बीमा कंपनियों को कितना-कितना प्रीमियम राशि के रूप में प्रदाय की गई ? कृपया बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार किसानों की फसल के लिए किए गए बीमा के पश्चात प्राकृतिक आपदा से नष्ट हुई फसलों के विरूद्ध कितनी राशि का बीमा क्लेम ऋणदाता संस्थाओं एवं विभागों द्वारा किया गया एवं कितनी बीमा राशि किसानों को प्रदाय की गई ? जिलेवार बतावें ? यदि नहीं तो कब तक भुगतान करा दिया जावेगा ? कृपया बतावें ?(ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार श्योपुर जिले की जानकारी हितग्राहीवार, नाम, पते एवं राशि के विवरण सहित जानकारी दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है.

सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन में परिवहन ठेकेदार पर पंजीबद्ध अपराध

22. **(क्र. 246) श्री सुशील कुमार तिवारी (इंदू भैया) :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष, 2013-14 में सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा किन-किन के द्वारा प्रदाय योजना के अन्तर्गत परिवहन कार्य का ठेका दिया गया है ? (ख) क्या उक्त में से किसी ठेकेदार को खाद्यान्न की कालाबाजारी करते हुये खाद्य विभाग जबलपुर द्वारा मौके पर ही पकड़ा गया था

एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों के अन्तर्गत कार्यवाही की गई ? (ग) क्या उक्त ठेकेदार के विरूद्ध थाना विजयनगर, जिला जबलपुर, थाना पनागर जिला जबलपुर एवं थाना गोरा बाजार (गोर चौकी) जिला जबलपुर में अलग-अलग तीन अपराध पंजीबद्ध किये गये ? (घ) क्या नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा प्रश्नांश (ख) के अधिकृत परिवहन ठेकेदार जो पंजीकृत अपराधों के तहत फरार है, को ब्लेकलिस्टेड किया गया है या नहीं बतायें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा वर्ष 2013-14 में द्वार प्रदाय योजना अंतर्गत परिवहन कार्य के नियुक्त ठेकेदारों की सूची संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में जबलपुर में तत्समय द्वार प्रदाय योजना के अंतर्गत परिवहन कार्य स्वीकृत न होने से प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "ग्यारह"

<u>वाटर शेड योजना में राशि व्यय बावत्</u>

23. **(क्र. 265) श्री मुकेश नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग के अंतर्गत वाटर शेड योजना कब से प्रारंभ हुई, तथा कब समाप्त हुई ? पन्ना जिले के अंतर्गत पवई विधानसभा वाटर शेड योजना में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक तक कहां-कहां क्या-क्या कार्य हुए परियोजना अधिकारी(पी.ओ.) कौन है उन्होने अपने कार्यकाल में उस योजना के अन्तर्गत कुल कितनी राशि व्यय की बताएं ? (ख) क्या वाटर शेड योजना से संबंधित जानकारी दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा सम्बंधित अधिकारी/कलेक्टर पन्ना को पत्र लिखे थे क्या वांछित सम्पूर्ण जानकारी प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराई गई है, यदि हाँ तो क्या जानकारी उपलब्ध कराई गई है, यदि नहीं तो क्यों बताएं ? (ग) क्या वाटर शेड योजना से संबंधित केश बुक बिल बाउचर भुगतान दर्शाने वाला अभिलेख गायब है, तथा नष्ट या उसमें काट-छाट कर उसे विरूपित किया गया है । यदि हां तो कौन जिम्मेदार है ? यदि नहीं तो पन्ना जिले के संबंधित केशबुक बिल बाउचर (जो कि पी.गो. के खाते की) की छाया प्रति उपलब्ध करायें ? (घ) पवई विधान सभा क्षेत्र में वाटर शेड योजा के अन्तर्गत प्रश्नांधीन अवधि में जो कार्य कराये जाना रिकार्ड में दर्शाये है उनका भौतिक सत्यापन किस-किस निरीक्षणकर्ता ने किस-किस तिथि में किया ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) विभाग के अंतर्गत वाटरशेड योजना वर्ष 1995-96 से प्रारंभ होकर वर्तमान में आईडब्ल्यूएमपी (एकीकृत जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम) के रूप में संचालित है । प्रश्नांश की शेष जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । (ख) जी नहीं । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग)जी नहीं । अतः जिम्मेदारी का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । शेष प्रश्नांश की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है ।

<u>पवई में मुख्यमंत्री सड़क योजना में रोड निर्माण में शिकायतें</u>

24. **(क्र. 266) श्री मुकेश नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र पवई के अंतर्गत अनुभाग पवई के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत वर्ष 2000 से प्रश्न दिनांक तक किन-किन गॉव में कितनी लम्बाई एवं कितनी लागत से रोड का निर्माण कराया गया है ? रोडवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के रोड का निर्माण विभागीय स्तर से कराया गया है या निविदा आमंत्रित कर किया गया है ? (ग) यदि निविदा आमंत्रित की गई तो कब, ठेकेदार कौन-कौन है ?

(घ) क्या प्रश्नांश (क) एवं (ख) से सम्बंधित रोड निर्माण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं यदि हाँ, तो शिकायतवार कार्यवाही वार विवरण दें । वर्तमान में रोड़ों की स्थिति क्या है ? वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण की जानकारी दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) पन्ना जिले के विधानसभा क्षेत्र पवई के अनुभाग पवई के मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत सड़कों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (घ) जी हां । रोड निर्माण से संबंधित शिकायते, की गई कार्यवाही, वर्तमान में रोडों की स्थिति की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । सभी निर्माण कार्यो का निरंतर निरीक्षण सामान्यतः अनुविभागीय अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री द्वारा किया जाता है, उनसे वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों द्वारा किए गए निरीक्षण विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट – "बारह"

<u>लोक सेवा गारण्टी के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभ दिया जाना</u>

25. **(क्र. 275) श्री हरदीप सिंह डंग** : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सुवासरा विधानसभा एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र में कितने लोक सेवा केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं ? (ख)विकासखण्ड सीतामऊ और गरोठ लोक सेवा केन्द्र पर प्रारम्भ से आज दिनांक तक कितने आवेदन प्राप्त हुए ? (ग) लोक सेवा गारण्टी में प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदनों का विभिन्न विभागों द्वारा निराकरण कर हितग्राहियों को लाभ दिया गया और कितने हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया गया ? (घ) जिन हितग्राहियों को लोक सेवा गारण्टी के अंतर्गत लाभ नहीं मिला, उसका कारण स्पष्ट करें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) सुवासरा विधानसभा क्षेत्र में 01 एवं गरोठ विधानसभा क्षेत्र में 02, लोक सेवा केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं । (ख) प्रारंभ दिनांक से विकासखण्ड सीतामऊ लोक सेवा केन्द्र में 92,142 एवं गरोठ लोक सेवा केन्द्र पर 1,40,346 आवेदन प्राप्त हुए है । (ग) लोक सेवा गारंटी में प्राप्त विभिन्न विभागों की सेवाओं के 4,31,265 मे से 3,77,649 का निराकरण किया गया । जिसमे से 2,93,490 हितग्राहियों को लाभ दिया गया तथा 84,159 हितग्राहियों को लाभ नही दिया गया । (घ) अपात्र हितग्राहियों के आवेदन निरस्त होने के कारण, उनको लोक सेवा गांरटी के अंतर्गत लाभ नही दिया गया ।

<u>आई.ए.पी. एवं ए.सी.ए. के तहत प्राप्त राशि का उपयोग किया जाना</u>

26. **(क्र. 283) श्री रामलाल रौतेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में एकीकृत कार्ययोजना (IAP) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना (ACA) के तहत वित्तीय वर्ष, 2010-11 एवं 11-12 में कुल कितनी राशि प्राप्त हुई थी ? प्राप्त राशि के किन कार्यों में व्यय किया गया ? कार्य का नाम, स्वीकृत कार्यों की संख्या, प्रशासकीय स्वीकृति, निर्माण एजेंसी, कार्य प्रगति की जानकारी प्रदान करें ? (ख) उपरोक्त कार्यों की स्वीकृति का मापदण्ड क्या है ? तथा स्थानीय सांसद/ विधायक एवं अन्य जन प्रतिनिधियों की भूमिका क्या है ? (ग) भारत सरकार के मार्गदर्शिका के आधार पर कौन-कौन सा कार्य नहीं कराया जा सकता है ? क्या यह सच है कि अनूपपुर जिले में मार्गदर्शिका का अनुपालन नहीं किया गया है ? यदि हां, तो भार साधक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) अनूपपुर जिले में एकीकृत कार्ययोजना (आईएपी) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना (एसीए) के तहत निम्नानुसार राशि प्राप्त हुई । वित्तीय वर्ष 2010-11 स्वीकृत राशि 2500.00 लाख वर्ष 2011-12 में स्वीकृत राशि रू. 3000.00 लाख है । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "क" अनुसार है । (ख) मापदण्ड पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ख" अनुसार

है । मार्गदर्शिका अनुसार एकीकृत कार्ययोजना (आईएपी)/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना (एसीए) के तहत कार्यो की स्वीकृति करते समय स्थानीय सांसद एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों से परामर्श किये जाने का प्रावधान है । (ग) भारत सरकार के मार्गदर्शिका के अनुसार कार्यो का चयन त्रिसदस्यीय समिति द्वारा जिले की आवश्यकताओं के अनुसार किये जाने का प्रावधान है । अनूपपुर जिले में एकीकृत कार्ययोजना (आईएपी), अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना (एसीए) के तहत समस्त कार्यो की स्वीकृति पूर्णतया भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के आधार पर की गई है ।

धान, गेहूँ, खरीदी एवं भण्डारण की जानकारी

27. **(क्र. 295) श्री ओमकार सिंह मरकाम** : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 में जिला डिण्डौरी में किस-किस खरीदी केन्द्र से कितना-कितना धान एवं गेहूँ की खरीदी की गयी ? (ख) प्रश्नांक (क) अनुसार केन्द्रवार खरीदी गई धान एवं गेहूँ का भण्डारण कहां-कहां किया गया ? प्रत्येक केन्द्र से भण्डारण किया गया स्थान की दूरी सहित जानकारी देवें ? (ग) प्रश्नांक (क) अनुसार खरीदे गए धान की भण्डारण पश्चात दराई (चावल बनाने हेतु) किस-किस ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है ? (घ) प्रश्नांक (क) अनुसार खरीदे गए धान की दराई (चावल) कितनी मात्रा में हो गया है, तथा कितनी बाकी है ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) प्रश्नांकित वर्ष में उर्पाजन केन्द्रवार खरीदी गई धान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार तथा उपार्जित गेहूं की केन्द्रवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है । (ख) खरीदी केन्द्रवार उपार्जित धान के भण्डारण मात्रा एवं उपार्जन केन्द्र से भण्डारण केन्द्रों की दूरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-स एवं उपार्जित गेहूं के भण्डारण एवं उपार्जन केन्द्र से भण्डारण केन्द्र की दूरी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-द अनुसार है । (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर अनुसार उपार्जित धान के भण्डारण पश्चात दराई (चावल बनाने हेतु) मण्डला जिले के मिलर्स को दी गई है । मिलर्स की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-इ अनुसार है । (घ) उपार्जित धान से बनाए गए चावल की मात्रा तथा शेष धान की मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-फ अनुसार है ।

सरेखा से पाड़ीया छापारा तक मार्ग का निर्माण

28. **(क्र. 303) श्री रजनीश हरवंश सिंह** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले के अंतर्गत सरेखा से पाड़ीया छापारा एवं कजई तक मार्ग निर्माण किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई ? यदि हां, तो कब और कितनी राशि ? (ख) उक्त निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था ? अभी तक उक्त निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने के लिए कौन दोषी हैं ? क्या दोषियों के विरूद्ध शासन कार्यवाई करेगा ? यदि हां, तो कब तक, समयावधि बतावें ? (ग) उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लिए शासन द्वारा क्या-क्या पहल की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) सिवनी जिले के अन्तर्गत सरेखा से पांडीया छपारा एवं केजई तक मार्ग निर्माण तीन भागों में कराया गया । जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मार्गो को वर्तमान में पूर्ण कराया जा चुका है । विलम्ब से कार्य पूर्ण करने के दोषी ठेकेदार के विरूद्ध अनुबंधानुसार कार्यवाही कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत मार्गो को पूर्ण करने हेतु अनुबंधानुसार कार्यवाही कर संबंधित ठेकेदारों को नोटिस जारी किये गये है ।

परिशिष्ट – "तेरह"

बी.पी.एल. कार्ड का अनुचित लाभ लेना

29. **(क्र. 316) श्रीमती सरस्वती सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. कार्ड बनवाकर अनुचित लाभ लेने के संबंध में श्री रामकुमार उपाध्याय, निवासी-बिरसिंहपुर पाली के विरूद्ध थाना पाली में एफ.आई.आर. दिनांक 12.06.2014 को करायी गई थी ? यदि हाँ, तो क्या चालान न्यायालय में पेश किया गया है ? यदि पेश किया गया है तो कब ? यदि नहीं किया गया है तो कारण बतावें, इसके लिए कौन दोषी है ?(ख) क्या बी.पी.एल. राशन कार्डधारी का आदेश क्रमांक 3940/बी.पी.एल./2014, दिनांक 13.06.2014 को निरस्त करने के पश्चात् की जाने वाली वसूली पर रोक एस.डी.एम. पाली द्वारा लगाई गई है, यदि नहीं तो अब तक वसूली की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है ? तथा यह भी बताया जाय की वसूली की राशि कितनी है तथा यह वसूली कब तक कर ली जावेगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) जी, हां । उक्त प्रकरण में अभी चालान पेश नहीं किया गया है, क्योंकि मामला अनुसंधान में है, उप निरीक्षक बी.आर. पाण्डेय द्वारा साक्ष्य एकत्रित किये जा रहे हैं । अनुसंधान पूर्ण होने पर चालान प्रस्तुत करने की कार्यवाही साक्ष्यों के आधार पर की जायेगी । (ख) जी, नहीं । श्री उपाध्याय द्वारा बी.पी.एल. राशन कार्डधारी का आदेश क्रमांक 1128 पर अवैध रूप से प्राप्त की गई खाद्यान्न सामग्री की राशि भारतीय स्टेट बैंक शाखा, उमरिया (01349) के चालान क्रमांक 17, दिनांक 11 अक्टूबर 2014 के द्वारा रूपये 8570/- (रू. आठ हजार पांच सौ सत्तर) वसूल की जाकर विभागीय शीर्ष 0435 में जमा कराई गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

श्रमिक संवर्ग के लिए संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा आर्थिक सहायता के अंतर्गत योजना का क्रियान्वयन

30. **(क्र. 318) श्री मेव राजकुमार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्रमिक वर्ग के लिए विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित श्रमिक वर्ग की योजनाओं (मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, अन्त्योष्टि योजना, जैसी अन्य योजनाओं) में पंजीकृत परिवार के मुखिया अथवा पंजीकृत महिला मुखिया को ही आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रावधान है ? (ख) प्रश्न (क) के संदर्भ में पंजीकृत परिवार के मुखिया, संयुक्त परिवार का सदस्य है एवं उसके परिवार में व्यस्क पुत्र (शादी-शुदा) संयुक्त रूप से रहते हैं तो पुत्र के यहां प्रसुति सहायता होने पर अथवा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं के तहत उसे शासन की योजनाओं के तहत आर्थिक सहायता मिलने की पात्रता आती है ? यदि नहीं तो कारण बतावें ? (ग) खरगोन जिले में विधानसभावार वर्ष 2014-15 में श्रमिक वर्ग के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं में (योजनावार) कितने-कितने परिवार को लाभान्वित किया गया है ? जनपद पंचायतवार संख्या बताया जावे ? (घ) प्रश्न (ख) के संदर्भ में खरगोन जिले में 2014-15 में पंजीकृत परिवार के मुखिया-संयुक्त परिवार का सदस्य है एवं उसके परिवार में व्यस्क अन्य पुत्र संयुक्त रूप से रहते हैं, तो ऐसे सदस्यों को प्रसुति सहायता अथवा अन्य सामाजिक आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया गया है ? यदि नहीं, तो ऐसे कितने प्रकरण लंबित हैं अथवा अस्वीकृत कर दिये गये हैं ? क्या ऐसे परिवार लाभान्वित किये जायेंगे एवं कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हां । मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत पंजीकृत परिवार के मुखिया अथवा पंजीकृत महिला मजदूर को ही आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है किन्तु श्रमिक संवर्ग विभाग (कर्मकार कल्याण मंडल)में उक्त सहायता देने का प्रावधान नहीं है । (ख)यदि पुत्र वयस्क,श्रमिक तथा मजदूर है जो वह अपना पंजीयन पृथक से कराकर योजना का लाभ उठा सकता है । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं प्रपत्र ''ब''-1 अनुसार है । (घ)जी नहीं । प्राप्त जानकारी अनुसार वर्ष 2014-15 में खरगोन जिले में कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है ।

परिशिष्ट – "चौदह"

मनरेगा योजनातंर्गत अनियमितता

31. **(क्र. 336) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला खरगोन की जनपद पंचायत भीकनगांव के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जामन्या बु.विकास में कपिलधारा कूप हितग्राही सूरज पिता भीमा का कूप निर्माण कार्य वर्ष 2010-11 में लागत 1,30,000/- का स्वीकृत होकर पूर्ण हो चुका हैं परन्तु वह कूप विगत 15-20 वर्षो से खुदा हुआ था, जिस पर एम.पी.ई.बी से विद्युत कनेक्शन भी दर्ज हैं ? (ख) क्या उपरोक्तानुसार की गई त्रुटिपूर्ण मूल्याकंन में संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जिला खरगोन की जनपद पंचायत भीकनगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत जामन्या बु. विकास में मनरेगा के कपिलधारा उपयोजना के तहत श्री सूरज पिता भीमा का कूप निर्माण कार्य लागत रू 130000 वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत से स्वीकृत होकर पूर्ण कराया गया है । कूप निर्माण कार्य पूर्णतः नवीन होकर कूप खुदाई से लेकर बंधाई तक का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया गया है । हितग्राही के पिता भीमा के पास 20 एकड़ भूमि थी, जिसका बटवारा 6 भाईयों के मध्य हुआ एवं पुराना कच्चा कुआ हितग्राही के भाई कस्तुर पिता भीमा के हिस्से में आया । उक्त कुएं पर विद्युत कनेक्शन भीमा पिता फुलसिंग के नाम दर्ज था इनकी मृत्यु के बाद सूरज पिता भीमा के नाम करवाया गया एवं ग्राम पंचायत से प्रदाय कपिल धारा कूप खोदने के बाद विद्युत कनेक्शन सूरज पिता भीमा ने अपने कूप पर स्थानांतरित कराया जा रहा है ।(ख)प्रश्नांश(क) के में प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

विधानसभा भीकनगांव में पात्र हितग्राहियों को खाद्यान्य पर्ची दी जाना

32. **(क्र. 337) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जनपद पंचायत भीकनगांव/झिरन्या के शेष पात्र परिवार (लगभग 8500) जिन्हें पात्रता पर्ची नहीं मिली इन परिवारों को कब खाद्यान्न पर्ची मिलेगी ? (ख) क्या वह परिवार जिन्हें पात्रता पर्ची प्राप्त नहीं हुई हैं, उन्हें पर्ची प्राप्त होने पर पूर्व का खाद्यान्य भी प्राप्त होगा ? (ग) क्या खाद्यान्य से वंचित परिवारों को खाद्यान्न पर्ची समयावधि में उपलब्ध न कराने वाले अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही होगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) जनपद पंचायत भीकनगांव/झिरन्या क्षेत्रांतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 में सभी पात्र परिवारों को सत्यापन किया जाकर कुल 69307 परिवारों को पात्रता पर्ची जारी की गई है । तथापि, आवेदन प्राप्त होने पर समग्र पोर्टल पर पात्र परिवारों का सत्यापन एवं उनकी पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है । (ख) खाद्यान्न प्राप्ति की पात्रता पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची जारी होने के अगले माह से प्रारंभ होती है । अत: पूर्व का खाद्यान्न देने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) समग्र पोर्टल पर पात्र परिवारों का सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची उपलब्ध कराई गई है । अत: अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

ग्राम पंचायतों के कार्य की रिकवरी

33. **(क्र. 345) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या धार जिले की धरमपुरी विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कांकलपुरा, पलासमाल, मेघापुरा (जनपद पंचायत नालछा) तथा ग्राम पंचायत सिरसोदिया, पटलावदा (जनपद पंचायत धरमपुरी) में 5-10 वर्षों में किये गये कार्यों में लाखों रूपये की रिकवरी निकल रही है ? (ख) यदि हाँ तो संबंधितों पर एफ.आई.आर. की या अन्य कार्यवाही की गयी ? यह भी बतावें कि क्या अधिकारियों से सांठ-गांठ कर एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी या न्यायालय का बहाना बना कर कार्यवाही नहीं की जा रही है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क)जी हाँ । (ख)जानकारी परिशिष्ट-"अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार ।

लंबित देयकों/मजदूरी का भुगतान

34. **(क्र. 387) श्री प्रताप सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत दमोह जिले के 7 विकासखण्डों में अभी तक कितनी-कितनी राशि के देयक भुगतान हेतु लंबित है ? सामग्री खरीदी एवं मजदूरों की मजदूरी के भुगतान संबंधी राशि का अलग-अलग विवरण बतलावें ? (ख) मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरों की मजदूरी के देयकों (मस्टर) के भुगतान शीघ्र किये जाने हेतु शासन स्तर पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ? लंबित मजदूरों की मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा, क्या लंबित अवधि के ब्याज सहित मजदूरी का भुगतान किया जावेगा ? (ग) दमोह जिले से मजदूरों की मजदूरी का भुगतान न होने के फलस्वरूप कितने मजदूरों ने जिले से बाहर पलायन किया है, कृपया विकासखण्डवार बतलावें ? मजदूरी का भुगतान समय पर न किये जाने का क्या कारण रहा है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) मनरेगा योजनान्तर्गत दमोह जिले के 7 विकासखण्डों में राशि रूपये 1428.78 लाख के देयक लंबित है । सामग्री पर राशि रू. 665.67 लाख एवं मजदूरी पर राशि रू. 763.11 लाख भुगतान हेतु लंबित है । (ख) भारत सरकार का माह मार्च 2014 में लेखानुदान अनुमोदित होने के पश्चात राज्य शासन को अपेक्षानुरूप कम राशि प्राप्त हुई । नई लोकसभा के गठन उपरान्त केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पारित होने से राज्य शासन को राशि का प्रवाह बाधित हुआ है । राज्य शासन को राशि उपलब्ध होते ही मनरेगा वित्तीय प्रबंधन में सुधार की अपेक्षा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) मजदूरों के पलायन से संबंधित जानकारी निरंक है ।

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. छतरपुर के प्रशासक द्वारा बैंक में हुई अनियमितताओं के विरूद्ध कार्यवाही न करने बाबत्

35. **(क्र. 409) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर के आदेश क्रं./विधि/2014/1321, दिनांक 1.10.2014 के द्वारा सहकारी अधिनियम 80क के अंतर्गत जि. सह.के.बैं.मर्या., छतरपुर के अधि./कर्म. को दी गयी अवैधानिक पदोन्नतियों को निरस्त करने के साथ-साथ अन्य गंभीर अनियमितताओं के निराकरण के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं ? हां, तो उक्त अनियमितताएं करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम/पदस्थापना स्थल के साथ अवैधानिक पदोन्नति पाने वाले अधि./कर्म. के नाम, तत्का. पदनाम, पदोन्नत पद का नाम, वर्तमान पदस्थापना स्थल की जानकारी देवें ? (ख) क्या उक्त न्या. के उक्त आदेश का प्रश्न दिनांक तक अक्षरश: पालन करते हुए उक्त बैंक के प्रशासक/मु. कार्य. अ. द्वारा उक्त अवैधानिक पदोन्नतियां निरस्त कर, अन्य गंभीर अनियमितताओं पर भी सकारात्मक कार्यवाही की गई है ? हां, तो उक्त अधि./कर्म. की अवैधानिक पदोन्नतियां निरस्त करने संबंधी आदेश की प्रति तथा अन्य गंभीर अनियमितताओं पर की गई कार्यवाहियों की प्रति देवें ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण स्पष्ट करते हुए दोषी अधि./कर्म. के नाम/पदनाम उल्लिखित करें ? (ग) शासन, उक्त न्या. के आदेश की अवहेलना करने वाले उक्त दोषियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए उक्त अवैधानिक पदोन्नतियों को तत्काल निरस्त करने के निर्देश जारी करेगा तथा अन्य गंभीर अनियमितताओं के निराकरण हेतु सकारात्मक दिशा-निर्देश देगा ? हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर के आदेश क्र./विधि/2014/1321, दिनांक 1.10.2014 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 80-क के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर की स्टाफ कमेटी की बैठक दिनांक 22.10.2012 के निर्णय क्रमांक 03 में पदोन्नति संबंधित समस्त कार्यवाही एवं लिये गये निर्णय को बातिल किया गया है. उक्त पदोन्नति की कार्यवाही बैंक की स्टाफ कमेटी द्वारा की

गई थी. बैंक स्टाफ कमेटी के सदस्यों के नाम, पदनाम एवं पदस्थापना स्थल की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ख) जी नहीं. माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में विचाराधीन याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 16694/2014 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.11.2014 से न्यायालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर के आदेश क्रं./विधि/2014/1321, दिनांक 1.10.2014 पर रोक लगाई गई है. शेष प्रश्नांश उद्रभूत नहीं होता है. (ग) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्रभूत नहीं होता है.

परिशिष्ट – "पंद्रह"

<u>विकास कार्यों के लिये शिलालेखों का अनावरण</u>

36. **(क्र. 438) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या माननीय मुख्यमंत्री महोदय जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान बिजावर विधान सभा क्षेत्र गए थे ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार क्या उक्त यात्रा के दौरान विकास कार्यों के शिलालेखों का अनावरण किया था ? यदि हाँ, तो किन-किन विकास कार्यों के शिलालेखों का अनावरण किया था ? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार उक्त अनावरित शिलालेख क्या मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बिजावर के कार्यालय में फर्श में लगे हैं ? (घ) प्रश्नांश (ग) नहीं है तो उक्त शिलालेख कहाँ पर है ? इन्हें निर्धारित स्थान पर क्यों नहीं लगाया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क)जी हाँ । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । (ग) जी नहीं ।(घ) उत्तरांश ''ख'' एवं ''ग'' के परिपेक्ष्य में शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता ।

<u>जटाशंकर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को बंद किए जाने से स्थानीय निवासियों को बैंकिग सुविधाएं प्राप्त न होना</u>

37. **(क्र. 439) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखा जटाशंकर को शासन ने किन कारणों से बंद कर दिया ? इस बैंक का टर्न ओवर विगत 03 वर्षों में कितना रहा ? (ख) जटाशंकर स्थित सहकारी बैंक से कितने गांव के लोगों के खाते संचालित हो रहे थे ? यह क्षेत्र कितने कि.मी. की परिधि के गांव के लोगों की बैंकिंग गतिविधियों को संचालित करता था ? (ग) जटाशंकर स्थित सहकारी बैंक के बंद होने से लोगों के खाते किस बैंक की शाखा में स्थानांतरित कर दिए गए ? (घ) आर्थिक रूप से कमजोर पहाड़ी क्षेत्र के बीच स्थित लोगों को जटाशंकर बैंक के बंद होने से बैंकिंग संबंधी गतिविधियों को संचालित करने में होने वाले समय एवं पैसों की बर्बादी को देखते हुए क्या जटाशंकर में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा पुन: खोली जा सकती है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छतरपुर की शाखा जटाशंकर को लगातार हानि में होने, शाखा से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं की वसूली जिले की औसत वसूली से 20 प्रतिशत कम होने, अमानतों में अपेक्षित वृद्धि न होने एवं बैंक में स्टाफ की अत्यधिक कमी होने से बैंक के निर्णय से बंद किया गया है. बैंक शाखा, जटाशंकर का विगत 03 वर्षो का टर्न ओवर रूपये 477.43 लाख, रूपये 494.00 लाख एवं रूपये 842.74 लाख क्रमशः रहा है. (ख) जटाशंकर स्थित बैंक शाखा से 33 ग्रामों के लोगों के खाते संचालित हो रहे थे. इस बैंक शाखा से 15 किलोमीटर की परिधि के गांव के लोगों की बैंकिंग गतिविधियां संचालित होती थीं. (ग) बैंक शाखा बिजावर में. (घ) जटाशंकर शाखा के पूर्व वर्ष की हानि के दृष्टिगत, यह शाखा पुनः खोली जाना संभव नहीं है.

ग्राम पंचायत रजाखेड़ी द्वारा भवन निर्माण/ व्यवसायिक भवन निर्माण/होर्डिंगस की स्वीकृति

38. **(क्र. 453) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्राम पंचायत रजाखेड़ी, जनपद पंचायत सागर द्वारा विगत 03 वर्षो में कितने भवन निर्माण/ व्यवसायिक निर्माण/ होर्डिंगस हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है ? माहवार जानकारी देवें ? (ख) भवन निर्माण/ व्यवसायिक भवन निर्माण/होर्डिंगस स्वीकृति हेतु पंचायत द्वारा क्या-क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये थे ? क्या निर्धारित मापदण्डों के आधार पर ही स्वीकृति प्रदान की गई है ? निर्धारित मापदण्ड से पंचायत को कितनी राशि प्राप्त हुई ? माहवार जानकारी प्रदान करें ? (ग) भवन निर्माण/ व्यवसायिक भवन निर्माण/होर्डिंगस स्वीकृति से पंचायत को प्राप्त राशि का किन-किन विकास कार्यो एवं अन्य कार्यो में उपयोग किया गया है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क)ग्राम पंचायत रजाखेडी में भवन निर्माण एवं होर्डिग्स लगाने हेतु जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"अनुसार । व्यावसायिक भवन निर्माण की कोई स्वीकृति प्रदाय नहीं की गई । (ख) जानकारी परिशिष्ट-"ब"एवं"स"पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ग) जानकारी परिशिष्ट-"घ" पुस्तकालय में रखे अनुसार ।

जिला पंचायत धार द्वारा पानी टेंकर की क्रय राशि

39. **(क्र. 468) श्रीमती नीना वर्मा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार विधान सभा क्षेत्र में परफारमेंस ग्रवेल मार्ग के अंतर्गत जिला पंचायत को सन् 2013-2014 एवं 2014-2015 में कितनी-कितनी राशि मदवार प्रदाय की गई ? (ख) क्या उक्त धनराशि के व्यय करने के संबंध में गाईड लाईन विभाग द्वारा सी.ओ. जिला पंचायत को भेजी गई थी ? (ग) क्या उक्त गाईड लाईन में पंचायतों की जिला पंचायत द्वारा सीज पानी के टेंकर प्रदान करने का अधिकार दिया गया है ? यदि नहीं दिया गया तो जिला पंचायत धार द्वारा पंचायतों को टेंकर क्रय करने हेतु धनराशि दी गई ? कितनी पंचायतों में कितने टेंकर, एवं प्रति टेंकर कितनी राशि दी गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी नहीं । धार विधान सभा क्षेत्र के लिए परफार्मेस ग्रेवल मार्ग के अंतर्गत जिला पंचायत का प्रश्नाधीन अवधि में कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ । प्रश्नाधीन अवधि में परफार्मेस ग्रान्ट योजनान्तर्गत प्राप्त राशि की मदवार जानकारी परिशिष्ट-"अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार(ख) जी हाँ । जानकारी परिशिष्ट-"ब" पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ग) म0प्र0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 13वां वित्त आयोग की मार्गदर्शिका में दिये गये निर्देश के बिन्दु क्र. 4.3.3 अनुसार पेयजल परिवहन एवं मूलभूत आवश्यक कार्यो को लिये जाने के निर्देश दिये गये है । जानकारी परिशिष्ट-"स" पुस्तकालय में रखे अनुसार । जी हाँ । धार विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत प्रदाय टेंकरों की जानकारी परिशिष्ट-"द" पुस्तकालय में रखे अनुसार ।

प्रदेश में अपराधों में वृद्धि

40. **(क्र. 478) श्री आरिफ अकील :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी 2010 से प्रश्न दिनांक तक हत्या, हत्या के प्रयास, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, नाबालिग लड़कियों के अपहरण, अपहरण या गुमशुदगी के बाद कितनी लडकियां बरामद की गई ? डकैती, लूट, चोरी के कुल कितने-कितने अपराध पंजीबद्ध किए गए अपराधवार वर्षवार जिलेवार बतावें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है ।

जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के कर्मचारियों को अंशदायी पेंशन योजना के लाभ

41. **(क्र. 482) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता द्वारा अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन को पत्र क्र. 145/R दिनांक 25.06.14 एवं आयुक्त पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग म.प्र. शासन को पत्र क्र. 476/ R दिनांक 13.10.14 द्वारा अंशदायी पेंशन के संबंध में पत्र लिखा गया था ? (ख) यदि हां, तो पत्र में दिये बिंदुवार उल्लेखित बिंदुओं पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के संबंध में पंचायत राज संचालनालय के पत्र क्र/ बजट/2014-15/12969,दिनांक17.11.2014 से विधायक महोदय को अवगत कराया गया है । परिशिष्ट-"अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार ।

कर्मचारियों को पेंशन का लाभ

42. **(क्र. 483) श्री ठाकुरदास नागवंशी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के परि.तारांकित प्रश्न क्रमांक 09 (क्र. 1332) दिनांक 21 जुलाई 2014 की कंडिका (ग) में जी नहीं उत्तर दिया गया है ? (ख) क्या यह सही है कि जनपद पंचायत पिपरिया जिला होशंगाबाद द्वारा सेवानिवृत्त श्री गणेश राम कटार भृत्य को पेंशन स्वीकृत कर भुगतान किया जा रहा है तथा सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री आर.पी. शर्मा उ.व.लि. जनपद पंचायत बरखेड़ी जिला होशंगाबाद को पेंशन स्वीकृत नहीं की गई है ? (ग) कंडिका (क) एवं (ख) का उत्तर हां में तो क्र. 09 दिनांक 21 जुलाई 2014 में जानकारी प्रदान की गई है वह सत्य से परे एवं भ्रामक हैं, इसके लिये कौन उत्तरदायी है ? (2) एक कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत करना एवं दूसरे कर्मचारी को पेंशन स्वीकृत न करना यह शासन के विभाग की दोहरी नीति नहीं है ? (घ) कंडिका (ख) का उत्तर हां में तो श्री गणेश राम सेवानिवृत्त भृत्य को किस दिनांक से किस आदेश से पेंशन भुगतान की जा रही है बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । (ग) जी नहीं । अभिलेखों के आधार पर जानकारी दी गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । श्री गणेश राम, भृत्य की पेंशन स्वीकृति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के परिपालन में जारी की गई है । स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को पेंशन की पात्रता नहीं होने से श्री आर.पी. शर्मा, उच्च श्रेणी लिपिक, जनपद पंचायत बरखेडी जिला होशगाबाद को पेंशन नहीं दी जा रहीं है । (घ) श्री गणेश राम कहार, पेंशन भुगतान का आदेश माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर की याचिका क्रमांक 4579/2009 के पारित आदेश दिनांक 14.12.2009 के परिपालन में तथा उप संचालक, स्थानीय निधि संपरीक्षा भोपाल के पत्र क्रमांक 1567 दिनांक 31.08.2010 द्वारा अनुमोदन अनुसार पेंशन भुगतान की जा रही है ।

निर्माण कार्य की जानकारी व अनियमितताओं पर कार्यवाही

43. **(क्र. 500) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत कुल कितनी सड़के (2010 से प्रश्न दिनांक) की स्वीकृत हुई हैं ? कितनी निर्माण हेतु प्रस्तावित है ? कितनी निर्माणाधीन है, तथा कितनी सड़कों का निर्माण पूर्ण हो चुका है ? पूर्ण विवरण सहित दिनांकवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिन सड़कों के मरम्मतीकरण या पुन: निर्माण हेतु कोई कार्यवाही की जा रही है ? जिन सड़कों की समयावधि 05 वर्ष पूर्ण हो चुकी

है ? उनका विवरण देवें ? (ग) सड़कों के निर्माण में नागरिकों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायतों पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, की गई तो क्यों ? (घ) क्या यह सही है कि चांगोटोला मऊ मार्ग, नवेगांव से हट्टा मार्ग तथा सालेटेका से हट्टा-भालवा गोदरी मार्ग अत्यंत खराब है ? उन्हें कब तक पूर्ण कर लिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) बालाघाट जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनांतर्गत वर्ष 2010 से प्रश्न दिनांक तक कुल 27 सडके स्वीकृत हुई है । 28 सडके निर्माण हेतु प्रस्तावित है । स्वीकृत सडकों में से 05 सडके निर्माणाधीन है तथा 22 सडकों का निर्माण पूर्ण हो चुका है । जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । (ख) जी हां । जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है । (ग)माननीय श्री किशोर समरिते पूर्व विधायक विधानसभा क्षेत्र लांजी द्वारा पैकेज क्रं. एम पी-0142 के अतंर्गत 29 मार्गो की मरम्मत के सबंध में शिकायत की गई थी जिसकी जांच मुख्य महाप्रबंधक मध्यप्रदेश ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण जबलपुर द्वारा कराई गई । स्थल निरीक्षण कर की गई जांच में शिकायत कर्ता द्वारा की गई शिकायत सत्य नही पाई गई शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (घ) जी हाँ, चांगोटोला-मऊ मार्ग, नवेगांव से हट्टा मार्ग तथा सालेटेका से हट्टा भालवा मार्ग अत्यधिक ट्रेफिक एवं वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए है। जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है।

समग्र स्वच्छता अभियान अन्तर्गत योजना हेतु व्यय की गई राशि

44. **(क्र. 509) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) समग्र स्वच्छता अभियान अंतर्गत योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक सिवनी जिले को कितनी राशि प्राप्त हुई ? मदवार, वर्षवार एवं जनपद पंचायतवार विवरण उपलब्ध करावें ?(ख) उक्त योजनान्तर्गत प्रचार-प्रसार मद में कितनी राशि व्यय की गई ? जनपद पंचायतवार विवरण देवें ? प्रचार-प्रसार का दायित्व किस-किस एजेंसी को सौंपा गया है ? क्या इस हेतु निविदा आमंत्रित की गई थी ? (ग) प्रचार-प्रसार में योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक कितनी राशि व्यय की गई ? (घ) सिवनी जिले में योजना प्रारंभ होने से प्रश्न दिनांक तक कितने व्यक्तिगत तथा कितने सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया ? इनमें से कितने शौचालय वर्तमान में सही स्थिति में हैं व हितग्राहियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं ? (ड़) सिवनी जिले में ऐसी कौन-कौन सी ग्राम पंचायतें हैं, जिनके द्वारा योजना की संपूर्ण राशि आहरित कर ली गई है, परन्तु शौचालय निर्माण कार्य नहीं कराये गये हैं ? ऐसी पंचायतों के सरपंच/सचिव के विरूद्ध क्या कोई कार्यवाही की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) राशि रूपये 7026.30 लाख प्राप्त हुई । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है । (ख) राशि रूपये 360.26 लाख व्यय की गई है । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है । (ग) जिला पंचायत स्तर से राशि रूपये 346.78 लाख एवं जनपद पंचायत स्तर से राशि रूपये 13.48 लाख कुल राशि रूपये 360.26 लाख व्यय की गई । (घ) 85050 व्यक्तिगत शौचालय तथा 32 सामुदायिक शौचालयों का निर्माण किया गया । निर्मित शोचालय में से 34826 व्यक्तिगत शौचालय एवं 32 सामुदायिक शौचालय वर्तमान में सही स्थिति में हैं व हितग्राहियों द्वारा प्रयोग में लाये जा रहे हैं । (ङ) सिवनी जिले में जनपद पंचायत कुरई की ग्राम पंचायत बकोडी को वर्ष 2012-13 में शौचालय निर्माण हेतु राशि रूपये 616464.00 उपलब्ध कराई गई थी । जिसके विरूद्ध 74 शौचालय का निर्माण कराया गया है । जिसकी लागत रूपये 316794.00 होती है । राशि रूपये 40000.00 ग्राम पंचायत के खाते में जमा है । शेष राशि रूपये 259670.00 का दुरूपयोग किया गया है । श्री विश्राम सिंह बाकलवार पूर्व सचिव ग्राम पंचायत बकोडी के विरूद्ध वसूली हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व (ग्रामीण) सिवनी में प्रकरण दर्ज कर वसूली की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।

महात्मा गॉधी रोजगार गारंटी योजना का क्रियान्वयन

45. **(क्र. 510) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विगत तीन वित्तीय वर्षो में सिवनी विधान सभा क्षेत्र में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कितने कार्य अपूर्ण हैं तथा क्यों ? जनपद

पंचायतवार,वर्षवार एवं श्रेणीवार कारण बतावें ? उक्त कार्य पूर्ण करवाने हेतु शासन ने क्या कार्यवाही की ? (ख) अक्टूबर, 2014 की स्थिति में विधान सभा क्षेत्र में किन-किन ग्राम पंचायतों में मजदूरों का भुगतान नहीं हुआ तथा क्यों ? कारण बतायें ? (ग) विधान सभा में गत अप्रैल,2012 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा कार्यो में अनियमितता की कुल कितनी शिकायतें जिला पंचायत के किस-किस कार्यो के लिये कहां-कहां से आयी ? उसकी अघतन स्थिति क्या है ? (घ) विधान सभा क्षेत्र में योजनांतर्गत कितने पूर्ण कार्यो का अन्तिम मूल्यांकन नहीं किया गया तथा क्यों कार्यवार कारण बतायें ? कब तक अन्तिम मूल्यांकन होगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) विगत तीन वर्षो में सिवनी विधानसभा क्षेत्र में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत स्वीकृत 7645 कार्यो में से 4205 कार्य अपूर्ण है । मांग आधारित योजना होने से कार्यो का पूर्ण होना जॉब कार्ड धारियों की मांग पर निर्भर है । स्वीकृत कार्यो का जनपदवार, वर्षवार एवं श्रेणीवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । शासन द्वारा योजना के अपूर्ण कार्यो को रोजगार की मांग आने पर प्राथमिकता से पूर्ण कराने के निर्देश सभी जिलों को दिये गये हैं । (ख) विधानसभा क्षेत्र की 83 ग्राम पंचायतों में मजदूरी भुगतान नहीं हुआ । सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है । विगत वर्ष के केन्द्रीय शासन के बजट में मनरेगा हेतु समुचित राशि का प्रावधान न होने से माह मार्च 2014 से मांग अनुरूप राशि प्राप्त न होने से भुगतान लंबित है । (ग) सिवनी विधानसभा क्षेत्र में प्रश्नाधीन अवधि से मनरेगा के कार्यो में अनियमितता की कुल 17 शिकायतें प्राप्त हुई हैं । अद्यतन स्थिति का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है । (घ) योजनांतर्गत सभी पूर्ण कार्यो का अंतिम मूल्यांकन किया जा चुका है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>खाद्य शाखा जबलपुर में पदस्थ सहायक आपूर्ति अधिकारी को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का प्रभार नियम विरूद्ध प्रदान करने बाबत्</u>

46. **(क्र. 537) श्री तरूण भनोत :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला जबलपुर अंतर्गत खाद्य शाखा में कितने सहायक आपूर्ति अधिकारी, कितने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पदस्थ है ? जानकारी उनके नामवार एवं उन्हें आवंटित राशन दुकाने, पेट्रोल पंप एवं गैस एजेंसियों के व कितने मिट्टी तेल के थोक डीलर आवंटित है की समस्त जानकारी पृथक-पृथक रूप से क्षेत्रवार बताई जावे ? (ख) क्या यह सही है कि विभाग में पदस्थ एक सहायक आपूर्ति अधिकारी जो कि एक उच्च पद है को उसके अधिनस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का प्रभार दिलवाकर उससे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी का कार्य लिया जा रहा है जबकि खाद्य शाखा में पर्याप्त रूप से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के पद स्वीकृत है जिनसे कार्य सुचारू रूप से करवाया जा सकता है ? (ग) कब तक खाद्य शाखा जबलपुर में पदस्थ सहायक आपूर्ति अधिकारी से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के कार्य का प्रभार ले लिया जावेगा ? (घ) पश्चिम विधान सभा क्षेत्र जबलपुर अन्तर्गत कितने गरीबी रेखा के कार्ड जारी किये गये हैं ? जानकारी वर्ष 1 जनवरी 2013 से 31 अक्टूबर 2014 तक बताई जावे ? इस विधान सभा क्षेत्र में कितने व्यक्ति गरीबी रेखा कार्ड की पात्रता रखते हैं ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) जिला जबलपुर अंतर्गत खाद्य शाखा में पांच सहायक आपूर्ति अधिकारी एवं चौदह कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी पदस्थ हैं । इनको आवंटित राशन दुकानें, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसियां एवं थोक मिट्टी तेल डीलर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के 'अ' एवं कलेक्टर द्वारा जारी कार्य विभाजन आदेश जानकारी संलग्न परिशिष्ट के 'ब' अनुसार है । (ख) जी, नहीं । जबलपुर नगर की 446 दुकानों को 2 सहायक आपूर्ति अधिकारियों एवं 7 कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के मध्य निरीक्षण हेतु आवंटित किया गया है । प्रश्न (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (ग) प्रश्न (ख) के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (घ) पश्चिम विधान सभा क्षेत्र जबलपुर अन्तर्गत कुल 35,759 गरीबी रेखा के कार्ड जारी किये गये हैं । वर्ष 1 जनवरी 2013 से 31 अक्टूबर, 2014 तक 1,225 गरीबी रेखा के कार्ड जारी किये गये हैं । इस विधान सभा क्षेत्र में 35,952 परिवार बीपीएल सर्वे सूची अनुसार गरीबी रेखा कार्ड की पात्रता रखते हैं, उसमें से 35,759 परिवारों के गरीबी रेखा के कार्ड जारी किये गए हैं । इस वर्ग के किसी व्यक्ति का आवेदन लंबित नहीं है ।

परिशिष्ट – "सोलह"

प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा योजना

47. **(क्र. 560) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा हेतु निर्भया योजना कब से प्रारंभ की गई ? (ख) उक्त योजना अब तक किन-किन जिलों में प्रारंभ हो चुकी है ? (ग) उक्त योजना का संचालन, कार्यालय, संसाधन एवं अधिकारों का ब्यौरा क्या है ? (घ) उक्त योजनांतर्गत टीम की संस्था का निर्धारण आधार क्या है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जनवरी 2014 से । (ख) प्रदेश के सभी 51 जिलों में । (ग) निर्भया टीम को नगर नियंत्रण कक्ष एवं महिला अपराध कार्यालय एवं महिला थाना एवं रक्षित केन्द्र से संचालित किया जा रहा है । निर्भया पेट्रोलिंग व्यवस्था के तहत टीम को चार पहिया वाहन एवं वायरलेस सेट तथा शासकीय मोबाईल सिम एवं पर्याप्त बल प्रदाय किया गया है । (घ) प्रदेश में प्रत्येक जिले में संचालित कन्या विद्यालय, कन्या महाविद्यालय, कन्या छात्रावास, पार्क भीड़-भाड़ वाले स्थान, चौपाटी, धार्मिक स्थल,बाजारों तथा अन्य सामाजिक स्थलों पर महिलाओं एवं युवतियों के आमद संसाधन की उपलब्धता के आधार पर जिले में कार्यरत निर्भया टीमों की संख्या का निर्धारण किया गया है ।

नि:शक्तजन कल्याण हेतु हुए व्यय

48. **(क्र. 561) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शासन द्वारा सामाजिक न्याय एवं नि:शक्त जनकल्याण दिशा में कितनी एवं कौन-कौन सी योजना वर्तमान समय में प्रचलित की गई है एवं केन्द्र सरकार की कौन-कौन सी योजनाओं का प्रदेश में क्रियान्वयन किया जा रहा है ? उक्त दोनों योजनाओं से विगत तीन वर्ष में रतलाम जिले में कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया ? (ख) क्या रतलाम जिले से उक्त योजनाओं के लाभ हेतु कोई प्रस्ताव शासन के पास लंबित है ? यदि हाँ, तो कौन-कौन से एवं किस कारण से लंबित है ? (ग) उपरोक्त योजनांतर्गत नि:शक्तजनों, विकलांगों, वृद्धजनों को वर्ष 2013 एवं 2014 में क्या-क्या सहायता, कृत्रिम अंग वितरण व्यवस्था आदि उपलब्ध करवाई, तहसीलवार ब्यौरा क्या है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ"अनुसार है । (ख) जिला विकलांग पुनर्वास केन्द्र का केन्द्रीय अनुदान प्रस्ताव में कमियों की पूर्ति हेतु पत्र क्र0 1827 दिनांक 22/11/2014 द्वारा जिले को लिखा गया है । (ग) जानकारी संलंग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है ।

परिशिष्ट – "सत्रह"

सरपंच सचिव की शिकायत/जॉच

49. **(क्र. 572) पं. रमेश दुबे :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सरपंच सचिव जमुनिया जनपद पंचायत चौरई जिला-छिन्दवाड़ा के विरूद्ध ग्रामवासियों से 10 बिन्दुओं पर शिकायत प्राप्त होने पर जांच कर संबंधित दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के द्वारा कलेक्टर छिन्दवाड़ा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व चौरई एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत चौरई को पत्र प्रेषित किया है ? (ख) क्या

उक्त शिकायत की जांच की गयी है यदि हां, तो कब और किसके द्वारा, जॉच में कौन-कौन से आरोप सिद्ध हुए है और इनके लिए कौन दोषी है ? (ग) क्या यह सही है कि शिकायत जांच में सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत जमुनिया, जनपद पंचायत चौरई जिला-छिन्दवाड़ा, वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय राशि के दुरूपयोग, गबन आदि के दोषी पाये गये है ? यदि हां, तो क्या उनके विरूद्ध स्थानीय पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है और यदि नहीं तो क्यों ? अभी तक उनके विरूद्ध कार्यवाही नहीं होने के क्या कारण है ? (घ) क्या शासन जांच में दोषी पाये गये सरपंच सचिवों के विरूद्ध स्थानीय पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने, तथा उनके विरूद्ध त्वरित कार्यवाही कर शासकीय धनराशि वसूल किये जाने का आदेश देगा यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । (ख) जी हाँ । दिनांक 29.06.2014 को सहायक यंत्री मनरेगा, खण्ड पंचायत अधिकारी श्री रेखनलाल राय,पंचायत समन्वयक अधिकारी एवं श्रीमती निशा सारवान, ब्लाक समन्वयक, टी.एस.सी. जनपद पंचायत चैरई द्वारा संयुक्त रुप से जांच की गई । जांच प्रतिवेदन अनुसार बिन्दु क्रमांक 1 एवं 2 में आरोप सिद्ध पाये गये, तद्नुसार राशि रु0 86939/- बोगस मजदूरी भुगतान किये जाने के लिए सरपंच, सचिव तथा क्षेत्रीय उपयंत्री श्रीमती बुशरा खान दोषी पाये गये । (ग) शिकायत की जांच में सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत जमुनिया वित्तीय अनियमितता एवं शासकीय राशि के दुरुपयोग गबन के दोषी पाये गये । उक्त राशि रु0 86939/- की वसूली हेतु न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चैरई द्वारा म0प्र0 पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 एवं 92 के तहत कारण बताओं सूचना पत्र क्र.1893/प्रस्तु./अ.वि.अ./2014 चैरई, दिनांक 07.08.2014 सरपंच ग्राम पंचायत जमुनिया को जारी किया गया । सरपंच ग्राम पंचायत जमुनिया द्वारा राशि रु. 86939/- जनपद पंचायत कार्यालय में रसीद क्रमांक 17 दिनांक 03.09.2014 द्वारा जमा किया गया । (घ) जांच में दोषी पाये गये सरपंच ग्राम पंचायत जमुनिया के विरुद्ध म.प्र. पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 40 के तहत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) चैराई में प्रकरण क्रमांक 7 दिनांक 07.08.2014 दर्ज किया गया । सचिव ग्राम पंचायत जमुनिया के विरुद्ध पंचायत राज सेवा नियम, 1999 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत छिन्दवाडा को पत्र क्रमांक 1406 दिनांक 27.11.2014 द्वारा भेजा गया तथा कार्यालय कलेक्टर एवं कार्यक्रम समन्वयक जिला छिंदवाडा के पत्र क्रमांक 4999/शिका./जि.प./ग्रा.वि./2014, छिन्दवाडा दिनांक 01.11.2014 के तहत श्रीमती बुशरा खान, प्रभारी उपयंत्री ग्राम पंचायत जमुनिया को चेतावनी पत्र जारी किया गया ।

<u>सचिव ग्राम पंचायत लोहांगी के विरूद्ध की गई शिकायत की जॉच</u>

50. **(क्र. 573) पं. रमेश दुबे :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता ने सचिव ग्राम पंचायत लोहांगी, जनपद पंचायत बिछुआ, जिला-छिन्दवाड़ा के विरूद्ध ग्रामवासियों से शिकायत प्राप्त होने पर पत्र क्रमांक 1880 दिनांक 12/09/2014 के माध्यम से शिकायत की जांच कर कार्यवाही हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को पत्र प्रस्तुत किया था ? (ख) यदि हां, तो शिकायत के बिन्दु क्या है ? तथा जांच हेतु किसे कब नियुक्त किया गया ? (ग) क्या जांचकर्ता अधिकारी के द्वारा जांच की गयी ? यदि जांच नहीं की गयी तो क्यों ? (घ) क्या शासन प्रश्नकर्ता द्वारा नियुक्त किये गये प्रतिनिधि की उपस्थिति में उक्त शिकायत की जांच किसी वरिष्ठ सक्षम अधिकारी से कराने का आदेश देगा ? यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क)जी हाँ । (ख)जानकारी परिशिष्ट-"अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ग) जी हाँ । (घ) जांचकर्ता अधिकारी द्वारा जांच की गई है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नियमों के विपरीत शस्त्र लायसेंस जारी करना एवं समय-सीमा बढ़ाना

51. **(क्र. 576) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पुलिस मुख्यालय (अपराध अनुसंधान विभाग) म.प्र. भोपाल के पत्र क्र.अअवि/समनि /निस./एस/11/2011 भोपाल दिनांक 06-01-2001 के समस्त जिला दण्डाधिकारियों को निर्देश का क्या पूरे प्रदेश में पालन किया जा रहा है ? (ख) क्या प्रश्नांश (क) में उल्लेखित निर्देशों के विपरीत सतना जिले में म.प्र. के निवासियों को अन्य राज्यों द्वारा स्वीकृत किये गये शस्त्र लायसेन्सों को अन्य राज्यों से एन.ओ.सी प्राप्त होने के बाद भी नवीनीकरण कराये जाने के प्रकरण की जॉच की जा रही है ? (ग) क्या प्रश्नांश (ख) में वर्णित जिले मं शस्त्र लायसेन्स नीति के विपरीत शस्त्र लायसेन्स बनाये जाने, उनकी नियम विरूद्ध अन्य राज्यों की सीमा बढ़ाये जाने, कारतूसों की संख्या बढ़ाने की जॉच हुई ? जॉच में नियमों के विपरीत कार्य पाया गया ? किस वर्ष से किस वर्ष तक की जॉच हुई ? जॉच रिपोर्ट एवं निष्कर्षो का विवरण दें ? (घ) प्रश्नांश (ख एवं ग) में किस-किस नाम के शस्त्र लायसेंसधारी एवं जारी कर्ताओं को दोषी पाया गया ? राज्य शासन/पुलिस मुख्यालय, (अ.अ.वि) दोषियों पर कब और क्या कार्यवाही करेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जी हाँ । (ख) (ग) एवं (घ) जी हाँ , जांच कराई गई है । जाँच के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका क्र0 13414/14 द्वारा श्री अनूप शुक्ला विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य 08 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2014 के परिप्रेक्ष्य में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

धारा 304 की जगह अपराधियों से साठं-गांठ कर धारा 304-A कायम किया जाना

52. **(क्र. 577) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रश्नकर्ता के पिर.अता.प्रश्न संख्या 49 (क्र.3449) 21 जुलाई 2014 के (ग) खण्ड के उत्तर में स्वीकार किया गया है कि उक्त दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के शरीर पर सुरक्षा उपकरण मोजूद नहीं थे ?(ख) क्या यह सत्य है कि के.जे.एस. सीमेंट, रिलायन्स सीमेंट मैहर में फैक्ट्री प्रबंधन की घोर लापरवाही से कर्मचारियों की आकस्मिक मौत हो रही है ? अगर नहीं तो 25 मार्च 2012 से 12 नवम्बर 2014 तक दुर्घटनाओं में मारे गये श्रमिकों के शरीर पर पंचनामों के समय सुरक्षा के क्या-क्या उपकरण पाये गये ? प्रकरणवार दें ? (घ) क्या इस प्रकरण में आई.जी. रीवा को संबंधित थाना क्षेत्र के द्वारा धारा 304-A जानबूझकर गलत लगाये जाने पर मृतकों के आश्रितों ने संज्ञान में लाया था ? क्या एम.डी.के.जे.एस. एवं प्रेसीडेंट रिलायन्स के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जी हाँ । (ख) दिनांक 25.03.2012 से 12.11.2014 तक दुर्घटना में मारे गये श्रमिकों के शरीर पर पंचनामा के समय सुरक्षा के उपकरण सेफ्टी बेल्ट, सेफ्टी जेकेट, हेल्मेट आदि मौजूद न होने की लापरवाही पाये जाने पर सुरक्षा के लिये जिम्मेदार प्रबंधन के दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं । (ग) जी नहीं । एम.डी.के.जे.एस. एवं प्रेसीडेंट रिलायन्स के विरूद्ध अनुसंधान के दौरान साक्ष्य नहीं पाये जाने से चालानी कार्यवाही नहीं की गई ।

ग्राम लुहर्रा से बसिता भौंती मार्ग की जॉच

53. **(क्र. 582) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सागर को पत्र क्रमांक 723 दिनांक 20 सितम्बर 2014 को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पैकेज 1002 के अंतर्गत ग्राम लुहर्रा से बसिया भौंती मार्ग की जाँच हेतु लिखा गया था ? (ख) यदि हाँ, तो क्या यह सही है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित मार्ग में वास्तव में कोई कार्य नहीं कराया गया है, तथा पैकेज क्रमांक 1002 के अंतर्गत उक्त निर्माण कार्य

स्थगित कर पुन: नये सिरे से टेंडर लगवाया गया है ? क्या इस प्रकरण की जानकारी क्षेत्रीय विधायक को दी गयी है अथवा नहीं ? यदि हां, तो पत्र की प्रति बतायें ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) क्या विभागीय स्तर पर ग्राम लुहर्रा से बसिया भौंती मार्ग पर निर्माण कार्य एवं व्यय दर्शाया गया है, यदि हां तो उक्त कार्य पर स्वीकृत राशि में से कितना व्यय किस और कितने निर्माण कार्य पर किया गया है और कितना शेष बचा है ? (घ) यदि विभागीय स्तर पर उक्त मार्ग पर निर्माण कार्य में राशि व्यय होना बतलायी गयी है, तो पुन: टेन्डर लगाये जाने से उक्त व्यय राशि की भरपायी किस प्रकार से की जावेगी और क्या इससे लागत राशि में बढ़ोत्तरी तो नहीं होगी ? इस प्रकार से शासकीय धन की हानि के लिए दोषी के विरूद्ध उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही कब तक की जावेगी ? समय सीमा बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हां । (ख) यह सही नहीं है कि लुहर्रा से बसिया मार्ग में कोई कार्य नहीं कराया गया । यह सही है कि पैकेज क्रमांक 1002 का अनुबंध निरस्त कर पुनः नये सिरे से टेण्डर लगाया गया है । निविदा आमंत्रित करने हेतु नियमानुसार प्रकाशन कराया गया है । माननीय विधायक को पृथक से सूचित नहीं किया गया है । (ग) जी हां । उक्त मार्ग पर विभागीय रूप (मनरेगा मद) से रू. 26.81 लाख का व्यय हुआ है एवं ठेकेदार को रू. 2.21 लाख का भुगतान किया गया है । वर्तमान में रू. 38.51 लाख का कार्य किया जाना शेष है । (घ) उक्त मार्ग पर विभागीय रूप से मिट्टी/शोल्डर कार्य कराया गया है । नवीन एजेंसी से ग्रेवल/पुलिया का कार्य पूर्व एजेंसी के जोखिम एवं व्यय पर पूर्ण कराया जा रहा है, इससे राशि की भरपाई एवं शासकीय धन की हानि का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता,अतः कर्मचारियों के विरूद्ध उत्तरदायित्व निर्धारण करने की कार्यवाही नहीं की गई ।

इलाज के अभाव में मृत्यु की जाँच

54. **(क्र. 583) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सच है कि सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी अन्तर्गत ग्राम गौंसरा में सर्प दंश से पीड़ित विजय केवट की मृत्यु समय पर ईलाज न मिलने से 1 अक्टूबर 2014 को हो गई थी ? सागर से प्रकाशित दैनिक भास्कर के 2 अक्टूबर के अंक में भी प्रधानमंत्री सड़क पर बेरीकेड लगे होने से नहीं पहुंची एम्बुलेंस, युवक की मौत शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ था ? (ख) क्या यह भी सच है कि प्रश्नांश (क) में वर्णित रास्ते पर लगे बेरीकेट/हाईटगेज प्रशासन द्वारा विजय केवट की मृत्यु उपरांत ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए हटवाये गये थे ? यदि हाँ तो पुलिस द्वारा इन अवैध बेरीकेट/हाईटगेज की जप्ती बनाई गई या नहीं, यदि नहीं तो क्यों ? जप्ती न बनाने के लिए संबंधित थाना प्रभारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? (ग) प्रकरण में पुलिस द्वारा कराई गई जांच में स्व. विजय केवट की मृत्यु के लिए किसे दोषी माना गया है ? अवैध बेरीकेट/हाईटगेज जिसके कारण एम्बुलेंस ग्राम तक नहीं पहुंच सकी और पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु समय पर ईलाज न मिलने के कारण हो गयी ? इन अवैध बेरीकेट/हाईटगेज लगाने के लिए कौन जिम्मेदार हैं ? (घ) यदि प्रश्नांश (क) में वर्णित प्रकरण की जांच पुलिस द्वारा यदि नहीं कराई गई है तो इसके क्या कारण है ? विलंब के लिए कौन जिम्मेदार है उसके विरूद्ध कब तक क्या कार्यवाही की जावेगी समय अवधि बतायें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जी नहीं । विजय केवट को किसी जहरीले कीड़े के काटने पर उसी ग्राम के निवासी देवी सिंह द्वारा सुबह 06:30 बजे तक झाड़फूंक की गई एवं दवा दी गई । जिला चिकित्सालय सागर में इलाज के दौरान सुबह करीब 10:00 बजे विजय केवट की मृत्यु हुई । जी हां । (ख) जी हाँ । हाइटगेज अवैध नहीं थे । पुलिस द्वारा जब्ती नहीं बनाई गई थी, प्रशासन द्वारा उक्त हाइटगेज को उखाड़कर टोल प्लाजा पर सुरक्षित रखा गया था । (ग) झाड़फूंक में समय बर्बाद करने एवं समय पर अस्पताल न ले जाने के कारण मृत्यु हुई थी । हाइटगेज अवैध नहीं थे । प्रकरण की जांच उपरांत तथ्यों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी । (घ) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना अन्तर्गत निवासरत अनुसूचित जाति, जनजाति को पात्रता पर्ची का प्रदाय

55. **(क्र. 588) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार की प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के शासकीय योजनानुसार बी.पी.एल, ए.पी.एल. कार्ड एवं अन्य कार्ड बनाने की योजना है ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में क्या रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना में निवासरत अनुसूचित जाति, जनजाति को खाद्यान्न एवं केरोसिन प्राप्त करने हेतु पात्रता पर्ची प्रदाय की गई है ? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि जी हॉ तो विवरण सहित जानकारी देवें ? यदि नहीं प्रदाय की गई हैं ? तो इन अनुसूचित जाति, जनजाति को खाद्यान्न एवं केरोसिन प्रदाय करने हेतु विस्तृत सर्वे करवाकर कब तक पात्रता पर्ची प्रदाय कर दी जावेगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) प्रदेश के समस्त अनुसूचित जाति एवं जनजाति के परिवारों को) प्रथम, व्दितीय एवं तृतीय श्रेणी के शासकीय कर्मचारी/अधिकारी तथा आयकरदाता को छोडकर (को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्राथमिकता परिवार श्रेणी में सम्मिलित किया गया है । (ख) जी हां । (ग) रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना में 17659 अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को सत्यापन किया जाकर पात्रता पर्ची प्रदान की गई है तथा इन्हें खाद्यान्न एवं केरोसीन का वितरण किया जा रहा है । अनुसूचित जाति/जनजाति के ऐसे परिवार जिनका समग्र पोर्टल पर जाति प्रमाण पत्र के अभाव में प्राथमिकता परिवार के रूप में सत्यापन नहीं हुआ था ऐसे परिवारों को प्राथमिकता परिवार के रूप में सत्यापित कर लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देने हेतु माह जून, 2014 में **"खाद्य सुरक्षा पर्व"** के नाम से पूरे प्रदेश में विशेष अभियान चलाया गया । अभियान के दौरान प्रत्येक परिवार के घर-घर जाकर घोषणा पत्र भरवाए गए एवं इस अभियान के अंतर्गत हनुमना विकासखण्ड में 2641 अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों को प्राथमिकता परिवार में सम्मिलित किया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

रीवा जिले में रोजगार गांरटी योजना में पदस्थ संविदा उपयंत्रियों को उनके गृह ब्लाक एवं गृह पंचायत से स्थानान्तरण

56. **(क्र. 589) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले में रोजगार गारंटी योजना में संविदा उप-यंत्रियो की नियुक्ति की गई है ? (ख) क्या शासन के ऐसे नियम हैं कि इन संविदा उपयंत्रियो को उनके गृह ब्लाक एवं गृह पंचायत में पदस्थ किया जावें ? यदि नहीं तो ऐसे कितने संविदा उपयंत्री हैं जो अपने गृह ब्लाक एवं गृह पंचायत में पदस्थ हैं ? (ग) क्या नियम विरूद्ध संविदा उपयंत्रियों को उनके गृह ब्लाक एवं गृह पंचायत से हटाकर अन्यत्र पदांकित किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? समय सीमा बताऐं ? यदि नहीं तो कारण स्पष्ट बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हां । (ख) जी नहीं । पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के निर्देश दिनांक 26/6/2010 की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है । जिला रीवा में पदस्थ 06 उपयंत्रियों की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है । (ग)उत्तरांश ख के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

प्रदेश के चेक पोस्टों पर संग्रहित राशि की बैंक व कोषालय में जमा राशि में अंतर ।

57. **(क्र. 599) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रदेश के परिवहन चेक पोस्टों पर वर्ष 2008-09 व 2010-11 में संग्रहित संयुक्त कर के ड्राफ्टों में बैंक में जमा व कोषालय में जमा राशि में काफी अंतर है यह राशि राष्ट्रीय अनुज्ञा पत्र योजना लागू होने से पूर्व वाहनों से जमा कराये गये थे ? (ख) क्या यह भी सही है उक्त संग्रहित राशि की वर्षवार ऑडिट नहीं कराई गई क्यों ? उक्त वर्षों में कब-कब आडिट किन-किन अधिकारियों से कराई गई ? (ग) उक्त त्रुटि के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? क्या शासन जांच कर कार्यवाही करेगा, कब तक ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

मुरैना जिले की जौरा तहसील में पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या

58. **(क्र. 600) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की जौरा तहसील में वर्तमान में प्राथमिक साख कृषि सहकारी समितियों के अलावा कितनी सहकारी समितियां भण्डार, महिला बहुउद्देशीय व अन्य पंजीकृत है उनकी संख्या समितियों के नाम संचालक मण्डल के अध्यक्ष सचिवों के नाम पते सहित समितिवार जानकारी दी जावें ? (ख) इन सहकारी समितियों में से कितनी कार्यशील, अकार्यशील व परिसमापन में है समिति वार जानकारी दी जावे ? (ग) क्या शासन द्वारा उक्त सहकारी समितियों का ऑडिट कराया गया है ? किन-किन समितियों की किस वर्ष तक की आडिट कराई गई,जानकारी दी जावे ? (घ) क्या शासन अकार्यशील सहकारी समितियों का परिसमापन करेगी, यदि हां, तो कब तक समय-सीमा बताई जावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के अलावा 17 सहकारी भण्डार, 15 महिला बहुउददेशीय व 145 अन्य समितिया पंजीकृत है. समितियों के नाम, संचालक मण्डल के अध्यक्ष सचिवों के नाम पते की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) 67 समिति कार्यशील, 18 अकार्यशील व 92 परिसमापन में है. समितिवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ग) जी हां. समितिवार आडिट की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (घ) जी हां. 18 अकार्यशील सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है. अकार्यशील संस्थाओं को परीक्षण उपरांत परिसमापन में लाने एवं पुनर्जीवित किये जाने की कार्रवाई एक वैधानिक प्रक्रिया है, अतः समय-सीमा बताया जाना संभव नही है.

सोन नदी के पुल का निर्माण

59. **(क्र. 605) श्री संजय उइके :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बालाघाट जिले की बैहर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम लफरा में सोन नदी पर पुल का निर्माण किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो पुल की स्वीकृति किस वर्ष, किस योजना में, कितनी राशि की निधि, कब-कब निविदा बुलाई गई ? सफल निविदाकारों का नाम एवं दर, ठेकेदार द्वारा आज दिनांक तक कितनी राशि का कार्य किया गया एवं वर्तमान में कितनी राशि शेष है ? कितना कार्य अपूर्ण है ? (ख) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में विभाग द्वारा विभागीय तौर पर पुल का शेष निर्माण कार्य किया जा रहा है ? यदि हाँ, तो विभाग द्वारा मटेरियल सप्लाई की निविदा कब-कब किस समाचार पत्र में बुलाई गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हाँ । उक्त पुल की प्रशासकीय स्वीकृति राशि रू. 124.00 लाख की बी.आर.जी.एफ. मद से वर्ष 2010-11 में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बालाघाट द्वारा दी गई थी ।कार्य की निविदा दिनांक 07.05.2010 को आमंत्रित की गई । निविदा विजय शक्ति कन्स्ट्रक्शन सिवनी के पक्ष में एस.ओ.आर. से 10.00 प्रतिशत अधिक पर स्वीकृत की गई । ठेकेदार द्वारा राशि रू. 31.87लाख का कार्य किया गया है एवं राशि रू. 92.13 लाख का कार्य किया जाना शेष है । (ख) जी हाँ । प्रतिवेदित किया गया है कि संक्षिप्त निविदाएं सूचना पटल पर निविदा सूचना लगाई जाकर आमंत्रित की गई हैं । निविदा सूचना का प्रकाशन समाचार पत्रों में नहीं किया गया है ।

आजीवन कारावास के कैदियों के लिए रिहाई एवं पेरोल

60. **(क्र. 612) श्री अरूण भीमावद :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आजीवन कारावास वाले कैदियों को

कितने वर्षों तक कारावास में रखा जाता है ? उनकी रिहाई कितनी अवधि में की जाती है ? राज्य की जेलों में कितने कैदी आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं ? कितने की सजा पूर्ण हो जाने के उपरांत भी किन कारणों से उनकी रिहाई नहीं की गई ? (ख) क्या शासन द्वारा पैरोल के नियम बनाये गये हैं ? यदि हाँ, तो इसका पालन प्रदेश की जेलों में समान रूप से किया जा रहा है ? (ग) क्या कैदियों का जेल के अन्दर अच्छे व्यवहार एवं आचरण के संबंध में जेलर द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर पेरोल दिये जाने का प्रावधान है ? इसका कहाँ तक पालन किया जाता है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) आजीवन कारावास की सजा के कैदियों को आजीवन (जीवन पर्यन्त) कारावास में रखा जाता है । उनकी रिहाई की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ में उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा के कैदियों की रिहाई पर रोक लगा देने के परिणामस्वरूप रिहाई नहीं की गई है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-अ अनुसार है । वर्तमान में आजीवन कारावास के 10925 बंदी प्रदेश की जेलों में सजा भुगत रहे हैं । (ख) जी हाँ । पैरोल नियमों का प्रदेश की जेलों में समान रूप से पालन किया जा रहा है । (ग) जी हाँ । नियमानुसार पूर्णत: पालन किया जा रहा है ।

<u>जौरा विधान सभा के ग्राम चिन्नौनी चम्बल एवं सिंगरौली को सड़क सुविधा से जोड़ा जाना</u>

61. **(क्र. 619) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जौरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम चिन्नौनी चम्बल एवं सिंगरौली जिनकी जनसंख्या क्रमश: 3500, 3000 होने के बावजूद भी उक्त दोनों ग्राम प्रधानमंत्री सड़क एवं अन्य सड़क योजना में नहीं जोड़े गये है ? यदि हाँ तो वंचित रहने का क्या कारण रहा ? (ख) ग्राम चिन्नौनी चम्बल, एवं सिंगरौली को सड़क मार्ग सुविधा से जोड़ने हेतु क्या प्राथमिकता से योजना बनाई जावेगी ? यदि हाँ तो उक्त दोनों ग्राम कब तक सड़क सुविधा से जोड़ दिये जावेंगे ? (ग) उक्त दोनों ग्रामों को सड़क सुविधा से वंचित रखने की कोई जानबूझ कर लापरवाही की गई है ? यदि हाँ, तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जौरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिन्नौनी एवं सिंगरौली पूर्व से ही निर्मित डामरीकृत मार्ग बर्रेड से लोहरीपुरा (एबीसी कैनाल) पर स्थित होने से जुडे हुये ग्रामों की श्रेणी में सम्मिलित है जिससे उक्त दोनों ग्रामों को पक्के मार्गों पर स्थित होने से प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के मार्गदर्शी दिशा निर्देशों के अनुसार इस योजना अंतर्गत नहीं जोडा जा सकता । (ख) उत्तरांश 'क' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>विधान सभा क्षेत्र जौरा में प्रधानमंत्री सड़क योजना की क्षतिग्रस्त सड़कों का पुन: निर्माण</u>

62. **(क्र. 620) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधान सभा क्षेत्र जौरा में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कितनी सड़के बनाई गई है ? क्या यह सही है कि अधिकांश सड़के क्षतिग्रस्त होकर जर्जर हालत में होने के बावजूद उनकी मरम्मत नहीं करवाई जा रही है ? क्या उन सड़कों की गारंटी अवधि समाप्त होने जा रही है ? (ख) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़कों में नेपरी से बृजगढ़ी, एमएस रोड से रसोधना, छडेह से कुवरपुर, एमएस रोड से रीझोनी, एमएस रोड से बस्तोली, एम.एस. रोड से पिपरोआ, आदि सड़के पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर जर्जर हालत में है ? क्या इन सड़कों को गारंटी अवधि में पुन: बनवाया जावेगा ? यदि हाँ, तो कब तक ? (ग) विधान सभा क्षेत्र जौरा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत समस्त सड़कों की गारंटी अवधि से प्रश्नकर्ता को अवगत कराया जावेगा ? (घ) प्रधानमंत्री सड़के क्षतिग्रस्त होने के बावजूद उनका पुनर्निर्माण नहीं

कराये जाने एवं गारंटी अवधि जानबूझ कर निकालने के षड़यंत्र एवं अनियमितताओं, लापरवाही करने वाले अधिकारियों एवं ठेकेदार कम्पनियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) विधानसभा क्षेत्र जौरा में प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत 78 सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया है एवं वर्तमान में 17 मार्ग निर्माणाधीन है । जी नहीं, उक्त पूर्ण कराये गये मार्गों में से 35 मार्गों का गारंटी अवधि में संधारण कार्य कराया जा रहा है, 38 मार्गों की गारंटी अवधि पूर्ण होने पर आगामी पांच वर्षों हेतु संधारण कार्य कराया जा रहा है शेष 5 मार्गों की गारंटी अवधि समाप्त होने पर आगामी 5 वर्षों के संधारण हेतु राशि स्वीकृत कराने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । (ख) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना में नेपरी से ब्रजगढी, एम.एस.रोड से रसोधना (एम.एस.रोड से बघेल तथा बघेल से रसोधना) छड़ेह से कुवरपुर, एम.एस.रोड से बस्तोली मार्गों की गारंटी अवधि समाप्ति के पश्चात आगामी पाँच वर्षों की संधारण अवधि में संबधित ठेकेदारो द्वारा संधारण कार्य कराया जा रहा है । नेपरी से बृजगढी मार्ग पर जल संसाधन विभाग की नहर की लाईनिंग के कार्य के दौरान भारी वाहनों के आवागमन से क्षतिग्रस्त हुआ है, छडेह से कुवरपुर मार्ग पर अतिक्रमण के फलस्वरूप वर्षा के पानी का निकास न होने से कुछ स्थानों पर मार्ग क्षतिग्रस्त है जिस पर बीटी नवीनीकरण का कार्य कराया जाना है, एम.एस.रोड से बस्तोली मार्ग के संधारण का कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है इस पर भी बीटी नवीनीकरण कराया जाना है । एम.एस.रोड से बघेल एवं बघेल से रसोधना मार्गों की वर्तमान स्थिति ठीक है । एम.एम.रोड से पिपरउआ मार्ग प्रगतिरत मार्गों की श्रेणी में है एवं क्षतिग्रस्त भाग को पैकेज की पूर्णता के पूर्व ठीक करा लिया जावेगा । एम.एस.रोड से रिझोनी मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अंतर्गत नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होते । (ग) वर्तमान मे गारंटी अवधि में चल रहे मार्गो की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । (घ) वर्तमान में किसी भी मार्ग का रखरखाव नही करने एवं गारंटी अवधि जानबूझकर निकालने का षडयंत्र एवं अनियमितताओं, लापरवाही करने का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है अतः किसी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

परिशिष्ट – "अठारह"

<u>भितरवार वि.स.क्षेत्र में सड़को की मरम्मत</u>

63. **(क्र. 622) श्री लाखन सिंह यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ता. प्रश्न संख्या 4 (क्र. 2078) दिनांक 7 जुलाई 2014 के उत्तर में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा सदन में दिये रोडो के हस्तांतरण संबंधी आश्वासन पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई है ? (ख) मंत्री महोदय द्वारा दिये आश्वासन पर अभी तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है अब कब तक कार्यवाही कर रोड निर्माण कराकर परेशान किसानों, आम नागरिकों को कब तक आवागमन हेतु लोकार्पण कर दिया जावेगा एक निश्चित समय-सीमा स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क)तारांकित प्रश्न संख्या 4 (क्रमांक 2078) दिनांक 07 जुलाई 2014 के उत्तर में दिये गये सड़कों के हस्तांतरण के संबंधी आश्वासन पर म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर लोक निर्माण विभाग की ओर आधिपत्य में लिये जाने बावत लेख किये गये है (ख) प्रश्नांश 'क' के संदर्भ में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है । निश्चित समय सीमा बताना संभव नहीं है ।

<u>आगर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन वितरण</u>

64. **(क्र. 626) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवगठित आगर जिले में जिला गठन के बाद से आज दिनांक तक कितने बी.पी.एल. कूपन बने है एवं पूर्व से कुल कितने बी.पी.एल. कूपन धारी है ? इनमें से कितने

हितग्राहियों की पात्रता पर्ची लंबित है ? (ख) बी.पी.एल. कूपन बनने के कितने समय बाद संबंधित कूपनधारी को खाद्य पात्रता पर्ची उपलब्ध होनी चाहिए ? स्पष्ट करें ? एवं खाद्य पात्रता पर्ची संबंधित हितग्राही को उपलब्ध कराने हेतु जवाबदार एजेन्सी कौन है एवं इस और उनकी भूमिका क्या है ? (ग) ए.पी.एल. कूपन धारियों को केरोसिन वितरण के बारे में शासन कोई कदम उठाने जा रही है ? यदि हां, तो जानकारी देवें ? (घ) क्षेत्रांतर्गत बी.पी.एल. कूपन धारी एवं शासन द्वारा अन्य प्रकार से खाद्य पात्रता पर्ची के लिए अर्ह किए गए हितग्राहियों में से कितने हितग्राहियों के पास वर्तमान तक पात्रता पर्ची नहीं है ? ऐसे लंबित प्रकरणों के लिए जवाबदार शासकीय सेवक कौन है ? क्या शासन जवाबदारों पर कठोर कार्यवाही करेगा ? एवं लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करवायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) नवगठित आगर-मालवा जिले के गठन के पश्चात् 8616 बीपीएल परिवारों को राशनकार्ड जारी किये गये है तथा जिले के गठन के पूर्व 74559 बीपीएल राशनकार्डधारी थे । (ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का क्रियान्वयन के प्रारंभ में पात्र परिवारों को समग्र पोर्टल पर सत्यापन उपरांत प्रतिमाह की 25 तारीख को पात्रता पर्ची निर्मित कर उसके पश्चात् स्थानीय निकाय के माध्यम से वितरित कराए जाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई थी । वर्तमान में खाद्य विभाग के अमले द्वारा समग्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय द्वारा परिवार के सत्यापन उपरांत पात्रता पर्ची 07 दिवस में हितग्राही को वितरण कराने के निर्देश दिये गये है । विभागीय अमले के भूमिका के संबंध में जारी निर्देश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) प्रायोगिक रूप से 06 जिलों में गैर रियायती सफेद केरोसीन उपलब्ध कराने की कार्यवाही की जा रही है । (घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अन्तयोदय अन्न योजना एवं प्राथमिकता परिवार जिसमें बीपीएल सहित 23 श्रेणी के परिवारों को सम्मिलित किया गया है । उन परिवारों में से समग्र पोर्टल पर सत्यापित पात्र परिवारों में से कोई भी परिवार पात्रता पर्ची प्राप्त करने से शेष नहीं है । समग्र पोर्टल पर पात्र परिवारों का सत्यापन उनको पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत प्रक्रिया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>विभाग की विभिन्न योजनाओं अंतर्गत स्वीकृत किए जाने वाले निर्माण कार्यों की स्वीकृति में अनियमितता</u>

65. **(क्र. 627) श्री मुरलीधर पाटीदार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग की विभिन्न योजना अंतर्गत आगर जिले में प्रति जनपद कितने-कितने निर्माण कार्यों का लक्ष्य विभिन्न मदों में शासन द्वारा तय किया गया था ? इनमें से मेरे क्षेत्रांतर्गत जनपदों में कितने-कितने निर्माण कार्य स्वीकृत किए गये ? इनमें से किन-किन कार्यों में क्षेत्रीय विधायक की अनुशंसा की आवश्यकता थी ? (ख) स्वीकृत किए जाने वाले कार्यों की स्वीकृति के लिए क्या मापदंड एवं क्या प्रक्रिया निर्धारित थी ? क्या निर्धारित प्रक्रिया का पालन विधानसभा क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायतों द्वारा किया गया ? (ग) उक्तानुसार प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित निर्धारित मापदण्ड एवं प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो इसके लिए दोषी शासकीय सेवक कौन है ? क्षेत्रांतर्गत जनपद पंचायत सुसनेर में परफॉरमेंस ग्रांट योजना अंतर्गत स्वीकृत किये जाने वाले मांगलिक भवनों के संबंध में प्रश्नकर्ता की अनुशंसा प्राप्त किया जाना या संज्ञान में योजना लाना आवश्यक था ? यदि हां, तो बिना संज्ञान के स्वीकृत किए गए मांगलिक भवनों के संबंध में शासन दोषी शासकीय सेवक पर क्या सख्त कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? (घ) क्या शासन प्रश्नांश (ग) के अलावा नियम विरूद्ध स्वीकृत पाए गए जाए निर्माण कार्यों के प्रकरणों की जाँच कर दोषी शासकीय सेवकों पर सख्त कार्यवाही करेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ"अनुसार । (ख) जी हाँ जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"ब"एवं "स" अनुसार । (ग) कार्यवाही के दौरान श्रीमती माधुरी शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सुसनेर के पद पर अगस्त 2013 से 27.09.2014 तक पदस्थ थी । श्रीमती माधुरी शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के विरुद्ध जिला पंचायत शाजापुर द्वारा दिनांक29.11.2014 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया ।जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार । (घ) जी हाँ ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में स्वीकृत मार्गों पर पुल/पुलियाओं के टेण्डर जारी करना

66. **(क्र. 643) श्री नारायण सिंह पँवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विधानसभा क्षेत्र ब्यावरा में मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत प्रथम एवं द्वितीय चरण में स्वीकृत किन-किन मार्गों में कितने वृहद् पुल व पुलियाओं का कार्य सम्मिलित है ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में सम्मिलित पुल/पुलियाओं में से किन-किन का कार्य पूर्ण तथा किन-किन का कार्य किस कारण से अपूर्ण है ? (ग) उपरोक्तानुसार उक्त दोनों चरणों के निर्मित मार्गों पर पुल/पुलियाओं के निर्माण का सर्वे कार्य कराया गया है ? क्या वंछित पुलियाओं के निर्माण हेतु टेण्डर जारी किये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब तक जारी किये जायेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) जी हां । कार्य स्वीकृत नहीं होने से टेण्डर जारी नहीं किये गये है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "उन्नीस"

नरसिंहपुर जिले में अपराधों की रोकथाम

67. **(क्र. 661) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि नरसिंहपुर जिले में अपराधों को रोकने एवं कर्मचारियों द्वारा भ्रष्टाचार किए जाने विषयक पत्र दिनांक 28.8.2014 एवं 15.9.2014 को प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा पुलिस अधीक्षक नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया था एवं उसकी प्रति डी.जी.पी., आई.जी. एवं डी.आई.जी. को प्रेषित की गई थी ? (ख) यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गई है, बिन्दुवार पूर्ण विवरण दें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जी हाँ । (ख) प्रधान आरक्षक मनोजपुरी गोस्वामी की नियुक्ति दिनांक 15.06.2002 को होशंगाबाद में आरक्षक के पद पर हुई । स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत व्यवस्था के तहत स्थानान्तरण किये गये । पदोन्नति सेवा अभिलेख एवं वरिष्ठता के आधार पर की गई है । मनोजपुरी गोस्वामी पर सट्टा, जुआ, स्मैक, अवैध वसूली, गुण्डागर्दी आदि में संलिप्त होने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया ।

नरसिंहपुर जिले में खाद्य निविदा में अनियमितता

68. **(क्र. 662) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य द्वारा खाद्यान्न परिवहन की निविदा अंतर्गत अधिकारियों द्वारा अनियमितता किए जाने संबंधी पत्र दिनांक 18.10.2014 को कलेक्टर, नरसिंहपुर को प्रेषित किया गया था ? (ख) यदि हां, तो उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई है, बिन्दुवार पूर्ण विवरण दें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) जी हाँ । (ख) उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं पर की गई कार्यवाही का विवरण निम्नानुसार है- 1.दिनांक 14.10.2014 को आयोजित निविदा में 22 निविदाएं प्राप्त हुई थी कुछ निविदाकारों द्वारा अनुबंधित ट्रकों का अनुबंध रू. 500 एवं रू. 1000 के अनुबंध में कराया गया था एवं कुछ परिवहनकर्ताओं द्वारा यह आपत्ति ली गई थी कि अनुबंध रू. 1000 के स्टांप पेपर पर होना चाहिए । अत: जिला परिवहन समिति द्वारा रजिस्ट्रार को समक्ष में बुलाकर निराकरण किया गया था । उनके द्वारा यह अवगत कराया गया था कि 500 के स्टांप पर ही अनुबंध मान्य है । अत: सभी निविदाकारों का रू. 500 स्टांप पर किया गया अनुबंध मान्य किया गया है । 2. निविदा दस्तावेज की अनिवार्य अर्हता संबंधी कंडिका क्रमांक 4.12 के तहत निविदाकार फर्म/कम्पनी

को परिवहन कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव जिससे एक वर्ष के किये गये परिवहन कार्य का कुल परिवहन भाड़ा न्यूनतम रू. 12 लाख प्राप्त हुआ हो अनिवार्य है । रामेश्वरम ट्रांसपोर्ट कम्पनी द्वारा एक वर्ष की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था । अत: इसे अमान्य घोषित किया गया था ।

मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत निर्माण कार्य

69. **(क्र. 668) डॉ. मोहन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2012-13 एवं 13-14 में उज्जैन दक्षिण विधान सभा क्षेत्र में कितने मार्ग मुख्यमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत लिये गये ? उनके नाम ग्राम सहित बतायें ? (ख) उपरोक्त वर्षों में कितनी-कितनी धनराशि व्यय कर कितने मार्गों का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ एवं कितने मार्गों का निर्माण अपूर्ण है ? मार्ग, ग्राम, धनराशि सहित बतायें ? (ग) यदि उपरोक्त योजनान्तर्गत कोई मार्ग अपूर्ण है तो क्यों ? कारण सहित बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनांतर्गत कोई सड़क कार्य स्वीकृत नहीं है । (ख) योजनांतर्गत वर्ष 2012-13 के पूर्व वर्षो में स्वीकृत मार्गो के निर्माण कार्यो की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट – "बीस"

सिंहस्थ 2016 अन्तर्गत विभागीय आवंटन

70. **(क्र. 669) डॉ. मोहन यादव :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिंहस्थ 2016 हेतु गृह विभाग के अन्तर्गत किस-किस मद में कितना-कितना आवंटन किया गया है एवं उससे कौन-कौन से कार्य सम्पन्न किए जाना है ? कार्यों की अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराएं ? (ख) सिंहस्थ 2016 के पूर्व उज्जैन शहर में किन-किन जगहों पर ट्रेफिक सिग्नल लगाए जाना प्रस्तावित है ? इस हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है ? कार्य की अद्यतन स्थिति से भी अवगत कराएं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) सिंहस्थ 2016 हेतु गृह विभाग के अंतर्गत किसी मद में कोई आवंटन नहीं किया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (ख) सिंहस्थ 2016 के पूर्व उज्जैन शहर में जिन-जिन स्थलों पर ट्रेफिक सिंग्नल लगाया जाना प्रस्तावित है, उनकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । इस हेतु कोई धनराशि गृह विभाग को आवंटित नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "इक्कीस"

बैरसिया जनपद पंचायत मुख्यालय पर हॉट बाजार का निर्माण किया जाना

71. **(क्र. 673) श्री विष्णु खत्री :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया मुख्यालय पर जिला पंचायत भोपाल द्वारा हॉट बाजार निर्माण हेतु कितनी भूमि SDM बैरसिया से आवंटित करवाई है ? उसका खसरा नम्बर एवं रकबा कितना है एवं किस दिनांक से यह भूमि पंचायत विभाग को आवंटित की गई है ? क्या यह भूमि राजस्व अभिलेख खसरा रजिस्टर में दर्ज कर दी गई है ? भूमि आवंटन के आदेश की प्रति उपलब्ध करावे (ख) भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बैरसिया में हॉट बाजार बड़े स्तर पर निर्माण हेतु कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है या किया जा रहा है एवं जिला पंचायत भोपाल/ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कितनी राशि का प्राक्कलन तैयार कर राशि की मांग भारत सरकार/राज्य शासन (विकास आयुक्त) से की है बताये तथा पूर्णत: महत्वपूर्ण पत्राचार की प्रतियाँ उपलब्ध करावे/स्पष्ट करें ? (ग) बैरसिया में इस हॉट बाजार के बनने से कितने स्व सहायता

समूहो/व्यक्तियों को लाभ होगा पूर्णत: स्पष्ट करें वर्तमान में कितने स्व सहायता समूह मध्यान्ह भोजन योजना का संचालन कर रहे है ? प्राथमिक एवं माध्यमिक शालावार पूर्णत: स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) बैरसिया मुख्यालय पर जिला पंचायत भोपाल द्वारा हाट बाजार निर्माण हेतु 1.08 एकड़ भूमि आवंटित कराई गई है । भूमि का खसरा 138/5 रकबा 1.08 एकड है । दिनांक 22/03/2010 को यह भूमि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को आवंटित की गई है । आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-01 में संलग्न है । (ख) हाट बाजार निर्माण हेतु भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राशि रू. 1.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसके अंतर्गत बैरसिया में हाट बाजार निर्माण हेतु राशि रू 1.50 करोड़ की डी.पी.आर. भारत शासन को भेजी गई थी । परन्तु यह योजना समाप्त हो चुकी है । अतः हाट बाजार, योजना में बनाना संभव नही है । महत्वपूर्ण पत्राचार की प्रतिया पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-02 में संलग्न है । (ग) बैरसिया में हाट बाजार बनने से 1100 स्वसहायता समूह लाभांवित होंगे । वर्तमान में 399 स्वसहायता समूह मध्यान्ह भोजन का संचालन कर रहे है । तथा अन्य समूह रोजगार एंव स्वरोजगार में संलग्न है ।

हत्या का मुकदमा न लिखे जाने के सम्बंध में शिकायतों की जाँच

72. **(क्र. 687) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिलान्तर्गत लवकुशनगर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का मुकदमा न लिखे जाने के सम्बंध में 01.01.2014 से प्रश्न दिनॉक तक कितनी शिकायतें आवेदकों द्वारा की गई ? (ख) विभाग को प्राप्त आवेदन पत्रों में संलग्न गांव के लोगों के सामूहिक रूप से हस्ताक्षर तथा पंचनामा है ? (ग) वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की गई यदि हाँ तो कौन-कौन दोषी पाये गये स्पष्ट करें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) 02 शिकायतें । (ख) जी नहीं । (ग) जी हाँ । आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये । कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं पाये गये ।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में अनियमितताएं ।

73. **(क्र. 688) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क का निरीक्षण विभाग के उपयंत्री एवं कंसल्टेंट के फील्ड इंजीनियर द्वारा नियमित रूप से किया जाता है ? (ख) यदि हाँ तो छतरपुर जिले में किन-किन अवधियों में वर्ष 2011-12 से 01/10/14 तक किया गया विवरण दें ? (ग) क्या श्रमिकों को कार्य पर आने हेतु जागरूक किया गया, तथा ठेकेदोरों को अनुबंध अनुसार नोटिस दिये गये यदि हाँ तो क्या ? प्रश्न दिनॉक तक कितना-कितना भुगतान किया गया ? अपूर्ण कार्य किन कारणों से है ? (घ) जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध शासन ने क्या कार्यवाही की ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी हां । मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में कार्यो का निरीक्षण विभागीय इंजीनियरों द्वारा किया जाता है, कुछ प्रकरणों में निरीक्षण कंसल्टेंट के फील्ड इंजीनियरों द्वारा भी किया जाता है । (ख) निर्माण कार्यो के क्रियान्वयन का दायित्व, विभाग के उपयंत्री एवं कंसल्टेंट के फील्ड इंजीनियर का होने से उनके द्वारा नियमित रूप से कार्यो का निरीक्षण किया जाता है । निरीक्षण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) जी हां । ठेकेदारों को दिये गये नोटिस, भुगतान की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । प्रथम चरण के कार्यो में मिट्टी का कार्य मनरेगा के जॉबकार्डधारी श्रमिकों के माध्यम से कराया जाना स्वीकृत था, जॉबकार्डधारी श्रमिकों की श्रममांग न होने एवं मनरेगा श्रममांग आधारित योजना से कार्य पूर्ण करने में विलंब हुआ । (घ) उत्तरांश (ग) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>जनपद पंचायत डबरा कि ग्राम पंचायतों में योजना प्रारम्भ से 30.06.2014 तक स्वीकृत,बी.पी.एल.एवं ए.पी.एल. शौचालय</u>

74. **(क्र. 691) श्रीमती इमरती देवी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्वालियर जिला की जनपद पंचायत डबरा की ग्राम पंचायतों में योजना प्रारम्भ से 30.06.2014 तक वर्षवार बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. कितने-कितने हितग्राहियों के शौचालय स्वीकृत किये गये वर्षवार एवं ग्राम पंचायतवार हितग्राहियों की संख्या बतावें ?(ख) प्रश्नांश (क) अनुसार उक्त अवधि में जनपद पंचायत डबरा की ग्राम पंचायतों में वर्षवार बी.पी.एल. एवं ए.पी.एल. के स्वीकृत शौचालयों कि हितग्राहीवार सूची पूर्ण/अपूर्ण सहित उपलब्ध करावें तथा अपूर्ण शौचालयों का निर्माण कब तक पूर्ण किया जावेगा समयावधि बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है ।(ख) हितग्राहीवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है । वर्ष 2007 से 2011 तक 884 अपूर्ण शौचालयों को पूर्ण करने हेतु सरपंच/सचिव के विरूद्ध धारा 40 एवं धारा 92 की कार्यवाही प्रचलित हैं । शेष 518 शौचालयों का निर्माण कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर दिया जावेगा ।

<u>करैरा विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत गैस एजेन्सियॉं</u>

75. **(क्र. 711) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) करैरा विधानसभा क्षेत्र में कौन-कौन सी कुल कितनी गैस ऐजेंसियां स्वीकृत होकर कहां-कहां संचालित हो रही हैं ? किन-किन व्यक्तियों के नाम से स्वीकृत हैं ? गैस ऐजेंसियों से कुल कितने-कितने कनेक्शन दिये गये हैं ? की जानकारी देवें ? (ख) प्रत्येक गैस ऐजेंसी पर कुल कितनी टंकियों के वितरण की अनुमति प्रदान की गई है ? प्रत्येक ऐजेंसी के लिये स्वीकृत टंकियों की संख्या बतावें ? (ग) गैस ऐजेंसी कितने किलोमीटर तक कनेक्शन प्रदान कर सकती है ? क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के ग्राम दिनारा में गैस ऐजेंसी नहीं है ? यदि हां, तो यहां के निवासी कहां से गैस कनेक्शन ले रहे हैं ? (घ) करैरा विधानसभा क्षेत्र में गैस ऐजेंसियों पर वर्ष 2010 से अक्टूबर 2014 तक कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं ? क्या सभी को कनेक्शन दिये जा चुके हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? व कब तक कनेक्शन दिये जावेंगे ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) करैरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल दो गैस एजेन्सी - करैरा में 'सागरगैस एजेन्सी' एवं नरवर में 'आयुष इण्डेन' नाम से संचालित है । ये दोनों गैस एजेन्सी क्रमश: श्रीमती नीति मांझी एवं नेन्द्र जैन के नाम से स्वीकृत हैं । इन दोनों गैस एजेन्सी से क्रमश: 7,264 एवं 6,693 गैस कनेक्शनधारी संबद्ध हैं । (ख) ऑयल कम्पनी द्वारा उपभोक्ताओं की मांग अनुसार रिफिल सिलेण्डर प्रदाय किए जाते है इस हेतु कोई सीमा नहीं है । (ग) गैस ऐजेंसी 15 किलोमीटर की परिधि के अंतर्गत कनेक्शन प्रदान कर सकती है । जी, हां । यहां के निवासी नजदीकी गैस एजेन्सी करैरा से गैस कनेक्शन प्राप्त कर रहे हैं । (घ) प्रश्नांकित विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रश्नांकित समयावधि में कुल 7,295 आवेदन गैस कनेक्शन प्रदान करने हेतु प्राप्त हुए थे । जी, हां । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>करैरा विकासखण्ड में निर्मल भारत/मर्यादा अभियान के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों की स्थिति</u>

76. **(क्र. 712) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के करैरा विकास खण्ड को वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में निर्मल भारत/मर्यादा अभियान के तहत कितनी-कितनी राशि कब-कब उपलब्ध कराई गई ? तथा उक्त राशि किस बैंक खाते में जमा कराई गई ? (ख) उक्त प्राप्त राशि में से कितनी-कितनी राशि कब-कब, किन-किन के कौन-कौन से बैंक खातों में जमा कराई गई है ? (ग) करैरा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत सिरसौद में निर्मल भारत/मर्यादा

अभियान के अन्तर्गत किन-किन को शौचालय निर्माण हेतु वर्ष 2012-13, 2013-14 में कितनी-कितनी राशि कब-कब भुगतान की गई ? एवं इनमें से किन-किन के शौचायल पूर्ण हो चुके हैं ? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित किन-किन हितग्राहियों के शौचालय निर्माण पूर्ण हो चुके हैं ? इनके पूर्णत: प्रमाण पत्र संलग्न कर हितग्राही के नाम, पिता का नाम सहित जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ख' अनुसार है । (ग) निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण सामग्री क्रय हेतु भुगतान की जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र 'ग' अनुसार है । शौचालय निर्माणाधीन हैं । (घ) प्रश्नांश 'ग' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "बाईस"

<u>चैक पोस्ट (बैरियर) ए.बी. रोड मुरैना से संबंधित शिकायत</u>

77. **(क्र. 716) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिसम्बर 2010 से अक्टूबर 2014 तक चैक पोस्ट बैरियर ए.बी. रोड मुरैना को लेकर चैक पोस्ट पर पदस्थ अधिकारी कर्मचारियों से संबंधित कितने वाहन (ट्रक, बस जीप) के स्वामी एवं चालक, परिचालकों द्वारा उनके साथ की गई मारपीट, गाली-गलौच, अव्यवहार आदि घटित घटनाओं से सम्बन्धित कितनी शिकायतें मुरैना पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों से की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में की गई शिकायतों की जांच किन-किन अधिकारियों द्वारा की गई ? जांच को लेकर जांचकर्ता द्वारा शिकायत से संबंधित क्या प्रतिवेदन प्रस्तुत किए व प्रतिवेदन प्रस्तुत उपरांत उच्च अधिकारियों ने इस पर क्या निर्णय लिया ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) 1- रमेश दत्त शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा, 2- रामलखन शर्मा, 3- देवेश शर्मा, 4- मुकेश सिंह, 5- राजेश शर्मा, 6- बलिस्टर सिंह गुर्जर, 7- हर्ष पचैरी द्वारा शिकायतें की गई हैं । (ख) रमेश दत्त शर्मा पुत्र रामनाथ शर्मा द्वारा की गई शिकायत की जांच थाना प्रभारी सिविल लाईन मुरैना एवं सी.एस.पी. मुरैना से कराई गई । जांच में शिकायत असत्य पाये जाने से नस्तीबद्ध की गई । उत्तरांश 'क' में क्रमांक 2 से 7 तक के शिकायतकर्ताओं की शिकायत कार्यालय उमनि मुरैना से कराई जा रही है । जांच प्रक्रियाधीन है ।

<u>चोपना क्षेत्र में चिटफंड वसूली</u>

78. **(क्र. 734) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) चोपना क्षेत्र, घोड़ाडोंगरी (बैतूल) में चिटफंड, वसूली कब हुई थी ? क्या प्रकरण दर्ज हैं ?(ख) यदि प्रकरण दर्ज है, तो आरोपी का नाम बताइये ? (ग) कितने ग्रामीणों से राशि ली गई थी ? (घ) आरोपी को किस-किस का संरक्षण प्राप्त था ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) चोपना क्षेत्र में चिटफंड वसूली वर्ष 2013 में हुई थी । उक्त वसूली के संबंध में थाना चोपना में अपराध क्र0 108/14, धारा 420, 406 भा.द.वि. का प्रकरण दर्ज है । घोड़ाडोंगरी (बैतूल) में चिटफंड वसूली के संबंध में कोई प्रकरण पंजीबद्ध नहीं है । (ख) आरोपी का नाम विजय गुप्ता पिता अमलदास निवासी आजाद नगर पाथाखेड़ा है । (ग) 02 ग्रामीणों से राशि ली गई थी । (घ) आरोपी को किसी का संरक्षण प्राप्त नहीं था ।

अमानवीय हत्या में पुलिस द्वारा जांच नहीं कराये जाने बाबत्

79. **(क्र. 738) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बालाघाट जिले में थाना बहेला एवं लांजी में घटित मदन उइके हत्याकाण्ड एवं जगदीश बावनथड़े हत्याकाण्ड में पुलिस द्वारा कितनी प्रथम सूचना दर्ज की गई एवं कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ? जगदीश बावनथड़े निवासी ग्राम ठेमा की सिंगोला वन विभाग नाके के पास मौत किन कारणों से हुई ? तत्कालीन थाना प्रभारी लांजी लोकेश मार्को तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी लांजी श्री वर्धमान के विरूद्ध जगदीश बावनथड़े की मौत में गैरजिम्मेदारी के लिये गृह मंत्रालय एवं पुलिस महानिदेशक भोपाल द्वारा क्या-क्या कार्यवाही प्रस्तावित की गई ? (ख) थाना बहेला के अंतर्गत दि. 08.10.2014 को ग्राम बीरनपुर में घटित मदन उइके आदिवासी की हत्या में पुलिस द्वारा कितनी प्रथम सूचना दर्ज की गई ? कितने जप्ती मेमोरेण्डम बनाये गये ? लाश के कितने टुकड़े जप्त किये गये ? कितने सरकारी गवाह बनाये गये, तथा कितने आरोपियों को गिरफ्तार किया गया ? आरोपी सारोती और उसके भाई को पुलिस ने किस आधार पर शासकीय गवाह बनाया, तथा प्रत्यक्षदर्शी महिला सुकरी बाई के बयान के आधार पर पुन: सारोती को आरोपी किस आधार पर बनाया गया ? इस गंभीर अनियमितता के लिये विवेचना अधिकारी को निलंबित क्यों नहीं किया गया ? (ग) मदन उइके हत्याकाण्ड में आरोपी पप्पू की गिरफ्तारी के बाद जप्ती मेमोरेण्डम बनाकर विवेचना बंद की गई, तथा सुकरी बाई के बयान के आधार पर पुन: एफ.आई.आर. कर विवेचना प्रारंभ कर नये सिरे से जप्ती मेमोरेण्डम किस आधार पर बनाये गये ? इस पूरे मामले में विवेचना में चूक करने वाले विवेचना अधिकारी के खिलाफ पुलिस महानिदेशक एवं गृह मंत्रालय ने अब तक क्या कार्यवाही की तथा विवेचना के आधार पर प्रेम कालबेले जो कि घटना में सहयोग देने तथा मदन उइके की हत्या करवाने में मुख्य आरोपी है ? इस मामले में धारा 212 के तहत योगेश रामटेक्कर को आरोपी तथा प्रेम कालबेले निवासी सावरी को धारा 120 (बी) के तहत आरोपी क्यों नहीं बनाया गया ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) दो एफ.आई.आर. दर्ज की गई । 09 आरोपी गिरफ्तार किये गये । सड़क दुर्घटना में मौत हुई । पुलिस कर्मियों द्वारा गैर जिम्मेदारी पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई । (ख) एक एफ.आई.आर. दर्ज की गई । 10 मेमोरेण्डम बनाये गये । जले हुए शव के 28 टुकड़े जब्त किये गये । 33 साक्षी बनाये गये । समस्त 09 आरोपी गिरफ्तार किये गये । किसी को भी सरकारी गवाह नहीं बनाया गया । विवेचना के अंतर्गत साक्ष्य के आधार पर आरोपी बनाया गया । प्रकरण की विवेचना जारी है । विवेचना में कोई अनियमितता नहीं पाई गयी । (ग) विवेचना बंद नहीं की गई है । विवेचना जारी है । पुनः एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई है । नये सिरे से मेमोरेण्डम जारी नहीं किये गये हैं । विवेचना में कोई चूक नहीं पायी गयी है । विधिसम्मत कार्यवाही प्रचलन में है ।

जनपद पंचायत (मूल विभाग) के कर्मचारियों की पदोन्नति

80. **(क्र. 739) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की जनपद पंचायत (मूल विभाग) में कर्मचारियों के कितने-कितने पद किस-किस संवर्ग के स्वीकृत है, तथा स्वीकृत पद के विरूद्ध जनपद पंचायतों में किस-किस संवर्ग के कितने पद भरे है व कितने पद कब से रिक्त है ? (ख) क्या पदोन्नति से भरे जाने वाले रिक्त पदो की पूर्ति हेतु आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/पंचा./5/63/2/2007/2358 भोपाल दिनांक 13.08.2007 एवं स्मरण पत्र क्रमांक/पंचा./स्था./2014/जि.ज./301/6540 भोपाल दिनांक 16.06.2014 से जिला एवं जनपद पंचायत कर्मचारियो के पदोन्नति करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे ? यदि हां, तो पदोन्नति संबंधी क्या कार्यवाही की गई है यदि नहीं तो क्यो ? कब तक की जावेगी ? (ग) प्रश्नांश (ख) अनुसार सतना जिला अन्तर्गत जनपद पंचायत रामनगर, अमरपाटन एवं मैहर में पदस्थ कर्मचारी जो पंचायत राज संचालनालय के उपरोक्त पत्र जारी दिनांक के पूर्व से पदोन्नति की पात्रता रखते थे व पद रिक्त थे, किन्तु 20 वर्ष सफल सेवा पूर्ण करने के पश्चात पदोन्नति से वंचित रखा गया है उसके लिये कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी है ? क्या दोषियो के विरूद्ध

कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं तो पात्रता दिनांक से पात्र कर्मचारियों को क्या पदोन्नति का लाभ दिया जावेगा, यदि हॉ, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार । (ख) जी हाँ । पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार । (ग) जनपद पंचायत रामनगर अंतर्गत पदोन्नति हेतु पुनः पदोन्नति समिति के समक्ष संबंधित कर्मचारियों द्वारा 05 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए पदोन्नति की कार्यवाही नहीं की जा सकी । इसी प्रकार जनपद पंचायत अमरपाटन अंतर्गत संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा 05 वर्ष का गोपनीय प्रतिवेदन (सी.आर) प्रस्तुत नहीं किया गया है । जनपद पंचायत मैहर में रिक्त 01 पद पर उच्च वर्ग लिपिक के गोपनीय प्रतिवेदन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत न करने तथा निम्नवर्ग लिपिक वर्ग के रिक्त 01 पद पर पदोन्नति हेतु पदस्थ भृत्यों की आर्हक शैक्षणिक योग्यता कक्षा 08 उत्तीण न होने से पद पूर्ति नहीं की जा सकी है । अतः कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है । पात्र कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन प्राप्त होते ही पदोन्नति समिति की बैठक बुलाकर पदोन्नति की कार्यवाही होनी है ।

कोआपरेटिव बैंक के नवीन जिला मुख्यालय की स्थापना

81. **(क्र. 757) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर को मुरैना से पृथक कर श्योपुर में ही जिला कॉआपरेटिव बैंक का जिला मुख्यालय स्थापित करने की मांग की जा रही है ? (ख) क्या यह भी सच है कि कॉआपरेटिव बैंक श्योपुर का सालाना टर्नऑवर 100 करोड़ से अधिक है ? (ग) क्या यह भी सच है कि श्योपुर में वर्तमान में कॉपरेटिव बैंक का स्वयं का भवन/स्टॉफ एवं अन्य सभी सुचारू व्यवस्थायें पूर्व से ही विद्यमान है ? (घ) यदि हाँ, तो क्या शासन श्योपुर को जिला कॉआपरेटिव बैंक मुरैना से पृथक कर श्योपुर में जिला कॉपरेटिव बैंक का नवीन जिला मुख्यालय स्थापित करवाने हेतु नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर प्रस्ताव तैयार करवाकर शासन को प्रेषित करने हेतु जिला केन्द्रीय बैंक मुरैना को निर्देश जारी करेगा ? तत्पश्चात उसे अनुशंसा सहित स्वीकृति हेतु रिजर्व बैंक को प्रेषित करेगा यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) श्योपुर को मुरैना से पृथक कर श्योपुर में ही जिला कॉआपरेटिव बैंक का जिला मुख्यालय स्थापित करने की मांग माननीय विधायक श्री दुर्गालाल विजय के द्वारा की जा रही है. (ख) जी हां. (ग) जी हां. (घ) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना का द्विविभाजन कर श्योपुर जिले में पृथक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मुरैना से निर्धारित प्रपत्रों पर जानकारी एवं प्रस्ताव चाहा गया है. जानकारी एवं प्रस्ताव प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी.

गुना जिला गुना के पास गुना-शिवपुरी लिंक रोड पर सड़क दुर्घटना

82. **(क्र. 789) श्री हर्ष यादव :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गुना शिवपुरी लिंक रोड पर 22 अक्टूबर 2014 को सड़क दुर्घटना में मृत लोगों के आभूषण एवं पैसा निकालने वाले पुलिस कर्मियों के विरूद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ? (ख) शवों से लूट करने वाले पुलिस कर्मियों पर एफ.आई.आर. दर्ज क्यों नहीं की गई ? (ग) अमानवीय कृत्य करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ क्या और कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) मृतक लोगों के आभूषण एंव पैसा निकालने के संबंधी आरोपों की जांच अपराध अनुसंधान विभाग

द्वारा कराई गई । जिन आभूषणों के निकालने का आरोप था वे सभी श्रीमती सीमा मित्रा के नन्दोई श्री देवनाथ पाण्डे के पास मिल गये । पुलिस कर्मियों पर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये । (ख) एवं (ग) प्रश्नांश 'क' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वाहन पंजीयन कर जमा करने की व्यवस्था

83. **(क्र. 798) श्री रामेश्वर शर्मा :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में वाहनों के पंजीयन एवं कर जमा करने की व्यवस्था क्या डीलरों के माध्यम से की गई है, यदि हां,तो डीलरों को वाहन-क्रेताओं से कर-शुल्क की राशि से अधिक राशि वसूल करने से रोकने की या निगरानी की कोई व्यवस्था की गई है ? (ख) यदि ऐसी कोई व्यवस्था अभी तक नहीं है, तो क्या इस संबंध में वाहन क्रेताओं का शोषण रोकने हेतु कोई व्यवस्था विकसित की जाएगी और कब तक की जाएगी ? (ग) पंजीयन कर जमा करने की व्यवस्था में वाहन डीलरों का एकाधिकार हो जाने से, वाहन क्रेता के पास अब डीलर की सेवा से संतुष्ट नहीं होने पर वाहन पंजीयन-कर जमा करने के क्या विकल्प बचे हैं ? (घ) वाहन डीलर, एक्स-शोरूम कीमत के आलावा विभिन्न चार्जेस के नाम पर वाहन क्रेताओं से अधिक राशि वसूलते हैं, क्या यह नियमानुसार है, यदि नहीं है तो इसे रोकने हेतु क्या उपाय किए जाएंगे ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) मोटरयान अधिनियम एवं इसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत डीलर द्वारा विक्रीत गैर व्यावसायिक वाहन पर देय पंजीयन शुल्क एवं वाहन कर की राशि डीलरों के माध्यम से ऑनलाईन जमा कराने की व्यवस्था प्रचलित है । डीलर के द्वारा विक्रीत वाहनों का पंजीयन परिवहन कार्यालय में ही किया जाता है । परिवहन मुख्यालय के ज्ञाप दिनॉक 12.01.2012 एवं दिनांक 01.11.2012 के अनुसार डीलर पाईन्ट व्हीकल इनरोलमेंट सिस्टम के माध्यम से कप्यूटर पर डीलर पॉईन्ट से विक्रय होने वाली वाहनों के बायोडाटा फार्म 21 एवं उनसे संबंधित टैक्स के ऑनलाईन पेमेंट वाहन विक्रेता द्वारा किया जा रहा है । इसके उपरांत पंजीयन संबंधी कार्य परिवहन कार्यालयों में ही किया जाता है । कर शुल्क की राशि से अधिक राशि वसूलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है । (ख) कर शुल्क की राशि से अधिक राशि वसूलने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है । (ग) वाहन स्वामी/क्रेता पंजीयन शुल्क एवं कर डीलर के अतिरिक्त ऑनलाईन के माध्यम से कही से भी जमा कर सकता है । (घ) जी नहीं । ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई हैं शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बैतूल द्वारा निविदा में अनियमितता

84. **(क्र. 800) श्री रामेश्वर शर्मा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बैतूल द्वारा फलोद्यान विभाग से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में सन् 2011 में हाट बाजार निर्माण की कितनी निविदाएं आमंत्रित की गई थी और इन निविदत्त कार्यो का अब तक कितना भुगतान, किस-किस मद से किया गया है ? (ख) क्या बिना राशि प्राप्त हुए निविदाए जारी किया जाना अनियमितता की श्रेणी में आता है ? (ग) प्रश्नांश (ख) का उत्तर यदि हां, है तो कौन-कौन से अधिकारी इसके लिए उत्तरदायी हैं और विभाग द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग बैतूल द्वारा फलोद्यान विभाग से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में सन् 2011 में हाट बाजार निर्माण की 12 निविदाएं आमंत्रित की गई, इनमें से 07 प्रारंभ कार्यों पर कुल राशि रू. 77,45,718/- का भुगतान किया गया । (ख) राशि उपलब्ध होने पर ग्रामीण यांत्रिकी सेवा अंतर्गत संपन्न कराये जाने वाले डिपाजिट कार्यों हेतु संबंधित विभाग को प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत राशि उपलब्ध कराया जाना चाहिये । संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है किन्तु राशि प्रदान नहीं की गई है । निविदायें जारी करने के पूर्व राशि प्राप्त की जाना आवश्यक है, यह

एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है, अनियमितता की श्रेणी में नहीं आता । (ग) संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी से राशि प्राप्त करने के लिये जिले में हर स्तर से निरंतर प्रयास किये गये एवं यह प्रक्रिया चल रही है । प्रकरण अनियमितता की श्रेणी मे न होने से कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

वर्ष 2013-14 में राघौगढ़ एवं आरोन विकास खण्ड में इंदिरा आवास एवं कुटीर,सामुदायकि शौचालय की स्वीकृति एवं निर्माण ।

85. **(क्र. 801) श्री जयवर्द्धन सिंह** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2013-2014 में राघौगढ़ एवं आरोन विकास खण्ड में कितने इंदिरा आवास एवं कुटीर स्वीकृत किऐ गये हैं ? एवं वर्तमान में मौके पर कितने बनाऐं गये हैं ? प्रत्येक पंचायत के आधार पर बतावें ? (ख) वर्ष 2013-2014 में राघौगढ़ एवं आरोन विकास खण्ड में कितने शौचालय स्वीकृत किऐ गये हैं ? एवं वर्तमान में मौके पर कितने बनाऐं गये हैं ? प्रत्येक पंचायत के अनुसार बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) वर्ष 2013-14 मे विकास खण्ड राघौगढ 338 इंदिरा आवास एवं कुटीर स्वीकृत किये गये है । जिसमे 71 इंदिरा आवास एवं कुटीर मौके पर बनाये गये, शेष 267 प्रगतिरत है । इसी प्रकार विकासखण्ड आरोन मे वर्ष 13-14 मे 199 इंदिरा आवास एवं कुटीर स्वीकृत किये गये है, वर्तमान में मौके पर 101 इंदिरा आवास एवं कुटीर बनायेे गये है । शेष 98 इंदिरा आवास एवं कुटीर प्रगतिरत है । पंचायतवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है । (ख) वर्ष 2013-14 मे राघौगढ विकास खण्ड 2653 शौचालय स्वीकृत किये जाकर मौके पर 1907 पूर्ण किये गये शेष 746 प्रगतिरत है । इसी प्रकार विकासखण्ड आरोन मे वर्ष 2013-14 मे 1415 शौचालय स्वीकृत किए जाकर मौके पर 1078 पूर्ण किए गए, शेष 337 प्रगतिरत है । पंचायतवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है ।

राघौगढ़-आरोन विकास खण्ड में लोक सेवा केन्द्र द्वारा चलाई जा रही सेवाओं की स्थिति

86. **(क्र. 802) श्री जयवर्द्धन सिंह :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या राघौगढ़, आरोन विकास खण्ड में लोक सेवा केन्द्र द्वारा चलाई जा रही सभी सेवाऐं वर्तमान में चालू हैं ? यदि हां, तो वर्तमान में अभी तक कितन जाति प्रमाण पत्र बनाऐं जा चुके हैं ? एवं कितने लंबित है ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): जी, हॉ । राघौगढ़ केन्द्र पर सामान्य तौर पर 2793 जाति प्रमाण पत्र बनाये गये तथा 3187 लंबित है, विषेष अभियान के तहत 1633 जाति प्रमाण पत्र बनाये गये है तथा 2897 लंबित है । इसी प्रकार आरोन विकास खण्ड में सामान्य तौर पर 63 जाति प्रमाण पत्र बनाये गये तथा 6698 लंबित है, विषेष अभियान के तहत 27 जाति प्रमाण पत्र बनाये गये है तथा 6606 लंबित है ।

पाटन विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत निराश्रित, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन का वितरण

87. **(क्र. 804) श्री नीलेश अवस्थी** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले की पाटन एवं मझौली विकास खण्डों के कितने हितग्राहियों को निराश्रित, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन वर्तमान समय में कितनी-कितनी प्रदान की जा रही है ? विकास खण्ड वार सूची देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हितग्राहियों को वित्त वर्ष 2014-15 में प्रश्न दिनांक तक कब-कब कितने माह का भुगतान किया गया बतलावें ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित हितग्राहियों की कब से कितनी पेंशन का

भुगतान शेष है ? उक्त पेंशन के भुगतान में विलंब के क्या कारण है, तथा शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ? (घ) क्या शासन समाज के सबसे निचले तबके के इन गरीब हितग्राहियों को प्रति माह निश्चित समय में पेंशन भुगतान की कोई योजना बनावेगा ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों नहीं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' एवं ''अ''1 अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र ''स'' अनुसार है । दिसम्बर 2014 तक । (घ) राज्य शासन द्वारा 13/11/2014 के आदेश से आहरण वितरण के अधिकार जनपद पंचायत को भी दे दिये है अत: इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता ।

वित्त वर्ष 2012-13 में प्रदेश में की गई धान खरीदी

88. **(क्र. 805) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्त वर्ष 2012-13 में शासन द्वारा प्रदेश में किस-किस ग्रेड की धान किस-किस दर से कुल कितनी धान की खरीद की गई बतलावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में खरीदी गई धान का कुल कितना भुगतान कृषकों को किस दर से किया गया बतलावें ? एवं यह भी बतलावें कि उक्त खरीदी गई धान के भंडारण हेतु परिवहन में कुल कितना भुगतान तथा कितना भुगतान धान खरीदी हेतु इस्तेमाल किये गये, बारदाने की खरीद या बनाने में किया गया और कितना भुगतान खरीदी गई धान के भंडारन हेतु किया गया ? संपूर्ण ब्यौरेवार सूची देवें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित कार्यों हेतु हुये खर्चे (भुगतान) का महायोग खरीदी हेतु किये गये अन्य खर्चों सहित बतलावें ? (घ) वित्त वर्ष 2012-13 में खरीदी गई धान का विक्रय किस-किस दिनांक को किस दर पर किया गया बतलावें, सूची देवें एवं यह भी बतलावें कि वित्त वर्ष 2012-13 में खरीदी गई कुल धान में से कितनी मात्रा की धान प्रश्न दिनांक तक बेची गई अथवा अन्य किसी कार्य हेतु इस्तेमाल की गई ? इस धान की बिक्री से कुल कितना पैसा शासन को प्राप्त हुआ ? विक्रय से शेष धान कहां पर किस स्थिति में है ? शेषधान की मात्रा सहित जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में कॉमन धान 13,40,080 मे.टन, रू. 1,350 एवं ग्रेड ए धान 65 मे.टन, रू. 1,380 प्रति क्विंटल की दर से समर्थन मूल्य एवं बोनस पर उपार्जित की गई । (ख) उपार्जित कॉमन धान पर रू. 1,350 प्रति क्विंटल एवं ग्रेड ए धान पर रू. 1,380 प्रति क्विंटल की दर से कुल राशि रू. 1,809 करोड़ का भुगतान किसानों को किया गया । उपार्जित धान के भंडारण हेतु परिवहन पर रू. 44.64 करोड़, बारदाना खरीदी पर रू. 118.93 करोड़ एवं भंडारण पर रू. 54.48 करोड़ का भुगतान किया गया है । (ग) प्रश्नांश (ख) के उत्तर में उल्लेखित मदों में कुल रू. 2027.05 करोड़ का भुगतान किया गया है । (घ) खरीफ विपणन वर्ष 2012-13 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान में से 2.65 लाख मे.टन धान का विक्रय किया गया है एवं 2.96 लाख मे.टन धान के विक्रय हेतु दरें स्वीकृत की गई । धान की विक्रय मात्रा एवं दर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-अ अनुसार है । उपार्जित धान में से 9.12 लाख मे.टन धान की मिलिंग कराई गई, 2.65 लाख मे.टन विक्रय की गई, 1.28 लाख मे.टन धान का निराकरण किया जाना शेष है तथा 0.35 लाख मे. टन धान की सूखत के कारण कमी आई । धान के विक्रय से रू. 303.97 करोड़ उपार्जन एजेंसियों को प्राप्त हुए । विक्रय से शेष धान के भंडारण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-ब अनुसार है ।

परिवहन विभाग में भर्ती

89. **(क्र. 808) श्री जितू पटवारी :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष, 2011-12 से प्रश्न

पूछे जाने के दिनांक तक परिवहन विभाग के आरक्षक एवं निम्न श्रेणी लिपिक पद पर चयनित हुये प्रत्याशियों के नाम एवं उनकी योग्यता संबंधी जानकारी उपलब्ध करवाई जावे ? (ख) क्या यह सत्य है कि चयनित प्रत्याशियों में प्रदेश के बाहर से भी प्रत्याशी चयनित किये गये हैं ? यदि हां, तो राज्यवार प्रत्याशियों की जानकारी दें ? (ग) प्रत्याशियों को चयनित करने हेतु किस संस्था को अधिकृत किया गया था, तथा चयन के संदर्भ में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रश्न पूछे जाने के दिनांक तक परिवहन विभाग में सीधी भर्ती के द्वारा निम्न श्रेणी लिपिक पद पर कोई भर्ती नहीं हुई है । उक्त अवधि में परिवहन आरक्षक के पद पर 310 आरक्षक चयनित होकर कार्यरत है, जिनकी सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है । भर्ती नियम ''मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2011'' की अनुसूची तीन के अनुसार परिवहन आरक्षकों हेतु मान्यता प्राप्त बोर्ड से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा या समकक्ष 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण होना निर्धारित है । नियम की अधिसूचना दिनाॅक 06.07.2011 शासकीय मुद्रणालय की वेबसाइट http://govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है । (ख) जी नहीं । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है । (ग) उक्त चयन हेतु व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश को अधिकृत किया गया था । चयन संबंधी शिकायतों पर एसटीएफ द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर जाँच की जा रही है ।

स्वास्थ बीमा योजना लागू की जाना

90. **(क्र. 809) श्री जितू पटवारी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि गृह विभाग ने म.प्र. के पुलिस कर्मचारी (आरक्षक से लेकर अति. पुलिस अधीक्षक) के लिये स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है ? (ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत केश लेस कार्ड प्रदान किये गये हैं ? एवं कितने कर्मचारियों ने आज दिनांक तक इस योजना का लाभ उठाया है ? (ग) इस योजना के अंतर्गत आरक्षक से लेकर अति पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों हेतु ईलाज की क्या पात्रता निर्धारित की गई है ? एवं इसके एवज में कर्मचारियों से भी कोई राशि ली जाती है ? यदि हां, तो कितनी राशि ली जाती है ? जानकारी देवें ?(घ) इस योजना में प्रदेश/देश के कौन-कौन से हॉस्पिटलों को शामिल किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर):
(क)जी नहीं । (ख)(ग)(घ) ''क'' के उत्तर के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

महिदपुर शुगर मिल से धातुओं की चोरी की रिकवरी

91. **(क्र. 834) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिशा सहकारी संस्था महिदपुर द्वारा संचालित शुगर मिल महिदपुर रोड से पाइप एवं अन्य धातुओं की चोरी की रिकवरी के लिए शासन ने अब तक क्या कार्यवाही की है ? (ख) जिन लोगों पर इसके लिए प्रकरण दर्ज किया गया है, उनकी गिरफ्तारी कब तक की जावेगी ? (ग) मिल में अभी तक कितने मकान एवं भूमि अतिक्रमण करने वालों से मुक्त करा ली गई है एवं कितनी भूमि मुक्त कराना शेष है ? समय सीमा बताएं ? (घ) प्रश्नांश (ग) अनुसार न्यायालयीन प्रकरण में मा. न्यायालय द्वारा कितनी तारीखें लगाई गई हैं, एवं शासन की तरफ से पैरवी करने वाले अभिभाषक कितनी तारीखों में उपस्थित हुए हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) संस्था द्वारा एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई हैं, चोरी का सामान बरामद होकर पुलिस अभिरक्षा में रखा है. (ख) आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है. (ग) 62 मकान एवं भूमि, शेष 10 मकानों के अतिक्रमण बाबत

प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन, इसके अतिरिक्त अन्य किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं है, प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने से समय सीमा बताना संभव नहीं. (घ) प्रश्नांश "ग" अनुसार माननीय न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 महिदपुर के न्यायालय में 35 पेशियां एवं माननीय अतिरिक्त जिला न्यायाधीश महिदपुर के न्यायालय में 6 पेशियां लगाई गई हैं, प्रत्येक पेशी में शासकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए.

लिंक उत्सव के फर्जीवाड़े के संबंध में प्रकरण दर्ज कर जांच की जाना

92. **(क्र. 840) श्री बाला बच्चन :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा लिंक उत्सव को किस दिनांक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों पर लगाने का अनुबंध किया गया था ? इसके द्वारा जमा राशि एवं अनुबंध की शर्तों का विवरण दें ? इसकी छायाप्रति उपलब्ध कराएं ? (ख) क्या इस अनुबंध में लिंक उत्सव द्वारा फ्रेंचाइजी देने का उल्लेख था ? यदि नहीं, तो किस आधार पर इनके द्वारा फ्रेंचाइजी देकर कितने लोगों से कितनी राशि वसूली गई ? जिलावार, राशि की जानकारी देवें ? (ग) लिंक उत्सव द्वारा काम बंद करने पर किस नियम के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पुराने पैटर्न वाली नंबर प्लेट लगाने का आदेश दिया गया ? नियम की छायाप्रति देवें ? (घ) उपरोक्त फर्जीवाड़े के जिम्मेदार अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा एवं लिंक उत्सव पर प्रकरण दर्ज कराकर कब तक जाँच करेगा ? समय सीमा बताएं ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह): (क) विभाग द्वारा मेसर्स लिंक उत्सव कम्पनी के साथ दिनांक 21 जनवरी 2012 को मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत वाहनों में उच्च सुरक्षा पंजीयन पट्टिकाऐं लगाये जाने हेतु अनुबंध निष्पादित किया गया था । अनुबंध के क्लॉज 8.1 के अनुसार कम्पनी से 3 करोड़ की राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा कराई गई । अनुबंध की संबंधित शर्तों की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) जी नही। इस कार्यालय द्वारा मेसर्स लिंक उत्सव लिमिटेड कंपनी को किसी भी फ्रेन्चायजी को रखने की अनुमति नही दी गई है। (ग) मेसर्स लिंक उत्सव द्वारा काम बन्द करने पर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 47 एवं 48 के अनुसार वाहन स्वामी 07 दिवस के अन्दर पंजीयन अधिकारी के समक्ष समस्त दस्तावेजों सहित वाहन पंजीयन हेतु आवेदन प्रस्तुत करेगा तथा पंजीयन अधिकारी समस्त प्रक्रिया पूर्ण कर 30 दिवस के पंजीयन प्रमाण पत्र जारी करेगा । उक्त नियम के आधार पर पुराने पैटर्न वाली नम्बर प्लेट लगाने के आदेश दिनांक 19.06.2014 से दिये गये थे। आदेश तथा नियम की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट"ब" अनुसार है । (घ) प्रश्नांश 'ख' एवं 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में कोई कार्यवाही की जाना अपेक्षित नही है। कम्पनी द्वारा अनुबंध अनुसार कार्य न करने से कार्यालयीन आदेश दिनांक 17.10.2014 से कम्पनी का ठेका निरस्त कर दिया गया है । आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है ।

नाले पर स्टाप डेम का निर्माण

93. **(क्र. 842) श्री सचिन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता द्वारा लिखा गया पत्र क्रमांक 82 दिनांक 23/05/2014 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खरगोन, ग्राम बोरावां से उमरिया रोड मण्डी के पास नाले पर स्टाप डेम बनाये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है ? हां, तो उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यवाही को पूर्ण किये जाने के लिए क्या संबंधित प्रस्ताव जिला स्तर से विभाग के उच्चाधिकारियों के स्तर से कार्यवाही किये जाने के लिए पत्र व्यवहार किया गया है ? हां, तो कब-कब ? नहीं, तो क्यों ? कारण बतायें ? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित नाले पर स्टाप डेम का निर्माण कार्य कब तक कर दिया जायेगा ? हां, तो समय सीमा बतायें ? नहीं, तो कारणों का उल्लेख करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जिला पंचायत खरगौन के कार्यालय अभिलेख अनुसार माननीय विधायक जी कसरावद का पत्र क्र. 82 दि. 23.05.14 प्राप्त नहीं हुआ। माननीय विधायक जी ने तत्संबंध में पत्र क्र. क्यू. दि.27.06.14 द्वारा बोरावां में स्टाप डेम

निर्माण की मांग की थी । पत्र के अनुक्रम में कार्यपालन यंत्री द्वारा स्टाप डेम बोरावां की तकनीकी स्वीकृति रू. 47.01 लाख की दिनांक 05.08.14 को बी.आर.जी.एफ. योजना अंतर्गत जारी की गई । (ख) जिला स्तर पर बी.आर.जी.एफ. कार्य योजना वर्ष 2014-15 दिनांक 12.06.14 को अनुमोदित हो जाने से उक्त कार्य का प्रस्ताव कार्य योजना में शामिल नहीं हुआ । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) उत्तरांश "ख" के परिपेक्ष्य में शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

निर्मल वाटिका योजनांतर्गत भ्रष्टाचार की जांच

94. **(क्र. 844) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) निर्मल वाटिका (शौचालय) योजनांर्तगत जनपद पंचायत कुक्षी में कौन-कौन से शौचालय निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये ? पंचायतवार, हितग्राहीवार, स्वीकृत राशि की जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि शौचालय निर्माण में भारी भ्रष्टाचार हुआ है और रोजा पंचायत के अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों ने भ्रष्टाचार की शिकायत जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को की गयी थी ? यदि हां, तो शासन द्वारा दोषियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि प्रश्न दिनांक तक शौचालयों का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और उपयंत्री द्वारा सरपंच सचिव से सांठ-गांठ कर अनिर्मित कार्यो का भौतिक सत्यापन कर राशि आहरण कर भारी भ्रष्टाचार किया गया है ? यदि हां, तो शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक दोषियों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई ते क्यों, यदि कोई कार्यवाही की जाएगी तो क्या और कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जनपद पंचायत कुक्षी में निर्मल वाटिका (शौचालय) उपयोजनांतर्गत 20 ग्राम पंचायतों में 57 कार्य स्वीकृत किये गये है स्वीकृत कार्य शौचालय निर्माण के न होकर शौचालय के लिये उपयोगी एक जोड़ा लीच पिट तथा 5 फलदार (वृक्षों) के पौधरोपण के है । कार्यो की स्वीकृति हितग्राहीवार न होकर ग्राम पंचायत अंतर्गत ग्राम/मोहल्ले के हितग्राहियों के लिये दी गई है । पंचायतवार स्वीकृत राशि पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है । संबंधित हितग्राहियों की सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है ।(ख)जिला स्तर पर दिनांक 18.11.14 को प्राप्त शिकायत की जांच हेतु दिनांक 24.11.14 को जाँच दल गठन किया गया है । जाँच प्रचलित है ।(ग)जी नहीं, 5792 निर्मल वाटिका (शौचालय) में से 3314 निर्मल वाटिका (शौचालय) पूर्ण हैं । उत्तरांश (ख) के प्रकरण मे जाँच प्रचलित है, समय-सीमा बतलाया जाना संभव नहीं ।

खाद्यान्न वितरण में अनियमिततायें

95. **(क्र. 845) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या शासन की वेबसाइट www.nfsa.samagra.gov.in पर उपलब्ध जानकारियाँ सही है ? (ख) कुक्षी विधानसभा क्षेत्रांतर्गत मार्च 2014 से अक्टूबर 2014 तक कौन-कौन सी शासकीय उचित मूल्य की दुकान को कितनी-कितनी मात्रा में कौन-कौन सी सामग्री वितरण हेतु आवंटित की गयी ? माहवार व दुकानवार जानकारी प्रदान करें ? आवंटित सामग्री का वितरण कितनी-कितनी मात्रा में किया गया ? (ग) क्या शासन द्वारा खाद्यान्न के लिए पात्र हितग्राहियों को पात्रता पर्ची का वितरण कर दिया है ? यदि नहीं तो क्यों ? कारण स्पष्ट करने के साथ-साथ ग्रामवार सूची प्रदान करें । अगर वितरण किया जायेगा तो कब तक ? समय सीमा बतायें ? पात्रता पर्ची के वितरण में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों और की जावेगी तो क्या एवं कब तक ? (घ) प्रश्नांश (ग) के परिप्रेक्ष्य में क्या यह सही है कि, बहुत से हितग्राहियों की पात्रता पर्ची जनरेट होने के बाद भी उन्हें प्रदान नहीं की गयी और उनके नाम से आवंटित गेहूँ, चावल, शक्कर, घासलेट की बाज़ार में कालाबाजारी की गयी ? यदि हाँ, तो

भ्रष्टाचार के दोषियों पर प्रश्न दिनाँक तक क्या कार्यवाही गयी, यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों ? यदि कोई कार्यवाही की जावेगी तो क्या और कब तक ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) जी हां । (ख) कुक्षी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मार्च, 2014 से अक्टूबर, 2014 तक माहवार, शासकीय उचित मूल्य दुकानवार एवं जिन्सवार आवंटित सामग्री की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । अन्तयोदय अन्न योजना के परिवारों को खाद्यान्न 35 किलोग्राम तथा प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न एवं इन दोनों श्रेणियों के परिवारों को 5 लीटर केरोसीन, 1 किलोग्राम नमक एवं शक्कर प्रति परिवार को प्रतिमाह वितरित किया गया । (ग) समग्र पोर्टल पर सत्यापित पात्र हितग्राहियों को जारी पात्रता पर्ची का वितरण कर दिया गया है । आवेदन प्राप्त होने पर समग्र पोर्टल पर पात्र परिवारों का सत्यापन एवं उनको पात्रता पर्ची जारी करना एक सतत प्रक्रिया है । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (घ) जी नहीं । कुक्षी विधान सभा में खाद्यान्न, शक्कर एवं घासलेट के कालाबाजारी के संबंध में कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>नि:शक्तजनों की शिकायतों पर कार्यवाही एवं उपकरणों का आवंटन</u>

96. **(क्र. 853) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में लोक सेवा गारंटी के द्वारा एवं जन सुनवाई में नि:शक्तजन प्रमाण पत्र बनवाने हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए तथा कितने प्रमाण पत्र नि:शक्तजनोंको समय सीमा में जारी किये गये ? (ख) नि:शक्तजनों के लिए आवंटित होने वाले उपकरणों की कमेटी में कौन-कौन से लोग रहते हैं तथा कितने नि:शक्तजनोंको उनके आवेदन देने के बावजूद उपकरणों का आवंटन अभी तक नहीं किया गया ? (ग) नि:शक्तप्रमाण पत्र जारी करने की कमेटी के विरूद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? (घ) उपरोक्त शिकायतों में से कितनों पर कार्यवाही की गई, तथा कितनों की जाँच लंबित है ? यदि हाँ तो उनके विरूद्ध कब तक कार्यवाही की जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क)लोकसेवा गारंटी के अंतर्गत निःशक्ता प्रमाण पत्र बनवाने के 421 आवेदन प्राप्त तथा जन सुनवाई में एक आवेदन प्राप्त हुआ । समय-सीमा में समस्त प्रकरणों का निराकरण किया गया । (ख) नि:शक्तजनों को उपकरण आवंटित करने हेतु कोइ समिति गठित नहीं है । चिकित्सक की अनुशंसा पर उपकरण प्रदाय किये जाते है । नवम्बर में प्रकरण प्राप्त हुए आचार संहिता लागू होने के कारण 20 आवेदन पत्र प्रक्रियाधीन है । (ग) एक शिकयत प्राप्त हुई है । (घ) उत्तरांश "ग" अनुसार प्राप्त शिकायत का निराकरण किया जा चुका है । कोई प्रकरण लंबित नही है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>ग्राम पंचायतों में कराये गये कार्यों की शिकायतों पर कार्यवाही</u>

97. **(क्र. 854) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मनरेगा के अंतर्गत चन्दला विधान सभा क्षेत्र में अब तक कराये गये कार्यों के सम्बंध में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है ? (ख) उक्त शिकायतों में कितने कर्मचारी अधिकारी दोषी पाये गये ? (ग) दोषी पाये गये कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (घ) यदि नहीं की गई तो कब तक की जायेगी यदि की गई है तो उन कर्मचारियों अधिकारियों के नाम, दोष कारण सहित बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क)मनरेगा के अंतर्गत चंदला विधानसभा क्षेत्र में अब तक कराये गये कार्यों के संबंध में प्राप्त शिकायतों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) एवं (ग) पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (घ) दोषी पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

ई. कक्षों का घटिया निर्माण

98. **(क्र. 856) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों में प्री-फेब के ई. पंचायत कक्षों का निर्माण लघु उद्योग निगम के माध्यम से कराने के निर्देश शासन स्तर से जारी किये गये थे ? यदि हां, तो प्रदेश में कुल कितने ई-पंचायत कक्ष प्रश्न दिनांक तक स्वीकृत एवं पूर्ण हुए तथा कितना भुगतान एजेंसी को किया गया ? (ख) क्या यह भी सही है कि प्री-फेब के ई-पंचायत कक्षों की लागत रूपये 6.00 लाख के लगभग है, जबकि इसी क्षेत्रफल का पक्का भवन रूपये 3.00 लाख में बन सकता है ? यदि हां, तो शासन द्वारा दो गुना राशि खर्च कर अस्थाई भवन निर्माण क्यों कराए गए ? (ग) क्या बैतूल जिले में जांच उपरांत घटिया स्तर के ई-पंचायत कक्ष निर्माण होने पर लघु उद्योग निगम से राशि वापस करने हेतु कार्यवाही की गई थी ? यदि हां, तो निर्माण कार्य की राशि का भुगतान कलेक्टर द्वारा रोक लगाने के बाद भी क्यों किया गया ? (घ) घटिया निर्माण का भुगतान करने वाले अधिकारियों पर क्या विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क)जी हाँ । पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -"अ" अनुसार । (ख) जी नहीं । पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -"ब" अनुसार । (ग) जी हाँ । पुस्तकालय में रखे प्रपत्र -"स" अनुसार । (घ) जांच करवाई जा चुकी है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बी.आर.जी.एफ. की राशि का उपयोग

99. **(क्र. 857) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या वर्ष, 2011-12 एवं 2012-13 में बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत स्वीकृत कार्य समयसीमा में पूर्ण नहीं होने के कारण वर्ष, 2013-14 में इस मद में केन्द्र शासन से राशि प्राप्त नहीं हुई ? (ख) क्या यह भी सही है कि वर्ष, 2013-14 तक पूर्ण वर्षों में स्वीकृत कार्य प्रारंभ ही नहीं हुए, तथा योजना मद की राशि अन्य योजनाओं में व्यय कर ली गई अथवा गबन कर ली गई ? (ग) क्या बैतूल जिले में बी.आर.जी.एफ. योजनांतर्गत अप्रारंभ कार्यों, अपूर्ण कार्यों के विरूद्ध दुरूपयोग की गई राशि के संबंध में जांच कराई जाकर दोषियों पर कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) जी नहीं । भारत शासन से वर्ष 2013-14 में कार्ययोजना के विरुद्ध आवंटन अप्राप्त । (ख) जी हाँ । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"अ" अनुसार । जी हाँ । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"ब"अनुसार । जी हाँ । जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"स"अनुसार । (ग) जी हाँ । की गई कार्यवाही की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-"द"अनुसार ।

मक्का एवं धान की फसल को क्रय किया जाना

100. **(क्र. 911) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में धान एवं मक्का खरीदी किये जाने हेतु शासन द्वारा कितनी बोनस राशि का भुगतान किया जावेगा ? (ख) विगत वर्ष उक्त फसलों के लिए कितनी बोनस राशि का भुगतान किया जा रहा था ? (ग) प्रदेश में मक्का एवं धान की फसल प्रति हैक्टेयर उत्पादन को क्रय करने के लिए क्या मापदण्ड रखे गये हैं ? विगत वर्ष उक्त मापदण्ड क्या थे ? (घ) प्रदेश में कम बोनस एवं कम उत्पादन क्षमता रखने के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह): (क) खरीफ विपणन वर्ष 2014-15 में किसानों से भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का का उपार्जन किया जा रहा है । (ख) विगत वर्ष धान एवं मक्का के उपार्जन पर रू. 150 प्रति क्विंटल के मान से बोनस का भुगतान किया गया था । (ग) प्रदेश के किसान की ऋणपुस्तिका में उल्लेखित रकबे में बोई गई धान एवं मक्का के क्षेत्रफल का

किया गया पंजीयन और पटवारी द्वारा प्रमाणीकरण पर प्रति हेक्टेयर तहसीलवार उत्पादकता के आधार पर उत्पादित फसल का उपार्जन किया जाता है । इसी आधार पर, विगत वर्ष भी उपार्जन किया गया था । (घ) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता से अधिक उपार्जन होने और बोनस दिये जाने की स्थिति में भारतीय खाद्य निगम द्वारा सरप्लस स्कंध को स्वीकृत नहीं करने की स्थिति में सरप्लस भंडार के निराकरण में होने वाली भौतिक एवं वित्तीय कठिनाईयों के प्रकाश में बोनस नहीं दिया जा रहा है । तहसीलों में उत्पादकता इस वर्ष की फसलों की स्थिति के आधार पर रखी गई है ।

दतिया जिले में शस्त्र लायसेंस का प्रदाय

101. **(क्र. 973) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में शस्त्र लायसेंस देने की शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार ही शस्त्र लायसेंस प्रदाय किये जा रहे हैं ? शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का विवरण दें ? (ख) विगत 05 वर्षों में दतिया जिले में विकासखण्डवार कितने आवेदकों को शस्त्र लायसेंस प्रदाय किये गये हैं ? हितग्राही की ग्रामवार/नामवार/दिनांकवार सूची प्रस्तुत करें ? ऐसे कितने आवेदक है जिनके आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किये गये हैं ? कारण सहित सूची प्रदाय की जावें ? (ग) दतिया जिले में ऐसे कितने लायसेंस धारी शस्त्र धारक है, जिनके विरूद्ध अपराधिक मामले दर्ज किये गये एवं उनके विरूद्ध क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जी हाँ । विवरण पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'ब' एवं 'स' अनुसार है । (ग) विगत 05 वर्षों में शस्त्र लायसेंसधारियों के विरूद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर 110 शस्त्र लायसेंस निलंबित किये गये एवं 31 शस्त्र लायसेंस निरस्त किये गये ।

मुख्यमंत्री आवास योजना के प्रकरणों में ऋण स्वीकृत करने में अनियमितता

102. **(क्र. 977) पं. रमेश दुबे :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री योजनान्तर्गत आवास ऋण हेतु चयनित हितग्राहियों को ऋण स्वीकृति हेतु बैंकों को भेजे गये प्रकरणों में बैंकों के द्वारा ऋण स्वीकृति के क्या मापदंड हैं ? प्रकरण प्राप्त होने पर बैंकों के द्वारा कितने दिनों में ऋण स्वीकृत कर हितग्राहियों के बैंक खातों में ऋण राशि अंतरित करने का प्रावधान है ? आदेश निर्देश की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) ऋण प्रकरणों की स्वीकृति में बैंकों द्वारा मनमानी पूर्ण रवैया अपनाने, हितग्राहियों से रूपयों की मांग करने, ऋणों की स्वीकृति में अनावश्यक विलंब करने, हितग्राहियों के साथ अभद्र व्यवहार करने, ऋण की राशि खातों में अंतरण के उपरान्त हितग्राहियों को भुगतान न करने इत्यादि को लेकर प्रश्नकर्ता को शिकायत प्राप्त होने पर क्या प्रश्नकर्ता ने पत्र क्रमांक 1533 दिनांक 6/8/2014, 1562 दिनांक 12/08/2014, 1844 दिनांक 7/9/2014, 1830 दिनांक 7/9/2014 कलेक्टर छिन्दवाड़ा को एवं पत्र क्रमांक 1532 दिनांक 6/8/2014 मा. वित्त मंत्री म.प्र. शासन को प्रस्तुत किया है ? यदि हां, तो इन पत्रों पर किस स्तर से क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) क्या अग्रणी जिला प्रबंधक अग्रणी बैंक कार्यालय छिन्दवाड़ा के द्वारा आरोपी बैंक प्रबंधकों से दूरभाष पर चर्चा कर उसका प्रतिवेदन तैयार कर प्रश्नकर्ता को उपलब्ध कराते हुए यह शिकायत निराधार होने का उल्लेख किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच का उक्त तरीका सही है और यदि नहीं, तो क्या जांचकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही का शासन आदेश देगा ? (घ) क्या शासन प्रश्नकर्ता के द्वारा नियुक्त किये गये प्रतिनिधि की उपस्थिति में पुन: उक्त शिकायत की विधिवत जांच कराने का आदेश देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव): (क) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में आवासीय ऋण हेतु चयनित हितग्राहियों के, ऋण प्रकरणों में, बैंकों द्वारा इन ऋण प्रकरणों में स्वीकृति प्रदान करने हेतु मापदण्ड, इस मिशन की नीति/दिशानिर्देश (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-१ अनुसार है), विभाग के निर्देश दिनांक 06/09/2014 (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-२ अनुसार है) तथा बैंकों से निष्पादित एम.ओ.यू. की कंडिका 8 (जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-३ अनुसार है) में दर्शित हैं । बैंकों को आवासीय ऋण प्रकरण प्राप्त होने के पश्चात्, अधिकतम 15 दिवसों में ऋण प्रकरणों की स्वीकृति/निराकरण किये जाने का प्रावधान है । (ख) प्रश्नांश ख में दर्शित पत्र क्र. 1533, क्र. 1562, क्र. 1844 एवं क्र. 1830, कलेक्टर छिन्दवाड़ा को प्राप्त हुए थे किन्तु पत्र क्र. 1532 दिनांक 06/08/2014 मान. वित्त मंत्रीजी को अप्राप्त था । दिनांक 27/11/2014 को उल्लेखित पत्र फेक्स द्वारा मान. मंत्रीजी के कार्यालय में प्राप्त किया गया । कलेक्टर छिन्दवाड़ा द्वारा उक्त पत्र अग्रणी जिला प्रबंधक छिन्दवाड़ा को पृष्ठांकित किये गये थे एवं पत्र क्र. 1562 दिनांक 12/08/2014 में, अग्रणी जिला प्रबंधक को, निर्देशित किया गया था कि सभी संबंधित बैंक मेनेजरों से चर्चा कर समस्या को हल करवाकर उन्हें अवगत कराया जावे जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-४ अनुसार है ।(ग)अग्रणी जिला प्रबंधक छिन्दवाड़ा द्वारा, निर्देशानुसार बैंक शाखा प्रबंधकों से दूरभाष पर चर्चा कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को छोड़कर, अन्य बैंकों से संबंधित समस्याएं हल करवाकर, प्रतिवेदन के द्वारा कलेक्टर को सूचित करते हुए प्रतिलिपि प्रश्नकर्ता मान. विधायक को दी गई थी । स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्पोरेट सेन्टर द्वारा वर्ष 2014-15 में इस मिशन हेतु, तत्समय स्वीकृति प्रदान न किये जाने से, बैंक शाखा स्तर से, स्वीकृति संबंधी समस्याओं का हल नहीं किया जा सका था । अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा की गई कार्यवाई निर्देशानुसार थी । अतः प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है । (घ) उक्त पत्रों में उल्लेखित बैंक शाखाओं द्वारा, उनके लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ऋण प्रकरणों में स्वीकृति एवं वितरण कर दिया गया है एवं अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्पोरेट सेन्टर से भी वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृति प्राप्त होकर, इस मिशन में स्वीकृति एवं वितरण प्रारम्भ कर दिया गया है । अतः पुनः जांच कराने की आवश्यकता नहीं होने से प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।

फर्जी दस्तावेजो से सैकड़ों शस्त्रों का लायसेंस जारी होना एवं नवीनीकरण

103. **(क्र. 1051) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि कार्यालय कमिश्नर रीवा संभाग रीवा (म.प्र.) के द्वारा 22.01.2014 को कलेक्टर जिला सतना (म.प्र.) को कार्यवाही करने कोई पत्र भेजा गया था ? क्या जिला दंडाधिकारी सतना के द्वारा क्र./283/शस्त्र शाखा/2014 सतना दिनांक 09.07.2014 से कोई आदेश जारी कर 13 लोगो की जांच कमेटी बनाई गई थी ? कमेटी को अपना प्रतिवेदन 31.07.2014 तक प्रस्तुत करना था ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित जांच में किस वर्ष से किस वर्ष तक जारी शस्त्र लायसेंसों एवं दूसरे प्रदेश से जारी शस्त्रों की एन.ओ.सी न होने पर भी नवीनीकरण किये जाने की जांच की गई शस्त्र लायसेंस नीति के विरूद्ध किस-किस नाम पते वाले/थाना क्षेत्रवार लोगों के लायसेंस एवं एन.ओ.सी के बिना शस्त्रों का नवीनीकरण किया गया ? सूची उपलब्ध करावें ? (ग) म.प्र.शासन गृह विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-16-498/2011/बी-1/दो भोपाल दिनांक 26.03.2011 के परिप्रेक्ष्य में शस्त्र एवं गोला बारूद नीति का निर्धारण किया गया था ? क्या उक्त नीति का प्रश्नांश (क) एवं (ख) में पालन हुआ ? अगर नहीं तो नियमों के विपरीत किस-किस नाम/पते वाले व्यक्तियों की कारतूस संख्या कब-कब एवं कितनी-कितनी बढ़ाई गई ? प्रकरणवार विवरण दें ? (घ) प्रश्नांश (क) एवं (ख) में दोषी पाये जाने वालों के विरूद्ध राज्यशासन/जिलाप्रशासन ने प्रश्नतिथि तक एफ आई आर कब व किस थाना क्षेत्रों में दर्ज करवाई है ? बिन्दुवार दें ? अगर नहीं तो क्यों ? कारण दें ? नियमों का उल्लेख करें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर): (क) जी हॉ । (ख) (ग) एवं (घ) माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत रिट पिटीशन 13414/14 श्री अनूपशुक्ला विरूद्ध म.प्र.शासन एवं अन्य 08 में पारित निर्णय दिनांक 12.09.2014 के प्रकाश में जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

अपराध क्रमांक 118/14 एवं 132/14 पर कार्यवाही नहीं की जाना

1. **(क्र. 18) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के थाना- लहार में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 118/14 एवं 132/14 तथा दतिया जिले में पंजीबद्ध थाना- डी-पार के अपराध क्रमांक 50/14 में किन-किन धाराओं में किन-किन के विरूद्ध प्रकरण दर्ज है ? नाम, पता सहित पूर्ण विवरण दें ? (ख) उक्त आरोपियों में से कौन-कौन गिरफ्तार किये गये ? एवं कौन-कौन नहीं, बतायें ? (ग) क्या उपरोक्त तीनों प्रकरणों में आरोपियों को दबाव के कारण गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो गिरफ्तार न किये जाने के कारण क्या हैं और समयावधि बतायें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) जी नहीं । अपराध क्रमांक 118/14, थाना लहार, जिला भिण्ड में शेष 02 आरोपियों पर पुलिस उप महानिरीक्षक, चंबल रेंज, मुरैना द्वारा रूपये 10-10 हजार का इनाम घोषित किया गया है । अपराध क्रमांक 132/14 में थाना लहार, जिला भिण्ड आरोपियों द्वारा घटना घटित होना नहीं पाये जाने से ई.आर. कता किया गया है । अपराध क्र0 50/14 थाना डीपार, जिला दतिया में विवेचना जारी है । साक्ष्य के आधार आरोपियों की गिरफ्तारी की जावेगी । समय-सीमा बताना संभव नहीं है ।

परिशिष्ट तेईस

राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के तहत् कार्यवाही

2. **(क्र. 19) डॉ. गोविन्द सिंह :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भिण्ड जिले के थाना- लहार के अंतर्गत 1 अगस्त, 2013 से 31 जुलाई, 2014 तक किन-किन के विरूद्ध थाना- लहार के प्रतिवेदन पर राष्ट्रीय सुरक्षा अध्यादेश के तहत, किस-किस दिनांक को जिला दण्डाधिकारी, भिण्ड द्वारा आदेश पारित किये गये ? नाम, पता सहित बतायें ? (ख) उपरोक्त अपराध में व्यक्तियों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक थाना- लहार, असवार, दबोह, मिहोना, तथा सेवढ़ा, डी-पार, जिला- दतिया में कब-कब, किन-किन धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किये गये ? (ग) उपरोक्त प्रश्नांश के परिप्रेक्ष्य में क्या प्रदीप सिंह, पुत्र श्री हरीमोहन सिहं, निवासी-रोहानीसींगपुरा हाल विजपुरा, थाना- लहार के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होने के बाद भी अभी तक गिरफ्तार न करने का कारण बतायें ?(घ) दिनांक 18.12.2011 को थाना प्रभारी लहार एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जप्त जे.सी.बी. मशीन अवैध उत्खननकर्ता प्रदीपसिंह को ही सौंप देने तथा प्रदीप सिंह द्वारा मशीन खुर्दबुर्द करने के बाद भी पुलिस द्वारा कार्यवाही न करने का कारण बतायें ?(ड) क्या प्रदीपसिंह लहार में ही रहकर लहार पुलिस के संरक्षण में प्रतिदिन रेत का अवैध उत्खनन कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्या उपरोक्त बिन्दुओं की जांच कराकर दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" अनुसार है । (ग) आरोपी प्रदीप सिंह पुत्र हरिमोहन सिंह निवासी रोहानी सिंह का विजपुरा के गिरफ्तारी हेतु थाना पुलिस लहार द्वारा आरोपी के घर पर कई बार दविश दी गई दस्तयाब नहीं हुआ, गिरफ्तारी के प्रयास जारी है । (घ) दिनांक 18/12/2011 को राजस्व विभाग की इमदाद में थाना प्रभारी, लहार मय फोर्स के गये थे । जेसीबी मशीन को राजस्व विभाग द्वारा ही प्रदीप सिंह को सुपुर्द कर दी गई थी, जिसे प्रदीप सिंह के द्वारा खुर्दबुर्द कर दी गई । उक्त जेसीबी मशीन को आरोपी प्रदीप सिंह द्वारा ही मथुरा से किराये पर लाया गया था । मशीन वापस न देने पर मशीन मालिक ने थाना रिफाईनरी जिला मथुरा में प्रदीप सिंह के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया था । (ड) आरोपी प्रदीप सिंह दिनांक 14/09/2013 से फरार है, वर्तमान में लहार में नही रहना एवं न ही रेत का अवैध उत्खनन करना पाया गया । यह कहना सही नही है कि आरोपी प्रदीप सिंह को पुलिस का किसी प्रकार का संरक्षण प्राप्त है ।

परिशिष्ट – "चौबीस"

मजदूरों को मजदूरी भुगतान

3. **(क्र. 29) श्री कमलेश्वर पटेल** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना में मजदूरी भुगतान का नियम हर दूसरे सप्ताह का है ? सीधी एवं सिंगरौली जिले में कितनी मजदूरी एवं मटेरियल का भुगतान बकाया है ? कब तक भुगतान किया जावेगा ? (ख) सीधी एवं सिंगरौली जिले में वर्ष, 2011-12 से 2014 से प्रश्न दिनांक तक कितने इंदिरा आवास, मुख्यमंत्री आवास विकलांग कोटे जिला स्तर ब्लाक स्तर से स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य पूर्ण हुए ? कितने अधूरे हैं ? कितने भवनों को द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त हो गई ? कितने शेष हैं ? कब तक जारी होगा ? (ग) परफार्मेंस ग्रान्ट राशि से विकास कार्यों की अनुशंसा के बारे में सदस्य जिला पंचायत विधायक एवं सांसद की भूमिका क्या है ? वर्ष, 2014-15 में जिला पंचायत की सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन की कुल कितनी बैठक हुई ? बैठक की कार्यवाही विवरण कार्यों का अनुमोदन किस बैठक में किया गया ? किस बैठक में कार्यों की स्वीकृति की गई है ? बैठक में कितने सदस्य उपस्थित रहे ? विगत 5 वर्षों में आवास योजना में किन मदों से आवास स्वीकृत हुए हैं ? ब्लॉकवार जानकारी दी जावे ? किस्त जारी हुई, कि नहीं ? कब तक जारी की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ सीधी जिले में मजदूरी राशि रू. 713.60 लाख व मटेरियल राशि रू. 628.28 लाख एवं सिंगरौली जिले में मजदूरी राशि रू. 365.82 लाख व मटेरियल राशि रू.394.16 लाख का भुगतान बकाया है । भारत सरकार का माह मार्च 2014 में लेखानुदान अनुमोदित होने के पश्चात राज्य शासन को अपेक्षानुरूप कम राशि प्राप्त हुई । नई लोकसभा के गठन उपरान्त केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पारित होने से राज्य शासन को राशि का प्रवाह बाधित हुआ है । राज्य शासन को राशि उपलब्ध होते ही मनरेगा वित्तीय प्रबंधन में सुधार की अपेक्षा है । (ख) जिला पंचायत सीधी में वर्ष 2011-12 से 2014-15 तक प्रश्न दिनांक तक इंदिरा आवास योजना में 2325 आवास स्वीकृत किये गये जिसमें 1210 आवास पूर्ण किये गये तथा 1115 आवास प्रगतिरत् है । 1210 आवासों में द्वितीय किश्त जारी हो चुकी है एवं 1115 आवासों में द्वितीय किश्त प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जारी होना शेष है । इसी प्रकार मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना में 242 आवास स्वीकृत किये गये है । जिसमें 86 आवास पूर्ण कर लिए गये तथा 156 आवास प्रगतिरत् है । 86 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी है तथा 156 हितग्राहियों को द्वितीय किश्त आवास की प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर जारी होना है । संलग्न परिशिष्ट 1 अनुसार है । जिला पंचायत सिंगरौली में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक 3601 आवास की स्वीकृति दी गई । जिसमें 1417 आवास के हितग्राहियों को द्वितीय किश्त जारी की जाकर आवास पूर्ण कराया गया है तथा 2184 आवास प्रगतिरत् है । जिनके उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किश्त दी जायेगी । जिसमें 109 विकंलागों को आवास मुहैया कराया जाकर पूर्ण कराया गया है । संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार है । मुख्यमंत्री आवास योजना में 186 आवास स्वीकृत किये गये है । जिसमें 89 आवास पूर्ण होकर द्वितीय किश्त जारी है तथा 57 आवास प्रगतिरत् है । जिन्हें उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर द्वितीय किश्त जारी की जानी है । (ग) जिला सीधी में परफार्मेन्स ग्रान्ट राशि से विकास कार्यो की अनुशंसा के बारे में सदस्य जिला पंचायत विधायक एवं सांसद की भूमिका का शासन आदेश में उल्लेख नहीं है । वर्ष 2014-2015 में जिला पंचायत सामान्य प्रशासन सभा की 02 बैठक तथा सामान्य प्रशासन समिति की तीन बैठक हुई है । वर्ष 2014-2015 में जिला पंचायत सामान्य प्रशासन समिति की आयोजित बैठक दिनांक 16.07.2014 में जिला स्तर को परफार्मेन्स ग्रान्ट में प्राप्त राशि के लिए कार्यो का अनुमोदन/स्वीकृती दी गई है, इस बैठक में सामान्य प्रशासन समिति के 04 अशासकीय एवं 39 शासकीय सदस्य उपस्थित थे । विगत 05 वर्षो में आवास योजना अंतर्गत इंदिरा आवास सामान्य इंदिरा आवास (होमस्टेड) वनाधिकार आवास, एवं मुख्यमंत्री अन्त्योदय आवास योजना में जिले के पाँचों विकासखण्डों में आवास स्वीकृत किए गए है । स्वीकृत आवासों की प्रथम किश्त जारी की गई है । जिला सिंगरोली में परफॅारमेस ग्रान्ट राशि से आयुक्त पंचायत राज संचालनालय के जारी दिशा निर्देशानुसार विकास कार्यो की स्वीकृति सामान्य प्रशासन समिति के अनुमोदन

उपरांत प्रदान की जाती है । वर्ष 2014-15 में जिला पंचायत सामान्य सभा एवं सामान्य प्रशासन समिति की 04/04 बैठके आयोजित हुई है । वर्ष 2014-15 में परफॅारमेंस ग्रान्ट योजनान्तर्गत कोई भी विकास कार्य स्वीकृत नहीं किये गये है । बैठकों में उपस्थित सदस्यों की जानकारी का संलग्न परिशिष्ट-3 अनुसार है ।

परिशिष्ट – "पच्चीस"

<u>सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितता</u>

4. **(क्र. 51) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेडा :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुंगावली चंदेरी तहसील, जिला अशोक नगर में पिछले 3 वर्षों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अनियमितताओं खासतौर से गरीबों को नियमित खाद्यान्न वितरण नहीं होने, कैरोसीन, शक्कर ए.पी.एल. के गेहूँ का वितरण न होकर कालाबाजारी होने, हितग्राहियों के कागजात अपने आप रखकर कई माह का राशन न देकर मनमानी प्रविष्टि करना व उनके साथ दुर्व्यवहार की शिकायतें शासन को मिली हैं ? शिकायतकर्ताओं के नाम, की गई शिकायत की तिथि व जिनकी शिकायतें की गई है उनके नाम व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अवधि में खाद्यान्न राशन वितरण का कार्य किस-किस व्यक्ति या संस्था को किस-किस अवधि के लिए दिया गया उसका विवरण, उनके नाम व उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतें व उन पर की गई कार्यवाही का विवरण दें ? (ग) ऐसे कितने व्यक्ति या संस्थायें हैं जिनको एक से अधिक राशन की दुकानें दी गई उनके नाम व उनके विरूद्ध क्या-क्या शिकायतें शासन को मिली व उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी हां । शिकायतकर्ता नाम, शिकायत की तिथि, जिसके विरूद्ध शिकायत की गई उसका नाम एवं उस पर की गई कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) मुगांवली एवं चन्देरी तहसील में प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अवधि में खाद्यान्न राशन वितरण हेतु संचालित उचित मूल्य दुकान की संस्था नाम, उचित मूल्य दुकान के विक्रेता का नाम, उसके विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं उस पर की गई कार्यवाही का वर्षवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । (ग) मुगांवली एवं चन्देरी तहसील में प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित अवधि में एक से अधिक उचित मूल्य दुकान संचालित करने वाली संस्थाओं के नाम एवं उनके विरूद्ध प्राप्त शिकायत एवं उनके विरूद्ध की कार्यवाही का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है ।

<u>दमोह जिले में ग्रामीण यांत्रिकी विभाग द्वारा कराये गये कार्य</u>

5. **(क्र. 58) श्रीमती उमादेवी लालचंद खटीक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा वर्ष 2012 से आज दिनांक तक कितने कार्य स्वीकृत हुये स्थलवार राशिवार जानकारी प्रदाय करें ? (ख) क्या दमोह जिले में आरईएस द्वारा कराये गये कार्यों की शिकायतें क्षेत्रवासियों द्वारा लगातार भ्रमण उपरान्त प्राप्त हो रही है । विकासखण्ड या जिला स्तरीय समिति बनाकर जांच कब तक करायी जावेगी समय सीमा बतावें ? (ग) दमोह जिले में आरईएस विभाग द्वारा कराये गये कार्यों की जांच में यदि अधिकारी/कर्मचारी/ठेकेदार दोषी पाये जाते हैं, तो उन पर क्या कार्यवाही कब तक की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) दमोह जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा वर्ष 2012 से आज दिनांक तक कुल 330 कार्य स्वीकृत हुये है, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) दमोह जिले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग द्वारा कराये गये कार्यो के भ्रमण के समय क्षेत्रवासियों द्वारा की गई शिकायतें प्रकाश में नहीं आई है, तदापि क्षेत्रवासियों से शिकायतें

प्राप्त होने पर शिकायत की गंभीरता के अनुसार समिति बनाकर जांच कराई जा सकेगी, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जी हाँ । समय सीमा बताया जाना संभव नहीं ।

खरगापुर विधान सभा सहित जिला-टीकमगढ़ में वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान

6. **(क्र. 83) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह भी सच है कि टीकमगढ़ जिले सहित खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में लगभग 8-10 महिनों से वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन आदि नहीं बांटी जा रही है ? इसका क्या कारण है, स्पष्ट करें ? यदि बांटी जायेगी, तो कब तक, समयावधि बतायें ? (ख) क्या शासन द्वारा उक्त राशि दी जा रही है और हितग्राहियों को खरगापुर विधान सभा क्षेत्र में नहीं बांटी जा रही है ? इसका क्या कारण है, जानकारी स्पष्ट करें ? यदि बांटी जा रही है, तो ग्रामवार जानकारी दें ? यदि नहीं, तो ग्रामवार बतायें कि उक्त ग्रामों में न बाटने का क्या कारण है, स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । पेंशन का भुगतान नियमित हो रहा है । पोस्ट ऑफिसों के माध्यम से जहाँ भुगतान हो रहा है, वहाँ विलम्ब हुआ है । (ख) जी हाँ । जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता । खरगापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में माह अक्टूबर तक तथा ग्रामीण क्षेत्रों में माह सितम्बर 14 तक का भुगतान हो चुका है । ग्रामवार वितरित की जा रही हितग्राहियों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "छब्बीस"

खरगापुर विधान सभा क्षेत्र के ग्राम खजरार एवं दूबदेई में खाद्यान्न का वितरण

7. **(क्र. 86) श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या खरगापुर विधान सभा के क्षेत्र अन्तर्गत सेवा सहकारी समिति हीरापुर में पदस्थ समिति प्रबंधक रविकान्त रावत एवं समिति के सैल्समैन जगदीश तिवारी द्वारा कालाबाजारी कर पिछले अक्टूबर तक का खाद्यान्न पूर्ण रूप से बेच दिया गया है ? क्या इस की जाँच करायेंगे ? यदि हाँ, तो किस कमेटी के द्वारा एवं दोषी पाये जाने वाले समिति प्रबंधक एवं सैल्समैन को पद से हटायेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक समयावधि स्पष्ट करें ? यदि ना, तो कारण स्पष्ट करें ? (ख) क्या पिछले चार-पाँच माह पूर्व सैल्समैन जगदीश तिवारी द्वारा पूरा खाद्यान्न बेचने का कार्य किया जिसे पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया क्या उक्त सैल्समैन के कृत्यों की सम्पूर्ण जांच करायेंगे ? यदि हाँ, तो समयावधि बताये यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ? (ग) क्या गरीबों का जो खाद्यान्न बेच दिया गया उन्हें पुनः राशन दिलायेंगे ? यदि हाँ, तो समयावधि बतायें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) सेवा सहकारी समिति, हीरापुर की जांच कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी से कराई गई है, जिसमें सामग्री की अफरा-तफरी और गंभीर अनियमितता पाए जाने से समिति प्रबंधक एवं विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 एवं विनिर्दिष्ट भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 1988 की धारा 33 के अंतर्गत कार्यवाही की गई है । उपायुक्त सहकारिता, टीकमगढ को दोषी कर्मचारियों को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है । (ख) जी नहीं । पुलिस अधीक्षक टीकमगढ से प्राप्त जानकारी में इस प्रकार का कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है । शेष भाग का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है ।(ग) जी, हां । अपयोजित खाद्यान्न की मात्रा का अतिरिक्त आवंटन जनवरी, 2015 के खाद्यान्न आवंटन के साथ जारी किया जायेगा ।

लंबित मजदूरी का भुगतान एवं अधूरे कार्यों को पूर्ण किया जाना

8. **(क्र. 95) श्री संजय पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि वर्ष, 2005 अधिनियम के तहत रोजगार गारंटी योजना, कटनी जिले के जनपद पंचायत एवं बड़वारा में प्रारंभ की गई थी ? इस योजना के तहत् मजदूरों को 100 दिन का रोजगार दिलानें का कार्य प्रारंभ किया गया था ? वित्तीय वर्ष, 2014-15 में योजना से स्वीकृत कार्य, राशि के अभाव में अपूर्ण हैं, तथा मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं हो पा रहा ? (ख) क्या इन कार्यों को पूर्ण करने हेतु राशि उपलब्ध कराई जावेगी, तथा मजदूरों को मजदूरी भुगतान किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं, तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । जी हां । भारत सरकार का माह मार्च 2014 में लेखानुदान अनुमोदित होने के पश्चात राज्य शासन को अपेक्षानुरूप कम राशि प्राप्त हुई । नई लोकसभा के गठन उपरान्त केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पारित होने से राज्य शासन को राशि का प्रवाह बाधित हुआ है । राज्य शासन को राशि उपलब्ध होते ही मनरेगा वित्तीय प्रबंधन में सुधार की अपेक्षा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ख) उत्तरांश (क) के परिपेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

साख समितियों की साख एवं खाद्यान्न सामग्री का प्रदाय

9. **(क्र. 96) श्री संजय पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कटनी जिले के विधान सभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ एवं बड़वारा क्षेत्रांतर्गत कितनी सहकारी समितियां हैं ? क्या इनके द्वारा गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वालों को भी खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है ? यदि हां, तो कौन-कौन सी सामग्री, सामग्री का नाम एवं समितिवार मात्रा का ब्यौरा दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने हितग्राहियों को लाभ दिया गया ? समितिवार संख्या बतावें ? (ग) प्रश्नाधीन समितियों में से शासनाधीन कितनी समितियां हैं एवं कितनी रजिस्टर्ड व्यक्तिश: संचालित हैं, तथा कहां-कहां पर ? स्थानवार, संचालक का नाम एवं पते सहित सूची दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 94 सहकारी समितियां है. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का कार्य करने वाली 27 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां एवं 12 प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार उचित मूल्य दुकानों का संचालन कर रहे हैं. कलेक्टर (खाद्य) कटनी से प्राप्त जानकारी अनुसार गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले उन परिवारो को जिनका चयन प्राथमिकता परिवार के श्रेणियों में से किसी में हुआ है, खाद्यान्न, केरोसीन, शक्कर एवं नमक उपलब्ध कराया जा रहा है. समितिवार मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है. (ख) उत्तरांश "क" अनुसार समितिवार हितग्राही परिवारो की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है. (ग) प्रश्नाधीन सभी समितियां मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 के अन्तर्गत पंजीकृत है. व्यक्तिशः संचालित कोई समिति रजिस्टर्ड नहीं है. रजिस्टर्ड समितियों की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है.

विजयराघवगढ़ में आयोजित किये गये शिविर

10. **(क्र. 97) श्री संजय पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि कटनी जिले के विधानसभा क्षेत्र विजयराघवगढ़ क्षेत्रांतर्गत मा. मुख्यमंत्री महोदय के आदेशानुसार दिनांक 12.9.2014 से 21.9.2014 तक खाद्य विभाग की पात्रता पर्ची का वितरण तथा पेंशन के पात्र हितग्राहियों की पहचान एवं बी.पी.एल. के पात्र हितग्राहियों की पहचान साथ ही साथ बैंक में जन-धन योजना के तहत् खाता खोलने हेतु कैंप का आयोजन किया गया था ? (ख) क्या उक्त कैंप में 25,000 हितग्राहियों का परीक्षण किया गया था ? हां, तो इस कैंप में कितने हितग्राही उक्त योजनाओं में पात्र पाये गये और उन्हें योजनाओं का

लाभ देना प्रारंभ कर दिया गया है ? योजनावार पात्र हितग्राहियों की संख्या दें ? (ग) प्रश्नांश (क), (ख) के परिप्रेक्ष्य में यदि उक्त हितग्राहियों को लाभ नहीं दिया गया, तो कब तक दिया जाएगा ? एवं कितनों को किन-किन योजनाओं का लाभ दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । (ख) उक्त केंप के 30675 आवेदन प्राप्त हुए जिसमें से 8548 आवेदन पत्रों का परीक्षण किया जाना शेष है । 22127 आवेदन पत्रों में 5706 हितग्राही पात्र पाये गये जिन्हें नीचे दिये अनुसार योजना का लाभ दिया गया है । योजनावार पात्र हितग्राहियों की कुल संख्या 5706 है जिसमें से खाद्यान पर्जी 807, पेंशन 1333, बीपीएल 402 एवं जनधन योजना के 2164 है । (ग) प्रश्नांश 'क' के ख परिप्रेक्ष्य में शेष 8548 आवेदन पत्रों का परीक्षण कर पात्रतानुसार लाभ देने की कार्यवाही की जा रही है ।

आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें और उनका निराकरण

11. **(क्र. 108) श्री विश्वास सारंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) भोपाल जिले की ग्राम पंचायतों में 1 अप्रैल 2011 से 31 अक्टूबर 2014 तक किस-किस योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि किस-किस कार्य के लिए प्राप्त हुई ? योजनावार, राशिवार, वर्षवार जानकारी दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत पंचायतों ने निर्माण कार्य/मटेरियल खरीदी किस-किस एजेंसी से कराया/की ? उक्त एजेंसियों को कितना-कितना भुगतान किया गया ? वर्षवार, एजेंसीवार, भुगतान की जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत निर्माण कार्यों का भुगतान किस पदनाम/नाम के अधिकारी के भौतिक सत्यापन के बाद किया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

राजधानी भोपाल में स्थित पेट्रोल पंपों की जांच

12. **(क्र. 109) श्री विश्वास सारंग :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या 1 जुलाई 2014 से प्रश्न दिनांक तक राजधानी भोपाल में स्थित पेट्रोल पंपों की जांच की गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ? क्या भोपाल कलेक्टर ने रोजाना जांच के निर्देश दिए थे ? (ख) प्रश्नांश (क) के तहत कितने पेट्रोल पंपों पर क्या-क्या अनियमितताएं पायी गई ? पेट्रोल पंपों के नाम, पते व उनके मालिकों के नाम सहित क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई, सहित जानकारी दें ? (ग) प्रश्नांश (क) व (ख) के तहत अनियमितताएं पाए जाने वाले पंपों पर प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्रवाई की गई ? जानकारी दें ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी, हां । प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता । जी, नहीं । (ख) प्रश्नांश (क) में अंकित समयावधि में चार पेट्रोल पंपों पर अनियमितताएं पायी गई । पेट्रोल पंपों के नाम, पते व उनके मालिकों के नाम सहित पाई गई अनियमितता की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) जिन पंपों पर अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं, उन पंपों के संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 (ब) के तहत कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर कार्यवाही सक्षम अधिकारी (कलेक्टर) के समक्ष विचाराधीन है ।

परिशिष्ट – "सत्ताईस"

अनूपकुमार जैन मुख्य कार्य पालन अधिकारी की अनियमितता की जॉच के संबंध में

13. **(क्र. 141) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मंदसौर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक में कार्यरत मुख्यकार्यपालन अधिकारी श्री अनूपकुमार जैन जब खण्डवा में पदस्थ थे, उनके विरूद्ध जबलपुर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश के पालन में आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक द्वारा 35 बिंदुओं की जॉच हो गई ? यदि नहीं, तो कितने बिंदुओं पर जॉच होना बाकी है ? जिन बिंदुओं पर जॉच हो गई, उसमें दोषी पाये गये हैं ? यदि हां, तो कोई कार्यवाही हुई है क्या ? (ख) आर्थिक अपराध अनुसंधान ब्यूरो ने विभाग को श्री अनूप कुमार जैन को निलंबन के लिए लिखा है ? यदि हां, तो क्या अभी निलंबित है ? (ग) क्या मंदसौर जिला सहकारी बैंक के प्रधान कार्यालय में 32 लाख का फर्जी डबल बिलों का भुगतान किसके आदेश से हुए है ? क्या सभी बने ड्राफ्ट के भुगतान खाते में डालने के बजाय सीधे-सीधे नगद किये गये है ? यदि हां, तो क्या किसी अधिकारी कर्मचारी पर एफ.आई.आर. की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जॉच करवाकर दोषी पर कार्यवाही करेंगे ? (घ) जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मंदसौर प्रधान कार्यालय में हुये करोड़ो के गबन एवं घोटाले एवं सावन, नीमच, जीरन में दिये गये वेयर हाउस ऋण के घोटाले तथा गौशाला मंदसौर में हुये लाखो के घोटाले को बैंक संचालक मण्डल में तथा जिला स्तरीय मंदसौर एवं नीमच जिले की गबन घोटाला समिति को जानकारी दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं दी गई ? क्या इन घोटालों में जवाबदार अधिकारी शामिल है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 35 शिकायतों में से 09 शिकायतों की जांच हुई है. 26 शिकायतों की जांच होना बाकी है. जी हां. श्री अनूप कुमार जैन, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खंडवा की एक वेतन वृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने का दंड दिया गया है. (ख) जी नहीं. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर के प्रधान कार्यालय में 32 लाख नहीं अपितु 30.79 लाख के डबल बिलों का भुगतान बैंक द्वारा कराई गई जांच के अनुसार श्री राजमल भाटी, तत्कालीन लिपिक के द्वारा फर्जी पत्र तैयार कर करवाया जाना पाया गया है. उप आयुक्त, सहकारिता, जिला रतलाम की जांच के अनुसार तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, श्री अनूप कुमार जैन के हस्ताक्षर से जारी पत्रों के आधार पर किया जाना पाया गया है. जी हां. रूपये 30.79 लाख में से रूपये 4.95 लाख की राशि के संबंध में नगर पंचायत, जावद द्वारा पुलिस थाना, जावद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो पुलिस अनुसंधान में है. जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर से प्राप्त जानकारी के अनुसार समस्त विभागीय जांच प्रकरणों का निराकरण नहीं होने से प्रकरण में एफआईआर दर्ज नही कराई गई है. विभागीय जांच प्रकरणों की जांच करा ली गई है, प्राप्त प्रतिवेदनों को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर की आगामी स्टाफ उप समिति की बैठक में निर्णय हेतु रखा जायेगा एवं निर्णय अनुसार कार्यवाही संपादित की जायेगी. समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है. श्री राजमल भाटी, तत्कालीन लिपिक से रूपये 30.79 लाख की राशि जमा करवाई गई है. (घ) जी हां. शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. जी हां, तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु जांच प्रतिवेदन, म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, भोपाल को प्रेषित किया गया है. दोषियों से राशि की वसूली हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 58 (बी) के अंतर्गत प्रकरण तैयार करने हेतु जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मंदसौर के सनदी लेखापाल को निर्देशित किया गया है. श्री सुमित ओझा, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, शाखा सावन, शाखा नीमच शहर एवं शाखा जीरन को सेवा से पृथक का दंड दिया गया है तथा श्री मंगल सिंह मौर्य, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, नीमच शहर को निलंबित किया गया है, इनके विभागीय जांच प्रकरण में बैंक स्टाफ उप समिति की आगामी बैठक में निर्णय लिया जावेगा. वेयर हाउस की रसीद तारण ऋण योजनान्तर्गत ऋण वितरण में आर्थिक अनियमितताओं से संबंधित प्रकरणों में ऋण वसूली हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 84(क) के अंतर्गत 72 प्रकरण राशि रूपये 10.30 करोड़ के न्यायालय में प्रस्तुत किये गये हैं, इनमें से 53 प्रकरण में शोध्य प्रमाण पत्र जारी हो चुके है. 63 ऋण प्रकरणों में चेक बाउंस होने से धारा 138, निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कराये गये हैं, पुलिस थाना नीमच सिटी में वेयरहाउस मालिक, ऋणियों तथा दोषी शाखा प्रबंधकों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं. शाखा मदंसौर शहर में रूपये 37.65 लाख की आर्थिक

अनियमितताओं में रूपये 19.50 लाख जमा हुये है, शेष राशि रूपये 18.15 लाख की वसूली नहीं होने से दोषियों के विरूद्ध पुलिस थाना शहर कोतवाली मंदसौर में एफआईआर दर्ज कराया गया है.

पुलिस चौकी भैसोदामण्डी का उन्नयन

14. **(क्र. 142) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी भैसोदामण्डी जो कि राजस्थान की सीमा से लगी हुई है, के उन्नयन हेतु विभाग के पास कोई प्रस्ताव आया है ? यदि हां, तो क्या पुलिस चौकी उन्नयन के मापदण्डों को पूर्ण करती है ? यदि हां, तो विभाग कब तक भैसोदामण्डी पुलिस चौकी का उन्नयन करेगा ? (ख) क्या गरोठ तहसील के बोलिया एवं खडावदा में पुलिस चौकी स्थापना हेतु विभाग को कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या वहां पुलिस चौकी की स्थापना कर दी गई है ? यदि नहीं, तो विभाग आवश्यक परीक्षण करवाकर स्थाई पुलिस चौकी खोलेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हां । जी नहीं । प्रस्ताव मापदण्ड को पूर्ण नही किये जाने के कारण अमान्य किया गया । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (ख)जी हां । जी नहीं । दोनो प्रस्ताव मापदण्ड के अनुरूप न होने के कारण अमान्य किये गये । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता ।

नवीन उचित मूल्य की दुकान खोलने

15. **(क्र. 143) श्री राजेश धरमवीर सिंह यादव :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नवीन उचित मूल्य की दुकान खोलने की क्या नीति है ? नवीन उचित मूल्य की दुकान खोलने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा घोषणाओं के परिपालन में कोई कार्यवाही की गई है ? (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल कितने ग्राम हैं, जिनको 5 से अधिक कि.मी. दूर चल कर अपना खाद्यान्न लेने जाना पड़ता है ? क्या ऐसे स्थानों को चिन्हित कर विभाग वहां उचित मूल्य की दुकान या खाद्यान्न वितरण केन्द्र का कार्य किया जा सकता है ? यदि हां, तो कब तक ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश के प्रावधान के अंतर्गत नवीन उचित मूल्य दुकानें आवंटित की जाती हैं । माननीय मुख्यमंत्रीजी की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान ग्राम पंचायत विश्निया विकासखण्ड गरोठ में उचित मूल्य दुकान खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसके पालन में सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व,) गरोठ) द्वारा आदेश क्र./स/रीडर-1/2014/1028-1029, दिनांक 04/03/2014 जारी किया जाकर ग्राम विशनिया विकासखण्ड गरोठ में नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान खोली गई है, जहां से सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं को दिनांक 01/12/2014 से प्रारंभ होगा । (ख) गरोठ विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कुल 28 ऐसे ग्राम हैं, जिनके उपभोक्ताओं को 05 किमी से अधिक दूरी तय कर खाद्यान्न सामग्री प्राप्त करने जाना पडता है । नियमों में 5 किमी से अधिक दूरी वाले ग्रामों में दुकान खोले जाने का बंधन नहीं होने से ऐसे ग्रामों में नवीन दुकान खोले जाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है ।

सरपंच/सचिव द्वारा की गई अनियमितताओं की जॉच

16. **(क्र. 160) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) देवास जिले के बागली एवं कन्नौद विकासखण्ड की किन-किन ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव की अनियमितताओं तथा वित्तीय गड़बड़ियों, अपने रिश्तेदारों को शासन की योजनाओं का लाभ देने की शिकायतें जनवरी, 2011 से नवम्बर, 2014 तक की अवधि में प्राप्त हुई ? (ख) उक्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ? किन-किन शिकायतों की जांच, जॉच दल गठित करवाकर की गई ? (ग) जॉच दल द्वारा किन-किन सरपंच/सचिवों को दोषी पाया गया, तथा उनके खिलाफ आज दिनॉक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (घ) किन-किन दोषी सरपंच/सचिवों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई, तथा क्यों ? कारण बतायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) देवास जिले के बागली एवं कन्नौद विकासखण्ड की ग्राम पंचायतों के सरपंच/सचिव की अनियतिता तथा वित्तीय गडबडियों, अपने रिश्तेदारों को शासन की योजनाओ का लाभ देने की शिकायतें जनवरी 2011 से नवम्बर 2014 तक की अवधि में प्राप्त हुई है :-

वर्ष	वि.ख. बागली	वि.ख. कन्नौद
2011-12	11	03
2012-13	08	06
2013-14	12	05
2014-15	12	03
कुल	43	17

इस प्रकार कुल 60 शिकायतें प्राप्त हुई है ।

(ख) प्राप्त शिकायतों पर जांच दल गठित कर शिकायत की जांच की जाकर दोषी सरपंच/सचिव के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की गयी । (ग) जांच दल द्वारा प्रतिवेदन अनुसार दोषी सचिवों को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच की कार्यवाही की गई तथा सरपंच के विरुद्ध धारा 40 की कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को प्रकरण प्रेषित किये गये है । (घ) जांच में दोषी पाये गये सरपंच/सचिव के खिलाफ की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-"अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार ।

मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की अपूर्ण सड़कें पूर्ण किया जाना

17. **(क्र. 161) श्री चम्पालाल देवड़ा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत देवास जिले में स्वीकृत किन-किन सड़कों का कार्य कब पूर्ण हुआ, तथा उनकी गारंटी अवधि कब तक की है ? (ख) किन-किन स्वीकृत सड़कों का कार्य अपूर्ण तथा अप्रारंभ है, तथा क्यों ? सड़कवार कारण बतायें ? उक्त कार्य कब तक पूर्ण होगा ? (ग) उक्त सड़क निर्माण कार्यों में घटिया निर्माण तथा प्राक्कलन टी.एस. अनुसार कार्य न करने की कितनी शिकायतें शासन तथा जिला प्रशासन को 01.01.11 से नवम्बर, 2014 की अवधि में प्राप्त हुई ? (घ) उक्त शिकायतों पर आज दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (ग) माननीय विधायक जी, बागली में हाट पिपरिया द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत सड़कों के घटिया

स्तर निर्माण की शिकायत की गई थी । अन्य स्त्रोत से की गई शिकायत की जानकारी एवं निराकरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है । (घ)माननीय विधायक जी द्वारा की गई शिकायत के आधार पर 05 सड़कों की जांच एस.क्यू.एम. द्वारा कराई गई, जांच में कार्य संतोषप्रद पाया गया । शेष जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।

<u>जिला राजगढ़ अन्तर्गत सरपंचों को धारा-40 में पद से पृथक किया जाना</u>

18. **(क्र. 176) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ अन्तर्गत 01.01.2013 से प्रश्न दिनांक तक कितने ग्राम सरपंचों के विरूद्ध पद से पृथक करने हेतु धारा 40 के प्रकरण पंजीकृत किये गये हैं, जनपदवार सरपंच, ग्राम पंचायत के नाम, दिनांक सहित जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सरपंचों के विरूद्ध पंजीबद्ध धारा 40 के प्रकरणों में कितने व किन-किन सरपंचों को पद से पृथक करने की कार्यवाही की गई है ? कितने प्रकरण विचाराधीन है एवं कितने प्रकरणों में दोषमुक्त किया गया है ? (ग) प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार, जिला राजगढ़ अन्तर्गत ऐसे कितने प्रकरण है जिसमें ग्राम पंचायत के सरपंचों के साथ-साथ सचिवों को भी दोषी माना गया है उनमें से कितने प्रकरणों में से सरपंचों के साथ सचिवों के विरूद्ध भी कार्यवाही की गई ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)जानकारी परिशिष्ट-"क" अनुसार । (परिशिष्ट पुस्तकालय में रखे अनुसार) (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार सरपंचों के विरूद्ध पंजीबद्ध धारा 40 के प्रकरणों में 16 सरपंचों को पद से पृथक किया गया है एवं 43 सरपंचों को दोषमुक्त किया गया तथा 26 प्रकरण विचाराधीन है । जानकारी परिशिष्ट-"क" अनुसार । (परिशिष्ट पुस्तकालय में रखे अनुसार) (ग)प्रश्नांश (क) एवं (ख) के अनुसार जिला राजगढ अन्तर्गत 24 प्रकरणों में ग्राम पंचायत के सरपंचों के साथ-साथ सचिवों को भी दोषी माना गया है, उनमें से 14 प्रकरणों में सरपंचों के साथ सचिवों के विरूद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की गई है तथा 10 सचिवों के विरूद्ध कार्यवाही प्रचलित है । जानकारी परिशिष्ट-"क" अनुसार । (परिशिष्ट पुस्तकालय में रखे अनुसार)

<u>जनपद पंचायत सारंगपूर अन्तर्गत विभिन्न मदों में स्वीकृत कार्यो की मजदूरी एवं सामग्री का भुगतान</u>

19. **(क्र. 177) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला राजगढ़ की जनपद पंचायत सारंगपुर में वर्ष, 2013-14 में विभिन्न मदों में स्वीकृत कार्यो के विरूद्ध निर्माणाधीन कार्यो में हुये व्यय की राशि के अन्तर्गत मजदूरों की मजदूरी एवं खरीदी गई सामग्री की राशि का प्रश्न दिनांक तक कितना भुगतान शेष है ? ग्राम पंचायतवार, मदवार, कार्यवार शेष भुगतान राशि का विवरण दें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार दर्शायी गई शेष राशि का भुगतान न करने के क्या कारण है एवं उक्त राशि का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा, तथा विलम्ब से भुगतान करने के लिये कौन-कौन अधिकारी जिम्मेदार है ? एवं उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मनरेगा योजनान्तर्गत राजगढ़ जिले की जनपद पंचायत सारंगपुर में वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कार्यों के विरूद्ध निर्माणाधीन कार्यों में हुये व्यय की राशि के अंतर्गत 22.49 लाख मजदूरो की मजदूरी एवं 263.29 लाख खरीदी गई सामग्री की राशि कुल राशि रूपये 285.78 लाख का भुगतान शेष है । ग्राम पंचायतवार, मदवार एवं कार्यवार जानकारी पुस्तकालय में परिशिष्ट पर है । (ख) भारत सरकार का माह मार्च 2014 में लेखानुदान अनुमोदित होने के पश्चात राज्य शासन को अपेक्षानुरूप कम राशि प्राप्त हुई । नई लोकसभा के गठन उपरान्त केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पारित होने से राज्य शासन को राशि का प्रवाह बाधित हुआ है । राज्य शासन को राशि उपलब्ध होते ही मनरेगा वित्तीय प्रबंधन में सुधार की अपेक्षा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं उपभोक्ता भण्डारो की रोस्टर अनुरूप जॉंच

20. **(क्र. 178) श्री कुँवरजी कोठार :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला राजगढ़ अंतर्गत विधान सभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं उपभोक्ता भण्डारों की जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा जॉंच करने हेतु रोस्टर निर्धारित है ? यदि हां, तो जिला राजगढ़ अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में किन-किन अधिकारियों के द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं उपभोक्ता भण्डारों का वर्ष, 2013-2014 एवं दिनांक 01.04.2014 से 31.10.2014 तक कब-कब जॉंच की गई है ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार जिला राजगढ़ अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर में किस-किस शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं उपभोक्ता भण्डारों पर क्या-क्या अनियमितता पाई गई एवं उनके विरूद्ध सक्षम अधिकारी द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) अनुसार निर्धारित रोस्टर अनुसार जॉंच न करने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जिला राजगढ़ अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सारंगपुर अंतर्गत खाद्यान्न वितरण हेतु संचालित शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं उपभोक्ता भण्डारों की जांच हेतु अनुविभाग स्तर पर कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों का रोस्टर निर्धारित है । रोस्टर अनुसार कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सारंगपुर/पचौर ब्यावरा शासकीय उचित मूल्य की दुकान एवं उपभोक्ता भण्डारों की प्रश्नांश अवधि के दौरान जांच की गई, जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित अवधि में कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारियों के जांच समय केवल एक उचित मूल्य दुकान सरेडी में अनियमितता पाई गई, जिसका विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । (ग) प्रश्नांश (क) के उत्तर के साथ संलग्न परिशिष्ट 'अ' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "अट्ठाईस"

ग्रामीण विकास मदों से स्वीकृत कार्य

21. **(क्र. 220) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा द्वारा मनरेगा एवं पंच परमेश्वर योजना अंतर्गत विगत पॉंच वर्षों में किन-किन कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई है, तथा कार्यों की मूल्यांकन राशि सहित वर्तमान भौतिक स्थिति संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जावें ? (ख) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा क्षेत्र की जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा द्वारा विगत पॉंच वर्षों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले कितने हितग्राहियों को किन-किन योजनाओं में लाभान्वित किया गया ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला धार के विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी की जनपद पंचायत धरमपुरी एवं नालछा में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2014-15 तक मनरेगा अंतर्गत 1851 कार्य एवं पंच परमेश्वर योजनान्तर्गत 311 कार्य स्वीकृत किये जाकर राशि रू. 3850.52 लाख व्यय की गई है । कार्यों की वर्षवार व्यय एवं मूल्यांकन राशि की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1, 2, एवं 3 अनुसार है । (ख) जिला धार की विधानसभा क्षेत्र धरमपुरी की जनपद पंचायत धरमुपरी एवं नालछा में वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2010-15 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को योजनावार लाभान्वित किये जाने की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-4 अनुसार है ।

महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाऐं

22. **(क्र. 243) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01 जून, 2014 से प्रश्नांकित दिनांक तक की अवधि में प्रदेश में कुल कितनी महिलाओं के साथ बलात्कार/सामूहिक बलात्कार की घटनाएँ घटित हुई हैं ? कृपया अ.जा., अ.ज.जा. पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग एवं वयस्क/अवयस्क महिलाओं सहित जिलेवार जानकारी दें ? इनमें से कितनी महिलाओं की हत्या हुई एवं कितनों ने आत्महत्या की ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में कितने प्रकरणों में आरोपियों को हिरासत में लिया गया है ? कितने आरोपी फरार है ? जिलेवार जानकारी दें ? (ग) प्रदेश में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए राज्य शासन द्वारा क्या-क्या प्रयास किए गए/किये जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' अनुसार है । (ग) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है ।

प्रदेश में मानव तस्करी के प्रकरण

23. **(क्र. 244) श्री रामनिवास रावत :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में 1 जून, 2014 से 10 नवंबर, 2014 तक की अवधि में महिलाओं की मानव तस्करी/अपहरण/गुमशुदगी के कितने प्रकरण पंजीबद्ध हुए ? इनमें से कितनी महिलाएँ विवाहित/अविवाहित एवं अवयस्क थी ? महिलाओं की वर्गवार (सामान्य, पिछडावर्ग, अ.जा. एवं अ.ज.जा.). वर्षवार, संख्या सहित जानकारी जिलेवार दें ? (ख) प्रश्नांश (ख) अनुसार कितनी महिलाएँ बरामद की गई हैं ? तथा उक्त घटनाओं को अंजाम देने वाले कितने आरोपियों/सरगनाओं को कहां-कहां से गिरफ्तार किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) 9428 प्रकरण पंजीबद्ध हुए । जिलेवार जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। (ख) 4688 महिलायें बरामद की गई हैं । जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । उक्त घटनाओं को अंजाम देने वाले आरोपियों/सरगनाओं को थाना क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न स्थानों से घर, रेल्वे स्टेशन, बस स्टाप से, संबंधित के ग्राम मोहल्ला, एवं अन्यत्र स्थानों से गिरफ्तार किया गया है ।

परासिया वि.स. क्षेत्र में हत्या के अपराधियों पर कार्यवाही

24. **(क्र. 249) श्री सोहनलाल बाल्मीक :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परासिया विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत हर्रई में ग्राम शंकरगढ़ में कु.रोशनी बावरिया, पिता भोलाप्रसाद बावरिया 20 मार्च, 2014 से लापता थी ? दिनांक 4 अक्टूबर, 2014 को कु. रोशनी बावरिया की लाश ग्राम शंकरगढ़ में प्राप्त हुई ? इसमें मुख्य रूप से आरोपी गनेश डेहरिया, पिता फुल्लू डेहरिया पर पुलिस द्वारा क्या हत्या का प्रकरण बनाया गया ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ? (ख) पीड़ित परिवार द्वारा इस हत्या में दो अन्य आरोपी सियाराम यादव एवं पंचम के शामिल होने के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है, पर पुलिस द्वारा अभी तक इन दोनों आरोपियों पर क्यों कार्यवाही नहीं की गई ? कब तक इन पर कार्यवाही होगी ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) दिनांक 02.10.2014 को श्रीमती सरोज पति भोला बावरिया निवासी शंकरगढ़ द्वारा थाना आकर रिपोर्ट की कि उनकी लड़की रोशनी बावरिया उम्र 21 साल, दिनांक 30.04.2014 से बिना बताये कहीं चली गई है । रिपोर्ट

पर दिनांक 02.10.2014 को गुमशुदा व्यक्ति की सूचना दर्ज की गई । दिनांक 04 अक्टूबर 2014 को कुमारी रोशनी बावरिया की लाश ग्राम शंकरगढ़ में प्राप्त हुई थी । जिस पर थाना परासिया में अप0क्र0 596/14 धारा 302, 201, 34 भा.द.वि. का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं प्रकरण की विवेचना पर आरोपी गणेश डेहरिया पिता फुल्लू डेहरिया को दिनांक 04.10.2014 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया ।(ख) मृतिका के माता-पिता के कथनों के आधार पर दो अन्य आरोपी सियाराम यादव एवं पंचम के शामिल होने के संबंध में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई । प्रकरण की विवेचना उपरांत आरोपी सियाराम यादव एवं पंचम मर्सकोले निवासी शंकरगढ़ को उक्त अपराध में दिनांक 10.11.2014 को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया ।

<u>स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण</u>

25. **(क्र. 269) श्री मुकेश नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या श्योपुर जिले के कराहल ब्लाक के बाढ़ पंचायत में घरों में स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत सरकार के द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के यहां बनाये गये शौचालयों की स्थिति का पता लगाया गया ? (ख) बाढ़ पंचायत में स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत सरकार के द्वारा बनाये गये शौचालयों के हितग्राहियों की सूची में 46 बीपीएल परिवारों का नाम दर्ज है जिनके यहां 2010-11 में शौचालय का निर्माण बताया गया है ? (ग) क्या जॉच में सूची में दर्ज 46 परिवारों के यहां शौचालय का निर्माण नहीं हुआ है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । श्योपुर जिले के कराहल ब्लाक के बाढ पंचायत में स्वच्छता अभियान/निर्मल भारत अभियान अंतर्गत सरकार द्वारा गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों के यहॉ शोचालयों का निर्माण नहीं कराया गया है । (ख) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।(ग) प्रश्नांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

<u>संपूर्ण स्वच्छता अभियान अथवा निर्मल भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण</u>

26. **(क्र. 270) श्री मुकेश नायक** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मध्यप्रदेश में अप्रैल, 2008 से अक्टूबर 2014 तक कितने हितग्राहियों के यहां सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान अथवा निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत शौचालय बनाये गये ? वर्षवार एवं जिलावार जानकारी दें ? (ख) अप्रैल, 2008 से अक्टूबर, 2014 की अवधि में शौचालय निर्माण कर लिए जाने की सूची में जुड़े हुए ऐसे कितने हितग्राही है, जिनके यहां शौचालय बनाये ही नहीं गये अथवा टूट फूट के कारण बंद पड़े हैं ? वर्षवार एवं जिलावार जानकारी दें ? (ग) सूची में नाम होने के बावजूद शौचालय विहीन या बंद शौचालय वाले परिवारों के लिए क्या योजना है ? (घ) शौचालय विहीन होने के बावजूद हितग्राहियों के नाम सूची में जोड़ने वाले कहां-कहां कितने अधिकारियों पर कार्यवाही की गई है ? यदि कार्यवाही नहीं की गई, तो कब तक उन्हें दंडित किया जाएगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) 3175172 शौचालय बनाये गये । शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) 637517 शौचालय टूट-फूट के कारण बंद पडे है । शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।(ग) स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ऐसे परिवारों को अनुदान देने का प्रावधान नहीं है । किन्तु योजना के प्रावधान अनुसार इन्हें प्रेरित किया जाकर तकनीकी विकल्पों की जानकारी देकर तथा परिक्रामी निधि से उधार दिए जाने का प्रावधान है । (घ) प्रश्नांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नही होता ।

परिशिष्ट – "उनतीस"

मनरेगा के सिंचाई हेतु तालाब/डेम/वाटर शेड का निर्माण

27. **(क्र. 271) श्री मुकेश नायक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) पन्ना जिले की पवई विधान सभा क्षेत्र (पवई तहसील) के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 से प्रश्न दिनांक तक मनरेगा/अन्य मद से कौन-कौन सी सिंचाई तालाब/डेम/वाटर शेड कितनी लागत से कहां-कहां स्वीकृत किये गए है विवरण दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के स्वीकृत कार्यों में से कितने पूर्ण हो गए कितने अपूर्ण है विवरण दें जो अपूर्ण है वे कब तक पूर्ण कर लिए जायेंगे बताएं अब तक पूर्ण न करने के लिए कौन-कौन दोषी है बताएं ? (ग) प्रश्नांश (ख) के पूर्ण कार्यों की गुणवत्ता ठीक न होने की प्राप्त शिकायतों के संबंध में शिकायतवार ,कार्यवाहीवार विवरण दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 के अनुसार है । (ख) स्वीकृत कार्यों में से मनरेगा/अन्य मद से कुल स्वीकृत 137 कार्यों में से 95 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं 42 अपूर्ण हैं । अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने की संभावित दिनांक परिशिष्ट-1 के कालम 9 में दर्शित है । कार्यों की पूर्णता, योजना अनुसार, मजदूरों की मांग पर निर्भर है ।(ग) पूर्ण कार्यों की गुणवत्ता ठीक न होने संबंधी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

निशक्तजनों का सर्वे

28. **(क्र. 276) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में निशक्तजनों का सर्वे किस आधार पर किया जाता है ? (ख) म.प्र. शासन द्वारा निशक्तजनों को लाभ किस सर्वे के आधार पर दिया जाता है ? (ग) सुवासरा विधान सभा क्षेत्र में कितने निशक्त जनों को आर्थिक सहायता या अन्य सहायता दी गई है ? संख्या बताये ?(घ) दुर्घटना में विकलांग हुए व्यक्तियों को शासन द्वारा क्या लाभ दिया जाता है ? सुवासरा विधान सभा में दुर्घटना में विकलांग हुए कितने व्यक्तियों को क्या लाभ मिला ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मध्यप्रदेश निःशक्तजनों का सर्वे शासन द्वारा प्रसारित निर्देशों के तहत किया जाता है । मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग के ज्ञापन क्र0 एफ-3-5/2011/26-2 दिनांक 18/04/2011द्वारा प्रदेश में निःशक्तजनों का सर्वे कराया गया है ।(ख) निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 के तहत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित निःशक्तता के कम से कम 40 प्रतिशत ग्रस्त है, को लाभान्वित किया जाता है ।(ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है । (घ) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है ।

परिशिष्ट – "तीस"

पंचायत विभाग में सहायक सचिवों की सुविधायें

29. **(क्र. 277) श्री हरदीप सिंह डंग :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. में सहायक सचिव के रूप में कुल कितनी नियुक्तियॉं की गई हैं ? (ख) नियुक्त सहायक सचिवों के वेतन भत्ते आदि किस श्रेणी के आधार पर रखे हैं ? नियुक्त सहायक सचिव के अन्यत्र स्थान पर शासकीय कार्य हेतु जाने पर इन्हें कितने रूपये प्रतिदिन यात्रा भत्ता दिया जाता है ? (ग) सहायक सचिवों के अधिकार क्षेत्र में कार्यों की जानकारी दें ? (घ) क्या विभागीय मंत्री द्वारा सहायक सचिवों के वर्तमान प्राप्त मानदेय को डेढ़ गुना करने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)म.प्र. में सहायक सचिव के रुप में कोई नियुक्तियां नहीं की गई । मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र क्रमांक 932/261/13/22/पं-1, भोपाल, दिनांक 06.07.2013 द्वारा ग्राम रोजगार सहायक को सहायक सचिव अधिसूचित करने के निर्देश जारी किये गये है । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जानकारी परिशिष्ट-"क" पुस्तकालय में रखे अनुसार । (घ) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरणों की जानकारी

30. **(क्र. 284) श्री रामलाल रौतेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में वर्ष, 2010 से 10 नवम्बर, 2014 तक अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत कुल कितने प्रकरण कायम किए गये हैं ? थानावार, अभियुक्त का नाम, पता पूर्ण विवरण सहित जानकारी प्रदान करें ? (ख) दर्ज प्रकरणों में किन-किन पर विवेचना जारी है ? तथा किन प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किया गया है ? शेष बचे प्रकरणों का चालान कब तक प्रस्तुत किया जाएगा ? (ग) क्या अभियोगीगण किसी राजनैतिक दल के पदाधिकारी थे, एवं हैं ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) 256, विवरण पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है ।(ख) शेष 11 प्रकरण विवेचना में है । विवेचना पूर्ण होने के उपरांत माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुत किये जावेंगे । विस्तृत जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है । (ग) अभिलेख अनुसार अभियोगीगण किसी राजनैतिक दल के पदाधिकारी ना थे और ना ही हैं ।

अधिकारियों के साथ बैठक की जानकारी

31. **(क्र. 285) श्री रामलाल रौतेल :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन, गृह विभाग ने प्रदेश के मा. सांसदों एवं विधायकगणों के साथ प्रतिमाह राजपत्रित स्तर के अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश जारी किया है ? यदि हां, तो निर्देश की कॉपी उपलब्ध करावें ? (ख) शहडोल/अनूपपुर/उमरिया जिले में अब तक कुल कितनी बैठकें सम्पन्न हुई हैं ? बैठक दिनांक, स्थान तथा उपस्थिति मा. जनप्रतिनिधियों का नाम सहित जानकारी प्रदान करें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी नहीं । (ख) प्रश्नांश "क" के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अनूपपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत संपन्न शादी/निकाह

32. **(क्र. 286) श्री रामलाल रौतेल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) अनूपपुर जिले में वित्तीय वर्ष, 2012-13 एवं 13-14 में कन्यादान योजना के तहत् कितने जोडों की शादी एवं निकाह सम्पन्न हुए है ? विकास खण्डवार सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करें ? (ख) क्या यह सही है कि अनुपपुर जिले में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत् लोग शादी नहीं कराना चाहते हैं या विभाग रूचि नहीं ले रहा है ? विभाग द्वारा रूचि नहीं लेने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" अनुसार है । (ख) जी नही ।

परिशिष्ट – "इकतीस"

सिवनी जिले के अंतर्गत मनरेगा की राशि का भुगतान

33. **(क्र. 306) श्री रजनीश हरवंश सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले के अंतर्गत मनरेगा में लगे मजदूरों को मजदूरी का भुगतान कब से नही किया गया है ? (ख) उक्त मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं करने के क्या कारण है ? (ग) सिवनी जिले में मनरेगा योजना के अंतर्गत विगत तीन वर्षो में कितनी राशि का भुगतान कितने मजदूरों को किया गया है ? (घ) सिवनी जिले के अंतर्गत मनरेगा योजना में कितनी राशी का भुगतान किया जाना है और कितने मजदूरों का भुगतान किया जाना है ? ब्लाकवार विवरण दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जिला सिवनी में मनरेगा योजनान्तर्गत माह अक्टूबर 2014 में राशि रू. 24.00 लाख का मजदूरी का भुगतान किया गया । (ख) भारत सरकार का माह मार्च 2014 में लेखानुदान अनुमोदित होने के पश्चात राज्य शासन को अपेक्षानुरूप कम राशि प्राप्त हुई । नई लोकसभा के गठन उपरान्त केन्द्र शासन द्वारा प्रस्तुत सामान्य बजट पारित होने से राज्य शासन को राशि का प्रवाह बाधित हुआ है । राज्य शासन को राशि उपलब्ध होते ही मनरेगा वित्तीय प्रबंधन में सुधार की अपेक्षा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) मनरेगा योजनान्तर्गत विगत तीन वर्षों में 4.03 लाख मजदूरों को राशि रू. 15995.30 लाख मजदूरी का भुगतान किया गया है । (घ) मनरेगा योजनान्तर्गत सिवनी जिले में मजदूरों को राशि रू. 288.18 लाख का भुगतान तथा 181007 मजदूरों को भुगतान हेतु ब्लाकवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट – "बत्तीस"

13वें वित्त आयोग अंतर्गत राशि का आवंटन एवं उपयोग

34. **(क्र. 328) श्री मेव राजकुमार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में परफार्मेंस ग्रांट फण्ड की राशि से खरगौन जिले में जनपद पंचायतवार वर्ष, 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 में विभागों एवं जनपद पंचायतों में कितनी-कितनी राशि का आवंटन उपलब्ध कराया गया ? उपलब्ध आवंटन के आधार पर कितनी राशि का उपयोग किया गया ? कितनी राशि शेष है ? क्या राशि के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिये गये ? (ख) प्रश्नांश (क) के संदर्भ में जिले में उपलब्ध राशि के आधार पर जनपद पंचायतों द्वारा एवं विभाग द्वारा कितने-कितने कार्य, कौन-कौन से कार्य (कार्यवार एवं वर्षवार सूची) स्वीकृत किये गये ? कितने कार्य पूर्ण हुऐ ? कितने कार्य प्रगतिरत होकर अपूर्ण हैं ? एवं कितने कार्य अप्रारंभ हैं ? क्या पूर्ण कार्यों में सी.सी. जारी किये गये ? यदि हां, तो कितने कार्यों में ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)जानकारी परिशिष्ट-"अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार । जी हॉं । (ख)जानकारी परिशिष्ट-"ब" पुस्तकालय में रखे अनुसार ।

आ.जा. से सह. संस्थाओं में खाद की आपूर्ति

35. **(क्र. 338) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भीकनगॉव विधान सभा अन्तर्गत समस्त आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं में खाद उपलब्ध है ? (ख) क्या यह सही है कि भीकनगांव विधान सभा क्षेत्र में खाद का अभाव होने के कारण किसानों को ऊँचे दामों पर बाजार से खाद क्रय करना पड़ता है ? क्या इसकी कालाबाजारी रोकने हेतु शासन उचित व्यवस्था करेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. (ख) चूंकि भीकनगांव विधान सभा क्षेत्र के समस्त 20 आदिम जाति सेवा सहकारी संस्थाओं में खाद उपलब्ध है, अत: शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

एपीएल परिवार के लोगों को विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन का प्रदाय

36. **(क्र. 339) श्रीमती झूमा सोलंकी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या एपीएल परिवार के विकलांग, विधवा, वृद्धावस्था सदस्य जिनका भरण-पोषण का पर्याप्त साधन नहीं है तथा भूमिहीन है, उन्हें किसी प्रकार की पेंशन प्रदान की जा सकती है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : जी नहीं ।

बी.आर.जी.एफ. योजना अंतर्गत प्राप्त आवंटन

37. **(क्र. 349) श्री कालुसिंह ठाकुर :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धार जिले में B.R.G.F. योजना अंतर्गत 5 वर्षों में कितना आवंटन प्राप्त हुआ तथा जिला पंचायत धार द्वारा जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों में कितनी राशि के कार्य स्वीकृत किये गये विधान सभा क्षेत्रवार जानकारी बतावें ? (ख) धार जिले की धरमपुरी विधानसभा में B.R.G.F. योजना अंतर्गत कम काम स्वीकृति का कारण बताइए, तथा यह भी बतावें की योजना में क्या-क्या प्रावधान है ? क्या संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा कम काम स्वीकृत किये गये ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) धार जिले में 5 वर्षो में राशि रुपये 70.78 करोड का आवंटन प्राप्त हुआ । विधानसभावार जानकारी परिशिष्ट-"अ" के कॉलम 3 एवं 4 अनुसार । (ख) बी.आर.जी.एफ योजनांतर्गत योजना के प्रावधान अनुसार जिला योजना समिति (डीपीसी) द्वारा कार्य स्वीकृत किये गये है । जानकारी परिशिष्ट-"अ" के सरल क्रमांक 2 के कॉलम 3 एवं 4 अनुसार । योजना के प्रावधान हेतु भारत सरकार की मार्गदर्शिका परिशिष्ट-"ब" पुस्तकालय में रखे अनुसार । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

स्थायी परमिट में अनियमितता

38. **(क्र. 376) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन संभाग में ऐसे कितने वाहनों के स्थाई परमिट हैं, जो नवीनीकरण नहीं हुए हैं, वाहन क्रमांक, मार्ग का नाम, समय सूची सहित उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में ऐसे कितने वाहन हैं, जो स्थाई परमिट के स्थान पर अस्थाई परमिट पर प्रश्न दिनांक तक संचालित हैं ? (ग) अस्थाई परमिट पर वाहन स्थाई परमिट के समय चक्र पर कितने दिनों तक संचालित होने का नियम हैं ? (घ) नियम विरूद्ध अस्थाई परमिट, स्थाई परमिट के समय पर दिए गए है, इसके लिए कौन जवाबदार है व उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) उज्जैन संभाग अंतर्गत 614 वाहनों (बसों) के स्थायी परमिट नवीनीकरण नहीं हुए है उन सभी स्थायी अनुज्ञापत्रों के परमिट क्रमांक, वाहन क्रमांक, मार्ग का नाम समयसूची सहित जानकारी पुस्तकालय में रखें परिशिष्ट-'अ' अनुसार है । (ख) प्रश्नांश (क) के उत्तर के प्रकाश में जिन स्थायी परमिटों के नवीनीकरण नहीं हुए हैं, उनके स्थानं पर जनसुविधा हेतु 142 वाहनों को संचालन करने हेतु अस्थायी परमिट दिये गये है, जिसकी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'ब' अनुसार है । (ग) स्थायी परमिटों का नवीनीकरण आवेदन विचाराधीन होने की दशा में मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87(1)(डी) के अंतर्गत अधिकतम 4 माह तक की अवधि का अस्थायी परमिट स्वीकृत किये जा सकते है । (घ) मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 81 के अनुसार स्थायी परमिटों के नवीनीकरण के आवेदन स्थाई परमिट समाप्ति के 15 दिन पूर्व तक दिये जाने की प्रावधान है । निर्धारित अवधि में नवीनीकरण आवेदन प्राप्त ना होने पर स्थाई परमिट वैध ना होने से उनके समय पर अस्थाई परमिट जारी किये जा सकते है। शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाये

39. **(क्र. 377) श्री यशपालसिंह सिसौदिया :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम, मन्दसौर, नीमच जिले में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कौन-कौन सी योजना किस-किस नाम से वर्तमान में संचालित हैं ? (ख) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओ में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2010 से प्रश्न दिनांक तक कितनी-कितनी राशि प्राप्त हुई, तथा कितनी राशि खर्च की गई ? (ग) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित योजनाओं की एवं (ख) में वर्णित वित्तीय वर्ष में व्यय हुई राशि की क्या-क्या शिकायते उक्त वर्षो में प्राप्त हुई, क्या कार्यवाही प्रश्न तिथि तक कब और किस सक्षम कार्यालय द्वारा की गई ? बिन्दुवार जानकारी दें ? (घ) उक्त योजनाओं को संचालित करने हेतु उक्त जिले के कितने अधिकारी/कर्मचारी को प्रशिक्षित किया गया समस्त योजना ठीक तरह से संचालित है ? उनकी प्रगति रिपोर्ट से अवगत करावें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना (केन्द्र पोषित) के अंतर्गत स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) परियोजना में कॉमन सर्विस सेंटर एवं पीओपी केन्द्रों की स्थापना का कार्य संपूर्ण मध्यप्रदेश में संचालित है, जिसमें रतलाम, मंदसौर, नीमच जिले भी सम्मिलित है । (ख) विभाग को रतलाम, मंदसौर तथा नीमच जिलों के लिये पृथक से कोई बजट आबंटित नही किया गया है । उपरोक्त परियोजना हेतु विभाग को आवंटित कुल बजट का विवरण जानकारी संलग्न परिशिष्ट-अ अनुसार है । (ग) रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले में राष्ट्रीय ई-गर्वनेंस योजना अंतर्गत स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (स्वान) परियोजना में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर एवं पीओपी केन्द्रों में आज दिनांक तक विभाग को कोई शिकायत प्राप्त नही हुई है । (घ) प्रदेश में स्थित समस्त जिलों में पदस्थ प्रबंधक एवं सहायक प्रबंधक, ई-गवर्नेन्स अधिकारियों को सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित प्रशिक्षण समय-समय पर दिया जा रहा है एवं यह प्रक्रिया सतत् जारी है । इसमें उपरोक्त तीनों जिले रतलाम, मंदसौर एवं नीमच जिले भी शामिल है । प्रशिक्षण की जानकारी निम्नानुसार हैः-

स्वान परियोजना में :-			
क्र.	अवधि	संख्या	पद
1	17 से 22 दिस. 2012	03	जिला ई-गवर्नेन्स मैनेजर
2	29 जनवरी, 2013 तक	17	सहा. ई-गवर्नेन्स मैनेजर
3	29 अप्रैल से 01 मई 2013 तक	17	सहा. ई-गवर्नेन्स मैनेजर
4	04 से 06 सितम्बर, 2013	03	जिला ई-गवर्नेन्स मैनेजर
सी.एस.सी परियोजना में :-			
1	04 अप्रैल 2014	03	जिला ई-गवर्नेन्स मैनेजर

परिशिष्ट – "तैंतीस"

खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन

40. **(क्र. 392) श्री प्रताप सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खाद्य सुरक्षा अधिनियम की स्पष्ट नीति एवं उद्देश्य क्या है ? (ख) योजनान्तर्गत जबेरा एवं तेन्दूखेड़ा विकासखंडों के किन-किन ग्रामों के पात्र परिवारों को पर्ची नियत तिथि तक बांटी गई, वर्गवार बतलावें ? कितने पात्र परिवार पर्ची मिलने से वंचित रह गये, इन्हें कब तक पर्ची का वितरण किया जावेगा ? (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से माह जुलाई 2014 से अभी तक कुल कितने परिवारों को कितना-कितना खाद्यान्न किस दर पर उपलब्ध कराया गया ? क्या शक्कर एवं केरोसिन भी उक्त परिवारों को वितरण किया गया है, यदि हां तो किस दर पर कितनी-कितनी मात्रा में उपलब्ध करायी गई है ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का उद्देश्य जनसाधारण को गरिमामय जीवन व्यतीत करने के लिए सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में क्वालिटी खाद्य की सुलभ्यता को सुनिश्चित करके, मानव जीवन चक्र के मार्ग में खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा और उससे संबंधित या उसके अनुषंगिक विषयों का उपबंध करना है। (ख) खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जबेरा एवं तेन्दूखेडा विकासखण्डों के ग्रामों के पात्र परिवारों को दिनांक 19.11.2014 की स्थिति में पात्रता पर्ची की वितरण की वर्गवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । विकासखण्ड जबेरा एवं तेन्दूखेडा विकासखण्ड में समग्र पोर्टल पर सत्यापित सभी चिन्हित श्रेणी के पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची प्रदान की जा चुकी है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । समग्र पोर्टल पर परिवारों का सत्यापन एवं उनको पात्रता पर्ची का वितरण एक सतत प्रक्रिया है । (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है। अन्त्योदय अन्न योजना के परिवारों को 35 किलोग्राम एवं प्राथमिकता परिवारों को 5 किलोग्राम प्रति सदस्य के मान से खाद्यान्न, एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया गया है। जी हाँ, इन परिवारों को शक्कर एवं केरोसीन का भी वितरण किया गया है । शक्कर प्रति परिवार 01 किलोग्राम 13.50 रूपये की दर से एवं केरोसीन एएवाय परिवार को 05 लीटर एवं प्राथमिकता परिवार को 4 लीटर प्रति परिवार प्रतिमाह 15.69 से 16.36 रूपये प्रति लीटर की दर से उपलब्ध कराया गया है।

जमाखोरों पर कार्यवाही

41. **(क्र. 393) श्री प्रताप सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार ने म.प्र. सरकार को जमाखोरों/कालाबाजारी करने वालों पर कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश जारी किये हैं ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार के निर्देशों के पालन में कोई कार्ययोजना तैयार की है ? (ख) दमोह जिले में विगत एव वर्ष में जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध अभी तक कुल कितने प्रकरण पंजीबद्ध किये गये, कितने प्रकरणों का निराकरण कर दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या दण्डात्मक कार्यवाही की गई ? जमाखोरी एवं कालाबाजारी के प्रकरणवार नाम, पता एवं दण्ड का विवरण बतलावें ? (ग) दमोह जिले में विगत एक वर्ष में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् जिला आपूर्ति अधिकारी एवं कलेक्टर ने इस दिशा में कदम उठाते हुए कहां-कहां छापेमार कार्यवाही की गई, व्यापारीवार एवं स्थानवार जानकारी देवें ? यदि नहीं की गई, तो उसका क्या कारण रहा है ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा जमाखोरी/कालाबाजारी करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 एवं चोरबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तुओं के प्रदाय का संधारण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रण आदेश जारी किए गए हैं इसके अनुरूप कार्यवाही करने का प्रावधान आदेशों में है तथापि अधिनियम के प्रावधान अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए जिला अधिकारियों को समय समय निर्देशित भी किया गया है । (ख) दमोह जिले में प्रश्नांकित अवधि में जमाखोरी एवं कालाबाजारी का कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) दमोह जिले में विगत एक वर्ष में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत् की गई छापेमार कार्यवाही की व्यापारीवार/प्रतिष्ठानवार एवं स्थानवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

परिशिष्ट – "चौंतीस"

सगरा-कुसमी-सागौनी मार्ग बंद किया जाना

42. **(क्र. 397) श्री प्रताप सिंह :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दमोह जिले के ग्राम सगरा-कुसमी-सागौनी मार्ग पर निर्मित बांध पर से बस संचालन पिछले कितने वर्षों से नियमित रूप से हो रहा है ? बस संचालन की अनुज्ञप्ति जारी करते समय किस-किस विभाग की एन.ओ.सी. ली गई थी ? यदि नहीं ली गई थी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? (ख) क्या यह भी सत्य है कि बांध पर से यात्री वाहन, भारी वाहन का आवागमन माह अक्टूबर 2014 से सिंचाई विभाग द्वारा बंद कर दिया गया है, उसका क्या कारण रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि यात्री वाहन के बंद हो जाने से अनेक ग्राम के निवासियों को यातायात में भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है ? बस यातायात बंद किये जाने के पूर्व जल संसाधन विभाग द्वारा कोई वैकल्पिक मार्ग व्यवस्था तैयार की गई थी, यदि नहीं की गई तो क्यों ? इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? (ग) क्या यह सत्य है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा सगरा-कुसमी-सागौनी पहुँच मार्ग का निर्माण पूर्व में किया गया था, जिस पर से यात्री वाहन एवं अन्य वाहनों का आवागमन निर्वाध रूप से होता था, किन्तु जल संसाधन विभाग द्वारा आज से 4-5 वर्ष पूर्व बांध का निर्माण किये जाने से निर्मित मार्ग भी तालाब की डूब में आ गया था ? क्या जल संसाधन विभाग द्वारा बांध निर्माण के पूर्व लोक निर्माण विभाग से सहमति अथवा अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया गया था ? (घ) क्या यह सत्य है कि जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित बंधी बांध की पार पर से आवागमन किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा डब्ल्यू.बी.एम. मार्ग का निर्माण किया गया था ? यह विभाग की किन शर्तों के तहत किया गया था, उस पर लोक निर्माण की कितनी राशि का व्यय हुआ था ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) प्रश्नाधीन मार्ग पर कोई परमिट जारी नहीं किया गया है । अतः किसी भी विभाग की एनओसी नहीं ली गई । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है । (ख) जी हाँ । जी हाँ । बांध के ऊपर बस संचालन सुरक्षित नही होने के कारण बंद किया गया है । अतः किसी की जिम्मेदारी नही है । (ग) जी हाँ । जी नही । (घ) जी हाँ । जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित बंधी बांध की पार पर से आवामगन संचालित था । बांध के ऊपर से यातायात के अतिरिक्त विचलन मार्ग संभव नहीं था तथा वर्षाकाल में मार्ग पर कीचड तथा फिसलन हो जाती है । ग्रामीणों के आवागमन सुविधा हेतु लोक निर्माण विभाग द्वारा डब्ल्यूबीएम मार्ग का निर्माण किया गया जिस पर रूपये 419995/- का व्यय किया गया । साथ ही सुरक्षा हेतु गार्ड स्टोन भी लगाए गये ।

कटनी जिले में केन्द्रवार गेहूँ उपार्जन

43. **(क्र. 406) श्री कुंवर सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2010-11 से अभी तक जिले में उपार्जन केन्द्रवार कितना-कितना गेहूँ और धान गोदाम में जमा किया गया ? गोदाम स्तर, उपार्जन केन्द्र स्तर पर कितना किस अधिकारी द्वारा कब रिजेक्ट किया गया ? पृथक-पृथक बतायें ? (ख) क्या यह सही है कि भारतीय खाद्य निगम के स्तर पर या एक स्तर पर अस्वीकृत खाद्यान्न अन्य गोदाम में पुन: स्वीकार किया गया ? यदि हां, तो विवरण दें, तथा इस तरह अस्वीकृत खाद्यान्न लेने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ? (ग) कौन-कौन से उपार्जन केन्द्र प्रभारियों ने अधिक उपार्जन की गलत जानकारी देकर कृषक भुगतान के मान से कब कितना अधिक भुगतान उपार्जन एजेंसी से प्राप्त किया, तथा अधिक प्राप्त भुगतान का समायोजन कब व किस प्रकार से हुआ ? बतायें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) कटनी जिले में वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक वर्षवार उपार्जित गेहूं एवं जमा मात्रा तथा वर्ष 2010-11 से 2013-14 तक वर्षवार उपार्जित धान एवं जमा मात्रा की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' एवं 'ब' अनुसार है। गोदाम स्तर पर रिजेक्ट की गई गेहूं एवं धान की मात्रा एवं रिजेक्ट करने वाले अधिकारी की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'स' अनुसार है । उपार्जन केन्द्र स्तर पर गेहूं एवं धान को रिजेक्ट नहीं किया गया है । (ख) जी नहीं । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ग) किसी भी उपार्जन केन्द्र प्रभारी द्वारा जमा की गई मात्रा के मूल्य से अधिक भुगतान प्राप्त नहीं किया गया है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

कटनी जिले में राशन कार्ड से अधिक खाद्यान्न आवंटन की शिकायत पर कार्यवाही

44. **(क्र. 407) श्री कुंवर सौरभ सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रश्नकर्ता सदस्य ने 2013 में कटनी जिले में राशि कार्ड से अधिक आवंटन में 50 करोड़ रूपये घोटाले की शिकायत शासन को की है ? शिकायत के बिंदु क्या हैं ? क्या कार्यवाही की गई ? बिंदुवार बतायें ? (ख) क्या यह सही है कि किसी जांच में लगभग 32 करोड़ एवं अन्य प्रकरण में 1.95 करोड़ रूपये की अनियमितता सिद्ध हुई है ? यदि हां, तो प्रकरणों की प्रति उपलब्ध कराये ? (ग) क्या यह सही है कि शिकायत और जानकारी के बाद भी त्वरित कार्यवाही और वसूली ना करके घोटाला जारी रखा गया ? इसके लिये वह अधिकारी दोषी है, जो अनियमितता में शामिल थे और उन्हीं पर कार्यवाही का दायित्व था ? ऐसे दोषी कौन-कौन थे ? शासन उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही करेगा और कब तक ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है ।

परिसमापन की कार्यवाही कर पंजीयन निरस्त करने बावत्

45. **(क्र. 417) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि न्यायालय संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, सागर संभाग, सागर के प्रकरण क्रं. 78-3/2013 में पारित आदेश पत्रिका दि. 19.3.2014 से प्राथ. उप सह. भण्डार मर्या., बड़ामलहरा द्वारा दायर प्रकरण खारिज किया जाकर स्थगन दि. 29.012013 भी निरस्त किया गया है ? (ख) क्या न्यायाल के उक्त आदेश के पश्चात् पूर्ववत् परिसमापन की कार्यवाही जीवित होने के कारण उपायुक्त, सहकारिता, छतरपुर द्वारा समयसीमा के अंदर परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर उक्त भण्डार का पंजीयन निरस्त किया गया है ? यदि हां, तो आदेश की प्रति देवें ? यदि नहीं, तो क्यों ? इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी दोषी हैं ? दोषियों के नाम/ पदनाम बताएं ? (ग) शासन समयसीमा में अथवा प्रश्न दिनांक तक उक्त भण्डार का पंजीयन निरस्त करने वाले उक्त दोषियों के विरूद्ध तत्काल प्रभाव से अनुशासनात्मक कार्यवाही कर पंजीयन निरस्त करने के निर्देश जारी करेगा ? हां, तो समयसीमा नियत कर बताएं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. (ख) जी नहीं. प्रश्नांश 'क' में उल्लेखित आदेश एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 में परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु समय-सीमा निर्धारित नही है. परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन का अंकेक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाना है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता. (ग) कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने से वैधानिक रूप से समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है. अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

समानुपातिक अंकेक्षण आवंटन आदेश जारी न करने के संबंध में

46. **(क्र. 418) श्री मानवेन्द्र सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि सहा. आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, छतरपुर द्वारा जारी अंकेक्षण आवंटन में पारदर्शिता/निष्क्रियता एवं एकरूपता न रखने के कारण शासन की वित्तीय हानि को देखते हुए संयुक्त आयुक्त, सहकारिता, सागर संभाग, सागर ने माह जुलाई, 2014 में क्षेत्रवार समानुपातिक रूप से

अंकेक्षण आदेश जारी कर क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश सहा. आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, छतरपुर को देते हुए पत्र की प्रतिलिपि उपायुक्त, सहकारिता, छतरपुर को दी गई है ? हां, तो उक्त पत्र की प्रतिलिपि देवें ? (ख) क्या संभाग स्तरीय अधिकारी के उक्त पत्र के पालन में नियम अवधि अथवा प्रश्न दिनांक तक दूषित अंकेक्षण आवंटन आदेश निरस्त कर क्षेत्रवार समानुपातिक रूप से नवीन आदेश जारी किया गया है ? हां, तो उक्त आदेश की प्रतिलिपि देवें ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण स्पष्ट करते हुए दोषी अधिकारी का नाम/ पदनाम/ पदस्थापना स्थल उल्लेखित करें ? (ग) क्या सहा. आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, छतरपुर द्वारा प्रश्न दिनांक तक दूषित अंकेक्षण आदेश निरस्त न करने पर जिले के वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते उपायुक्त, सहकारिता, छतरपुर द्वारा अपने हस्ताक्षर/ पदनाम से दूषित अंकेक्षण आदेश निरस्त कर नवीन क्षेत्रवार समानुपातिक अंकेक्षण आदेश जारी किया गया है ? हां, तो आदेश की प्रति देवें ? यदि नहीं, तो उपायुक्त, सह., छतरपुर भी दोषी की श्रेणी में आते है, तो उपायुक्त, सह. का नाम/पदनाम/ पदस्थापना स्थल का उल्लेख करें ? (घ) शासन, वरिष्ठ अधिकारी के आदेश/निर्देशों की अवहेलना करने वाले उक्त दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सकारात्मक कार्यवाही कर दंडित करेगा ? हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. उक्त पत्र की प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"एक" अनुसार है. (ख) जी हां. संशोधित अंकेक्षण आवंटन आदेशों की प्रतियां पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'दो' से 'सोलह' अनुसार है. शेष प्रश्नांश उद्‌भूत नहीं होता. (ग) उत्तरांश 'ख' के अनुसार संशोधित अंकेक्षण आवंटन आदेश जारी हो जाने से शेष प्रश्नांश उद्‌भूत नहीं होता है. (घ) उत्तरांश 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उद्‌भूत नहीं होता है.

वाटर शेड समितियों का गठन

47. **(क्र. 447) श्री पुष्पेन्द्र नाथ पाठक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वाटर शेड समितियाँ क्या है ? इनके गठन की सम्पूर्ण प्रक्रिया क्या है ? इन समितियों के द्वारा क्या-क्या किस प्रकार कार्य किए जाते हैं ? (ख) बिजावर विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत कहाँ-कहाँ वाटर शेड समितियाँ कार्यरत है ? इनका निर्वाचन कब हुआ ? इन समितियों के द्वारा अब तक क्या-क्या कार्य किए गए ? इन कार्यों की लागत क्या है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत वाटरशेड समितियां ग्राम स्तरीय क्रियान्वयन एजेंसी है । वाटरशेड कमेटी का गठन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है । वाटरशेड समिति के गठन की कार्यवाही वाटरशेड विकास दल की उपस्थिति में की जाती है । वाटरशेड समिति का गठन प्रत्येक उपयोगकर्ता समूह व स्वसहायता समूह के एक-एक प्रतिनिधि और वाटरशेड विकास दल के एक सदस्य को शामिल कर किया जाता है । वाटरशेड समिति में आधे सदस्य अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय, महिलाओं, भूमिहीन व्यक्तियों तथा लघु व सीमांत कृषकों के प्रतिनिधि होते है । इन समितियों द्वारा मृदा एवं जल संवर्धन/संवर्धन संबंधी कार्यों के साथ-साथ आजीविका, उत्पादन प्रणाली एवं लघु उद्यम संबंधी गतिविधियां को वाटरशेड विकास दल के तकनीकी मार्ग दर्शन में सम्पादित किया जाता है ।(ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट – "पैंतीस"

ट्राय साईकिल एवं ट्राय मोटर साईकिल प्रदाय के मापदंड

48. **(क्र. 463) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) ट्राय साईकिल एवं ट्राय मोटर साईकिल प्रदाय हेतु क्या मापदंड निर्धारित है ? (ख) विधानसभा क्षेत्र नरयावली अंतर्गत आज दिनांक तक विगत 05 वर्ष में ट्राय साईकिल एवं ट्राय मोटर साईकिल प्रदाय हेतु हितग्राहियों के कितने आवेदन विभाग को प्राप्त हुये है ? (ग) इन आवेदनों पर विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं, तथा कितने हितग्राहियों को ट्राय साईकिल एवं ट्राय मोटर साइकिल प्रदान की गई है ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ख) एवं (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है ।

परिशिष्ट – "छत्तीस"

ग्राम पिपरिया रामवन वि.ख. सागर में आंतरिक सड़क मार्ग

49. **(क्र. 464) इन्जी. प्रदीप लारिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सागर विकासखण्ड का ग्राम पिपरिया रामवन सड़क पहुंच मार्ग विहीन ग्राम है ? यदि हां, तो क्यों ? (ख) क्या पिपरिया रामवन ग्राम को ढाना हवाई पट्टी मुख्य मार्ग एवं जसराज ग्राम पंचायत से जोड़ने की विभाग द्वारा कोई योजना है या नहीं ? (ग) यदि हां,तो पिपरिया रामवन ग्राम को ढाना हवाई पट्टी एवं जसराज ग्राम पंचायत से सड़क पहुंच मार्ग हेतु विभाग द्वारा किस योजना के तहत जोड़ा जावेगा और कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में "जसराज से पिपरिया रामवन मार्ग" स्वीकृत है । (ख) मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के मापदण्डों अंतर्गत एक ग्राम को सिंगल कनेक्टिविटी ही दी जा सकती है । अतः योजना अंतर्गत ग्राम पिपरिया रामवन को जसराज ग्राम से जोड़ा जा रहा है एवं कार्य जनवरी 2015 तक पूर्ण करा लिया जावेगा । पिपरिया रामवन को ढ़ाना हवाई पट्टी से जोड़ने की योजना स्वीकृत नहीं है । (ग) उत्तरांश "ख" अनुसार ।

गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से प्राप्त जानकारी पर कार्यवाही

50. **(क्र. 476) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 14 जुलाई 2014 की प्रश्नोत्तरी के अता.प्रश्न संख्या 88 (क्र.3345) के उत्तर (ख) में आवेदन पत्र के शीर्ष बिन्दुओं की जानकारी गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी दर्शाया गया है तथा (ग) में उक्त उल्लेखित जांच में आये तथ्यों के आधार पर विधि संगत कार्यवाही की जायेगी दर्शाया गया है ? (ख) तो क्या उपरोक्तानुसार गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल से जानकारी प्राप्त कर ली गई है एवं प्राप्त जानकारी पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यावाही की गई बतायें ? (ग) क्या शासन/विभाग उक्त फर्जी चिकित्सक द्वारा किये गये काले कारनामों को गंभीरता से लेते हुए उक्त चिकित्सक के विरूद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराएगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जी हां । (ख) जी हां । अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सालय, मध्यप्रदेश, भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ कमलेश मेवाड़ द्वारा विभागीय नियमों का पालन नहीं करना पाया गया है । अतः आवेदन पत्र आगामी कार्यवाही हेतु चिकित्सा शिक्षा विभाग को भेजा गया है । (ग) डॉ कमलेश कुमार मेवाड़, सीनियर रेसीडेंट की पदस्थापना/दस्तावेज की जानकारी के संबंध में अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय से प्राप्त की जा रही है । अभिलेखीय तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी ।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से दोषियों को निलम्बित करने के बाद भी विभागीय अधिकारियों द्वारा दोषियों को बचाया जाना

51. **(क्र. 479) श्री आरिफ अकील :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा भ्रष्टाचार के प्रकरणों पर अकुंश लगाने हेतु मध्यप्रदेश शासन से अभियोजन की स्वीकृति प्राप्त

कर चालान प्रस्तुत होने पर शासकीय सेवायुक्त का निलम्बन किया ही जावेगा की नीति निर्धारित की गई है ? (ख) यदि हां तो परि.अता.प्रश्न 58 (क्र.3724) दिनांक 21 जुलाई 2014 सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भ्रष्टाचार का दोषी माना है और शासन से अभियोजन के पश्चात् दिनांक 28 मई 2014 को चालान भी प्रस्तुत हुआ है लेकिन दोषियों के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही न करते हुए मात्र एक व्यक्ति/कर्मचारी जो कि सेवा निवृत्त हो चुका है के संबंध में जानकारी दी गई कि सेवा निवृत्त होने के कारण निलम्बन की कार्यवाही नहीं की जा सकती ? (ग) यदि हां तो क्या यह भी सही है कि विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के दोषियों को प्रेस कान्फ्रेंस कर निलम्बित किया है ? यदि हां तो माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों की अवहेलना करने वाले कौन-कौन अधिकारी है और उनके विरूद्ध शासन द्वारा प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं तो क्यों कारण सहित बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. (ख) इस प्रश्नांश "ख" में वर्णित प्रश्न क्रमांक परि. अता. 58 (क्र. 3724) में उल्लेखित वर्ष 2011 से 2014 तक की अवधि में दर्ज किये गये प्रकरणों में से मात्र सेवानिवृत्त अधिकारी श्री पी.एन. सिंह, संयुक्त आयुक्त सहकारिता से संबंधित प्रकरण में चालान प्रस्तुत होने के कारण तदनुसार श्री पी.एन. सिंह के सेवानिवृत्त होने से निलंबन का प्रश्न उपस्थित नही होने संबंधी जानकारी दी गई थी. (ग) जी हां. माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों की अवहेलना किसी अधिकारी द्वारा न किये जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता.

<u>भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही नहीं की जाना</u>

52. **(क्र. 480) श्री आरिफ अकील :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत शहडोल जिले की परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक एक कई अभियंतागण एवं लेखा अधिकारी को सड़कों के घटिया निर्माण कार्यों और वित्तीय अनियमितताओं का मामला उजागर हुआ है ? यदि हां तो कितनी-कितनी राशि के कौन-कौन से कार्य प्रचलन में थे और कितनी-कितनी राशि की अनियमितता उजागर हुई और भ्रष्ट प्रवृत्ति के लोगों के विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) के अनुसार प्रदेश के अन्य जिलों में वर्ष 2009 से प्रश्न दिनांक तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के क्रियान्वयन में कार्य की खराब गुणवत्ता व आर्थिक अनियमितता के मामले उजागर हुए है, तथा इन अनियमितताओं के लिए कौन-कौन दोषी है उनके विरूद्ध प्रश्न दिनांक तक क्या-क्या कार्यवाही की गई जिलेवार वर्षवार बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)जी हाँ । म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण की परियोजना क्रियान्वयन इकाई क्रमांक 1 शहडोल में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में कतिपय सड़कों के निर्माण में प्रथम दृष्टया अनियमिततायें स्पष्ट हुई हैं । इन सड़क निर्माण कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति की राशि, वित्तीय अनियमितता की प्रथम दृष्टया आंकलित राशि एवं इन अनियमितताओं में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये शासकीय सेवकों एवं उनके विरूद्ध अभी तक की गई कार्यवाई का विवरण संलग्न प्रपत्र-1 में दर्शित है ।(ख)प्रदेश के अन्य जिलों में (शहडोल जिले को छोड़कर) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में, वर्ष 2009 से अब तक, खराब गुणवत्ता एवं आर्थिक अनियमितताओं के स्पष्ट हुए प्रकरणों एवं उनमें प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए शासकीय सेवकों तथा उनके विरूद्ध की गई/की जा रही कार्यवाईयों का विवरण, संलग्न प्रपत्र-2 में दर्शित है ।

परिशिष्ट – "सैंतीस"

निर्माण कार्यों की जानकारी एवं अनियमितता की जांच

53. **(क्र. 507) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत 2010 से 2014-15 तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा कितनी मुख्यमंत्री सड़क योजना में स्वीकृत होकर पूर्ण हो गई है एवं कितनी अपूर्ण है ? (ख) विभाग द्वारा नागरिकों की शिकायतों के पश्चात निर्माण कार्यों में अनियमितताओं की जांच किस स्तर पर की गई ? (ग) क्या यह सही है कि आर.इ.एस. बालाघाट में पदस्थ कार्यपालन यंत्री एस.एस. अली द्वारा घटिया एवं निम्न स्तरीय कार्य कराया गया है ? क्या 2012-13 से 2014-15 तक उक्त अधिकारी द्वारा कराये गये निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्रांतर्गत 2010 से 2014-15 तक ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा 28 सड़कें स्वीकृत की जाकर, 20 सड़के पूर्ण कराई गई, शेष 08 सड़कें म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को यथास्थिति बंद कर हस्तांतरित की गई । (ख) विभाग को नागरिकों की शिकायतें प्रकाश में न आने से जांच नहीं की गई । (ग) बालाघाट में पदस्थ कार्यपालन यंत्री श्री एस.एस.अली द्वारा निम्न स्तरीय कार्य कराये जाने का प्रकरण संज्ञान में नहीं होने से जांच नहीं करायी गई है ।

योजनाओं का क्रियान्वयन

54. **(क्र. 508) श्री मधु भगत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जिला बालाघाट में सामाजिक न्याय विभाग एवं नि:शक्त कल्याण विभाग अन्तर्गत कौन-कौन सी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है ? (ख) बालाघाट जिले में विभाग की कौन-कौन हितग्राही को पेंशन, माह की किस तारीख तक प्रदाय की जाती है ? क्या यह सही है कि उक्त पेंशनधारियों को पिछले 6 माह से पेंशन प्रदाय नहीं की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ? (ग) विगत 3 वर्षों से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन एवं परित्यागता पेंशन से कितने हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है ? संख्या बतावें ? (घ) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत कई ऐसे पात्र हितग्राही भी हैं, जिन्हें इस योजना का लाभ नही मिल पा रहा है ? कारण स्पष्ट करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है ।(ग) विगत तीन वर्षों में बालाघाट में निम्नानुसार पेंशन प्रदाय की गई है ।

वर्ष	वृध्दा पेंशन	विधवा पेंशन	परित्यकता पेंशन
2011-12	52813	19771	1300
2012-13	60242	24235	1799
2013-14	48486	36334	2069

(घ) जी नहीं । प्रश्न उपस्थित नही होता ।

परिशिष्ट – "अड़तीस"

परफार्मेंस गारंटी के कार्यों की स्वीकृति

55. **(क्र. 517) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सिवनी जिले की जनपद पंचायतों के विकास कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में परफार्मेंस गारंटी की राशि प्रदान की गई ? (ख) यदि हां, तो कितनी-कितनी राशि प्रदान की गई ? मुख्य कार्यपालन अधिकारी सिवनी, केवलारी, बरघाट, छपारा, कुरई, घंसौर, धनौरा एवं लखनादौन द्वारा इस राशि से कौन-कौन से कार्य, किन नियमों के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग कर स्वीकृत किये गये ? (ग) प्रश्नांश (क) के संबंध में क्या परफार्मेंस गारंटी की राशि से कार्य स्वीकृति के अधिकार जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति को प्रदान

किये गये हैं ? यदि हां, तो प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित जनपद पंचायतों की सामान्य प्रशासन समिति से कार्यों की स्वीकृति हेतु अनुमोदन प्राप्त किये गये हैं ? यदि हां, तो जनपद पंचायतवार अनुमोदित सूची उपलब्ध करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉं । (ख) राशि प्रदाय की जानकारी परिशिष्ट-"अ" पुस्तकालय में रखे अनुसार ।शेष प्रश्नांश की जानकारी परिशिष्ट-"ब" पुस्तकालय में रखे अनुसार । (ग) जी हॉं । जी हॉं । जानकारी परिशिष्ट-"स" पुस्तकालय में रखे अनुसार ।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए राशन कार्ड

56. **(क्र. 518) श्री दिनेश राय (मुनमुन) :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सिवनी जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कितने पात्र व्यक्तियों को प्रश्न दिनांक तक पर्ची वितरित की गई ? विधानसभा क्षेत्रवार संख्या बताएं ? (ख) क्या यह सत्य है कि कार्ड के अभाव में छ: महीने से गरीबों को प्रति व्यक्ति पांच किलोग्राम खाद्यान्न वितरित नहीं किया गया ? (ग) सिवनी जिले में कितने पात्र व्यक्तियों को आज दिनांक तक पर्ची प्राप्त नहीं हुई है ? उन्हें कब तक पर्ची वितरित कर दी जाएगी ? इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की जायेगी ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) सिवनी जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2,47, 677 परिवारों को प्रश्न दिनांक तक पात्रता पर्ची वितरित की गई । विधानसभा क्षेत्रवार परिवारों की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जी नहीं । खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत समग्र पोर्टल पर दर्ज पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची पर पात्रतानुसार सामग्री का वितरण किया जाता है । (ग) सिवनी जिले में दिनांक 22/11/2014 तक कोई भी पात्र परिवार जिसने आवेदन किया हो, पात्रता पर्ची से वंचित नहीं है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "उनतालीस"

दतिया जिले में पंचायत सचिव का स्थानान्तरण

57. **(क्र. 535) श्री प्रदीप अग्रवाल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या दतिया जिले में ग्राम पंचायतों के सचिवों के स्थानान्तरण में शासन के निर्देशों का पालन किया गया है ? (ख) यदि हॉं, तो क्या जिला पंचायत दतिया में आयोजित काउंसिलिंग में सचिवों के स्थानान्तरण के संबंध में जो प्रस्ताव प्राप्त किये गये थे ? उनके अनुसार ही स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये है ? (ग) कतिपय ग्राम पंचायतों में रिक्त सचिव पद के विरूद्ध दो-दो पंचायतों का चार्ज दिया गया है ? जबकि कई ग्राम पंचायतों में पद रिक्त हैं ?(घ) स्थानान्तरण आदेश जारी होने के बाद भी कितनी ग्राम पंचायतों में चार्ज ग्रहण कराया जा चुका है, तथा ऐसी कितनी पंचायतें हैं, जिनके सचिवों ने आज दिनांक तक चार्ज ग्रहण नहीं किया है ? चार्ज ग्रहण न करने के पीछे क्या कारण रहें हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)जी हां ।(ख)दतिया जिले में सचिवों के स्थानांतरण हेतु उनके विकल्प प्राप्त करने से दिनांक 19.8.2014 को काउंसलिंग आयोजित की जाकर सचिवों से पदस्थापना हेतु विकल्प प्राप्त किये गये पदोपरान्त स्थानांतरण नीति की कंडिका 03 के अनुसार उक्त प्रस्तावों को जिला पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति की बैठक दिनांक 20.08.2014 में अनुमोदन प्राप्त किया गया । सामान्य प्रशासन समिति जो सक्षम अधिकारिता प्राप्त है, व्दारा संशोधन एवं तद्नुसार अनुमोदन उपरांत स्थानांतरण आदेश जारी किये गये ।(ग) जिले के 216 ग्राम पंचायत सचिवों के स्थानांतरण नीति के अनुसार स्थानांतरण आदेश जारी करने के उपरान्त रिक्त 22 ग्राम पंचायतों का प्रभार अतिरिक्त रूप से अन्य सचिवों को सौंपा गया, जिसमें एक पंचायत उनकी पदस्थापना एवं एक पंचायत अतिरिक्त प्रभार के रूप में सौंपी गई । (घ) जिले से स्थानांतरण आदेश जारी होने के उपरान्त 206 सचिवों व्दारा कार्यभार ग्रहण किया गया तथा शेष 10 ग्राम पंचायत सचिवों ने माननीय उच्च न्यायालय से स्थानांतरण के विरूद्ध स्थगन के कारण प्रभार हस्तांतरित नही किया जा सका है ।

मुख्यमंत्री सड़क योजना में आवंटित राशि एवं व्यय

58. **(क्र. 558) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में अब तक स्वीकृत मुख्यमंत्री सड़क योजना का तहसीलवार ब्यौरा दें ? (ख) आलोट विधानसभा क्षेत्र में 2013 एवं 2014 में स्वीकृत मुख्यमंत्री सड़क योजनांतर्गत आवंटित राशि का व्यय का ब्यौरा क्या है ? (ग) उपरोक्त योजनांतर्गत आलोट विधानसभा क्षेत्र की कितनी सड़कों के कौन-कौन से प्रस्ताव लंबित हैं ? व किस कारण एवं कब से ? कब तक उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत होंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) रतलाम जिले में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत तहसील रतलाम में 18, बाजना में 11, सैलाना में 17, जावरा में 33 एवं आलोट में 49 सड़कें स्वीकृत है । (ख) आलोट विधानसभा क्षेत्रांतर्गत राशि रू. 2589.39 लाख के विरूद्ध आज दिनांक तक राशि रू. 1970.50 लाख का व्यय हो चुका है । (ग) मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनांतर्गत आलोट विधानसभा क्षेत्र के कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है, अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

मनरेगा अंतर्गत जॉब कार्डधारियों को कार्य दिया जाना

59. **(क्र. 562) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) रतलाम जिले में जॉब कार्डधारियों की संख्या कितनी है ? जनपद पंचायतवार विवरण दें ? (ख) कितने जॉब कार्डधारियों को वित्तीय वर्ष 2013- 2014 में अब तक निर्धारित 100 दिवस कार्य किया गया ? जनपद पंचायतवार विवरण दें ? (ग) कितनी ग्राम पंचायतों में मनरेगा तहत जॉब कार्डधारियों को मांग आधारित कार्य उपलब्ध करवाया गया ? पंचायतवार ब्यौरा दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) रतलाम जिले में जाबकार्ड धारियो की संख्या 168637 है । जनपद पंचायतवार विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकलाय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार । (ग) रतलाम जिले की समस्त 6 जनपद पंचायतों के अंतर्गत आने वाली समस्त 418 ग्राम पंचायतों में मनरेगा अंतर्गत मांग के आधार पर ही कार्य उपलब्ध कराया गया। जनपद पंचायतवार एवं ग्राम पंचायतवार सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार ।

कपिल-धारा योजना अंतर्गत कूप निर्माण

60. **(क्र. 563) श्री जितेन्द्र गेहलोत :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) आलोट विधान सभा क्षेत्र में कपिल धारा योजना का लाभ किन-किन ग्राम पंचायतों में कितने-कितने हितग्राहियों को मिला ? पंचायतवार हितग्राहियों की संख्या बताये ? (ख) आलोट विधान सभा क्षेत्र में कितनी ग्राम पंचायतों में कपिलधारा उपयोजना के तहत कार्य पूर्ण हो गये है तथा कितनी ग्राम पंचायतों में कार्य अपूर्ण हैं? कार्य अपूर्ण रहने के क्या कारण है ? (ग) उक्त योजनान्तर्गत कुल पूर्ण हुये कूप निर्माण कार्यो में से कितने कूपों का भुगतान हो चुका है? कितने कूपों का भुगतान शेष है ? भुगतान नहीं होने का क्या कारण है (घ) क्या उक्त योजनान्तर्गत हितग्राहियों को कूप निर्माण स्वीकृति में अलग-अलग मापदण्ड अपनाए जा रहे है ? यदि हाँ तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)आलोट विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना का लाभ 120 ग्राम पंचायतों के 2881 हितग्राहियों को दिया जा रहा है । ग्राम पंचायतवार हितग्राहियों की संख्या संलग्न परिशिष्ट अनुसार ।(ख) आलोट विधान सभा क्षेत्र में 24 ग्राम पंचायतों में कपिलधारा उपयोजना के तहत 2334 कूप पूर्ण हो गये हैं तथा 96 ग्राम पंचायतों में 547 कूप अपूर्ण हैं । कार्य अपूर्ण रहने का प्रमुख कारण विगत् वर्ष केन्द्र सरकार द्वारा बजट में मनरेगा हेतु पर्याप्त धनराशि का प्रावधान नहीं किया जाना, जिसके कारण माह मार्च 2014 से ही प्रदेश को माँग अनुसार राशि प्राप्त न होना है । (ग) मनरेगा की कपिलधारा उपयोजना अंतर्गत कुल 2334 पूर्ण कूपों का भुगतान हो चुका है । अतएव पूर्ण कूपों का भुगतान लंबित नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (घ) कपिलधारा उपयोजनांतर्गत कूपों की स्वीकृति विभाग द्वारा जारी मापदण्डों के अनुसार की जाती है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "चालीस"

<u>अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी का कार्यालय संचालित कराया जाना ।</u>

61. **(क्र. 574) पं. रमेश दुबे :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छिन्दवाड़ा जिले में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं का कार्यालय किन-किन जनपद मुख्यालयों पर स्वीकृत है ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में स्वीकृत कार्यालयों में कौन-कौन से शासकीय सेवकों के पद स्वीकृत है ? इन पदों पर कौन-कौन से शासकीय सेवक कब से पदस्थ है ? जनपद मुख्यालयवार स्वीकृत कार्यालयों में पदस्थ शासकीय सेवकों के नाम, पदनाम तथा मुख्यालय में निवास का पता सहित जानकारी दें ? (ग) जनपद मुख्यालय चौरई में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं का कार्यालय संचालित करवाने, जनपद मुख्यालय में ही शासकीय सेवकों को मुख्यालय बनाकर निवास करने आदि को लेकर क्या प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20/10/2014 को पत्र क्रमांक 2221 कलेक्टर छिन्दवाड़ा को पत्र क्रमांक 2222 कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं छिन्दवाड़ा को एवं पत्र क्रमांक 2223 मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत छिन्दवाड़ा को प्रस्तुत किया है ? (घ) यदि हां, तो प्रस्तुत पत्रों पर अब तक किस स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है ? कब से जनपद मुख्यालय चौरई में उक्त कार्यालय संचालित होकर उसमें पदस्थ शासकीय सेवक मुख्यालय में निवास कर कार्यो का संपादन प्रांरभ करेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) छिन्दवाड़ा जिले में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं का कार्यालय छिन्दवाड़ा, सौंसर, अमरवाड़ा, परासिया एवं तामिया जनपद पंचायत मुख्यालय में स्वीकृत है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) जी हाँ (घ) जनपद पंचायत चौरई के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग कार्यालय स्वीकृत नहीं है । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "इकतालीस"

<u>पेयजल परिवहन की राशि का भुगतान</u>

62. **(क्र. 575) पं. रमेश दुबे :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2014 में छिन्दवाड़ा जिले की किन-किन ग्राम पंचायतों में किस-किस अवधि में कितनी मात्रा में पेयजल का परिवहन किया जाकर ग्रामीणों को पेयजल आपूर्ति की गई ? पेयजल परिवहन करने वाले एजेंसियों के पूर्ण पतों सहित जानकारी जनपद पंचायत वार-ग्राम पंचायतवार दें ? (ख) प्रश्नांश (क) के प्रकाश में पेयजल परिवहन हेतु संसाधनों को लगाये जाने हेतु शासन के क्या-आदेश निर्देश हैं, तथा इसके लिए कौन सशक्त है ? (ग) पेयजल परिवहन में लगे संसाधनों को भुगतान की नियमों में क्या व्यवस्था है ? वर्ष 2014 में पेयजल परिवहन में लगे एजेंसियों को कितनी मात्रा में पेयजल परिवहन करने पर उन्हें किस दर से कितना भुगतान किया गया है ? किन-किन एजेंसियों को कितनी-कितनी राशि भुगतान की जाना शेष है जानकारी ब्लाकवार ग्राम पंचायतवार दें ? (घ) क्या जनपद पंचायत बिछुआ के ग्राम पंचायत खमारपानी तथा जनपद पंचायत चौरई के ग्राम पंचायत झिलमिली में पेयजल के परिवहन की राशि संबंधित एजेंसियों को अभी तक भुगतान नहीं की गयी है यदि हां, तो क्यों ? कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) से (घ) जानकारी संकलित की जा रही है ।

अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों पर अवैध कार्य एवं वसूली

63. **(क्र. 578) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी** : क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्तियों एवं नियुक्तियों के लिये क्या-क्या नियम प्रश्नतिथि तक शासन द्वारा निर्धारित हैं ? जारी सभी आदेशों की एक-एक प्रतिलिपि उपलब्ध करायें ? (ख) एक अप्रैल 2012 से प्रश्नतिथि तक प्रदेश में किस-किस अन्तर्राज्यीय चेक पोस्टों पर अवैध वसूली करने वाले परिवहन विभाग के कर्मचारी या उनके द्वारा रखे गये अवैध कर्मियों को पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही कर पकड़ा गया ? उनके विरूद्ध अपराधिक प्रकरण कायम किया गया ? चेक पोस्टरवार,नामवार,पदवार, दिनांकवार, प्रकरणवार विवरण दें ? (ग) क्या यह सत्य है कि प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित समयानुसार अर्न्तराज्यीय चेक पोस्टों पर निर्धारित समय सीमा से ज्यादा होने पर भी कर्मचारियों/अधिकारियों की तैनाती की गई ? चेक पोस्टवार/नामवार/पदवार विवरण दें ? (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित समयानुसार चित्रकूट चेक पोस्ट पर डाले गये छापे के दौरान पकड़े गये अवैध लोगों के कारण आरटीओ/एआरटीओ के विरूद्ध राज्य शासन ने विभागीय जांच प्रश्नतिथि तक क्यों संस्थित नहीं की ? एआरटीओ/आरटीओ को कब तक निलंबित किया जायेगा ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) परिवहन विभाग में प्रतिनियुक्तियों एवं नियुक्तियों के लिये "मध्यप्रदेश परिवहन विभाग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2011, मध्यप्रदेश परिवहन विभाग अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 2011 एवं इसमें संशोधन दिनांक 09 जुलाई 2014 एवं मध्यप्रदेश परिवहन विभाग तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय सेवा) सेवा भर्ती नियम 2011 निर्धारित है । उक्त भर्ती नियम मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) परिवहन विभाग के दिनॉक 06 जुलाई 2011 एवं संशोधन दिनॉक 09 जुलाई 2014 वेबसाइट http://govtpressmp.nic.in पर उपलब्ध है ।ख) प्रश्नांकित अवधि में प्रदेश में किसी भी अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर अवैध वसूली करने वाले परिवहन विभाग के कर्मचारी को पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही कर नहीं पकडा गया । विभाग में अवैध कर्मचारी नहीं रखे गये है । शेष प्रश्नांश का उत्तर अपेक्षित नहीं । (ग) जी हां, लोक सभा चुनाव, विधान सभा चुनाव व नगरीय निकाय चुनावों की आचार संहिता लागू रहने से तथा विभाग में कर्मचारियों की कमी के कारण समय सीमा 06 माह से ज्यादा होने पर भी अधिकारी/कर्मचारी तैनात रहे है । सूची पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-'अ' अनुसार है । (घ) दिनांक 26.08.14 को पुलिस द्वारा चेकपोस्ट के निरीक्षण के दौरान कोई भी परिवहन कर्मचारी उपस्थित नहीं था । चौकी प्रभारी श्री व्ही. पी. सिंह प्रधान आरक्षक को लापरवाही के कारण तत्समय परिवहन आयुक्त कार्यालय में संबद्ध किया जाकर अन्यंत्र पदस्थापना कर दी गई है । शेष प्रश्नांश का उत्तर अपेक्षित नहीं ।

जेलो में बंदियों की समस्याऐं एवं उनका निराकरण

64. **(क्र. 579) चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश की किन-किन केन्द्रीय जेलो में क्षमता से कितनी संख्या में अतिरिक्त कैदी है ? जेलवार दें, संख्यावार दें ? (ख) प्रदेश की जेलों में आतंकवादियों/खूंखार कैदियों के मद्देनजर जेलों की सुरक्षा व्यवस्था के लिये क्या-क्या प्रस्ताव राज्य शासन के समक्ष लंबित है ? कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए अतिरिक्त जेलों के निर्माण या उप जेलों या जिला जेलों में अतिरिक्त निर्माण या उन्नयन हेतु क्या-क्या प्रस्ताव लंबित हैं ? (ग) क्या यह सत्य है कि कैदियों के साथ जेल कर्मचारियों एवं अधिकारियों के द्वारा शारीरिक प्रताड़ना देने उनसे पैसे देने के कई प्रकरण 01-04-2012 से 12-11-2014 तक शासन/जेल मुख्यालय के समक्ष आये ? प्रकरणवार बतायें कि किस-किस नाम/पदनाम के विरूद्ध किस-किस नाम/पदनाम के अधिकारियों द्वारा कब-कब व क्या जॉच की ? (घ) प्रश्नांश (ग) में वर्णित जांचों के दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों पर जेल मुख्यालय/राज्य शासन कब व क्या कार्यवाही करेगा ? प्रकरणवार दें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) प्रदेश की 11 केन्द्रीय जेलों में जेलवार क्षमता से अधिक कैदियों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"अ" के कॉलम क्रमांक-5 में दर्शायी गई है । **(ख)** जी नहीं । प्रदेश की जेलों में आतंकवादियों/खूंखार कैदियों के मद्देनजर जेलों की सुरक्षा हेतु राज्य शासन द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2012-17 में जेलों की सुरक्षा हेतु **सुरक्षा उपकरण :** सीसीटीव्ही, बैगेज स्केनर, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हेन्ड मेटल डिटेक्टर, नाइट वीज़न डिवाईज, सायरन, वॉकी-टॉकी चरणबद्ध ढंग से प्रतिवर्ष ईएफसी द्वारा अनुमोदित किये जा चुके है । वर्ष 2014-15 में सीसीटीव्ही, बैगेज स्केनर, वॉकी-टॉकी क्रय करने की कार्यवाही प्रचलन में है । **अतिरिक्त आवास :** कैदियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इन्दौर में 14 वें वित्त आयोग के अंतर्गत उच्च सुरक्षा वाली नवीन केन्द्रीय जेल का निर्माण एवं 84 अतिरिक्त बैरिकें बनाई जाना प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त प्रदेश की 52 जेलों में 411 नवीन बैरिकों एवं 8 नवीन जेलों का निर्माण पर्सपेक्टिव प्लान (2002-07) एवं 5 नवीन बैरिकें राज्य योजना के अंतर्गत स्वीकृत की गई । वर्ष 2014-15 में जिला जेल होशंगाबाद, बड़वानी, नरसिंहपुर को केन्द्रीय जेल में उन्नयन किया गया । जिला मुख्यालय पर स्थिति 21 उप जेलों को चरणबद्ध क्रमश: वर्ष 2012-13 में बालाघाट, मंदसौर एवं मुरैना, वर्ष 2013-14 में गुना, शिवपुरी, सीहोर, देवास, भिण्ड एवं पन्ना एवं वर्ष 2014-15 में विदिशा, खरगौन, रायसेन, मण्डला, कटनी एवं नीमच को जिला जेल में उन्नयन किया जा चुका है **(ग)** जी हॉं । प्रकरणवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" के कॉलम 4 एवं 5 अनुसार है । **(घ)** प्रश्नांश (ग) में वर्णित जांचों में दोषी पाये गए अधिकारियों/कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्यवाही की गई । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-"ब" के कॉलम 6 के अंश "ब" अनुसार है ।

अपूर्ण मार्गों की प्रगति

65. **(क्र. 586) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के विधानसभा क्षेत्र सुरखी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत कौन-कौन सी सड़कों के निर्माण कार्य चल रहे हैं ? जिन सड़कों के निर्माण पूर्ण नहीं हुये है, उन सड़कों की निर्माण कार्य के स्वीकृत होने के दिनांक, कार्य पूर्ण होने की अवधि, लागत राशि सहित सड़कवार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र सुरखी अंतर्गत ग्राम बरखेड़ा से चन्द्रापुर, एन.एच. 86 से कठौंदा फाजलपुर, एन.एच. 86 से सेमरामेढा, रजवांस से मीरखेड़ी, उमरिया सेमरा से एस.एच. 42, खमकुंआ से चतुर्भटा तक की सड़कें जिनके निर्माण की कार्यावधि बहुत समय पहिले ही समाप्त हो गयी है परन्तु निर्माण कार्य पूरा क्यों नहीं हुआ है ? कारण सहित बतायें ? (ग) निर्माणाधीन सड़कों पर कार्य समय सीमा में न करने एवं घटिया निर्माण करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई ? प्राप्त शिकायतों पर संबंधित अधिकारी और ठेकेदार के विरूद्ध जांच उपरांत किस प्रकार की और क्या कार्यवाही की गयी ? (घ) यदि संबंधित अधिकारी एवं ठेकेदार के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो क्यों ? कारण बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क)जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-1 अनुसार है ।(ख)जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-2 अनुसार है ।(ग)जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट के प्रपत्र-3 अनुसार है । शेष प्रश्न उपस्थित नही होता । (घ)उत्तरांश 'ग' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

हितग्राही के संख्या में अंतर ।

66. **(क्र. 587) श्रीमती पारूल साहू केशरी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं ? पंचायतवार एवं वार्ड अनुसार जानकारी देवें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित उचित मूल्य की दुकानों में माह जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक राशन का लक्ष्य क्या था तथा लक्ष्य के विरूद्ध

कितना आवंटन किस-किस दुकान को दिया गया माहवार एवं दुकानवार जानकारी दें ? (ग) समस्त वर्ग के हितग्राहियों की संख्या में 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक माहवार कितना अंतर आया है ? दुकान अनुसार जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) सागर जिले के सुरखी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 128 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। पंचायतवार एवं वार्डवार दुकानों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'अ' अनुसार है ।(ख) उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न का आवंटन कार्डधारियों की संख्या और विगत माह का शेष भंडार को गणना में लेकर किया जाता है । प्रश्नांश (क) के उत्तर के परिशिष्ट 'अ' में वर्णित उचित मूल्य की दुकानों में माह जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक जारी दुकानवार आवंटन एवं दुकान को प्रदाय की गई मात्रा की माहवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'ब' अनुसार है । (ग) समस्त वर्ग के हितग्राहियों की संख्या में 1 जनवरी 2014 से प्रश्न दिनांक तक माहवार अंतर की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'स' अनुसार है ।

दोषी के विरूद्ध कार्यवाही

67. **(क्र. 590) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या रीवा जिले के ग्राम पंचायत बरहटा, जनपद पंचायत मऊगंज में इन्द्रा आवास लाभ प्राप्त हितग्राही श्री इन्द्र बहादुर सिंह पिता श्री शिव गोविन्द सिंह ग्राम पो.बरहटा जिला रीवा का कपिलधारा कूप निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ था ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हां, तो क्या यह कूप निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हैं ? यदि नहीं पूर्ण हुआ है तो क्या इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालयों से भी निर्देश जारी हुए हैं ? एवं उनका अधीनस्थों द्वारा पालन किया जाकर कार्य पूर्ण कराया गया है ? (ग) यदि कार्य पूर्ण नहीं कराया गया है तो इसके लिए कौन दोषी है ? दोषी के विरूद्ध क्या कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । (ख) जी नहीं । जी हाँ, सरपंच व सचिव के विवाद के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है ।(ग) उत्तरांश (ख) अनुसार ।

रीवा जिले के विकास खण्ड हनुमना एवं मऊगंज में 7 माह से बंद निराश्रित पेंशन को चालू किया जाना

68. **(क्र. 591) श्री सुखेन्द्र सिंह (बन्ना) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के निराश्रित हितग्राहियों को पेंशन प्रदाय करने की योजना है ? (ख) प्रश्नांश (क) का उत्तर यदि जी हां, तो रीवा जिले के विकासखण्ड हनुमना एवं मऊगंज में निराश्रित हितग्राहियों की विगत 7 माह से निराश्रित पेंशन क्यों बन्द हैं ? कारण सहित बतावें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के सन्दर्भ में क्या इन निराश्रित हितग्राहियों को 7 माह से बन्द पेंशन को चालू किया जावेगा ? यदि हां, तो कब तक ? समय सीमा बतावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हाँ । (ख) रीवा जिले के अंतर्गत जनपद पंचायत हनुमना एवं मउगंज में निराश्रित हितग्राहियों को माह सितम्बर 2014 तक पेंशन का भुगतान किया जा चुका है ।(ग) पेंशन बंद नहीं है ।

एकीकृत कार्ययोजना की राशि व कार्यों में अनियमितता

69. **(क्र. 594) श्रीमती प्रमिला सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या ग्राम पंचायतों के द्वारा एकीकृत कार्ययोजना के रू. 15.00 लाख तक के कार्य कराए जा सकते हैं ? (ख) यदि हां, तो जिला शहडोल के गोहपारू जनपद

पंचायत में सरपंचों से मात्र चेक में हस्ताक्षर कराया जाता है, तथा ग्राम पंचायत के स्थान पर श्री पी.के.लंगरखा, सहायक यंत्री, मनरेगा द्वारा अपने ठेकेदारों से कार्य क्यों कराया जाता है ? (ग) क्या सहायक यंत्री, मनरेगा द्वारा नियुक्त ठेकेदारों के द्वारा गरीब मजदूरों को बहुत कम रू. 50.00 से रू. 100.00 तक मजदूरी दिये जाने की शिकायत प्रश्नकर्ता द्वारा कलेक्टर शहडोल से की गई थी? (घ) उक्त (ग) के संबंध में हां तो क्या कलेक्टर द्वारा स्वयं कार्यवाही की गई ? क्या दोषी लोगों के विरूद्ध कभी कार्यवाही होगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । (ख) जिला शहडोल के गोहपारू जनपद पंचायत में जिन कार्यो की निर्माण एजेंसी ग्राम पंचायत निर्धारित की गई है, उन कार्यो का संपादन ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जाता है । जी नही । प्रश्न उपस्थित नही होता। (ग) जी हां । (घ) शिकायत की जांच श्री ए.पी.सिंह, कार्यपालन यंत्री, जिला पंचायत शहडोल से कराई गई । जांच में पाया गया है कि श्री पी.के.लगरखा, सहा.यंत्री मनरेगा, जनपद पंचायत गोहपारू, जिला शहडोल, द्वारा निर्माण कार्य में कोई भी ठेकेदार की नियुक्ति नही की गई है, बल्कि ग्राम पंचायत द्वारा ही स्वयं कार्य कराया गया है । मजदूरी का भुगतान मूल्यांकन में आयी प्रगति के अनुसार संबंधित श्रमिकों को उनके बैंक खातों के माध्यम से किया गया है । शिकायत पत्र में उल्लेखित निर्माण कार्य घाट निर्माण शिव तालाब भुरसी में उचित तकनीकी मार्गदर्शन न देने के कारण घाट की सीढियों में दरारे पडी है, जिसे वर्तमान में तोडकर पुनः कार्य कराया जा रहा है । अपने पदीय दायित्वों का सम्यक निर्वहन न करने के कारण तत्कालीन उपयंत्री श्री नरेन्द्र सिंह परमार को संविदा समाप्त किए जाने संबंधी कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है ।

बी.आर.जी.एफ. योजना की राशि का दुरूपयोग

70. **(क्र. 596) श्रीमती प्रमिला सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या जिला योजना समिति के द्वारा जिस मद के लिए राशि स्वीकृत की गई है, उस राशि को अन्य मद में व्यय करने का अधिकार कलेक्टर को है ? (ख) यदि नहीं, तो क्या कलेक्टर शहडोल के द्वारा मार्च, 2014 एवं जून, 2014 में प्रस्तावित कार्यों से भिन्न अन्य कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है ? (ग) क्या ऐसे कार्य भी स्वीकृत किये गये हैं, जहां पर पूर्व से ही संरचनाएं निर्मित थीं ? इस संबंध में की गई शिकायत की जांच की गई अथवा नहीं ? ग्राम पंचायत खन्नौधी, जनपद पंचायत गोहपारू, जिला-शहडोल में निर्मित पुल के स्थान पर दुबारा स्वीकृत करने व सचिव के भाई के नाम पर राशि आहरण करने पर क्या कार्यवाही की गई ? (घ) उक्त (ख) एवं (ग) के संबंध में जांच न करने व दोषियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या आगे कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । (ख) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार । (घ) जांच कराई जाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "बयालीस"

सुमावली विधान सभा में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृत सड़कों की संख्या

71. **(क्र. 601) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले की सुमावली विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2012 से नवम्बर 2014 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत सड़कों में से कितनों पर कार्य प्रारम्भ हुआ ? कितनों पर कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है, क्यों ? इन्हें कब तक पूर्ण किया जा सकेगा ? समय सीमा बताई जावे ? (ख) क्या स्वीकृत सड़कों में ऐसे भी मार्ग/सड़कें हैं, जिनकी स्वीकृति के बाद भी टेण्डर नहीं किये गये हैं ? उनमें टेण्डर कब करा लिये जावेंगे ? समय सीमा बताई जावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) सुमावली विधानसभा क्षेत्रांतर्गत वर्ष 2012 से नवम्बर 2014 तक मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत स्वीकृत 12 कार्यो में से 06 कार्य प्रारंभ कर 04 कार्य पूर्ण किये गये है एवं 02 कार्य दिसम्बर 2014 तक पूर्ण करा लिये जावेगें । 06 कार्य अप्रारंभ है । अप्रारंभ 06 कार्यो में से 02 कार्यो का एकरेखण निर्धारित नहीं होने, 02 कार्य अन्य एजेंसी से निर्मित हो जाने के कारण तथा 02 कार्य विलोपित हो जाने से नहीं कराये गये है । (ख) जी हां । स्वीकृत 02 मार्गो का एकरेखण निर्धारित नहीं होने से एवं 02 मार्गो का कार्य अन्य एजेंसी से निर्मित हो जाने के कारण टेण्डर नहीं बुलाये गये । वर्तमान में उक्त मार्गो के टेण्डर बुलाये जाने की कार्य योजना नहीं होने से निश्चित समय-सीमा बताया जाना संभव नहीं है ।

मुरैना जिले में 2009 नवम्बर 2014 तक शस्त्र लायसेन्सों की संख्या

72. **(क्र. 602) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार** : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मुरैना जिले में वर्ष 2009 से नवम्बर 2014 तक कितने शस्त्र लायसेन्स स्वीकृत किये गये ? तहसीलवार, वर्षवार पूर्ण जानकारी दी जावे ? (ख) क्या शासन द्वारा मुरैना जिले में शस्त्र लायसेन्स स्वीकृत करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? यदि हां, तो कब से ? (ग) मुरैना जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में वर्तमान में कितने शस्त्र लायसेन्सों के आवेदन लम्बित हैं ? तहसीलवार संख्या बताई जावे ?(घ) शासन उक्त शस्त्र लायसेन्सों के लम्बित प्रकरणों का कब तक निराकरण करेगा ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) प्रश्नाधीन अवधि में मुरैना जिले में कुल 2553 शस्त्र लायसेंस स्वीकृत किये गये । तहसीलवार, वर्षवार जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ख) जी नहीं । (ग) जिले की सिर्फ अम्बाह तहसील में कुल 08 आवेदन लंबित हैं । (घ) नगरीय निकाय चुनाव उपरांत सभी लंबित आवेदन पत्रों का निराकरण कर दिया जायेगा ।

परिशिष्ट – "तेंतालीस"

मनरेगा से स्वीकृत कार्य

73. **(क्र. 604) श्री उमंग सिंघार** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में धार जिले के गन्धवानी विधानसभा क्षेत्र के तिरला जनपद पंचायत अन्तर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा के कौन-कौन से कार्य स्वीकृत कराये गये ? वर्षवार,पंचायतवार कुल स्वीकृत राशि की जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) उपरोक्त तिरला ब्लॉक की पंचायतों का भुगतान किस बैंक एवं पोस्ट ऑफिस से हुआ ? उक्त बैंकों एवं पोस्ट ऑफिसों का विवरण उपलब्ध करायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 अनुसार है ।(ख) वांछित जानकारी जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-2 अनुसार है ।

धार जिले में सहकारी समितियों के माध्यम से गेंहू की खरीदी

74. **(क्र. 660) श्री उमंग सिंघार** : क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में धार जिले में कितनी सहकारी समितियों के माध्यम से गेंहू की खरीद की गई ? प्रत्येक समिति द्वारा खरीदे गये गेंहू की मात्रा की जानकारी समितिवार उपलब्ध करायें ? (ख) परिवहनकर्ता द्वारा किस समिति से किस वेयर हाउस में कितना गेंहू पहुंचाया गया ?

समितिवार ब्यौरा उपलब्ध करायें ? किस समिति में गेंहू खरीदी में कितनी शार्टेज (कमी) आयी समितिवार जानकारी दें ? (ग) धार जिलान्तर्गत पिछले 3 वर्षों में जिला विपणन समिति एवं सहकारी समितियों के मध्य हुए अनुबंधों की छायाप्रति एवं जिला विपणन समिति एवं परिवहनकर्ता के मध्य हुए अनुबंधों की छायाप्रति उपलब्ध करायें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) वित्तीय वर्ष 2013-14 में 69 एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 में 75 सहकारी संस्थाओं के माध्यम से, जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है. (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-1 एवं 2 अनुसार है. (ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एवं 14 अनुसार है.

नरसिंहपुर जिलें में डकैती, लूट-पाट की घटनाएं

75. **(क्र. 663) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) नरसिंहपुर जिले में विगत पांच वर्षों में चोरी, हत्या, लूट, डकैती, मारपीट के कितने प्रकरण दर्ज किए गए हैं एवं कितने प्रकरणों में चालान प्रस्तुत किए जा चुके हैं ? (ख) कितने प्रकरणों में अपराधियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है, कितनों में शेष है, उनकी गिरफ्तारी के क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कब तक गिरफ्तारी कर दी जाएगी ? (ग) आपराधिक प्रकरणों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं ? (घ) नरसिंहपुर जिले में कितने पुलिस बल की आवश्यकता है एवं उसके विरूद्ध कितना कार्यरत है, कमी को पूरा करने के लिए विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार । (ख) जानकारी परिशिष्ट अनुसार । प्रकरण में शेष फरार आरोपियों की गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है । समय सीमा बताना संभव नहीं है ।(ग) अपराधों की रोकथाम हेतु संदिग्ध एवं संबंधित अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की जाती है । सम्पत्ति संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु रात्रि गश्त, आवारा लोगों की चैकिंग, पूर्व सजायाब की चैकिंग, निगरानी बदमाश, मुसाफिर आदि की चैकिंग लगातार की जाती है । समय-समय पर विशेष अभियान चलाकर जिलाबदर एवं एन.एस.ए. की कार्यवाही की जाती है । (घ)जिले में 03 उप पुलिस अधीक्षक, 01 निरीक्षक, 02 सूबेदार, 14 उप निरीक्षक, 02 प्रधान आरक्षक तथा आरक्षक के 69 पद रिक्त हैं । रिक्त पदों की पूर्ति आगामी समय में पदोन्नति/सीधी भर्ती तथा स्थानान्तरण से हो सकेगी ।

परिशिष्ट – "चवालीस"

नरसिंहपुर जिले में सड़कों का रखरखाव

76. **(क्र. 664) श्री जालम सिंह पटेल (मुन्ना भैया) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी कितनी सड़कें हैं, जिनका निर्माण पूर्ण हुए 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है ? (ख) उक्त सड़कों की गारंटी/मेंटेनेंस अवधि पूर्ण होने के बाद विभाग द्वारा उक्त सड़कों के मैंटेनेंस की क्या व्यवस्था की गई है ? विधान सभा क्षेत्रांतर्गत कौन-कौन सी सड़कें रखरखाव की श्रेणी में हैं ? (ग) उक्त सड़कों के मैंटेनेंस हेतु विभाग के पास कुल कितनी राशि है अथवा प्राप्त की गई है ?(घ) विभाग द्वारा विगत पांच वर्ष की अवधि पूर्ण करने के बाद की सड़कों के मैंटेनेंस पर कितनी राशि व्यय की गई है, सड़कवार विस्तृत विवरण दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनान्तर्गत नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में ऐसी 20 सडके है जिसका निर्माण पूर्ण हुये 5 वर्ष से अधिक समय हो गया है । (ख) उक्त सडकों की गारंटी अवधि पूर्ण होने के उपरांत विभाग द्वारा आगामी पांच वर्षों के संधारण कार्यों हेतु राज्य शासन मद से राशि स्वीकृत कर संधारण कार्य कराया जा रहा है । शेष जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है । (ग) उक्त सडकों की गारंटी अवधि पश्चात आगामी पांच वर्षों के संधारण हेतु विभाग द्वारा रू. 517.97 लाख राशि की स्वीकृति प्राप्त की गई है । (घ) विभाग द्वारा उक्त सडकों की गारंटी अवधि पश्चात आगामी पांच वर्षों के संधारण हेतु रू. 388.04 लाख की राशी व्यय की गई है, जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र अनुसार है ।

परिशिष्ट – "पैंतालीस"

शहर में संचालित पुराने टेम्पो से प्रदूषण में वृद्धि

77. **(क्र. 670) डॉ. मोहन यादव :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन शहर में डीजल से चलने वाले टेम्पो की कुल संख्या कितनी है और इनमें से ऐसे कितने टेम्पो है जो दस वर्ष से अधिक पुराने है ? (ख) क्या यह सही है कि दस वर्षों से अधिक पुराने टेम्पो के शहर में संचालन से प्रदूषण में वृद्धि हो रही है ? (ग) प्रश्नांश (ख) के अन्तर्गत इन टेम्पो को उज्जैन शहर से संचालन बंद करने की कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हॉं, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जायेगा ? (घ) दस वर्षों से अधिक पुराने ऐसे कितने टेम्पो को शहर में परिचालन के परमिट जारी किये गये है ? उनके परमिट जारी करने की दिनांक, टेम्पो क्रमांक एवं परमिट समाप्ति दिनांक सहित बतायें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) उज्जैन शहर में डीजल से चलने वाले टेम्पों की कुल संख्या 32 है, और ये सभी दस वर्ष से अधिक पुराने है । (ख) जी नही । (ग) सड़क सुरक्षा समिति की बैठकों में लिये गये निर्णयों के अनुसार उज्जैन शहर में संचालित टैम्पों का संचालन क्रमिक रूप से बंद किया जा रहा है । उक्त निर्णय अनुसार समय सीमा दी जाना संभव नही है । (घ) परिवहन कार्यालय उज्जैन से वर्तमान में टैम्पों के कोई भी परमिट जारी नही किये जा रहे है, दस वर्षो से अधिक पुराने 32 टैम्पों के परमिट पूर्व से जारी है, जो दिनॉक 25.11.2015 तक समाप्त हो जावेगें । परमिट जारी दिनॉक, टैम्पों क्रमांक एवं परमिट समाप्ति दिनॉक की जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है ।

परिशिष्ट – "छियालीस"

उज्जैन शहर में लूट, चोरी की घटनाएं

78. **(क्र. 672) डॉ. मोहन यादव :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) उज्जैन शहर में एक वर्ष (नवम्बर 2013 से अक्टूबर 2014) की अवधि में लूट, चोरी डकैती के अपराध किस-किस थाने में कितनी-कितनी धनराशि के दर्ज किये गये ? थाने का नाम, घटना दिनांक, लूट की राशि सहित जानकारी दें ? (ख) किस-किस थाने की प्रश्नांश (क) के अन्तर्गत हुई घटनाओं के आरोपी पकड़े गये एवं कितने प्रकरण में माल बरामदगी हुई ? माल, धनराशि सहित जानकारी दें ? (ग) क्या यह सही है कि उज्जैन शहर में निरन्तर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और पुलिस उस पर नियंत्रण करने में सक्षम नहीं हो रही ? क्या इसका मुख्य कारण पुलिस बल की कमी है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट अनुसार । (ग) जी नहीं । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मध्यान्ह भोजन योजना का क्रियान्वयन

79. **(क्र. 674) श्री विष्णु खत्री :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कितनी प्राथमिक एवं माध्यमिक शालायें हैं ? इन शालाओं में कितने बच्चे अध्ययन करने वाले दर्ज है एवं जिला पंचायत भोपाल से प्रतिमाह कितनी धनराशि का भुगतान इन बच्चों के भोजन व्यवस्था पर करता है पूर्णत: स्पष्ट करें ? प्रति बच्चे पर मीनु अनुसार कितनी राशि व्यय करने का प्रावधान है स्पष्ट करें तथा साप्ताहिक निर्धारित मीनु किस प्रकार का प्रतिदिन का निर्धारित है बताये ? क्या विभाग मीनु में दुग्ध वितरण को भी शामिल करने जा रहा है ? ऐसे कितने स्वसहायता समूह है जिन्हें मध्यान्ह योजना से जोड़ा गया है, तथा इन समूहो का पंजीयन NRLM योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा अधिकृत वेबसाईट पर किया जा चुका है पंचायतवार/विकासखण्डवार पंजीकृत समूहों की संख्या बताये ? (ख) क्या ऐसी भी भोपाल जिले में शालाये हैं जिनमें मध्यान्ह भोजन स्व-सहायता समूहों के द्वारा नहीं दिया जाकर ग्राम पंचायत/अन्य संस्थाओं द्वारा दिया जा रहा है ? ऐसी शालाओं के नाम व ग्राम बताये ? इसका क्या कारण है ? शालावार वह भी स्पष्ट करें ? (ग) क्या जिला पंचायत भोपाल में मध्यान्ह भोजन के संचालन हेतु स्टॉफ पदस्थ है ? क्या यह स्टॉफ दूर दराज की शालाओं का निरीक्षण करता है ? यदि हॉं, तो नवम्बर 2014 में कितनी शालाओं का निरीक्षण किया है ? तारीख/शालावार निरीक्षणकर्ता का नाम सहित बताये तथा निरीक्षण में क्या कमियॉं पाई गई शालावार बताये ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) बैरसिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 381 प्राथमिक एवं 142 माध्यमिक शालाऐं है। कुल 523 शालाऐं है । शेष उत्तर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट "अ" पर है ।(ख)नगरीय क्षेत्र की 719 शालाओं में केन्द्रीयकृत रसोईघर नांदी फाउण्डेशन के द्वारा मध्यान्ह भोजन वितरण किया जा रहा है। शेष उत्तर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट "ब" पर है । (ग) जी हॉं जिला पंचायत भोपाल में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के संचालन हेतु एम.डी.एम. सेल में कुल 05 व्यक्तियों का स्टाफ पदस्थ है, जिनमें 02 टास्क मैनेजर, 02 क्वालिटी मॉनीटर एवं 01 कम्प्यूटर ऑपरेटर नियुक्त है । मध्यान्ह भोजन सेल द्वारा जिले की कुल शालाओं का 10 प्रतिशत निरीक्षण करने के निर्देश है । यह स्टाफ दूर-दराज की शालाओं का निरीक्षण भी करता है । शेष उत्तर की जानकारी संलग्न परिशिष्ट "स" पर है ।

परिशिष्ट – "सैंतालीस"

बैरसिया विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत मुख्यमंत्री हेल्पलाईन (181 जन हेतु जन सेतु) पर विभागवार शिकायतो का निपटारा समय पर किये जाने बाबत्

80. **(क्र. 675) श्री विष्णु खत्री :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) योजना आरम्भ से 1-12-2014 तक कितनी शिकायते बैरसिया विधान सभा क्षेत्र की 181 नवम्बर पर विभागवार दर्ज की गई बतायें ? दर्ज शिकायतों में से कितनी शिकायते किस लेबल पर निराकृत की गई विभागवार स्पष्ट करें ? (ख) मुख्यमंत्री हेल्प लाईन में शिकायत के निपटारे का तरीका/कार्ययोजना/नियम क्या है पूर्णत: बताये ? ऐसी कितनी शिकायते है जिनका समय-सीमा में निराकरण नहीं हो सका है विभागवार/संख्या बताये ? (ग) विभाग इस योजना को और लोकप्रिय/प्रभावी ढंग से लागू करने हेतु क्या कार्ययोजना/ बदलाव लाना चाहता है ? (घ) इस हेल्प लाईन के सफल संचालन हेतु राज्य/जिला स्तर पर कितना अमला पदस्थ है ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) योजना आरम्भ (31 जुलाई 2014) से 01 नवम्बर 2014 तक बैरसिया विकासखंड की कुल 103 4 शिकायतें दर्ज हुयी है जिनकी विभागवार जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।

कर्मचारियों द्वारा की गई अनियमितता

81. **(क्र. 676) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) कलेक्ट्रेट खाद्य शाखा जिला-छतरपुर में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान ग्राम पंचायत बरकौहा की जाँच कर किस-किस को दोषी मान कर दिनांक 5.4.13 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था ? दोषियों के पद बतायें ? (ख) क्या कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से हटकर खाद्य शाखा में पदस्थ कर्मचारी द्वारा नोट शीट में दिनांक 15/4/13 को अतिरिक्त नाम जोड़ने की टीप लगाई गई थी ? नोटशीट लिखने वाले कर्मचारी का नाम पद सहित बतायें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के अनुसार क्या नोटशीट लिखने वाले कर्मचारी को अतिरिक्त नाम जोड़ने की शक्तियाँ प्राप्त थी ?(घ) प्रश्नांश (ग) का जवाब हाँ है तो प्राप्त शक्तियों के संबंध में अधिनियम/नियम एक्ट की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की जावे ? यदि (ग) का जवाब नहीं है तो दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ? कब तक समय-सीमा बतावें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन दिनांक 05-04-2013 में शासकीय उचित मूल्य दुकान बरकोहा के विक्रेता द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के वितरण में अनियमितता किया जाना प्रतिवेदित किया है । (ख) उचित मूल्य दुकान बरकोहा की जांच में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के वितरण में गंभीर अनियमितता पाये जाने के कारण मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2009 की कंडिका 11 क(5) (7) के अन्तर्गत उचित मूल्य दुकान के विक्रेता एवं संस्था प्रबन्धक तथा अध्यक्ष के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की गई थी । नोटशीट श्रीमती मंजू श्रीवास, सहायक ग्रेड-3 के द्वारा लिखी गई है । (ग) कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री की कालाबाजारी प्रथम दृष्टया पाई जाने पर जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में विधि शाखा प्रभारी श्रीमती मंजू श्रीवास, सहायक ग्रेड-3 द्वारा मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2009 की धारा 11 की उपधारा (5), (7) में प्रावधानानुसार कार्यवाही करने हेतु नोटशीट प्रस्तावित की गई जिससे सहमत होकर जिला आपूर्ति अधिकारी ने नस्ती प्रभारी अधिकारी अपर कलेक्टर को प्रस्तुत की थी । (घ) कार्यालयीन प्रकियानुसार लिपिकीय कर्मचारी द्वारा नोटशीट पर जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदन तथ्यों का उल्लेख करते हुए नस्ती प्रस्तुत की जाती है । जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार ही सक्षम अधिकारियों द्वारा ही निर्णय लिया जाता है । प्रश्नाधीन प्रकरण में किसी कर्मचारी द्वारा अवैधानिक कार्यवाही नहीं की गई है । अत: कर्मचारी के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

पंच-परमेश्वर योजना में व्यय की गई राशि

82. **(क्र. 677) कुँवर विक्रम सिंह :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) प्रदेश में पंच-परमेश्वर योजनान्तर्गत कुल कितनी राशि योजना प्रारंभ से प्रश्न दिनांक तक व्यय की गई ? शासन की गाइडलाईन दें ? (ख) छतरपुर जिलान्तर्गत उक्त योजना के तहत 10/11 से वित्तीय वर्षवार प्राप्त राशि, ग्राम पंचायत द्वारा व्यय राशि, TS/AS द्वारा स्वीकृत राशि, कार्य की मूल्यांकन राशि, मूल्यांकन से अधिक आहरित राशि, प्रश्न दिनांक तक सत्यापित कर विकासखण्डवार उपलब्ध करावे ? (ग) विभाग द्वारा शासन प्रावधानों का पालन उक्त योजना के तहत किया गया ? यदि हाँ, तो तकनीकी अधिकारी/जनपद पंचायत के जिम्मेदार अधिकारियों का प्रमाण पत्र उपलब्ध करावे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"अ" एवं "ब" अनुसार । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"स" अनुसार । (ग) जी हाँ । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट-"द" अनुसार ।

उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न का वितरण

83. **(क्र. 697) श्रीमती इमरती देवी :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वि.स. क्षेत्र डबरा अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली/सहकारी समितियों में पदस्थ कर्मचारी का नाम, संस्था के संचालन का स्थान उपलब्ध करावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार वि.स. क्षेत्र डबरा अंतर्गत दिनॉक 30.10.2014 की स्थिति में, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्नपूर्ण योजना, प्राथमिकता परिवार, एवं बी.पी.एल. परिवार तथा अति गरीब परिवार के प्रत्येक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान/सहाकारी समिति/उपभोक्ता भण्डार, संस्था पर कितने-कितने सदस्य है, जिन्हें खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है संस्थावार, पृथक-पृथक बतावें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'अ' अनुसार है । (ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट 'ब' अनुसार है ।

स्वयं सेवी संस्थाओं को अनुदान

84. **(क्र. 698) श्रीमती इमरती देवी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2011-12 से 2014-15 में ग्वालियर जिला की किस स्वयं सेवी संस्था को किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि, किस कार्य हेतु अनुदान के रूप में प्रदाय की गई, संस्थावार बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) अनुसार अनुदान प्राप्त स्वयं सेवी संस्था के संचालन स्थान का पूर्ण पता तथा समय, सहित बतावें तथा उक्त अवधि में अनुदान प्राप्त संस्था के विभागीय अधिकारी द्वारा किस-किस, दिनॉक को स्थल निरीक्षण किया, विस्तृत जानकारी उपलब्ध करावें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है । (ख) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है ।

परिशिष्ट – "अड़तालीस"

भारत सरकार की ऋण माफी योजना के संबंध में

85. **(क्र. 713) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या भारत सरकार द्वारा ऋण माफी से संबंधित मार्गदर्शिका निर्धारित की थी ? उक्त नियम निर्देशों की प्रति संलग्न कर जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) अप्रैल 2007 से मार्च 2010 तक भारत सरकार द्वारा कर्जा माफी योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहकारी बैंक मर्यादित शिवपुरी की शाखा नरवर में ऋण माफी के अन्तर्गत कितने कृषकों के ऋण मांफ किये गये ? (ग) जिन किसानों के ऋण माफ किये गये हैं, उनमें ऐसे कितने किसान थे, जिनकी ऋण माफी के समय मृत्यु हो चुकी थी ? मृत किसानों के नाम ऋण स्वीकृत किये जाने की कितनी शिकायतें की गई थीं ? प्राप्त शिकायतें एवं की गई कार्यवाही की जानकारी दें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. प्रति पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है. (ख) अप्रैल 2007 से मार्च 2010 तक भारत सरकार की ऋण माफी और ऋण राहत योजना, 2008 के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी की शाखा नरवर से संबद्ध प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के 2165 कृषकों के ऋण माफ किये गये. (ग) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, शिवपुरी से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन किसानों के ऋण माफ किये गये हैं, उनमें से किसी की मृत्यु ऋण माफी के पूर्व होने की जानकारी बैंक शाखा या संबंधित समिति को नहीं थी. मृत किसानों के नाम ऋण स्वीकृत किये जाने की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. अतः शेष प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

करैरा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत सिल्लारपुर, मुंगावली, मछावली में हुए कार्यों के संबंध में

86. **(क्र. 714) श्रीमती शकुन्तला खटीक :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शिवपुरी जिले के करैरा विकास खण्ड की ग्राम पंचायत सिल्लारपुर, मुंगावली, मछावली के लिये 01/04/2009 से 31/10/2014 तक किस-किस मद/योजना में कितनी-कितनी राशि, किस-किस उद्देश्य के लिये कब-कब उपलब्ध कराई गयी ? सूची संलग्न कर जानकारी उपलब्ध कराऐं ? (ख) उक्त प्राप्त राशि से ग्राम पंचायतों द्वारा क्या-क्या कार्य, कितनी-कितनी राशि से कब-कब कराये गये ? तथा कितनी-कितनी राशि किन-किन को कब-कब किस उद्देश्य/कार्य के लिए किस मद एवं योजना से भुगतान की गई ? (ग) उक्त में ऐसे कौन-कौन से कार्य हैं, जिनकी राशि आहरित कर ली है अथवा भुगतान कर दिया है, परन्तु कार्य पूर्ण नहीं हुये हैं ? (घ) प्रश्नांश (ख) में वर्णित राशि में से कौन-कौन से कार्य पूर्ण हो चुके हैं ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार । (ख) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब"अनुसार । (ग) ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य के लिये राशि आहरण कर भुगतान कर दिया गया हो और कार्य पूर्ण नहीं हुए है ऐसे कोई भी प्रकरण प्रकाश में नहीं आये है । (घ) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स"अनुसार ।

खेत, सड़क एवं हाट बाजार योजनाओं का क्रियान्वयन

87. **(क्र. 725) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खेत, सड़क व हाट बाजार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन की क्या गाइड लाईन निर्धारित है ? गाइड लाईन की प्रति उपलब्ध करावें ? (ख) क्या मुरैना जिला अंतर्गत गाइड लाईनों के तहत उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया ? (ग) यदि उपरोक्त सच है, तो मुरैना जिला की किन-किन विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में खेत सड़क एवं हाट बाजार योजना हेतु कितनी-कितनी लागत की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई ? यह जानकारी दिसम्बर, 2013 से 15 नवम्बर, 2014 तक पूर्ण विवरण सहित दी जावे ? (घ) विधान सभा क्षेत्र- दिमनी में प्रश्नांश (ग) के अनुसार कितनी योजनाओं को शामिल किया गया है ? क्या सभी योजनाऐं समयावधि में पूर्ण हो चुकी हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? कारण बतावें व कब तक पूर्ण कर दी जावेंगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । खेत सड़क व हाट बाजार योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शासन की गाईड लाईन निर्धारित है, गाईड लाईन की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र "अ" अनुसार है । (ख) जी हॉ । (ग) जी हॉ । जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र "ब" अनुसार है । (घ) विधान सभा क्षेत्र दिमनी में प्रश्नांश "ग" अनुसार खेत सड़क एवं हाट बाजार योजनाएं शामिल की गई । कार्यो की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट प्रपत्र "स" अनुसार है । जी नहीं । चूंकि खेत सड़क योजना, मनरेगा के तहत मजदूरों की मांग पर आधारित योजना है, फलस्वरूप कार्य पूर्ण करने की समय-सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है । दिमनी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत हाट बाजार योजना अंतर्गत संचालित कार्य प्रगति पर है । मार्च 2015 तक पूर्ण होने की संभावना है ।

नि:शक्त/विकलांग व्यक्तियों को दी गई सहायता

88. **(क्र. 726) श्री बलवीर सिंह डण्डौतिया :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र. शासन द्वारा नि:शक्त जन/ विकलांगों को आर्थिक व अन्य सहायता प्रदाय हेतु शासन की क्या-क्या नीति प्रचलन में है ? नीति की प्रति दें ?

(ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में वित्तीय वर्ष, 2009-2010 से प्रश्न प्रस्तुत दिनांक तक मुरैना जिले को कितनी राशि प्राप्त हुई, वर्षवार बतायें ? (ग) प्रश्नांश (ख) में उल्लेखित बजट राशि मुरैना जिले को किन-किन विधानसभा क्षेत्रों में कितनी-कितनी व्यय की गई ? (घ) विधान सभा क्षेत्र दिमनी, जिला मुरैना अथवा जनपद मुरैना व अम्बाह में कितने-कितने नि:शक्त जन/ विकलांगों के आवेदन सहायता हेतु प्राप्त हुए ? उन्हें क्या-क्या सहायता नकदी व अन्य प्रकार से दी गई ? (ड) प्राप्त आवेदनों में से कितने शेष हैं व उन्हें कब तक सहायता प्रदान कर दी जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार है ।(ख) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "ब" अनुसार है ।(ग) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "स" अनुसार है । (घ) जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र "द" अनुसार है । (ड) उत्तरांश "घ" अनुसार । समय सीमा बताना संभव नहीं ।

केरोसीन का वितरण

89. **(क्र. 735) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बैतूल में केरोसीन का किस-किस कम्पनी द्वारा परिवहन/वितरण किया जाता है ? (ख) प्रतिमाह केरोसीन सहकारी संस्थाओं को कब वितरित किया जाता है ? (ग) वर्ष, 2011 से 2014 मार्च तक बैतूल जिले को कितना आवंटन प्राप्त हुआ ? (घ) घोड़ाडोंगरी, शाहपुर, चिचोली में 2011-2014 तक वितरित केरोसीन की जानकारी देवें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) बैतूल जिले में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड एवं इण्डियन ऑयल कम्पनी लिमिटेड के डीलर द्वारा केरोसीन का परिवहन किया जाता है ।(ख) प्रतिमाह आवंटित केरोसीन के उठाव की अंतिम तिथि निर्धारित कर उसी माह में तदनुरूप सहकारी संस्थाओं की दुकानों पर उसका प्रदाय किया जाता है ।(ग) प्रश्नांकित अवधि में बैतूल जिले को कुल 46,920 किलोलीटर केरोसीन का आवंटन प्रदाय किया गया है । (घ) प्रश्नांकित अवधि में घोड़ाडोंगरी, शाहपुर और चिचोली विकासखण्डों में क्रमश: 5,913.2 के.एल., 3,942 के.एल. एवं 1,958.2 के.एल. केरोसीन का वितरण किया गया है ।

बस किरायों की अवैध वसूली

90. **(क्र. 736) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या आदिवासी क्षेत्र, बैतूल से भोपाल तक किराये में अवैध वसूली बस संचालकों द्वारा की जा रही है ? (ख) यदि नहीं, तो कि.मी. के आधार पर किराया क्यों नहीं लिया जाता ? (ग) ग्राम शाहपुरा से भौरा के बीच ग्राम कुंडी का किराया दुगुना वसूला जा रहा है ? जिम्मेदार कौन है ?(घ) विभाग खटारा बसों को परमिट प्रदाय कर यात्रियों की जान से खिलवाड़ क्यों कर रहा है ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) जी नहीं, ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं है । (ख) विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 22-142/2004/आठ दिनांक 25.08.2014 के अनुसार किमी के आधार पर ही किराया निर्धारित है । जिसके अनुसार ही, किराया लिया जाता है । (ग) प्रश्नांकित मार्ग की शाहपुर से ग्राम कुण्डी की दूरी पांच किमी है, जिसका किराया शासन की उक्त अधिसूचना के अनुसार रूपये 07.00 लिया जा रहा है । (घ) बसों की फिटनेस वैद्य होने पर ही परमिट जारी किये जाते है, अतः जान से खिलवाड का प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

अध्यापक संवर्ग को क्रमोन्नति पश्चात् संशोधित वेतन देने के संबंध में

91. **(क्र. 740) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सहायक अध्यापक संवर्ग के क्रमोन्नति संवर्ग वेतन में संशोधन करते हुये ग्रेड-पे 1250 के स्थान पर 1650 के आदेश शासन द्वारा जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो आदेश की छायाप्रति उपलब्ध करावें ? (ख) यदि प्रश्नांश (क) के अनुसार आदेश प्रसारित किये गये है, तो सतना जिले के किन-किन संकुल केन्द्रों में संशोधित आदेश के मुताबिक ग्रेड-पे दिया जा रहा है ? संकुलवार एवं विकासखण्डवार जानकारी देवें ? (ग) क्या यह सही है कि विकासखण्ड सोहावल के कई संकुल केन्द्रों में अध्यापक संवर्ग को संशोधित ग्रेड-पे नहीं दिया जा रहा है ? इसके लिये कौन दोषी हैं, बतायें ? कब तक ग्रेड-पे दिया जायेगा ? (घ) क्या विभाग द्वारा अंतरिम राहत की किस्त 1000 रू. प्रतिवर्ष माह सितम्बर में देने का निर्देश है ? यदि हां, तो सतना जिले के किन-किन विकास खण्डों एवं संकुल केन्द्रों द्वारा द्वितीय किस्त नहीं दी गई है ? क्या वित्त विभाग के हर वर्ष अनुमति देने के पश्चात् अंतरिम राहत देने के निर्देश हैं ? यदि नहीं, तो क्या ऐसी संकुल प्राचार्य एवं लेखापालों के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉ । आदेश की प्रति पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "1" अनुसार ।(ख) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "2" अनुसार । (ग) जी नहीं । पात्रतानुसार सोहावल विकासखण्ड के सभी संकुल केन्द्रों में अध्यापक संवर्ग को संशोधित संवर्ग वेतन दिया जा रहा है । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) जी नहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश दिनांक 04.09.2013 अनुसार अंतरिम किश्त दिये जाने के निर्देश जारी किये गये है, जिसके अनुक्रम में सतना जिले में अंतरिम राहत की द्वितीय किश्त का भुगतान किया जा रहा है । जी हॉ । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के तहत छात्रों से बर्तन साफ करवाया जाना

92. **(क्र. 742) श्रीमती ऊषा चौधरी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त शासकीय प्राथमिक शाला/माध्यमिक शालाओं में संचालित मध्यान्ह भोजन बनाने वाली रसोईयों को विद्यालय में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के खाने के बर्तन धोने के लिये निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो आदेश की छायाप्रति देवें ? (ख) यदि हां, तो क्या सतना जिले के ग्रामीण शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के खाने के बर्तन रसोईयों द्वारा धुलेवाये जाते हैं ? (ग) क्या यह सही है कि सतना जिले के मध्यान्ह भोजन व्यवस्था में कार्यरत रसोईयों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के खाने के बर्तन धोने से मना किया जाता है ? (घ) क्या शासन द्वारा रसोईयों से इस आशय का शपथ पत्र लिया जायेगा कि हर वर्ग के बच्चों से बिना भेदभाव के बर्तन धुलवाये जायेंगे ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां । आदेश की प्रति संलग्न परिशिष्ट पर है । (ख) जी हां । सतना जिले के ग्रामीण शालाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के खाने के बर्तन रसोईयों द्वारा धुलवाये जाते है। (ग) जी नहीं । (घ) उंत्तराश 'ग' के परिपेक्ष्य में आवश्यक नही ।

परिशिष्ट – "उन्चास"

मुख्यमंत्री कन्यादान योजनाओं के संबध में प्रदाय राशि

93. **(क्र. 766) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में 1 नवम्बर 2013 से वर्तमान तक की अवधि में मुख्यमंत्री कन्यादान योजनान्तर्गत कुल कितनी कन्याओं का विवाह कराया गया ? विवाह के यह आयोजन कहां-कहां, किस-किस दिनांक को किस संस्था/विभाग द्वारा सम्पन्न कराये गये । आयोजनवार विवाहित कन्याओं की संख्या सहित जानकारी उपलब्ध करायें ? (ख) उक्त अवधि में उक्त योजनान्तर्गत कराये गये कन्याओं के विवाह हेतु प्रति कन्या/जोड़ा के मान से शासन द्वारा कितनी राशि जिला पंचायत श्योपुर/ संबंधित विभाग को भेजी गई व कब बतायें ? (ग) क्या ये सच है कि योजना के तहत शासन द्वारा प्रति कन्या/जोड़ा 25 हजार रूपये दिये जाने का प्रावधान है में से 12 हजार रूपये के वर्तन/सामान उपहार के रूप में तथा 7 हजार रूपये आयोजन करने वाली संस्था/विभाग को प्रति जोड़ा दी जाती है शेष 6 हजार रूपये की राशि की एफ.डी.कन्या/जोड़े के नाम से कराकर प्रदाय की जाती है जो वर्तमान तक संबंधित विभाग/संस्था द्वारा प्रदाय नहीं की गई । इसके क्या कारण है ? (घ) उक्त कारण से संबंधित कन्याये विवाह उपरांत अपने पति अथवा परिजनों के साथ एफ.डी.हेतु जिले की जनपद पंचायतों एवं नगर पालिका/परिषदों में चक्कर लगा, लगाकर परेशान हो रही है , यदि हां तो इस हेतु कौन दोषी है ? (ड़) उक्त राशि की एफ.डी.बनवाकर विवाहित कन्याओं को प्रदाय करने में विलम्ब के कारणों की जांच करवाकर पाये गये दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये क्या शासन अब तक एफ.डी.से वंचित रही समस्त संबंधित विवाहित कन्याओं को शीघ्र 6-6 हजार की एफ.डी.प्रदाय करने के आदेश संबंधित विभाग/संस्था को जारी करेगा यदि नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''अ'' अनुसार है। (ख) शासन द्वारा 1 नवम्बर 2013 से वर्तमान अवधि तक श्योपुर जिले को कुल राशि रूपये 205.25 लाख प्रदाय की गई है। (ग) जी हॉ। जानकारी संलग्न परिशिष्ट के प्रपत्र ''ब'' अनुसार है। कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। (घ) उत्तरांश ''ग'' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता। (ड़) जी हॉ।

परिशिष्ट – "पचास"

बी.पी.एल. राशन कार्ड बनवाने हेतु प्राप्त आवेदन

94. **(क्र. 767) श्री दुर्गालाल विजय :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) श्योपुर जिले में 1 जनवरी 2014 से वर्तमान तक की अवधि में बीपीएल राशन कार्ड बनवाने हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए में से कितने आवेदन मान्य/अमान्य किये गये ? कितने लंबित पड़े हैं व क्यों कारण सहित जानकारी उपलब्ध करावें ? (ख) क्या ये सच हैं, कि उक्त आवेदनों की जॉच हेतु जिन कर्मचारियों को नियुक्त किया जाता हैं उन कर्मचारियों को संबंधित आवेदक के घर जाकर परिवार की वास्तविक स्थिति की जांच करनी चाहिये लेकिन संबंधित कर्मचारियों द्वारा ऐसा न करते हुए जॉचकर्ताओं द्वारा अनियमितताऐं बरतते हुए मनमर्जी से संबंधित के आवेदनों पर सर्वे रिपोर्ट अंकित कर वापस कार्यालय में जमा करवा दिये जाते हैं ? (ग) क्या ये भी सच है कि जांचकर्ताओं द्वारा स्वयं की स्वार्थपूर्ति के चलते अपने चहेतों के आवेदनों पर अनुकूल तथा शेष आवेदनों पर प्रतिकूल सर्वे रिपोर्ट अंकित की जाती रही है । नतिजन पात्र आवदक बीपीएल राशन कार्ड से अभी भी वंचित बने हुये है और अपात्रों के राशन कार्ड आसानी से बन जाते है ? (घ) यदि नहीं तो प्रश्नांश (क) में वर्णित अवधि में मान्य/अमान्य किये गये आवेदनों की जॉच कराने उपरांत पाये गये दोषियों के विरूद्ध क्या शासन कार्यवाही करेगा यदि नहीं तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) श्योपुर जिले में 1 जनवरी 2014 से वर्तमान तक की अवधि में बीपीएल राशन कार्ड बनवाने हेतु 274 आवेदन प्राप्त हुए है जिनमें से 241 आवेदनों का निराकरण कर दिया गया है, 03 आवेदन अमान्य एवं 30 आवेदन लंबित है। आवेदन लंबित रहने का कारण आवेदन समय-सीमा में होने से है । (ख) हां, उक्त जांच हेतु कर्मचारी नियुक्त किये गये है । नियुक्त कर्मचारी आवेदनकर्ता के घर जाकर परिवार की वास्तविक स्थिति का अवलोकन करने के पश्चात ही जांच रिपोर्ट संबंधित कार्यालय को प्रेषित करता है। (ग) नहीं। (घ) नहीं, क्योंकि जिन आवेदकों के आवेदन निरस्त हो जाते है उन आवेदनों में से कुछ आवेदनों को प्रथम अपील में दर्ज कर आवेदनों का पुनः परीक्षण किया जाता है, जिसमें पूर्व में की गई जांच की कार्यवाही सही पायी जा रही है। प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

<u>जौरा विधान सभा में मनरेगा के तहत किये गये कार्यो में अनियमिततायें</u>

95. **(क्र. 786) श्री सूबेदार सिंह रजौधा :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि जौरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मनरेगा के तहत कराये गये कार्यो में व्यापक स्तर पर अनियमिततायें एवं धांधली हुई है ? कार्यो का ना तो भौतिक सत्यापन कार्य स्थल पर जाकर किया गया है और न ही जॉबकार्ड धारियों की जांच की गई हैं ? (ख) जौरा विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा के तहत विगत 5 वर्षो में किन-किन पंचायतों में कितनी-कितनी राशि का कार्य कराया गया हैं ? पंचायतवार विवरण दें ? (ग) जनपद पंचायत पहाड़गढ़ क्षेत्रान्तर्गत आने वाली पंचायतों में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक निर्माण कार्यो का किन-किन अधिकारियों द्वारा नियमानुसार निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण उपरांत क्या टीप दी गई ? विवरण देवें ? वर्तमान की स्थिति में किन-किन पंचायतों का कार्यो की राशि भुगतान किया जाना शेष है और क्यों ? पंचायतवार विवरण देवें ? (घ) मनरेगा योजना के तहत जनपद पंचायत पहाडगढ़ में सबसे न्यूनतम राशि का कार्य करने वाली पंचायत एवं सबसे अधिकतम राशि का कार्य करने वाली पंचायतें कौन-कौन सी हैं ? क्या यह सही है कि जनपद के अधिकारियों की मिली भगत से भ्रष्टाचार कर कुछ पंचायतों में फर्जी कार्य दिखा कर बिना मजदूरों के मशीनरी द्वारा लाखों का कार्य कराया गया है ? यदि हां, तो व्यापक स्तर पर हुई फर्जी अनियमितताओं पर संबंधितों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । जी नहीं । (ख) जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट ''अ'' अनुसार है । (ग) जनपद पंचायत पहाड़गढ़ क्षेत्रान्तर्गत आने वाली पंचायतों में वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक स्टेट क्वालिटी मानीटर श्री एस.एस.आर्या, श्री जे.पी.सोनी एवं श्री आर.सी.बंसल द्वारा शासन निर्देशानुसार निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया गया । स्टेट क्वालिटी मानीटर से प्राप्त निरीक्षण टीप पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट-''ब'' अनुसार है । मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं मनरेगा अन्तर्गत पदस्थ समस्त तकनीकी अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जाता है । पंचायतवार भुगतान हेतु शेष राशि की जानकारी पुस्तकालय मे रखे परिशिष्ट-''स'' अनुसार है । (घ) मनरेगा योजना के तहत जनपद पंचायत पहाड़गढ़ में वित्तीय वर्ष 2014-15 में सबसे न्यूनतम राशि का कार्य करने वाली ग्राम पंचायतें विचपुरी, रसोधनाहार तथा अधिकतम राशि का कार्य करने वाली पंचायतें बंधपुरा, कुकरौली है । जी नहीं । शेष का प्रश्न उपस्थित नहीं है ।

<u>पाटन विधान सभा क्षेत्र में मनरेगा से कराये जा रहे कार्य</u>

96. **(क्र. 807) श्री नीलेश अवस्थी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) जबलपुर जिले की पाटन एवं मझौली विकासखण्डों में वित्त वर्ष, 2014-15 में मनरेगा से विकासखण्डवार कितनी-कितनी लागत के कार्य कराये गये ? पंचायतवार,एजेंसीवार कार्यो की संख्या तथा लागत बतावें ? (ख) प्रश्नांश (क) में वर्णित निर्माण कार्यों की अद्यतन स्थिति एवं इन निर्माण कार्यों पर अब तक किस-किस मद में कब-कब, कितना भुगतान किया गया ? एवं कितना भुगतान शेष है ? (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित शेष भुगतान के विलम्ब के क्या कारण हैं ? शेष भुगतान कब तक कर दिया जावेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जबलपुर जिले की पाटन एवं मझौली विकासखण्डों में वित्त वर्ष, 2014-15 में मनरेगा से विकासखण्डवार कराये गये कार्यों की लागत, पंचायतवार तथा एजेंसीवार कार्यों की संख्या की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है । (ख) वांछित जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के अनुसार है । (ग) प्रश्नांश (ख) में वर्णित शेष भुगतान के विलम्ब का कारण केन्द्र सरकार द्वारा विगत वर्ष बजट में मनरेगा हेतु पर्याप्त धन राशि का प्रावधान नहीं किया जाना, जिसके कारण माह मार्च 2014 से ही प्रदेश को मांग अनुसार राशि प्राप्त न होना है ।

कम्प्यूटर सेट मय प्रिंटर के प्रदाय

97. **(क्र. 818) श्री जितू पटवारी :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2011-12 से प्रश्न दिनांक तक म.प्र. की समस्त पंचायतों को अथवा चुनिंदा पंचायतो को कम्प्यूटर सेट मय प्रिंटर के प्रदान किये गये हैं ? (ख) यदि हॉं, तो कम्प्यूटर क्रय किये जाने हेतु कौन सी ऐजेंसी को नियुक्त किया गया था ? क्या इस हेतु टेंडर प्रक्रिया अपनाई गई थी? (ग) क्रय किये गये कम्प्यूटर हेतु क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये थे एवं कम्प्यूटर किस कंपनी के होकर किस मूल्य पर कितने क्रय किये गये हैं ? जानकारी देवें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉं । म.प्र. की 23006 ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटर, लेजर प्रिंटर, स्कैनर बेटरी के साथ यू.पी.एस. ए.ई.डी. टी.व्ही, लेन स्वीच एवं पेन ड्राईव प्रदान किये गये है । (ख) म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा प्रक्रिया अपनाते हुये भण्डार क्रय नियमों के अनुसार क्रय प्रक्रिया अपनाई गई । (ग) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा निर्धारित कम्प्यूटर मापदण्ड संलग्न परिशिष्ट पर है । म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा मेसर्स एसर इंडिया कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कम्प्यूटर एवं अन्य सामग्री प्रदाय की गई है । म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा निविदा जारी कर प्राप्त न्यूनतम दर राशि रुपये 104,931/- + कर राशि रुपये 8124.39 मिलाकर कुल मूल्य राशि रुपये 1,13,055,39 प्रत्येक ग्राम पंचायत के मान से क्रयादेश अनुसार प्रदाय की गई है ।

परिशिष्ट – "इक्यावन"

प्रदेश में ट्रेक्टर ट्राली की दुर्घटनाए रोकने के संबंध में

98. **(क्र. 827) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) दिनांक 01-01-2014 से वर्तमान दिनांक 10-11-2014 तक प्रदेश में ट्रेक्टर ट्राली के टकराने से कितनी दुर्घटनाए हुई ? जिलावार विवरण देवे ? माहवार देवें ? (ख) यह भी बताए कि उपरोक्त दुर्घटनाओं में कितने लोगों की मृत्यु हुई, कितने घायल हुए ? जिलावार, माहवार विवरण देवें ? (ग) उपरोक्त दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन ट्रेक्टर ट्राली के पीछे रेडियम लगाना कब तक अनिवार्य करेगा ? समय सीमा बताए? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) एवं (ख) विवरण संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । (ग) केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 की धारा 104 (ख) में स्पष्ट प्रावधान है इसलिये ट्रेक्टर-ट्राली में परावर्तक लगाना पूर्व से ही अनिवार्य है ।

परिशिष्ट – "बावन"

महिदपुर वि.स. क्षेत्र में सांप्रदायिक तनाव

99. **(क्र. 828) श्री बहादुर सिंह चौहान :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) महिदपुर वि.स.क्षेत्र के कस्बा झारडा, थाना झारडा में दिनांक 03-10-2014 को दशहरा रावण दहन के दिन साप्रंदायिक तनाव होने पर दोनों समुदायों पर दर्ज प्रकरण का प्रकरण क्रं एवं अन्य जानकारिया उपलब्ध कराए ? (ख) ऐसा क्या कारण था कि तत्काल चालान प्रस्तुत कर दिया गया, स्पष्ट करें ? (ग) क्या पुलिस दंगाइयों को प्रश्रय दे रही थी, उन्माद फैलाने वालों पर हल्की धाराऍं क्यों लगाई गई ? (घ) क्या अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इसके लिए कोई कार्यवाही की गई ? स्पष्ट करें ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) दिनांक 03.10.2014 को दशहरा पर्व के दौरान दुर्गा विर्सजन चल समारोह में डी0जे0 बजाये जाने से दो समुदाय के मध्य विवाद उत्पन्न हुआ । घटना के संबंध में थाना झारडा में अपराध क्रं. 220/14 धारा 323,147,294,506 भादवि एवं अपराध क्रं. 221/14 धारा 323,147,294,506 भादवि पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय में पेश किया गया । (ख) दोनो प्रकरणों में विवेचना पूर्ण हो चुकी थी । इसलिये चालान प्रस्तुत किया गया । (ग) पुलिस दंगाईयों को कोई प्रश्रय नहीं दे रही थी । पुलिस द्वारा तत्काल मौके पहुंच कर घटना पर तत्काल नियंत्रण कर दोनो पक्षों के विरूद्ध साक्ष्य अनुसार विधि सम्मत कार्यवाही की गई है । (घ) अनुविभागीय अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) द्वारा तत्काल मौके पर पहुँच कर विधि सम्मत कार्यवाही की गई ।

बाजार बैठक निर्माण का कार्य किए बिना राशि का आहरण

100. **(क्र. 829) श्री बाला बच्चन :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजपुर वि.स. क्षेत्र के ठीकरी पंचायत में विभाग द्वारा बाजार बैठक निर्माण की स्वीकृति किस दिनांक को दी गई ? इसकी लागत एवं पूर्णता दिनांक भी बताए ? (ख) क्या कारण है बगैर निर्माण किए गए राशि आहरित की जाती रही, स्पष्ट करें ? राशि आहरण दिनांक मूल्यांकन रिपोर्ट की छायाप्रति सहित देवें ? (ग) बगैर निर्माण किए राशि आहरित करने वाले एवं इस ओर ध्यान न देने वाले अधिकारियो पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ? इनसे राशि कब तक वसूल की जावेगी ? समय सीमा बताए ? (घ) उपरोक्त निर्माण कब तक कराया जायेगा ? समयसीमा बताए ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "अ" अनुसार । (ख) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "ब" अनुसार। (ग) पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "स" अनुसार । (घ) प्रथम कार्य के संबंध में प्रकरण मान. न्यायालयीन में विचाराधीन है । पुस्तकालय में रखे प्रपत्र "द" अनुसार । द्वितीय कार्य के संबंध में जांच प्रचलित है जांच उपरांत कार्यवाही की जावेगी ।

बड़वानी जिले में खाद्यान्न वितरण

101. **(क्र. 830) श्री बाला बच्चन :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) बड़वानी जिले में ए.पी.एल कार्डधारी कितने हैं ? इनको विगत 1 वर्ष में कितना और कौनसा खाद्यान्न एवं केरोसीन वितरित किया गया है ? विधानसभावार जानकारी देवें? (ख) ए.पी.एल कार्डधारी के लिए कितना कोटा निर्धारित है, बताए ? (ग) क्या कारण है कि निर्धारित कोटे के अनुसार कार्डधारियों को खाद्यान्न एवं केरोसीन नहीं वितरित किया जाता ? बताए ? इनको कब से नियमानुसार वितरण किया जावेगा ? समयसीमा बताए ? (घ) इस और ध्यान न देने वाले अधिकारियों पर शासन कब तक कार्यवाही करेगा ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) बड़वानी जिले में माह फरवरी, 2014 में खाद्यान्न एवं केरोसीन प्राप्त करने वाले ए.पी.एल कार्डधारियों की कुल संख्या 95,727 थी । माह दिसम्बर, 2013 से फरवरी, 2014 तक खाद्यान्न एवं केरोसीन वितरण की जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट अनुसार है ।(ख) प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन 1 मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किया जा रहा है । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा

अधिनियम, 2013 के अंतर्गत दो प्रकार की श्रेणियों का प्रावधान है- अन्त्योदय परिवार एवं प्राथमिकता परिवार । प्रदेश में प्राथमिकता परिवार की श्रेणियों में ए.पी.एल श्रेणी का प्रावधान न होने से ए.पी.एल श्रेणी हेतु कोई कोटा निर्धारित नहीं है । (ग) निर्धारित पात्रतानुसार वितरण की कार्यवाही प्रचलित होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है । (घ) प्रश्नांश 'ग' के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता है ।

नाले पर पुलिया निर्माण

102. **(क्र. 841) श्री सचिन यादव :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या प्रश्नकर्ता का पत्र क्रमांक 182 दिनांक 04.09.14 मुख्य कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जिला खरगोन, ग्राम पंचायत अघावन में खेड़ी से अघावन मार्ग पर नाले पर पुलिया निर्माण किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है हां, तो उस पर प्रश्न दिनांक तक क्या कार्यवाही की गई ? (ख) प्रश्नांश (क) में दर्शित कार्यवाही को पूर्ण किये जाने के लिए क्या संबंधित प्रस्ताव जिला स्तर से विभाग उच्चधिकारी के स्तर से कार्यवाही किये जाने के लिए पत्र व्यवहार किया गया है हां, तो कब-कब नहीं तो क्यों कारण बतायें ? (ग) प्रश्नांश (क) में दर्शित नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कब तक कर दिया जायेगा ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉं । कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा महेश्वर द्वारा ग्राम पंचायत अघावन में खेड़ी से अघावन मार्ग पर नाले पर पुलिया निर्माण का प्राक्कलन बनाया गया । (ख) जी नहीं । अतः शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता । (ग) कार्य की स्वीकृति नहीं होने से शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

नियमानुसार बसों का संचालन नहीं किया जाना

103. **(क्र. 846) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) विभाग द्वारा गत 3 वर्षों में अलिराजपुर-इंदौर मार्ग पर सार्वजनिक परिवहन हेतु कौन-कौन से बस परमिट किस-किस व्यक्ति को जारी किये है ? परमिट नियमावली के साथ विस्तृत जानकारी प्रदान करें ? (ख) प्रश्नांश (क) के परिप्रेक्ष्य में बस संचालकों द्वारा बसों का संचालन नियमानुसार नहीं किया जा रहा है ? यदि हॉं, तो विभाग द्वारा संचालकों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? विस्तृत जानकारी दें ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्यों कारण स्पष्ट करें ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) विगत 3 वर्षो में अलीराजपुर-इन्दौर मार्ग के कुल 82 अस्थाई परमिट परिवहन कार्यालय इन्दौर से जारी किये गये है, जिनकी जानकारी संलग्न परिशिष्ट अनुसार है । यह सभी परमिट मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 87(1) (सी) के अंतर्गत जारी किये गये । (ख) विभाग द्वारा नियम विरूद्ध संचालन रोकने हेतु समय समय पर आकस्मिक जांच की जाकर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है । विशेष जांच दल इन्दौर द्वारा प्रश्नांकित अवधि में कार्यवाही कर रूपये 702831/- राजस्व वसूला गया है । शेषांश का प्रश्न उपस्थित नही होता है ।

परिशिष्ट – "तिरेपन"

सहकारिता लीड सोसायटियों का गठन

104. **(क्र. 847) श्री सुरेन्द्र सिंह हनी बघेल :** क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या सन् 1980-81 में राज्य शासन ने सहकारिता अधिनियम 1960 अन्तर्गत लीड सोसायटियों का गठन किया था ? (ख) क्या सन् 1991-92 में शासन ने

नागरिक आपूर्ति निगम को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न पहूँचाने के लिए अन्नदूत योजना प्रारंभ की थी ? क्या यह योजना बंद कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों और कब ? कारण स्पष्ट करें ? (ग) प्रश्नांश (ख) के परिप्रेक्ष्य में, क्या सहकारिता अधिनियम 1960 के अन्तर्गत आने वाली सहकारी समितियां (संस्थाओं) को अगर लीड सोसायटी का गठन (घोषित) की थी ? यदि हां, तो नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा उस समय अन्नदूत योजना क्यों चलाई गई थी ? क्या यह सही है कि, सहकारिता अधिनियम 1960 के अन्तर्गत आने वाली संस्थाओं को यह कार्य पुन: प्रदान क्यों किया गया ? (घ) क्या यह सही है कि, सहकारिता अधिनियम 1960 के अन्तर्गत आने वाली लीड संस्थाओं से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर खाद्यान्न का परिवहन किया जा रहा था ? यदि हां, तो प्रदाय योजना के अन्तर्गत नागरिक आपूर्ति निगम को यह कार्य क्यों दिया जा रहा है ? कारण स्पष्ट करें ?

खाद्य मंत्री (कुँवर विजय शाह) : (क) जी, नहीं । वर्ष 1985 में मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के रिवाल्विंग फण्ड नियम में लीड संस्था को परिभाषित किया गया है ।(ख) जी, हां । वर्तमान में यह योजना क्रियान्वित नहीं है । प्रदेश के एक लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए अन्नदूत योजना लागू थी, जबकि अन्य क्षेत्रों में खाद्यान्न एवं शक्कर पहुंचाने का कार्य लीड संस्थाओं के माध्यम से किया जाता था । इस प्रकार दुकानों तक सामग्री पहुंचाने के लिए दोहरी परिवहन व्यवस्था थी । वाहन जैसे संसाधनों की अनुपलब्धता और दोहरी व्यवस्था में आने वाली कठिनाईयों के कारण शनै: शनै: अन्नदूत योजना बन्द हो गई । (ग) जी, हॉं । नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा यह योजना तत्समय एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों के लिए चलाई गई थी । जी, हॉं । अन्नदूत योजना के प्रचलन में नहीं होने के कारण यह कार्य लीड संस्थाओं को दिया गया । (घ) जी, हां । जस्टिस बाधवा कमेटी द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उचित मूल्य दुकान तक सामग्री स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन के माध्यम से ही आपूर्ति किये जाने हेतु प्रस्तुत अनुशंसा एवं विभिन्न राज्यों में इसके बेहतर अनुभवों को देखते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के परिप्रेक्ष्य में शासन के निर्णयानुसार 'द्वार प्रदाय योजना' को नये रूप में प्रारंभ किया गया है ।

सहकारी समितियों के विगत निर्वाचन की स्थिति

105. **(क्र. 851) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कुल कितनी सहकारी समितियॉं स्थित है ब्योरेवार नाम, क्रमांक, सारणीबद्ध प्रदाय की जावे ? (ख) पिछले एक वर्ष से अब तक कितनी सहकारी समितियों के चुनाव किस-किस दिनॉक को सम्पन्न हो चुके है ब्योरेवार जानकारी प्रदाय करें ? (ग) उक्त सभी सहकारी समितियों में से कितनी समितियॉं बकाया राशि शेष होने के कारण डिफाल्टर की स्थिति में रहीं किस दिनॉक से किस दिनॉक तक रहीं इसकी जानकारी ब्योरेवार प्रदान करें ? (घ) क्या सहकारी समितियों के चुनाव में डिफाल्टर बकाया राशि शेष रहते हुये चुनाव करवाये जा सकते है । इस संबंध में शासन के नियम क्या है यदि नहीं तो कितनी ऐसी समितियॉं है जिनके चुनाव उनके डिफाल्टर रहते हुये करा दिये गये ब्योरेवार जानकारी प्रदान करें ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) छतरपुर जिले में कुल 848 सहकारी समितियां हैं. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "अ" अनुसार है. (ख) पिछले एक वर्ष से अब तक 107 सहकारी समितियों के चुनाव सम्पन्न हुए हैं. विस्तृत जानकारी पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट "ब" अनुसार है. (ग) सहकारी समितियां, अन्य सहकारी समितियों तथा वित्तदायी बैंक की बकाया राशि के प्रति डिफाल्टर होती हैं. प्रश्नांश में समिति तथा वित्तदायी बैंक के नाम उल्लेख नहीं होने से स्पष्टता के अभाव में जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. (घ) जी हां. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाईटी अधिनियम एवं नियम में समितियों के डिफाल्टर होने पर उनके निर्वाचन कराने पर प्रतिबंध नहीं है, किन्तु सदस्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों की अपात्रता के कारण पर्याप्त संचालकों का निर्वाचन न होने से कोरम के अभाव में संचालक मण्डल का गठन नहीं होने की स्थिति में निर्वाचन प्रक्रिया स्वमेव अवरूद्ध हो जाती है. अतः शेष प्रश्नांश के उत्तर की आवश्यकता नहीं है.

बसों के परमिटों की जानकारी का प्रदाय

106. **(क्र. 852) श्री आर.डी. प्रजापति :** क्या परिवहन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छतरपुर जिले में कुल कितनी बसों के रजिस्ट्रेशन है, तथा इनमें से कितनों को परमिट जारी किये गये है अवधि सहित बसों के परमिटों का विवरण सारणीबद्ध तरीके से प्रदान करें ? (ख) कितनी शिकायतें बिना परमिटों की बस के संचालन में प्राप्त हुयी है उनकी जॉच किस स्तर पर है ? (ग) यदि उक्त शिकायतों में किसी को दोषी पाया गया हो, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ऐसे कितने व्यक्ति है जिन पर अभी तक कार्यवाही नहीं की गयी है ? (घ) म.प्र. राज्य परिवहन निगम के भंग होने के बाद से अब तक कितने पूर्व कर्मचारियों के आवेदन अभी तक लंबित है और उनको उपादान का प्रदाय अब तक नहीं किया गया है ?

परिवहन मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह) : (क) छतरपुर जिले में कुल 481 यात्री बसे पंजीकृत है। इन बसों को निम्नानुसार स्थाई एवं अस्थाई परमिट जारी किये गये है :-

क्र.	कार्यालय का नाम	जारी स्थाई परमिट संख्या	जारी अस्थाई परमिट संख्या
1	सागर	206	64
2	छतरपुर	निरंक	54
	योग	**206**	**118**

अवधि सहित परमिटों की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र 'अ' एवं ''ब'' अनुसार है। (ख) उक्त कार्यालयों में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। (ग) प्रश्नांश 'ख' के उत्तर के प्रकाश में कार्यवाही अपेक्षित नहीं । (घ) म0प्र0 राज्य परिवहन निगम बंद नही हुआ है। वर्तमान में निगम परिसमापन की कार्यवाही विचाराधीन है।

शासकीय आवासों के परिवर्तन सूची अनुसार आवंटन

107. **(क्र. 855) डॉ. रामकिशोर दोगने :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) म.प्र.शासन गृह(सामान्य) विभाग के पत्र क्र.एफ 1-138/97/दो-ए(3) भोपाल दिनांक 05.04.2002 के द्वारा शासकीय आवास आवंटन कोटे के अंतर्गत वर्ष 2013-14 एवं वर्ष 2014-15 के अंतर्गत कुल कितने शासकीय आवास आवंटन विभिन्न श्रेणीवार किये गये ? (ख) क्या यह सत्य है कि संबंधित कोटे अन्तर्गत संबंधित विभाग से जो सूची विगत वर्षो में संपदा संचालनालय को भेजी गई थी उसमें एच से जी में व जी से एफ मे शासकीय आवासों के परिवर्तन की सूची अनुसार आवास आवंटित किये गये है ? (ग) यदि नहीं तो क्यों कारण दर्शाये ? संबंधित विभाग को परिवर्तन वाले आवास आवंटन नहीं करने के कारण है क्या इस संबंध में संबंधित विभाग द्वारा वर्ष 2008 से परिवर्तन वाले आवास दिये जाने की अनुशंसा के पत्र संपदा संचालनालय में प्राप्त हुये है ? (घ) यदि हां तो उन्हें शासकीय आवासों का आवंटन क्यों नहीं किया गया ? अब कब तक आवंटित किये जायेंगे ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) वर्ष 2013-2014 में निम्नानुसार श्रेणीवार आवंटन किए गये :- एफ श्रेणी-03, जी श्रेणी-03, एच श्रेणी-03, आई श्रेणी-03, वर्ष 2014-15 की सूची विधानसभा सचिवालय से प्राप्त नही हुई है। (ख) जी नहीं। (ग) भोपाल स्थित शासकीय आवास आवंटन नियम 2000 के नियम 23 (1) के अंतर्गत परिवर्तन केवल समान श्रेणी के आवास गृहों मे मान्य होने के कारण। (घ) प्रश्नांश ''ग'' के प्रकाश में प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

समग्र स्वच्छता अभियान

108. **(क्र. 858) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि बैतूल जिले में समग्र स्वच्छता अभियान के बिना किसी योग्य आधार पर बडे पैमाने पर ग्राम पंचायतों एवं जनपद पंचायतों को राशि रूपये 876 लाख जारी कर दी गई ? (ख) क्या जारी राशि से समस्त कार्य पूर्ण हो गए हैं ? यदि नहीं, तो क्या राशि बैंकों में जमा है ? यदि नहीं, तो बिना कार्य किए राशि का आहरण करने वालों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई ? (ग) क्या अनियमित रूप से राशि जारी करने, कार्यों की मॉनिटरिंग नहीं करने एवं समय पर दोषियों पर कार्यवाही नहीं करने वाले जिला स्तरीय शासकीय सेवकों पर कोई कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी नहीं । जिले द्वारा जनपद पंचायत के माध्यम से प्राप्त मांग पत्र के आधार पर ग्राम पंचायतों/जनपद पंचायतों को राशि जारी की जाती है । वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 जारी राशि का विवरण पुस्तकालय में रखे परिशिष्ट के प्रपत्र 'क' अनुसार है ।(ख) जी नहीं । वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 में 9798 कार्य पूर्ण किये गये है, बिना कार्य किये राशि का आहरण करने वाले सचिवों के विरूद्ध पद से पृथक करने, निलंबित करने की कार्यवाही की गई है एवं वसूली की कार्यवाही प्रचलन में है । (ग) प्रश्नांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

परिशिष्ट – "चौवन"

पंचायत सचिवों के स्थानांतरण

109. **(क्र. 859) श्री हेमन्त विजय खण्डेलवाल, श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों के सचिवों के शतप्रतिशत् स्थानांतरण उनके निकटस्थ पंचायतों में करने हेतु शासन द्वारा स्थानान्तरण नीति की घोषणा की गई थी ? (ख) क्या बैतूल जिले में सचिवों के स्थानांतरण में जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई शिकायत के आधार पर कलेक्टर द्वारा जांच कराई जाकर सूची निरस्त करने, दोषियों पर कार्यवाही करने एवं प्रकरण की जांच लोकायुक्त संगठन से कराने की अनुशंसा की गई थी ? (ग) यदि हां, तो प्रश्न दिनांक तक प्रकरण में क्या कार्यवाही की गई ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो इसका क्या कारण है, तथा कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हॉं । (ख) जी हॉं । (ग) म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 एवं इसके अंतर्गत निर्मित नियमों से जिला पंचायत द्वारा अपनी बैठकों में लिए गए निर्णय एवं तद्नुसार जारी आदेशों में हस्तक्षेप करने का जिले के कलेक्टर को किसी प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं है । यह शक्तियां संभागीय आयुक्त को प्राप्त है । इस प्रकार कलेक्टर बैतूल द्वारा जिला पंचायत बैतूल से जारी पंचायत सचिवों के स्थानान्तरण आदेश दिनांक 20.08.2014 को स्थगित करने की शक्तियां नहीं है । आयुक्त, पंचायत राज संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक/ पं./2014/9807 दिनांक 05.09.2014 से कलेक्टर बैतूल का स्थगन आदेश निरस्त किया गया । शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता ।

आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्या. कुरई जिला सिवनी में नियम विरूद्ध पदोन्नति

110. **(क्र. 1250) श्री योगेन्द्र सिंह (बाबा) :** क्या पंचायत मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है कि आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित कुरई, जिला सिवनी में प्रबंधक के पद पर दी गई नियम विरूद्ध पदोन्नति के संबंध में शिकायत प्रेषित की गई थी जिसका PG कोड PG/283184/2014/99 था ? यदि हॉं तो उक्त शिकायत पर विभाग द्वारा अब तक क्या जॉंच व कार्यवाही की गई ? (ख) क्या शिकायत में उल्लेखानुसार सबसे कनिष्ठ एवं प्रबंधक के पद हेतु अनुपयुक्त व्यक्ति को दी गई पदोन्नति

तत्काल समाप्त करते हुये पात्र वरिष्ठ एवं उपयुक्त को प्रबंधक के पद पर पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में विभाग शीघ्र विचार करेगा ? (ग) क्या प्रश्नांश (क) के प्रकाश में संबंधित शिकायत की जॉच शीघ्र कराई जाकर पदोन्नति निरस्त की जाकर पदोन्नति प्रदान करने वाले अधिकारी के विरूद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी ? यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पंचायत मंत्री (श्री गोपाल भार्गव) : (क) जी हां. शिकायत की जांच उप आयुक्त, सहकारिता, जिला सिवनी द्वारा कराई गई है. जांच में शिकायत सही नहीं पाई गई है, अतः कार्यवाही किये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है. (ख) उत्तरांश 'क' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है. (ग) उत्तरांश 'क' एवं 'ख' के परिप्रेक्ष्य में प्रश्नांश उद्भूत नहीं होता है.

<u>श्रमिक संगठन के संबंध में</u>

111. **(क्र. 1370) श्री सज्जन सिंह उईके :** क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) शाहपुर (घोड़ाडोंगरी क्षेत्र) बैतूल में कौन सा संगठन कार्य कर रहा है ? (ख) चिचोली में कार्यरत संगठन कहां से मान्यता प्राप्त है ? (ग) क्या संगठन घोड़ाडोंगरी के आदिवासियों को मुद्दा बनाकर स्वार्थ लाभ प्राप्त कर रहा है ? यदि हां, तो घोड़ाडोंगरी क्षेत्र में छिंदवाड़ा के आदिवासी क्यों भूमि के पट्टे मांग रहे हैं, जो संगठन में हैं ? (घ) क्या श्रमिक संगठन आदिवासियों को नक्सल गतिविधि/अपराध को बढ़ावा दे रहा है ?

गृह मंत्री (श्री बाबूलाल गौर) : (क) समाजवादी जन परिषद एवं श्रमिक आदिवासी संगठन । (ख) मान्यता संबंधी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है अपितु संगठन का राष्ट्रीय कार्यालय राजनारायण स्मृति भवन केसला, जिला होशंगाबाद में स्थित है । (ग) संगठन द्वारा आदिवासियों को वन भूमि पट्टे का आवंटन किये जाने की मांग जिला प्रशासन से की जा रही है तथा समय-समय पर प्रदर्शन आदि किया जा रहा है । (घ) ऐसी कोई घटना परिलक्षित नहीं हुई है ।